राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक :10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का अठारहवां दिवस [संख्या : 14

गुरुवार;

13 मार्च, 2003

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भंवरलाल शर्मा।

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर के फर्जी लाइसेंस प्रकरण की जांच

312. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर में फर्जी लाइसेंस प्रकरण की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही कर ली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सरकार ने कोई उपाय किये है? यदि हां, तो क्या-क्या?

(4) क्या सरकार वर्षों से एक ही सीट पर लगे कर्मचारियों की सम्पत्ति की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?

उप मुख्य मंत्री (यातायात) **श्री बनवारी लाल बैरवा** : (1) फर्जी लाइसेंसों के जानकारी में आने पर जिला परिवहन अधिकारी (लाइसेंस), जयपुर के स्तर पर छह मामलों में पत्र क्रमांक 6510-12 दिनांक 3.10.2002 द्वारा थाना गांधी नगर जयपुर शहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 304/2002 दर्ज कराई गई। इसके अलावा एक अन्य फर्जी लाइसेंस के सम्बन्ध में दिनांक 3.10.2002 को पुलिस थाना गांधी नगर जयपुर शहर में एफ.आई.आर. संख्या 305/2002 दर्ज कराई गई। दोनों एफ.आई.आर. की प्रति परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' पर संलग्न है।

परिवहन विभाग में भी अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर के स्तर पर जांच की गई। प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न है।

(2) चूंकि फर्जी लाइसेंस बनाना एक आपराधिक कृत्य है जो कि भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय है, इसलिए परिवहन विभाग इस सम्बन्ध में अनुसंधान

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

हेतु सक्षम नहीं है तथा पुलिस थाना स्तर पर जिला परिवहन अधिकारी (लाइसेंस) जयपुर द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. संख्या 304/2002 एवं 305/2002 में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। पुलिस द्वारा इन मामलों में न्यायालय में चालान क्रमशः दिनांक 7.1.2003 एवं 13.1.2003 को प्रस्तुत किये जा चुके है। पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान जिन व्यक्तियों को दोषी पाया गया है, उनका विवरण परिशिष्ट ''घ'' पर उपलब्ध है।

पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 304/2002 में परिवहन विभाग के श्री नरेन्द्र कुमार जैन उप परिवहन निरीक्षक तथा श्री कुलदीप शर्मा, क.लि. को दोषी पाया गया है। विभाग द्वारा इनका निलम्बन दिनांक 14.10.2002 के आदेश से कर दिया गया है।

(3) लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की खामियों को दूर करने के लिए विभाग के स्तर पर विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 19.10.2002 को जारी कर दिये गये है। जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट ''ड'' पर संलग्न है।

(4) विभाग के स्तर पर एक कर्मचारी के एक ही सीट पर अधिक समय तक कार्यरत नहीं रहने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश परिपत्र दिनांक 24.5.2000 द्वारा जारी किये हुए हैं। कर्मचारियों द्वारा अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में आचरण नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार को सूचित करना आवश्यक है। साथ ही वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी विवरण अंकित करना आवश्यक है। किसी कार्मिक के विरुद्ध स्पष्ट शिकायत आने पर नियमानुसार सक्षम स्तर पर जांच की जाती है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, आप यह बताएं कि यह जो फर्जी लाइसेंस बने हैं ये कितनी समयावधि में बने हैं? ये एक दिन में बने हैं या कई समय लगा है इनमें, नम्बर एक?

नम्बर दो, आपने कहा कि छह ही लाइसेंस फर्जी बने हैं, इनका क्या आधार है आपके पास? आपने जो सूची दी है अपराधियों की 12 और 4, कुल 16 लोगों को बताया है, 16 लोग इस अपराध में लगे और लाइसेंस छह ही बने, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी जांच नहीं कर पाये? आपने अपराधियों की संख्या दी है 16 और आप कहते हैं कि लाइसेंस फर्जी छह ही बनाये है, तो एक लाइसेंस फर्जी बनाने में कितना समय लगता है और कितने आदमी लगते हैं उसमें, क्योंकि इतने लम्बे समय में ये छह ही बना पाये?..(व्यवधान)

फिर आप यह बताएं, आपने यह एक आदेश निकाला कि एक सीट पर एक बाबू छह महीने से ज्यादा नहीं रहेगा, यह क्यों निकालना पड़ा आपको? इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? ये जो छह मामले पकड़े है, इनके अलावा जो कोई पुराने मामले होते रहे उसको पकड़ने का

(श्री भंवरलाल शर्मा)

क्या प्रयत्न किया? आप संतुष्ट कैसे हो गये कि ये छह मामले ही हो सकते है? छह की सूचना दी किसने आपको? ये छह भी फर्जी बने हुए है, इनका पता कैसे लगा? और जिन लोगों ने फर्जी बनाये उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है आपने, यह बताएं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि छह लाइसेंस जो बने हैं वे कितने टेन्योर में कब बने हैं? खुशनिहाल पुत्र प्रकाश माथुर, 35 सीताराम पुरी, आमेर रोड, जयपुर इनको लर्निंग लाइसेंस मिला है 3.5.2002 को।

ताराचन्द यादव को 2.8.2002, राकेश मिश्रा को 5.8.2002 कमल सनवार को 4.7.2002, उदाराम खत्री 20.8.2002, सुरेश कुमार पुत्र बसन्ती लाल 16.8.2002, इस टेन्योर में इन लोगों के फर्जी लाइसेंस बने। अब आपका फर्माना यह है कि ये कैसे बने, तो हमारे दफ्तर में तो बने नहीं ये, ये बाहर कहीं बने हैं। फर्जी इस मायने में हैं कि दस्तखत हमारे जिस अधिकारी के होने चाहिए, वे सब फर्जी हो गये हैं, किसी और व्यक्ति ने कर लिये। हमारी जानकारी में वह नहीं था। पकड़े वे इसलिए गये कि परमानेंट बनाने के लिए जब उनका फार्म, उनकी दरखास्त आई और वे 3–4–5 रोज पलट कर नहीं आये तो थोड़ा–सा एक शक बना कि ये लौटकर क्यों नही आये। तो उस बाबू ने जाकर अपने अधिकारी को, जो डी.टी.ओ. था उनको कहा। उन्होंने फौरन जानकारी की जलेब चौक में जो हमारा सब–आफिस है, जहां से यह बनना बताया है। जलेब चौक के अन्दर एक सब–आफिस था जिसमें से यह बनना बताया गया था, लिहाजा उनसे जानकारी चाही गई। वहां से उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहां से ये लाइसेंस नहीं बने हैं। यह जो क्रमांक था, वह तो था, लेकिन उस क्रमांक पर किसी और का लाइसेंस बना हुआ था, तो वे इस मायने में फर्जी पाये गये। छह तो ये हो गये। एक में जरूर यह हुआ है कि वह बनाकर ही चला गया। ये छह तो वे हैं कि फर्जी लाइसेंस बने, इनके परमानेंट लाइसेंस नहीं बन पाये। एक जरूर था कि जिसका फर्जी लाइसेंस था और उसका परमानेंट बन गया, वह बनाकर भाग गया। ज्यों ही जानकारी हुई कि वह भी फर्जी था तो तत्काल उस लाइसेंस को कैंसिल किया और जो पता उसमें दिया गया था, उस पते पर इंफार्म किया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता, आपको और कुछ पूछना है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** यह जो आपने एफ.आई.आर. लीज कराई है 304 नम्बर की, उसमें आपने ड्यूरेशन दी है 30.9.2000 से 1.10.2000 तक, और आपने अभी बताया कि ये सारे काम अगस्त, 2000 में ही हो गये। सारे लाइसेंसों के बारे में दिया है, उसमें आपने सारे लाइसेंस बनाने की अवधि मई से लेकर अगस्त तक पूरी की है और जो एफ.आई.आर. नम्बर में 304 लाज कराई

(श्री भंवरलाल शर्मा)

गई है उसमें आपने उसकी ड्यूरेशन दी है 30.9.2000 से 1.10.2000 तक ये लाइसेंस कहां से आये, ये कहां चले गये, इनका क्या हुआ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : 30.9.2000 के ...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एफ.आई.आर. नम्बर है 304.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अपनी एफ.आई.आर. नम्बर पर लिखा है ड्यूरेशन आफ दी...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जिस कार्यकाल में ये सारे झमेले हुए, वह दिया है आपने।

श्री बनवारी लाल बैरवा : जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो आपने तो हमको...

श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अभी बताया कि परमानेंट..

श्री अध्यक्ष : यह पूछ रहे हैं। आप खुद मिनिस्टर रहे हुए हैं पहले, बाद में पूछ लेना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी मेरा उत्तर पूरा नहीं आया, कि आपने वह जो आदेश निकाला था कि छह महीने से ज्यादा कोई कर्मचारी एक सीट पर नहीं रहेगा, वह क्यों निकालना पड़ा आपको? इसका जवाब नहीं दिया आपने।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं समझा नहीं, साहब, दोबारा बोले।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने एक आदेश निकाला कि छह महीने से अधिक एक सीट पर कोई बाबू नहीं रहेगा, यह क्यों निकालना पड़ा आपको?

श्री बनवारी लाल बैरवा : जी हां। यह तो, साहब, दफ्तर के अन्दर आदेश निकलते रहते हैं ताकि एक्टिविटी बनी रहे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी क्यों निकाला था आपने? यह अभी क्यों निकालना पड़ा आपको?

श्री बनवारी लाल बैरवा : मोर एक्टिविटी बनाये रखने के लिए जरूरी होता है कि भाई इस सीट से इस सीट पर आप बदलते रहे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह डिपार्टमेंट तो वर्षों से चल रहा है न, तो अभी आपको कैसे जरूरत पड़ी इसको निकालने की, यह भी बता दीजिये। और जो दो सवाल मैंने पहले किये हैं उनका भी उत्तर दीजिये। यह ड्यूरेशन वाला दे दीजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह आर्डर 2000 के अन्दर निकाला है 24.5.2000 को और उसमें यह किया गया। कुछ सैक्शन हैं ऐसे हमारे यहां, जिसके ऊपर हमारे यह मानते हैं कि यहां रोटेशन के अन्दर काम होना चाहिए, इसलिए यह आर्डर निकालना पड़ा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वे सैक्शन तो पहले भी होंगे न?

श्री बनवारी लाल बैरवा : सैक्शन तो हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उनकी पालना नहीं कर रहा था क्या आपका डिपार्टमेंट?

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं–नहीं, पहले भी कर रहे होंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कर रहे होंगे। आदेश तो अब निकाला है आपने।

श्री बनवारी लाल बैरवा : ये इसलिए निकाले गये है कि छह महीने से ज्यादा सीट पर बैठें नहीं। और तब से वह बराबर निरन्तर जारी है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यदि कर रहे थे, माननीय मंत्री महोदय, अगर आपके आदेश की पालना हो रही थी तो आदेश निकालने की जरूरत क्या पड़ी आपको फिर? अगर उसकी पालना हो रही थी पहले से, तो यह नया आदेश निकालने की जरूरत क्या पड़ी थी? यह इस बात का संकेत है कि इसकी पालना नहीं हो रही थी पहले।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उस समय आर्डर नहीं था। अब ये आर्डर दे दिये गये कि छह महीने से ज्यादा रहे नहीं वहां पर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पहले आर्डर नहीं थे तो क्या जबानी बातचीत थी क्या? मेरा जवाब पूरा नहीं आया, इसका उत्तर दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न कर मंत्रीजी को उत्तर तो देने दीजिये, आप खड़े रहते हैं। आप तो सीनियर मैम्बर है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं तो आपके सम्मान में खड़ा रहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : ठीक है, अब उत्तर दिलाए आप। वह बैठे हैं, साहब, मैं भी बैठ जाता हूं। वह देखो, क्या कर रहे हैं, यह मंत्रीजी सो गये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह जो मैंने जवाब दिया है वह आप देख ले, वह जवाब बिलकुल ठीक है, उसके अन्दर कहीं कोई भेद नहीं है।

श्री हीरालाल विश्नोई : इनकी उम्र में आओगे तब आप भी सो जाओगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह। (व्यवधान) ठहरिये, बैठिये आप, उनको जवाब देने दे पहले।

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन मंत्री और उप मुख्य मंत्री से यह पूछना चाह रहा हूं कि फर्जी लाइसेंस जयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में यह प्रक्रिया चल रही है, फर्जी लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें मैं परिवहन मंत्री से यह पूछना चाह रहा हूं, आपने जो हाल में आदेश दिये हैं कि एक बाबू..

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। यह प्रश्न जयपुर के बारे में पूछा है, पूरे राजस्थान का प्रश्न नहीं है, आप बैठिये।

श्री अरुण सिंह : छह महीने से ज्यादा नहीं बैठ सकता है एक सीट में, ये आदेश कब दिये, क्यों दिये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझको अनुमति प्रदान करें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, ये आदेश 24.5.2000 को दिये गये और इसलिए दिये गये कि काम के अन्दर गति बराबर बनी रहे।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंहजी।

श्री रोहिताश्व कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि नये सदस्यों को मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष : इनके बाद में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने इस प्रकरण की दो एफ.आई.आर. दर्ज करना अपने उत्तर के अन्दर बताया है एफ.आई.आर. नम्बर 304 और एफ.आई.आर. नम्बर 305. एफ.आई.आर. नम्बर 304 में आपने 12 व्यक्ति और एक आर. टी. ओ. इंसपेक्टर और एक एल.डी.सी. को अभियुक्त माना है। मैं पूछना चाहता हूं, पहले में ये अभियुक्त थे और 305 में भी आपने उन्हीं लाइसेंसों के कारण से जो एफ.आई.आर. दर्ज कराई उसमें सिर्फ चार बाहर के व्यक्तियों को अभियुक्त माना, क्या फर्जी लाइसेंस बिना आपके आर.टी.ओ. दफ्तर के लोगों के साथ के बन सकते हैं, नम्बर एक? नम्बर दो बात, जिस परिपत्र का आपने उल्लेख किया, 24.5.2000 को आपने कई बार कह दिया कि हमने निकाला, उस परिपत्र की पालना हो रही है या नहीं हो रही है इसके लिए क्या आपने कभी किसी स्तर पर इसका मूल्यांकन कराया? मेरा सीधा आरोप है कि आपका यह परिपत्र रद्दी की टोकरी में है, लोग वर्षों से बने हुए हैं। परिपत्र के माध्यम से आपने यह भी कहा कि बाहर का कोई व्यक्ति आर.टी.ओ. आफिस में टाइम में नहीं जाएगा, लेकिन आज धड़ल्ले से आफिस के अन्दर वही दलाल लोग जा रहे हैं। आप बताएं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से ये आदेश अभी नये जारी किये गये हैं, तब से किसी को वहां प्रवेश नहीं करने दिया जाता। आप दलाल की संज्ञा जिन्हें दे रहे हैं उनका प्रवेश भी वहां वर्जित है। उसके लिए खास तौर से आर्डर जारी किये हुए हैं और डी.टी.ओ. को पाबन्द किया हुआ है कि वह किसी को नहीं घुसने दे, बात नम्बर एक। लेकिन कहीं बाहर बैठते हैं तो बैठने से तो हम मना नहीं कर सकते किसी को कि आप मत बैठिये। जे.डी.ए. ने एक बार कोशिश भी की थी कि वह न बैठें, उठाने की भी कोशिश की थी लेकिन फिर आ बैठते हैं। तो हम लोग उसको अपने परिसर में तो रोक सकते हैं कि आप नहीं घुसे इसके अन्दर। लेकिन बाहर कहीं खड़ा हो, बात कर रहा हो, किसी का काम कर रहा हो तो वहां हम कैसे रोक सकते हैं? वह नहीं रोक पाते।

श्री सांवर लाल : परमानेंट लाइसेंस क्या है, यह तो बता दो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, वह एफ.आई.आर. वाला बताओ न। एक एफ. आई. आर. में सिर्फ चार ही आदमी हैं बाहर के, इसके क्या कोई दोषी नहीं था

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विभागीय कर्मचारी अधिकारी? एफ. आई. आर. नम्बर पांच, एफ.आई.आर. नम्बर चार।

श्री अध्यक्ष : शर्माजी।

श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपने जवाब में बताया कि छह तो वैसे लाइसेंस बन गये और एक परमानेंट बन गया। मैं माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मोटर व्हीकल एक्ट में क्या परमानेंट लाइसेंस और वैसा लाइसेंस भी होता है क्या? एक तो परमानेंट बन गया और छह वैसे, तो क्या परमानेंट लाइसेंस भी मोटर व्हीकल एक्ट में है?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह स्वयं भी परिवहन मंत्री रह चुके हैं, उनकी जानकारी में यह है कि परमानेंट लाइसेंस देने से पहले लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है।

श्री रोहिताश्व कुमार : परमानेंट लाइसेंस होता है क्या, यह बताएं।

श्री सांवर लाल : परमानेंट लाइसेंस होता ही नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री बनवारी लाल बैरवा : होता है... (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : डिप्टी सी.एम. बताएं कि परमानेंट लाइसेंस भी होता है क्या।

श्री सांवर लाल : दूसरा लाइसेंस नहीं होता।

श्री बनवारी लाल बैरवा : टैम्परेरी होता है, उसके एक महीने की अवधि समाप्त होने के बाद फिर वह..

श्री सांवर लाल : नहीं, लाइसेंस होल्डर परमानेंट नहीं होता उसमें। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि लर्निंग लाइसेंस और दूसरा लाइसेंस होता है, परमानेंट लाइसेंस नहीं होता। आप परमानेंट लाइसेंस शब्द काहे को इस्तेमाल कर रहे हो?

श्री रोहिताश्व कुमार : परमानेंट लाइसेंस कोई शब्द है क्या? आपने सारी उम्र के लिए लाइसेंस दे दिया क्या ?

श्री सांवर लाल : कहां से आ गया परमानेंट शब्द? परमानेंट होता है क्या?

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, आप खड़े हो रहे हैं प्रोफेसर सांवर लालजी।

श्री सांवर लाल : आपकी अनुमति से।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल।

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो जुगाड़ सड़क पर चलाये जा रहे है उनके ड्राइवर लाइसेंसशुदा होते हैं क्या? उनके पास जुगाड़ ड्राइविंग लाइसेंस होता है क्या? यदि नहीं तो उन्हें कैसे चलाया जा रहा है? एक बात।

श्री अरुण सिंह : वह किसानमुखी है। (व्यवधान) वह गरीब किसानों का है।

श्री दुर्गाप्रसाद : सुनिये, आप सुनिये दूसरी बात। ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रही है, जब मोटर साइकिल का ड्राइवर लाइसेंस रखता है...

श्री अरुण सिंह : वह किसानमुखी चलेगी। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : तो आप उन्हें लाइसेंस दिलवाए ना, कौन मना कर रहा है? वह आये दिन एक्सीडेंट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि उनको आप.. (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : सरकार क्यों नहीं दे रही है? (व्यवधान) किसानों के हमदर्द ही रहना चाहिए।

श्री अरुण सिंह : वह किसानमुखी चलेगी। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : बैठिये, बैठिये। कानून को हाथ में मत लीजिये। कानून को हाथ में मत लीजिये।

श्री अरुण सिंह : किसानमुखी चलेगी।

श्री दुर्गाप्रसाद : चलाइये, रैगुलराइज कर दीजिये उनको। मंत्री महोदय, आप मुझे अपनी पूरी बात कहने दीजियेगा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हां, मैं कह रहा हूं तो...

श्री दुर्गाप्रसाद : मेरा अर्ज यह है कि आप उन्हें रैगुलराइज कर दीजियेगा। मैं यह नहीं कहता कि उनको मत चलाइये आप। उनको चलाइये आप, उनको रैगुलराइज कर दीजिये, उनके लिए लाइसेंस बनाना शुरू कर दीजियेगा। (व्यवधान) यह क्या बात कर रहे हो .. (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : इन किसानमुखियों की फीस लेओ आप। इनकी कोई फीस लेओ आप, गरीब लोग है ये।

श्री दुर्गाप्रसाद : माननीय महोदय, मैं उनके विरोध में नहीं हूं, मैं यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : ऐसे ही दिख रहे हो कि आप विरोध में हो।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, जो कांग्रेस में जुगाड़ से घुसे, जुगाड़ से..

श्री दुर्गाप्रसाद : आप तो हमेशा हर बात में बोलते हो। आपकी तो एक आदत पड़ गई है, सही बात पर भी बोलने हो, उलटी बात पर भी बोलते हो। आप तो अखबार में अपना नाम छपवाना चाहते हो रोजाना। +++ बोल रहे हो। दूसरों को भी तो बोलने दो।

मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप उनको रैगुलराइज कर दीजियेगा, उनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजियेगा और उनके ड्राइवर्स को ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिये, उनको ट्रेन कर दीजिये, हमें कोई एतराज नहीं है। जरूरत इस बात की है। आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। भाई, बैलगाड़ी चलाने वाला आदमी, ऊंटगाड़ी चलाने वाला आदमी जुगाड़ चला रहा है और न तो वह लाइसेंस, न वह तरीका जानता है कि किस तरह चलाना है। तो मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि उनको आप रैगुलराइज कर दीजियेगा। उनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिये और उनको लाइसेंस दे दीजियेगा। इसमें गलत बात क्या कह रहा हूं? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अरुण सिंह : माननीय सदस्य ने एक अच्छा सुझाव दिया...

श्री दुर्गाप्रसाद : हां, आप सुने तो सही बात को, आप तो ख्वामख्वाह खड़े हो।

श्री सांवर लाल : जुगाड़ कहां से आ गया जब लाइसेंस के ऊपर बात हो रही है?

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, जिसको यह जुगाड़ कह रहे हैं वह किसानों का आधुनिक गाड़ा है। उस आधुनिक गाड़े को जिसमें कि आम गरीब किसान अपना चारा लाने-ले जाने का काम करता है उसको रैगुलराइज करें और उनको इस तरह की राहत दिलायें। आधुनिक गाड़े के नाम से ये जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ तो केन्द्र की सरकार है, वो चल रही है, तो वो सड़कों पर क्यों नहीं चल सकते?

श्री दुर्गाप्रसाद : तो आप उनको नया नाम दे दो। नया नाम दे दो आप उनको। आप उनको लाइसेंस दे दीजियेगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजियेगा हमें कोई एतराज नहीं है। वो आये दिन एक्सीडेंट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उसके लिए एतराज है हमारा तो।

श्री अरुण सिंह : इन जुगाड़ों के लिए कुछ घोषणा तो करो आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जुगाड़ मोटर वाहन...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह किसानों की गाड़ी का अपमान है जुगाड़ कह कर। वो किसान की गाड़ी जुगाड़ नहीं है, किसान की शेवरलेट है वो। (व्यवधान)...

श्री संजीव कुमार (भादरा) **:** अध्यक्ष महोदय, यह जुगाड़ नहीं है, यह फीटररेड़ा है और इसको मारूता भी बोलते हैं...(व्यवधान) इसको मारूता भी बोलते हैं।

श्री सोहन नायक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जुगाड़ तो केन्द्र सरकार है... (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जुगाड़ नाम की कोई गाड़ी हमारे एक्ट में नहीं है। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : ...(व्यवधान) एक्ट को अमेंड करो।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप सुन लें, बात तो सुन लें। लेकिन जो अपनी प्रैक्टिकल जानकारी है उसके हिसाब से वो ट्रेक्टर के पीछे चलते हैं या मोटर लगा देते हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) **:** नहीं, नहीं, ट्रेक्टर के पीछे नहीं चलता। आपको प्रैक्टिकल जानकारी है ही नहीं।

श्री संजीव कुमार : आपको पता ही नहीं है...(व्यवधान) किसान के काम में आता है, यह ट्रेक्टर के पीछे नहीं चलता। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग से इंजन लगाकर चार पहिये लगाकर उसको अलग से तैयार किया जाता है आधुनिक गाड़ी के रूप में, वो ट्रैक्टर से नहीं चलता है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : ऐसा है, साहब, इसके लिए प्रमाण पत्र पूना से जारी होता है। वो अभी जारी नहीं हुआ है इसलिए हम इसको पंजीकृत नहीं कर पा रहे हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : कब तक कर देंगे आप? (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : कब तक कर देंगे, मंत्री महोदय? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ चुके आप।

श्री संजीव कुमार : इसको लाइसेंस कब तक दे देंगे?

श्री अरुण सिंह : एक्ट में अमैंडमेंट करें, मंत्री महोदय।

श्री दुर्गाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं महत्त्वपूर्ण मसला रख रहा हूं, आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आये दिन इससे एक्सीडेंट होते हैं इनको इस तरह से चलाना खतरनाक है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इन गाड़ियों से ज्यादा एक्सीडेंट बड़े ट्रालों से हो रहे हैं, ट्रेक्टरों से, दूसरे साधनों से हो रहे हैं। बसें भिड़ रही हैं... (व्यवधान) किसान केवल मण्डी तक ले जाता है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे कोई एक्सीडेंट नहीं होते, ये जो गाड़े हैं, ये आधुनिक गाड़े मात्र ...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आये दिन पुलिस वाले इनको परेशान करते रहते हैं, इनसे दो सौ रुपये महीने, चार सौ रुपये महीने मांगते हैं। अगर ये रैगुलराइज हो जाएंगे तो पुलिस वाले भी इनको परेशान करना बंद कर देंगे। (व्यवधान) मैं भी इनके पक्ष में हूं, विरोध में नहीं हूं। आप तो हर एक बात में विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया है। आपने सप्लीमेंट्री पूछ लिया है, विराजिये।

श्री अरुण सिंह : पुलिस वाले तो मंथली लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। पुलिस वाले तो मंथली लेंगे, उनके मैस चलते हैं इस पैसे से... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक...

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आर्डर-आर्डर। नैक्स्ट क्वेश्चन। आप पूछ चुके हैं, बैठिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया था कि आपकी एफ.आई.आर. है उसमें आपने...

श्री अध्यक्ष : आप 10 सप्लीमेंट्री पूछ चुके हैं भंवरलाल जी, मैंने नैक्स्ट काल कर लिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : लिख कर दिये 30.9 से 1.12 तक, लेकिन आपने कहा है उसमें इनका जिक्र नहीं किया आपने। ये लाइसेंस कहां गये इस पीरियड में?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री) **:** बहुत हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** आपने केवल जुलाई माह का दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : बहुत हो गया आपका। घड़ी देखो। घड़ी की तरफ देखो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** हम आपको दिखाएंगे घड़ी।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

निलम्बित पुलिस अधिकारियों पर व्यय

313. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) **:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में उप निरीक्षक तथा इससे ऊपर के कौन-कौन अधिकारी हैं जो 31 जनवरी, 2003 को 6 माह की अधिक अवधि से निलम्बित हैं?

(2) उक्त को कितना-कितना निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है?

(3) उक्त की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की जा रही है तथा जांच किस स्तर पर है?

(4) उक्त को आरोप-पत्र कब दिया गया है तथा जांच पूर्ण कर निर्णय करने में क्या-क्या कठिनाई आ रही है? क्या उक्त अधिकारियों से कहीं कोई काम लिया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) **:** (1) दिनांक 31 जनवरी, 2003 तक उप निरीक्षक एवं इससे ऊपर के अधिकारी जो निलम्बित चल रहे हैं, का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) उक्त को कितना-कितना निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है, परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(3) उक्त की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की जा रही है तथा जांच किस स्तर पर है, परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(4) उक्त को आरोप-पत्र कब दिया गया है तथा जांच पूर्ण कर निर्णय करने में क्या-क्या कठिनाई आ रही है, क्या उक्त अधिकारियों से कहीं कोई काम लिया जा रहा है, यदि नहीं, तो क्यों, परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है। नियमों के अन्तर्गत उक्त अधिकारियों से कहीं कोई काम लिया जा रहा है क्योंकि यह काम करने से रोकने का ही आदेश होता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय ने सूची दी है उसमें 6 महीने से अधिक जो सस्पैंडेड हैं उनके खिलाफ आगे कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है इसका विवरण भी इन्होंने दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सस्पेंशन के बाद में चार्ज शीट देना, इंक्वायरी करना इनके आपके नियमों में क्या प्रावधान हैं क्योंकि आपने अलग-अलग कारण दिये हैं? मैं दूसरे सप्लीमेंट्री से पूछना चाहूंगा कि आपके नियमों में सस्पैंड होने के बाद

(श्री शिवनाथ सिंह)

कितनी अवधि में उसको चार्जशीट दे देनी चाहिए, कितने में उसको एक्सप्लेन करना चाहिए ये सब आपके जो नियम हैं उसके अन्दर क्या प्रावधान हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जैसा कि मैंने आपको सूची में बताया है, अधिकांश केसेज वे केसेज हैं जिनमें एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा अदालत में चालान पेश किये गये हैं। एंटी करप्शन विभाग द्वारा जो कोर्ट में चालान पेश किया जाता है उसमें अब तक यह प्रक्रिया रही है कि साइमल्टेनियसली उसको हम चार्जशीट देकर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं कराते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव एंटी करप्शन विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही और न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर पड़ता है। इसलिए उसको हम नहीं करते हैं। अन्य जो मामले हैं उसमें दो डीवाई.एस.पी. और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारी हैं, वो हमने कार्मिक विभाग को भेजे हैं। कार्मिक विभाग के द्वारा ही उसको चार्जशीट दी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक–दो मामलों में चार्जशीट दे दी गयी है जो एंटी करप्शन के केसेज नहीं हैं उनमें।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय गृह मंत्रीजी, मैंने तो नियम पूछे हैं कि आपके नियम क्या हैं। वो तो आपने विवरण मुझे इसमें दे दिया, लेकिन नियम क्या हैं आपके कितनी अवधि में उसको चार्जशीट मिलनी चाहिए, यह जो है न वो नियम पूछा है मैंने तो आपसे।

श्री अमराराम (धोद) : समय पर उसका निर्णय हो जाएगा।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, निर्णय तो नहीं होगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : निर्णय तो अदालत करेगी।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, निर्णय तो नहीं होगा लेकिन आपके नियम क्या हैं, वो बताइये आप हमको।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सर, ये मामले अलग–अलग समय में सुप्रीम कोर्ट में गये थे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की लाइट में इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल ने एक्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद में कुछ दिशा–निर्देश दिये हैं। वो दिशा–निर्देश मेरे पास हैं, आप चाहे तो मैं आपको पढ़ कर सुना सकता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, वैसे ही जबानी बता दीजिये आप।

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री) : मना कर दिया पढ़ने के लिए शिवनाथ सिंहजी ने।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मना कर दिया?

'Any valid ground for staying the disciplinary proceedings is that the defence of the employees in the criminal cases should not be prejudiced. Therefore, what is required to be seen is whether the department enquiry would seriously prejudical the delinquent in his defence at the trial in a criminal case. However, after filing of the reply (written statement to the charge), no question of prejudice arises. There would be no bar to proceed simultaneously with the departmental enquiry and trial of the criminal case

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

unless the charges in the criminal trial are of grave nature involving complicated questions of fact and law. Not only the charges must be grave, but the case must involve complicated questions of law and fact. Staying of disciplinary proceedings pending criminal proceedings should not be matter of course but a considered decision. Even if stayed at one stage, the decision may require reconsideration as the criminal cases get unduly delayed.

"Keeping in view the above-mentioned position, it is hereby clarified that the above-mentioned principles enunciated by the Supreme Court of India and all the relevant factors for and against should be properly weighed by the concerned authority in each specific case before taking a decision as to whether or not a departmental enquiry should be stayed at the final...each case will have to be taken by the concerned competent authority."

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : हिन्दी में क्या अर्थ है इसका? (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : सुनिये तो सही। मुझे तो पूछ लेने दीजिये। माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी यह बताएं कि क्या इन डाइरेक्शन के अनुरूप आपने जो नियम बने हुए थे उसमें कोई बदलाव किया है क्या, एक बात? आपने जो कहा, जो पढ़ा उससे बहुत स्पष्ट है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रोकना जरूरी नहीं है, बार नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि आपने ये जो विभिन्न कारण दिये है उसमें ऐसे कौनसे केसेज हैं, क्या आपने छंटनी कर ली है कि ये तो ग्रेव नेचर के है? जिनमें हमें नहीं करना चाहिये और ये सिम्पल नेचर के हैं। जिसमें आपने जो पढ़ा है उसमें रूल्स कहीं बाधक नहीं है, फिर आपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों नहीं की, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सैपरेट है, कोर्ट का वर्डिक्ट सैपरेट है। कोर्ट के वर्डिक्ट में उसके बरी होने के बाद भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकता है और उसमें एक्शन ले सकता है। इसलिए जो आपने यह फर्माया कि कैसेज कोर्ट में हैं, और आपने यही नहीं कहा, आपने तो यह कहा है कि ए.सी.बी. में कोई जांच चल रही है, उसमें भी हमने चार्जशीट नहीं दी है, उसमें भी इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां आपने डिफरेंस किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि आपने कई जगह यह कहा है। यह आपका कैस है 31 पर, उसमें भी ए.सी.बी. के द्वारा दर्ज प्रकरण अनुसंधान विचाराधीन है, औरों को चार्जशीट नहीं दी गई है। मनीराम उप निरीक्षक, गंगानगर को 25.5.2000 को चार्जशीट दे दी गई है। यह डिफरेंस क्यों किया है आपने? इसी तरह से आइटम 33, इसमें भी चार्जशीट दे दी गई है जबकि इसका कैस भी औरों के बराबर है। माननीय गृह मंत्रीजी यह बताएं कि ये जो मामले हैं उनमें इतना फर्क आपस में क्यों किया गया है? क्या गृह मंत्रीजी इस बात को कहने को तैयार है कि आपके जो नियम है उनका उल्लंघन किया जा रहा है? नियमों में स्पष्ट प्रावधान है

(श्री शिवनाथ सिंह)

कि 6 महीने के बाद उसको सस्पैण्ड नहीं रखा जाए या इंक्वायरी की जाए।

"इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने उनको भत्ता देने की बात कही है, 75 परसेंट दिया है। लेकिन 43 नम्बर आप देखिए, उसमें आप 50 परसेंट ही भत्ता दे रहे हैं। इसी तरह से 40 नम्बर है उसको आप 50 परसेंट ही भत्ता दे रहे है। इनमें आपस में क्या फर्क है? इन कैसेज को किस तरह आपने छांटा है कि इसमें हम 50 ही देंगे और इसमें हम 75 देंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी स्पष्ट करें कि इन मामलों को एक्सपीडाइट करने के लिये आप क्या कार्यवाही करने जा रहे है। कोर्ट कैसेज के हिसाब से, ए.सी.बी. में मामला दर्ज होने की आड़ में उन लोगों को मानसिक चिंता जो हो रही है, उनका जो टार्चर हो रहा है और उनको जो विक्टिमाइजेशन हो रहा है, आप उसको रोकिए और रोक कर इन मामलों को जल्दी सुलटाने की चेष्टा कीजिए। अध्यक्ष महोदय, कोर्ट केस तो दसों साल चलेगा, क्या आप उस आदमी को दस साल तक सस्पैंड रखेंगे? कितना उसका खर्चा पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर, माननीय गृह मंत्रीजी आप इस मामले में दखल कीजिए और इस तरह के जो लम्बे प्रकरण चल रहे है, उनको एक्सपीडाइट कीजिए। 6 महीने की जो आपने अवधि कर रखी है उसका पालन करवाइये, क्योंकि आपने नियमों में कोई प्रावधान नहीं बदला है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐसे प्रकरणों को जल्दी से जल्दी निस्तारण किये जाने का उल्लेख किया है, मैं उनके विचारों से सहमत हूं। इंडिविजुअल केसेज में इसको एग्जामिन करके देखा जाना चाहिये, लेकिन जो केसेज हमने कोर्ट में चालान कर दिये है, विशेष न्यायालय होते है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, उसमें हमने चालान कर दिया, उसमें उनके खिलाफ प्रूव हो गया। कई ट्रेप केस है, कई और दूसरे केसेज हैं, इन सारे केसेज में सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर आये निर्णय और हमारे डी.ओ.पी. विभाग द्वारा निकाले गये सर्कुलर की लाइट में पुन: एग्जामिन करके जो नियमों में प्रावधान है उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे और किसी का हरेसमेंट नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) **:** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे, उत्तर प्रदेश व अन्य कई राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि कोर्ट में चालान प्रस्तुत करने के बावजूद उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह सिर्फ पुलिस विभाग के लिये है। मंत्रीजी, जनरल पालिसी गवर्नमेंट को तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक्विटल उसका होता है, आप उसको सब देते हो, कितना पब्लिक एक्सचैकर के ऊपर खर्चा बढ़ता है। उसको मेंटीनेंस अलाउंस आप मुफ्त में देते हो। जब उसका कंविक्शन हो जाएगा तो वह अपने आप चला जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था कई राज्यों में है। क्या सरकार ऐसा विचार रखती है कि यहां भी इस पर विचार

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

करके इस प्रकार की व्यवस्था करे, एक बात?

एक प्रश्न मेरा और है, मंत्रीजी। कोर्ट ऑफ लॉ के अनुसार तो क्रिमिनल लायबिलिटी तय होती है और बेनिफिट आफ डाउट वे एक्यूल्ड एक्विट होता है। बाइज्जत बरी सिनेमा में होता है, कोर्ट में तो होता नहीं है। उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी अगर नहीं बनती है तो, एक्विट हो जाएगा, प्रशासनिक उसका दायित्व बन सकता है। लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो आपको करानी चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह सिर्फ यह है कि साइमल्टेनियसली आप करा सकते हो, लेकिन उसको स्टे करने का है आल टुगेदर, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खतम करने का नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसमें तो यह है कि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक कि फाइनल डिसीजन आफ कोर्ट नहीं हो जाता। We can proceed. No doubt, we can proceed, but we cann't take any decision till the decision of the court.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Not in all the cases.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जैसे अन्य राज्यों के बारे में आपने एग्जामपल्स दिये हैं कि वहां इस प्रकार की कोई प्रक्रिया अपना रखी है, मैं उसका भी अध्ययन करके इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कोई कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा, ए.सी.डी. के मुकदमे की जो बात कर रहे हैं, तीन महीने पहले एक उप निरीक्षण हमारे सांचौर में 1500 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया लेकिन आपने अभी तक उसको सस्पैंड नहीं किया, यह कौनसे नियमों में आता है? और जिन अधिकारियों के ऊपर 307 के मुकदमे दर्ज हैं और वे थाने में लगे हुए हैं, इसका भी गृह मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आपने यह जो सूची दी है 43 लोगों की, इन 43 में से केवल 4 लोगों को आपने चार्जशीट दी है, बाकी लोगों को तो अभी तक चार्जशीट ही नहीं दी गयी है। उनमें से अधिकांश लोगों को आप 75 परसेंट भुगतान भी कर रहे हैं। तो क्या यह विभाग की लापरवाही नहीं है कि एक निश्चित समय में उनको चार्जशीट दे दी जाए? बिना चार्जशीट दिये भी सरकार 75 परसेंट का भार किस कारण से वहन कर रही है? और यह चार्जशीट देने का काम किसका था, और किसने क्यों नहीं दी?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने जैसा आपको निवेदन किया था, जो केसेज ए.सी.डी. के द्वारा कोर्ट में चालान पेश किये गये उनमें हमने चार्टशीट नहीं दी है। मैंने उत्तर में भी स्पष्ट लिखा है। और जैसा कि गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर हमारे डी.ओ.पी. ने कुल सर्कुलर निकाले हैं, उस लाइट में इन सारे केसेज को इंडिविजुअली एग्जामिन करके ही कोई

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

फैसला किया जा सकता है कि कौनसा ग्रीवस नेचर का है, कौनसा सीरियस नेचर का है, कौनसा सीरियस नेचर का नहीं है। सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह इससे सम्बन्धित नहीं है। उन्होंने जो कहा है, मैं जानकारी करके उनको उत्तर दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा, जो सूची आपने परिशिष्ट में दी है उसमें 8 ऐसे मामले हैं जिसमें ए.सी.डी. के पास प्रकरण 6 महीने से ज्यादा समय से लम्बित है, यानि जांच में है, आपकी सूची में है। आप क्या यह बताने का प्रयास करेंगे किस तरह ए.सी.डी. में जो ट्रैप हो गये उनको इतने लम्बे समय तक इंवैस्टीगेशन में डाले रखना यह उचित बात है? क्या इसमें कोई निश्चित समय निर्धारण करने की मंशा आप रखते हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, ए.सी.डी. में ट्रैप होने के बाद भी कई प्रतिवेदन ए.सी.डी. को मिलते रहते हैं, जिसमें उनका यह कहना होता है कि मेरे को गलत ट्रैप किया, मेरे को गलत फंसाया जा रहा है। कई तरह के तर्क उसमें दिये जाते हैं, और वे यह मांग करते हैं कि जो चौकी का डीवाई.एस.पी. था उसने द्वेषवश इस तरह की कार्यवाही की है इसलिए इसको दुबारा एग्जामिन किया जाना चाहिये। इस प्रकार के जब प्रतिवेदन आते हैं तो सीनियर अधिकारी उसकी जांच करते हैं और जांच करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि ऐसे प्रतिवेदनों की कोई सीमा निर्धारित करके एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत ये तय किये जाने चाहिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, ए.सी.डी. के अलावा 16 और 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत जो विभागीय जांचें हैं उन विभागीय जांचों में 5-5 सालों तक फैसला नहीं करते हैं। जांचें 5-5, 10-10 सालों तक चलती रहती हैं और कर्मचारी और अधिकारी 3/4 भत्ता उठाते हैं। ऐसे मामले जो विभागीय जांच में 16 और 17 सी.सी.ए. के तहत चल रहे हैं, उनका जल्दी निपटारा करने के लिये सरकार विचार रखती है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो कार्यवाही नियम 16 और 17 के तहत चल रही है उसको निश्चित रूप से समयबद्ध कार्यक्रम में तय करके निपटारा करने के आदेश देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वित्त मंत्री के जिले धौलपुर से लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन ने ट्रैप किया है, उसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रहे, न सस्पैंड कर रहे हैं। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-314

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ए.सी.डी. के 8-8 केस जे.ईएन. और डाक्टर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री अध्यक्ष : बैठिए। अंकित नहीं हो। मैंने दूसरा क्वेश्चन कॉल कर लिया है।

जिला नागौर हेतु मीठे जल उपलब्धि की विचाराधीन योजनाएं

315. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या जिला नागौर में जनता को पीने का मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए किसी नहर या बांध से पानी पहुंचाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या योजना है तथा कहां से नहर या बांध का पानी किस-किस क्षेत्र में कब तक लाया जा सकेगा जिसमें कितनी राशि कब-कब खर्च होने का अनुमान है तथा अब तक उक्त कार्य में क्या प्रगति हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. सी.पी. जोशी) : जी हां। उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल हेतु योजना का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्राथमिक तौर पर इस योजना में नागौर जिले के अभावग्रस्त शहरों व गांवों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में मार्च, 2002 में सर्वेक्षण कार्य हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है। इस सर्वेक्षण के पूरा होने के पश्चात योजना बनाने तथा अनुमानित लागत के आकलन का कार्य किया जाना सम्भव होगा। तत्पश्चात् धन एवं संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति एवं क्रियान्वयन सम्भव हो जाएगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदय, क्या आपको यह जानकारी है कि इसका सर्वे आपके विभाग द्वारा 5-6 वर्ष पूर्व कराया गया था? उस समय किसी विदेशी एजेंसी ने आपके अधिकारियों के साथ मिलकर सर्वे कराया था और उससे पूर्व आपके विभाग ने इन्दिरा गांधी नहर योजना से नागौर जिले में पानी लाने के लिए पानी रिजर्व करवाया था। मैंने जब पूर्व में सवाल पूछा था तो इन्दिरा गांधी नहर मंत्री ने बताया था कि पी.एच.ई.डी. की मांग पर हमने इतना पानी रिजर्व कर रखा है नागौर जिले के लिए, लेकिन जिले तक ले जाने का काम पी.एच.ई.डी. का है। आपने उसके बाद सर्वे भी करवाया, योजना भी बनाई, क्या उस योजना में कोई धनराशि, विदेशी एजेंसी से मिलनी थी वह नहीं मिली इसलिए आपने उसको ड्राप कर दिया? या उसी सन्दर्भ में आप दुबारा यह सर्वे करवा रहे हैं? इस सम्बन्ध में आप थोड़ा बताइये।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 'सीडा' ने मई, 1994 में नागौर जिले की जलप्रदाय स्थिति के सम्बन्ध में प्री–फिजिबिलिटी स्टडी की और एक रिपोर्ट की कि नागौर जिले में इन्दिरा गांधी नहर से पानी पहुंचाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम है?

डा. सी.पी. जोशी : इन्दिरा गांधी नहर से नागौर जिले में पानी पहुंचाने की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वह सीडा ने सर्वे करके बताया कि सम्भव है।

श्री अध्यक्ष : लिफ्ट इर्रिगेशन है क्या? लिफ्ट इर्रिगेशन?

डा. सी. पी. जोशी : फर्स्ट रिपोर्ट उन्होंने कही कि इन्दिरा गांधी कैनाल से लिफ्ट के द्वारा पानी पहुंचाया जा सकता है। सीडा ने सबसे पहले 1994 में नागौर के पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, सीडा फाइनेंस नहीं दे पाया क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, उस स्थिति से आप सब अवगत हैं। उसके बाद विभाग ने 16.3.2002 को नीति निर्धारण समिति में निर्णय लिया और 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी कि नागौर जिले में पीने के पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सर्वे कराया जाए। इसके बीच में इंदिरा गांधी कैनाल विभाग ने अमरपुरा से गजनेर लिफ्ट कैनाल में सिंचाई के साथ पीने के पानी की समस्या का निदान करने के लिए नहर का काम प्रारम्भ करवाया। उसमें नहर की लम्बाई 29.10 किलोमीटर है और 5 पम्पिंग स्टेशनों का प्रोवीजन में एंटिसिपेट किया। और लिफ्ट करीब 43.37 मीटर है। उन्होंने एंटिसिपेट किया कि बीकानेर जिले के गांव नोखा और दहिया के पास में 276 क्यूसेक्स पानी को रिजर्व करके हम नागौर में पानी की व्यवस्था कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अमरपुरा से गजनेर लिफ्ट का काम इन्दिरा गांधी कैनाल विभाग ने प्रारम्भ किया है। अभी जब हमारा विभाग सर्वे कर रहा है, जिसकी सर्वे रिपोर्ट आना बाकी है, उसमें यह एंटिसिपेट किया कि जो पानी हम डाइवर्ट करना चाहते हैं नोखा और दहिया से, उसकी जगह पर यदि हैड रैगुलेटर और अपटेक पाइंट मुख्य कैनाल पर बना दिया जाए तो बिजली का खर्चा कम आएगा। विभाग अभी इस बारे में निर्णय नहीं कर पाया है कि गजनेर कैनाल का जो काम इन्दिरा गांधी कैनाल ने प्रारम्भ किया है, जिसमें 5 पम्पिंग सैट के आधार पर पानी की व्यवस्था नागौर में करनी है, वह खर्चा ठीक रहेगा या मुख्य कैनाल पर हैडवर्क्स पर कंट्रोल करके पानी पहुंचाए उससे खर्चा कम होगा। यह रिपोर्ट आने के बाद इसमें निर्णय कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि 20 लाख रुपये सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग को दिए गये हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद हम दोनों पर असैस करने के बाद निर्णय लेंगे। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि नागौर में जिस तरह पीने के पानी की समस्या है उसका निदान करने के लिए इंदिरा गांधी कैनाल का पानी वहां लाकर

(डा. सी.पी. जोशी)

व्यवस्था की जाए। रिपोर्ट आने के बाद वित्तीय संसाधनों की क्या व्यवस्था हो सकेगी, तब मैं इसमें फाइनल रिपोर्ट दे सकूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदय, एक सवाल है, पहले आपने सर्वे करवाया था उसमें कहां से पानी नहर से ट्रैप करना था? अब बता रहे हैं कि गजनेर से लाने की सोच रहे हैं, तो कौनसी फायदेमंद रहेगी? जिले के गांवों के हिसाब से कौनसी फायदेमंद रहेगी? आपकी लागत जो आएगी उसमें कौनसा ठीक रहेगा, उसमें आप किसको प्राथमिकता देंगे? जिले के ज्यादा गांव पानी से लाभान्वित हों उसको प्राथमिकता देंगे या कम कास्ट से पानी आप सिर्फ नागौर तक ही लाकर छोड़ देंगे?

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले के ग्राम अमरपुरा के पास इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आर.डी. 750 से यह प्रस्तावित है। जैसा मैंने कहा, इंदिरा गांधी नहर विभाग ने नोखा दहिया से पानी ट्रांसपोर्ट करने के सम्बन्ध में स्कीम बनाई है, यदि उसी स्कीम को आगे चलने दिया जाता है तो बिजली का खर्चा इतना ज्यादा आ जाएगा कि पानी को वहां पहुंचाने में खर्चा विभाग पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसलिए विभाग ने प्रारम्भिक सर्वे किया है इसकी रिपोर्ट आना बाकी है। उसमें वह एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यदि मुख्य कैनाल पर आर.डी. 750 पर ही यदि हैड रैगुलेटर अपटेक पाइंट बना दिए जाएं तो जो बिजली का खर्चा कम आएगा। यह रिपोर्ट आने के बाद ही कहने की स्थिति में रहूंगा कि गजनेर कैनाल का काम 5 पम्प सैट का नोखा दहिया में है उससे पानी लाने का काम ठीक रहेगा या हैडवर्क्स के आधार पर ठीक रहेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदय, आपने मूल बात छोड़ दी। मेरा सवाल यह था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री हरजीराम बुरड़क : पहले जो आपने स्कीम बनाई थी उसमें नागौर जिले का ज्यादा क्षेत्र आ रहा था, ज्यादा गांव आ रहे थे, ज्यादा आबादी आ रही थी, और अब जो आप बता रहे हैं वहां से थोड़ी–सी आबादी आएगी आपका सिर्फ यही उद्देश्य हो कि नागौर जिले में पहुंचा दे चाहे कितनी ही आबादी लाभान्वित हो, तब तो बात दूसरी है। अगर पूरे जिले को पहुंचाना चाहते हो तो पहले वाली स्कीम ठीक थी, यह कह रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय सदस्य, आपकी जो भावना है इसका ठीक जवाब यह है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं आए तब तक मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। नागौर जिले में पानी की व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था में, हैडवर्क्स मुख्य कैनाल पर बन जाए, बिजली का खर्चा कम आए उस स्कीम को माने या नोखा दहिया के ऊपर पानी का ट्रांसफर करें, यह रिपोर्ट आने के बाद ही कहने की स्थिति में हूं। इसमें कोई आधार नहीं है कि वित्तीय संसाधनों के

(डा. सी.पी. जोशी)

आधार पर हम गांवों को कम करेंगे। हमें नागौर जिले में पानी पहुंचाना है, वित्तीय संसाधन तो दोनों स्कीम में अल्टरनेट है उसके आधार पर ध्यान रखेंगे, गांव के आधार पर वित्तीय संसाधनों के आधार का ध्यान नहीं रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल चौहान।

श्री मोहन लाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में लोकल सोर्स का पानी...

श्री अध्यक्ष : इनके क्षेत्र में फ्लोराइड बहुत है।

श्री मोहन लाल चौहान : जनता पीती है, कोई बाहर से पानी नहीं आता। नागौर में पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो गया है, फ्लोराइड ज्यादा होने से पानी पीने लायक नहीं रहा। इन्दिरा गांधी नहर लिफ्ट का पानी पहुंचाने के लिए कई वर्षों से स्कीम चल रही है, विधान सभा में हम कई बार उठाते हैं। इसका सर्वे निश्चित तौर से मंत्रीजी करवा रहे हैं और एक बार इसका पहले सर्वे हो चुका है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि नागौर जिले की कौन-कौनसी तहसील के गांव आप इसमें सम्मिलित कर रहे हैं? सर्वे पहले हो चुका है, और सर्वे कर रहे हैं तो कौनसे गांव और कौनसी तहसीलें शामिल कर रहे हैं?

डा. सी.पी. जोशी : मैंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में होऊंगा। इसमें नागौर जिले की कौनसी तहसील, कौनसे गांव और पानी की जो उपलब्धता इन्दिरा गांधी कैनाल पर है उसमें कितना कवरेज होगा, उसमें जो एग्जेक्ट पिक्चर है, सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही कहने की स्थिति में होउंगा। नागौर जिले में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने सर्वे कराये, जून तक रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही स्थिति से अवगत करा पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसी सर्वे रिपोर्ट्स एक बार की जाती हैं फिर ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। मेरे जिले में पोकरण पेयजल लिफ्ट योजना का सर्वे हुआ, 93 क्यूसेक्स पानी रिजर्व किया गया इन्दिरा गांधी नहर से, आज तक उस योजना का पता नहीं। पोकरण लिफ्ट बन रही है, न तो पोकरण क्षेत्र को जोड़ रही है, न पोकरण कस्बे को जोड़ रही है। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पहले सर्वे होता है, डिपार्टमेंट पानी रिजर्व कर देता है फिर बाद में आपकी योजना नहीं बनती है। क्या पोकरण पेयजल लिफ्ट योजना आप लेने वाले हैं या नहीं?

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है, मैं इस पर तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) **:** अध्यक्ष महोदय, नावां तहसील भी नागौर जिले में है और नमक की झील होने के कारण से यहां पर पानी खारा है। यहां पर बीसलपुर योजना से पानी लाने की योजना

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

बनायी गयी थी, उस बीसलपुर योजना के लिये कितना धन आबंटित किया गया है? वह योजना लागू की जा रही है कि नहीं की जा रही है, इसकी जानकारी दी जाए?

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि सर्वे आने के बाद इसमें कहने की स्थिति में होंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री संजीव बेनीवाल।

भादरा-नोहर में राजीव गांधी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में पक्के खाळे निर्माण

316. **श्री संजीव बेनीवाल** (भादरा) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भादरा–नोहर क्षेत्र में राजीव गांधी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना क्षेत्र में किसानों के पक्के खाले बनाने स्वीकृत करके कार्य ठेके पर दिये थे? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कौन–कौन से खाळों के निर्माण कार्य की निविदा कितनी राशि में दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खाळों के निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं किये जाने से इलाके के किसानों में असंतोष है? यदि हां, तो उक्त कार्य को शुरू नहीं किये जाने के कारण हैं?

(3) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्र विकास (मास्टर भंवरलाल मेघवाल) : (1) जी हां। उक्त क्षेत्र के खाळों का निर्माण करने हेतु निविदा रुपये 497.23 लाख की जारी की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 2003–04 में वित्तीय संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए खालों के निर्माण कार्य करने का विचार किया जाएगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री संजीव बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, 497.23 लाख के 31 खाले की भादरा और नोहर निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के तहत निविदाएं स्वीकृत करने की बात कही है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने उक्त खाळों के निर्माण हेतु निविदा कब जारी की, ठेकेदारों के नाम ठेके आपने कब छोड़े और उनके वर्क आर्डर आपने कब जारी किये? इसके अलावा मैं यह पूछना चाहूंगा कि अब तक इन खाळों के निर्माण कार्यों को शुरू नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? जैसा कि आपने बताया कि 2003–04 में वित्तीय संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए खाळों के निर्माण कार्य करने का विचार किया जाएगा, आपने ''विचार किया जाएगा'' शब्द इस्तेमाल किया है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, आप साफ–साफ शब्दों में बताएं कि इन खाळों का निर्माण कब तक करा दिया जाएगा और निर्माण कार्य कब शुरू कर दिये जाएंगे?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, नोहर-सिद्धमुख राजीव गांधी जो योजना है, यह अभी बनकर तैयार हुई है। सबसे पहले इसका सर्वे करवाया जाना है। सर्वे के बाद में चकबंदी किया जाना है। चकबंदी और सर्वे के बाद इसकी पूरी प्लान तैयार की जाएगी। जब पूरी प्लान तैयार की जाएगी उसके बाद में खाळे निर्माण करवाने की कार्यवाही की जाएगी, नम्बर-एक।

नम्बर-दो, आपने यह कहा कि 497.23 लाख की जो स्वीकृति जारी की, नवम्बर-दिसम्बर के आसपास इसके हमने टेण्डर जारी किये कि सर्वे और चकबंदी हो जाए तो हम खाळे निर्माण के लिये व्यवस्था कर सकें। इस वित्तीय वर्ष में इसके निर्माण के लिये विभाग ने 55.87 लाख रुपये स्वीकृत किये थे, लेकिन अभी चकबंदी और सर्वे का कार्य नहीं हुआ और प्लान भी बीच में रिवाइज हुई, ऐसी स्थिति में इसको कोई निरस्त नहीं किया गया है। 497 लाख के जो टेण्डर हमने किये हैं, ये निरस्त नहीं किये हैं, यह प्रक्रिया जारी है। वित्तीय संसाधन का जहां तक सवाल है, अध्यक्ष महोदय, इस साल बजट में 60 लाख का प्रावधान रखा गया है। लेकिन चूंकि यह बहुत बड़ी योजना है, इसके उपर पौने दो सौ करोड़ के आसपास खाळे निर्माण के लिये चाहिए। तो इसकी योजना बनाकर, हमारा जो सिचिंत क्षेत्र विकास है इसमें 50 प्रतिशत राशि टाडा योजना के तहत भारत सरकार देती है और 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है, उस योजना के अन्तर्गत हम उसको भेज रहे हैं। मैंने तथा मेरे विभाग ने अभी 27.11.2002 को भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है और उसके बाद में 20.2.2003 को रिमाइंड किया है। वह योजना जब मंजूर हो जाएगी तब इतनी बड़ी योजना का जो खाळे बनाने का काम है, प्रारम्भ करने की कार्यवाही चालू होगी।

श्री संजीव बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब में जो आया है, मंत्री महोदय ने कहा है कि राजीव गांधी सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना में कमाण्ड एवं अनकमाण्ड एरिया सर्वे और चकबंदी का काम अभी चल रहा है, उसके बाद करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन खाळों के निर्माण कार्य आपने स्वीकृत किये हैं, आपने ठेके पर छोड़े हैं, आपने वर्क-आर्डर दिये हैं नवम्बर में, उन क्षेत्रों में जिन-जिन चकों में ये खाळे बनते हैं, वहां चकबंदी का काम हो चुका है। कमाण्ड, अनकमाण्ड एरिया सर्वे का जो 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत काम हुआ है, उन क्षेत्रों में आपने ये स्वीकृत किये हैं। अभी तक आपने ये काम शुरू क्यों नहीं किये? मैं स्पष्ट तौर से पूछना चाहूंगा कि यदि आप के पास वित्तीय संसाधन नहीं थे तो फिर आपको ये कार्य स्वीकृत करने की क्या जरूरत थी? क्यों आपने क्षेत्र के अन्दर किसानों में यह घोषणा की कि हम खाळे बनाएंगे? यदि आपके पास वित्तीय संसाधन नहीं थे तो फिर आपने क्यों स्वीकृत किये ये काम? यह स्पष्ट बात है कि जिन क्षेत्रों में आपने स्वीकृत किये हैं, नोहर-भादरा क्षेत्रों में, उनका चकबंदी का और कमाण्ड, अनकमाण्ड एरिया सर्वे का काम जो 50

(श्री संजीव बेनीवाल)

प्रतिशत पूरा हुआ है उन क्षेत्रों में ही खाळे स्वीकृत किये हैं आपने। आप नहीं कह सकते हैं कि चकबंदी का कार्य पूरा नहीं हुआ है। अगर वित्तीय संसाधन नहीं थे तो क्या जरूरत थी आपको स्वीकृत करने की?

मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, अनुरोध करना चाहूंगा कि राजीव गांधी सिद्धमुख–नोहर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण माननीय सोनियाजी ने किया। जिस समय सोनिया गांधीजी पधारी थीं, हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब वहां पधारे थे, इलाके के किसानों ने इन खाळों की मांग की थी। उस मांग को मद्देनजर रखते हुए इन खाळों की स्वीकृति दी गयी। तो मैं मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने इनको स्वीकृत किया है तो शीघ्रातिशीघ्र, आप तो यह बताएं कि कब तक आप बना देंगे? साफ–साफ उत्तर दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न भी तो लें। (व्यवधान) स्थगित प्रश्न आज तक आपने एक भी नहीं लिया। टाइम समाप्त होने वाला है। (व्यवधान) स्थगित प्रश्न भी तो लें। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता ने सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा है, पहले वह रिप्लाई आने दीजिए। (व्यवधान) सोहन नायकजी, बैठिये। माननीय सदस्या, बैठिये। पहले इनके रिप्लाई दे दें प्रश्नकर्त्ता को।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मेरे उत्तर में कहा है, इस परियोजना का लोकार्पण अभी हुआ है और उसके बाद में सर्वे और चकबंदी का काम चालू है। विभाग ने तत्परता बरती कि हम जो योजना बना रहे हैं, यह योजना भारत सरकार से जब तक स्वीकृत हो जाए 50:50 के रेशो से, तब तक समय की बचत हो जाए, इसलिये हमने ये टेण्डर कॉल किये हैं। हमने वर्क आर्डर नहीं दिया है। इसमें टेण्डर कॉल किये गये हैं, वर्क आर्डर अभी तक नहीं दिया गया है। वित्तीय संसाधन का जहां तक सवाल है, बजट में जितना प्रावधान होगा उसके मुताबिक काम होगा। लेकिन इतना बड़ा काम 175 करोड़ की अनुमानित लागत इन खाळों की होगी, इसको चाहे हमें नाबार्ड से ऋण लेना पड़े, चाहे हमें विश्व बैंक से लेना पड़े, चाहे हमें दूसरी योजना से लेना पड़े, तब जाकर यह पूरा कर पाएंगे।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि जिनकी चकबंदियां हो गयीं, जिनके मोगे लग गये वहां यह खाळों का काम क्यों नहीं करना चाहते हैं?

श्री संजीव बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, वहां चकबंदी हो चुकी है।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : जब सोनिया ने वहां लोकार्पण किया था तब मुख्य

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

मंत्रीजी ने यह कहा था कि जल्दी ही पक्के खाळों का काम चालू करवा दिया जाएगा। तो वहां किसानों के अन्दर असंतोष है। (व्यवधान) इसलिये जल्दी से जल्दी ठेके करवाकर खाळों का काम चालू करवाया जाए।

श्री संजीव बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह सही बात है कि जहां खाळे स्वीकृत किये हैं वहां चकबंदी का और कमाण्ड, अनकमाण्ड सर्वे का कोई काम बकाया नहीं है। आप यह साफ–साफ बताएं, आपने कहा कि 2003–04 में विचार किया जाएगा, अध्यक्ष महोदय, विचार का क्या मतलब हुआ? किसानों की मांग है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में आज भयंकर अकाल की स्थिति है, हमारे किसान भयंकर अकाल से गुजर रहे हैं... (व्यवधान) खाळे, जहां पर हमारे पास पानी लगाने के लिए कोई साधन नहीं है...(व्यवधान)

(12:00 बजे)

श्री सोहन नायक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : आप साफ–साफ यह बताएं कि खाळे आप कब तक बना देंगे? आप खाळे कब तक बनाने की बात कहो। यह बताओ आप तो कि कब तक बना दोगे। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सोनियाजी से पूछो। खाळे बनाने हैं तो सोनियाजी से पूछो। यह सोनियाजी से पूछो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सोनियाजी को खुश करने के लिए। इस राज्य सरकार में कोई भी काम नहीं होना है, चाहे वह खाळे का काम हो। मेरे यहां गांव में तो...(व्यवधान) मेरे यहां तो कोई काम ही नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठिये। आर्डर प्लीज। अंकित नहीं।

प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। अंकित नहीं हो। बैठिये आप।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : xxx

श्री संजीव कुमार : xxx

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री रमजान खान : xxx

श्री सोहन नायक : xxx

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री रतनाराम चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री सोहन नायक : xxx

श्री संजीव कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : संजीवजी, बैठिये। प्रश्नकाल समाप्त। समाप्त हो गया।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रमजान खान : XXX

श्रीमती सुचित्रा आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। सुचित्राजी, बैठिये आप।

श्री रमजान खान : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : रमजान खानजी, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है। सुरानाजी, बैठिये आप। आर्डर प्लीज। आर्डर–आर्डर।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है। आर्डर प्लीज। आहूजाजी नहीं, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बाड़मेर में कार्यरत श्रम कल्याण अधिकारी का मुख्यालय पर पदस्थापन

314. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) **:** क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार जिला मुख्यालय बाड़मेर पर बाल श्रमिक, शाप एक्ट के तहत, श्रम विधि के प्रकरणों, प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण सहयोग के क्रम में श्रम कल्याण अधिकारी की भूमिका के मद्देनजर उनका मुख्यालय जिला मुख्यालय पर किया जाना उचित एवं तर्क संगत मानती है? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

औद्योगिक संस्थानों व श्रमिकों की संख्या बहुत कम होने से श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय का मुख्यालय बाड़मेर किया जाना उचित एवं तर्क संगत नहीं है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिरोही व शिवगंज नगर में विकास कार्य

467. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक सिरोही व शिवगंज नगर में क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये? कार्य का तिथिवार मय लागत के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने पट्टे जारी किये गये? कृषि भूमि नियमन, नीलामी, भू-खण्ड आबंटन की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक सिरोही व शिवगंज में कराये गये विकास कार्यों का तिथिवार मय लागत के विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त अवधि में 416 पट्टे जारी किये गये। कृषि भूमि नियमन, नीलामी, भू-खण्ड आबंटन की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चौकड़ी मोदी खाना, पुरानी बस्ती जयपुर में अनियमित व्यावसायिक परिसर

468. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में नगर निगम जयपुर द्वारा चौकड़ी मोदी खाना पुरानी बस्ती में कितने व्यावसायिक परिसरों के नक्शे पास कर निर्माण की अनुमति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आबंटियों द्वारा नक्शा आवासीय परिसर का पास करवाया गया एवं व्यावसायिक परिसर बना लिया? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं एवं उक्त के लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या व्यावसायिक परिसरों के लिए अनुमति देने से पूर्व पार्किंग आदि की जगह छोड़े जाने का प्रावधान निर्धारित किया जाता है? यदि हां, तो क्या उक्त व्यावसायिक परिसरों में ऐसा प्रावधान है? यदि नहीं, तो उक्त के लिए कौन-कौन दोषी हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम जयपुर द्वारा चौकड़ी मोदी खाना में श्री धर्मदास पुत्र श्री रेखा चन्द प्रोपराइटर सिंध नेशनल टाइप फाउण्ड्री, मुख्य नेहरू बाजार को 8 दुकानों के व्यावसायिक परिसर की स्वीकृति दी गई है। पुरानी बस्ती में गत तीन वर्षों में कोई व्यावसायिक काम्पलैक्स निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(2) जी हां। ऐसे 57 प्रकरण हैं जिनमें आवासीय स्वीकृति दी गई है किन्तु इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। ऐसे प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जांच करायी जा रही है।

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

(3) जी हां। ऐसे व्यावसायिक परिसरों, जिनमें पार्किंग सुविधा नहीं छोड़ी गई है, उनके विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में सड़क व सीवर लाइन

469. श्री अशोक (खण्डार) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र किशन पोल में मार्च, 1999 से जनवरी, 2003 तक नगर निगम, जयपुर द्वारा कौन–कौन से पार्कों का विकास किया गया तथा कौन–कौनसी कालोनियों में सड़क, नाली व सीवर लाइन डाली गई तथा कौन–कौनसी कालोनियां सड़क/सीवर लाइन एवं नाली निर्माण से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सड़क/सीवर लाइन से वंचित कालोनियों में सड़क/सीवर लाइन डलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में मार्च, 1999 से जनवरी, 2003 तक जयपुर नगर निगम द्वारा किये गये विकसित पार्कों की सूची परिशिष्ट ''ए'' संलग्न है। जयपुर नगर निगम द्वारा उक्त अवधि में जिन कालोनियों में सड़क व नाली निर्माण कराया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट ''बी'' तथा डाली गई सीवर लाइन की कालोनियों की सूची परिशिष्ट ''सी'' संलग्न है। जयपुर नगर निगम के किशनपोल विधान सभा क्षेत्राधीन कुछ कालोनियों का भूतल मुख्य सीवर लाइन से नीचा होने के कारण सीवर लाइन से वंचित है एवं अन्य कालोनियों में सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां। नगर निगम की वित्तीय स्थिति के अनुरूप सीवर लाइन से जोड़े जाने का कार्य कराया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

फतेहराम का टीबा, पुरोहित पाड़ा, जयपुर में निर्मित मकानों का सर्वे

470. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि फतेहराम का टीबा, पुरोहित पाड़ा ब्रह्मपुरी एवं बारामोरी (पठानों का चौक) जयपुर वर्षों पुरानी राजा महाराजाओं के जमाने की आबादी बस्ती है तथा क्या पूर्व में कच्ची बस्ती के सर्वे हेतु उक्त में निर्मित मकानों का भी सर्वे किया गया था? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उसके बाद भी पुन: कच्ची बस्तियों का सर्वे कराया? यदि हां, तो फतेहराम का टीबा, पुरोहित पाड़ा एवं बारामोरी (पठानों का चौक) ब्रह्मपुरी जयपुर के कितने मकानों का सर्वे बाद में किया गया?

(3) क्या सरकार उक्त कच्ची बस्तियों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री केसाराम चौधरी)

(4) क्या यह सही है कि उक्त बस्तियों के बाद बसने वाली गांधी कालोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर का नियमन करीब चार वर्ष पूर्व कर पट्टे वितरित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त बस्तियों को भी पट्टे कब तक वितरित कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त कच्ची बस्तियों में मात्र बारामोरी (पठानों का चौक) में निर्मित मकानों का ही 1971 में सर्वे किया गया था। सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। फतेहराम का टीबा, पुरोहित पाड़ा एवं बारामोरी (पठानों का चौक) ब्रह्मपुरी में 1971 के बाद सर्वे नहीं करवाया गया है।

(3) सर्वे की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् ही नियमन की कार्यवाही सम्भव होगी।

(4) यह सही है कि गांधी कालोनी (ब्रह्मपुरी) की कच्ची बस्ती का सर्वे होने के कारण पट्टे दिये गये हैं, परन्तु उक्त कच्ची बस्तियों का सर्वे नहीं होने के कारण पट्टे वितरित किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

महारानी फार्म दुर्गापुरा (जयपुर) के विश्वकर्मा नगर प्रथम एवं द्वितीय में सुविधा क्षेत्र का नियमन

471. श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर स्थित जल महल गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वकर्मा नगर प्रथम एवं द्वितीय के सुविध क्षेत्र में लोग 8–10 वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सुविधा क्षेत्र के नियमन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है? यदि हां, तो उक्त सुविधा क्षेत्र के नियमन हेतु उक्त प्रकरण कभी बी.पी.सी. की बैठक में रखा? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) अब सरकार उक्त सुविधा क्षेत्र को कब तक नियमित कर देगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह सही है कि सुविधा क्षेत्र के नियमन हेतु जविप्रा की बी.पी.सी. द्वारा सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एवं निर्धारित मापदण्ड पूर्ण पाये जाने की स्थिति में गुण अवगुण के आधार पर नियमन का विचार कर निर्णय लिया जाता है। जी नहीं उक्त सुविधा क्षेत्र के नियमन हेतु उक्त प्रकरण कभी भी बी.पी.सी. की बैठक में नहीं रखा गया क्योंकि आवेदकों द्वारा मुक्त करने हेतु आवेदन ही नहीं किया गया।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण में आवेदन प्राप्त होने पर गुण अवगुण के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

जयपुर दिल्ली बाई पास जयपुर में विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित भूमि पर भू-माफियों का कब्जा

472. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर दिल्ली बाई पास रोड पर स्थित लबलबी की कोठी के पास जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 10-12 बीघा भूमि जयपुर कलक्टर के माध्यम से पूर्व में चिन्हित कराई गई थी? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त भूमि पर किसका कब्जा है?

(2) क्या उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर भू-माफियाओं के सहयोग से आवासीय प्लाट काटे जा रहे हैं?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाकर वापस कब्जा लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर दिल्ली बाई पास पर स्थित लबलबी कोठी के पास कलक्टर द्वारा चिन्हित भूमि का कोई रिकार्ड सम्बन्धित जोन 10-बी में उपलब्ध नहीं है। यहां जयपुर विकास प्राधिकरण की करीब 9 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें करीब 6 बीघा भूमि पर अतिक्रमण है इसमें वर्तमान में करीब 3 बीघा भूमि पर कास्त की हुई है एवं 3 बीघा भूमि पर पत्थरों की कच्ची दीवार बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। यदि अतिक्रमण फूलचन्द पुत्र महादेव श्यामलाल पुत्र भैंरूलाल का है।

(2) वर्तमान में कोई आवासीय अतिक्रमण नहीं है। पट्टे काटने की जानकारी जयपुर विकास प्राधिकरण में नहीं है।

(3) अतिक्रमण हटाने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

मण्डी खटीकान बस्ती, जयपुर में सड़कों पर अनधिकृत निर्माण

473. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थापना काल से स्थापित मण्डी खटीकान बस्ती में सम्पर्क सड़कें चौड़ी थी?

(2) क्या सरकार उक्त सम्पर्क सड़क पर हो रहे अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर सम्पर्क सड़क को चौड़ी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर स्थापना काल के समय मण्डी खटीकान स्थापित नहीं हुई थी। इसलिये उस समय कोई सम्पर्क सड़क नहीं थी।

(2) वर्तमान में सम्पर्क सड़क आवासीय क्षेत्र में है। यहां के इने गिने व्यक्तियों के पास ही पट्टे हैं, इसलिये अनधिकृत निर्माण का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जयपुर नगर निगम का इस सम्पर्क सड़क को चौड़ी करने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में निर्मित इस सम्पर्क सड़क पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन

474. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि भूमि नियमन एवं नगर सुधार न्यास अजमेर की आवासीय बहुउद्देशीय एवं व्यावसायिक योजनाओं एवं प्रस्तावित योजना क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा कब-कब भू-उपयोग परिवर्तन किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगर सुधार न्यास के गैर योजना क्षेत्रों में कब-कब आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग हेतु कब-कब भू-उपयोग परिवर्तन क्यों किया गया? उक्त में कुल कितनी बीघा भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर की आवासीय बहुउद्देशीय, व्यावसायिक योजनाओं एवं प्रस्तावित योजना क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन राज्य सरकार, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति एवं स्थानीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा परिशिष्ट-1 में दिये गये विवरणानुसार किया गया है। प्रश्न में अंकित कृषि भूमि नियमन के सम्बन्ध में भू-उपयोग परिवर्तन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

(2) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा गैर योजना क्षेत्र में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है। प्रत्येक प्रकरण में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन का क्षेत्रफल पृथक-पृथक अंकित किया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल के अधिकारों में कटौती

475. श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल के चेयरमैन बिजनस आफ रूल्स के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का बार-बार अतिक्रमण एवं उल्लंघन करते रहे हैं? यदि नहीं, तो सरकार को मण्डल अध्यक्ष के अधिकारों में कटौती कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों में वृद्धि सम्बन्धी आदेश क्यों जारी करने पड़े?

(2) क्या सरकार राजस्थान आवासन मण्डल के वर्तमान चेयरमैन को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विलम्ब क्यों कर रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। आवासन मण्डल के कार्यों को त्वरित गति से सम्पादित करने एवं अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करने की दृष्टि से मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों में वृद्धि की गई है।

(2) जी नहीं।

किशन विहार आवासीय योजना, जयपुर का नियमन

476. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोन सी–2 गौनेर रोड जयपुर स्थित बृज वाटिका एवं खो–नागोरियान की किशन विहार आवासीय योजनाओं का रेकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो कौनसी तिथि को?

(2) क्या उक्त आवासीय भूमि की 90–बी की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या सरकार उक्त आवासीय योजना का शीघ्र नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि वर्तमान जोन–9 गोनेर रोड जयपुर स्थित बृज वाटिका आवासीय योजना का रिकार्ड जविप्रा को प्राप्त हो गया है। इस योजना का रिकार्ड दिनांक 22.10.1999 को प्राप्त हुआ है। खो–नागोरियान की किशन विहार आवासीय योजना का रिकार्ड जोन में दिनांक 31.12.2001 को प्राप्त हुआ है।

(2) इन दोनों योजनाओं में से बृज वाटिका की 90 बी की कार्यवाही दिनांक 5.3.2000 को पूर्ण हो चुकी है। किशन विहार आवासीय योजना का अभिलेख दिनांक 22.10.1999 के पश्चात् 31.12.2001 को जविप्रा में प्रस्तुत होने से 90–बी की कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) बृज वाटिका आवासीय योजना का शीघ्र नियमन करने का विचार है। इस योजना का वास्तुविद द्वारा सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। इस योजना का नियमन एक माह की अवधि में कर दिया जायेगा। किशन विहार आवासीय योजना का अभिलेख दिनांक 22.10.99 के पश्चात् 31.12.2001 को जविप्रा में प्रस्तुत होने के कारण नियमन नहीं किया जा रहा है।

शहरों के विकास हेतु बाहरी एजेंसियों से सहायता

477. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के छह शहरों के विकास के लिये बाहरी एजेंसियों से सहायता प्राप्त करके विकास की योजनाएं संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो किस–किस शहर के लिये कितनी–कितनी राशि की योजना है और उक्त राशि किस एजेंसी से प्राप्त की जा रही है?

(2) क्या जिस एजेंसी से उक्त राशि प्राप्त की जा रही है उसके साथ किसी प्रकार का कोई अनुबन्ध भी किया गया है? यदि हां, तो क्या व किस प्रकार का? यदि हां, तो क्या व किस प्रकार का? अनुबन्ध की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) उक्त योजना में क्या-क्या कार्य किस-किस शहर में कराया जायेगा जिस पर कितना-कितना खर्चा होगा तथा अब तक कितना-कितना खर्चा किया जा चुका है?

(4) उक्त योजना पर कुल कितना खर्चा होगा तथा कार्य कब सम्पूर्ण होगा? शहरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य के छह प्रमुख शहरों (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर एवं उदयपुर) में आधारभूत सेवाएं प्रदान करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत अजमेर शहर में 164.95 करोड़ रुपये बीकानेर में 175.20 करोड़ रुपये, कोटा में 231.86 करोड़ रुपये, जयपुर में 546.99 करोड़ रुपये, जोधपुर में 249.24 करोड़ रुपये एवं उदयपुर में 160.47 करोड़ रुपये कुल 1528.71 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं। कुल स्वीकृत राशि में 250 मिलियन डालर (1055 करोड़ रुपये) एशियन विकास बैंक द्वारा ऋण केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा एवं शेष राशि राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा वहन की जावेगी। केन्द्रीय सरकार उक्त ऋण में से 70% राशि राज्य सरकार को ऋण के रूप में व 30% राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायेगी।

(2) जी हां। एशियन विकास बैंक एवं राजस्थान सरकार के मध्य प्रोजेक्ट एग्रीमेंट व भारत सरकार एवं एशियन विकास बैंक के मध्य लोन एग्रीमेंट किया गया है। प्रोजेक्ट एग्रीमेंट एवं लोन एग्रीमेंट की प्रति परिशिष्ट 'क' व 'ख' पर हैं।

(3) परियोजना में अभी तक शहरवार किये जाने वाले कार्यों जिनके कार्यादेश जारी किये गये हैं एवं जिन कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं उनकी सूची परिशिष्ट "ग" पर हैं, शेष कार्यों का चिन्हिकरण, डिजाइन आदि कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2002 तक शहरवार खर्च की गई राशि जयपुर में 10.57 करोड़ रुपये, जोधपुर में 9.45 करोड़ रुपये, कोटा में 2.80 करोड़ रुपये, अजमेर में 4.23 करोड़ रुपये, बीकानेर में 2.22 करोड़ रुपये एवं उदयपुर में 2.59 करोड़ रुपये तथा इसके अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धन इकाई एवं सलाहकारी सेवाओं पर 19.79 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया गया है।

(4) इस योजना पर स्वीकृत राशि 1529 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। परियोजना अवधि दिसम्बर, 2004 तक समस्त कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है। इस योजना के अन्तर्गत अजमेर शहर में 164.95 करोड़ रुपये बीकानेर में 175.20 करोड़ रुपये, कोटा में 231.86 करोड़ रुपये, जयपुर में 546.99 करोड़ रुपये, जोधपुर में 249.24 करोड़ रुपये एवं उदयपुर में 160.47 करोड़ रुपये कुल 1528.71 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

हाउसिंग बोर्ड द्वारा जयपुर में अनुसूचित जाति के लिए विशेष आबंटन योजना

478. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983 में अनुसूचित जाति के लिए हाउसिंग बोर्ड द्वारा जयपुर में विशेष आबंटन की योजना शुरू की थी? यदि हां, तो कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? क्या उक्त सभी को भू–खण्डों का आबंटन कर दिया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में श्री हनुमान सिंह अजमेर निवासी द्वारा भी आवेदन किया गया था? यदि हां, तो क्या उन्हें मकान आबंटित कर दिया गया? आबंटन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवेदक को आबंटित मकान 119/20 मानसरोवर का कब्जा अब तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त आवेदक को मकान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1983 में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को आवास आबंटित करने हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई थी। इस विशिष्ट पंजीकरण योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर के लिए विभिन्न आय वर्गों में कुल 472 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन आवेदन पत्रों के आवेदकों में से 345 आवेदकों ने पूर्वग्रहण राशि जमा कराई थी जिनको आवासन आबंटित कर दिये गये थे तथा शेष बचे 127 आवेदकों ने पूर्णग्रहण राशि जमा नहीं करवाई थी जिसके कारण इन आवेदकों के पंजीकरण निरस्त कर दिये गये थे।

(2) जी हां। उक्त विशिष्ट पंजीकरण योजना में श्री हनुमान सिंह, अजमेर निवासी द्वारा भी मध्यम आय वर्ग "ब" श्रेणी में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदक श्री हनुमान सिंह को मानसरोवर योजना में दिनांक 29.6.1991 को मकान संख्या 120/19 आबंटित कर आबंटन पत्र दिनांक 23.3.1992 को जारी किया गया था। आवेदन ने आवास के आबंटन पत्र की मांग राशि जमा नहीं करवाई थी। इस सम्बन्ध में आवेदक को दिनांक 12.1.1994 को नोटिस भी दिया गया था परन्तु इसके उपरान्त भी उसने आबंटन पत्र की मांग राशि जमा नहीं करवाई जिसके फलस्वरूप इसका पंजीकरण/आबंटन दिनांक 6.4.1994 को निरस्त कर उक्त मकान अन्य आवेदक श्री विरेन्द्र कुमार जैन को आबंटित कर मकान का कब्जा दे दिया गया था। श्री हनुमान सिंह के आबंटन पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट–अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त आवेदक श्री हनुमान सिंह को मकान संख्या 119/20 आबंटित नहीं किया गया था अपितु मकान

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

संख्या 120/19 आबंटित किया गया था। आवेदक को इस मकान संख्या 120/19 का आबंटन पत्र दिनांक 23.3.1992 को जारी किया गया था परन्तु उसने आबंटन पत्र की मांग राशि जमा नहीं करवाई थी जिसके कारण उसका पंजीकरण/आबंटन निरस्त कर यह मकान श्री विरेन्द्र कुमार जैन को आबंटित कर मकान का कब्जा दे दिया गया था। अतः श्री हनुमान सिंह को मकान संख्या 120/19 का कब्जा देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(4) उक्त आवेदक श्री हनुमान सिंह ने मकान के आबंटन-पत्र की मांग राशि जमा नहीं करवाई थी, जिसके कारण उसका पंजीकरण/आबंटन निरस्त कर दिया गया था। श्री हनुमान सिंह के अनुरोध पर आवासन मण्डल द्वारा उसका निरस्त पंजीकरण पुनर्जीवित करने हेतु रुपये 2500/- पुनर्जीवित शुल्क जमा कराने के लिये पत्र क्रमांक 1187, दिनांक 25.6.1999 के द्वारा सूचित किया गया था परन्तु उसने यह राशि अभी तक जमा नहीं करवाई है। क्योंकि नियमों में 6 माह के अन्दर आवेदन देने पर पंजीकरण पुनर्जीवित करने का प्रावधान है। लेकिन इस प्रकरण के आबंटी द्वारा पुनर्जीवित शुल्क जमा नहीं कराया है। अतः अब पुनर्जीवित करना सम्भव नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

झालाना फेज तृतीय जयपुर में आबंटित आवास

479. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण ने अल्प आय वर्ग के लिए झालाना फेज तृतीय में गत पांच वर्षों में आवास बनाये हैं? यदि हां, तो कितने और किस-किस को आबंटित किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आबंटित आवासों की मासिक किस्तें जमा हो रही हैं? यदि नहीं, तो वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या प्राधिकरण ने झालाना फेज तृतीय में बने आवासों में एक और कमरे की जगह दे रखी है? यदि हां, तो उसकी जगह कितने आबंटियों के मकान बनाये और किस-किस को प्राधिकरण ने अनुमति दी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बिना अनुमति के भी कमरे बनाये हैं? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं। गत पांच वर्षों में जविप्रा, जयपुर द्वारा अल्प आय वर्ग के लिये झालाना फेज-III में कोई आवास नहीं बनाये गये हैं।

(2) जी नहीं। गत पांच वर्षों में कोई आवास ही नहीं बनाये गये और ना ही आबंटित किये गये तो मासिक किस्तें/वसूली का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(3) जी हां। झालाना फेज-III में जी.एफ./एफ.एफ. दो प्रकार के आवास निर्मित्त हैं। जिसमें जी.एफ. स्तर के

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

आवासों में एक कमरे की जगह दे रखी है। अल्प आय वर्ग के लिये निर्मित्त आवास गृहों का आबंटन वर्ष 1995 में झालाना फेज III घर भूतल हेतु 136 आवास हेतु लाटरी निकाली गई थी। इस योजना में भविष्य में एक कमरा बनाने की जगह (प्रोविजन) योजना की बुकलेट में दे रखा है। जिसके अनुसार आबंटी स्वयं कमरा निर्मित्त करा सकता है तथा इस हेतु पृथक से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अब तक 54 आबंटियों ने कमरे बनाये हैं।

(4) प्रावधान अनुसार कमरा बनाने की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

जयपुर में कृषि भूमि पर बनी कालोनियों का नियमन

480. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से और अब तक कितने पट्टे जारी किये जा चुके हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि जो पूर्व में कालोनियां बसी हुई हैं उनमें पार्क हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त भूमि का नियमन नहीं किया जाता है या खाली भू–खण्डों में पार्क दर्शा दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त स्थिति भू–खण्डधारियों के हितों के विपरीत नहीं है? यदि हां, तो उक्त में सुधार हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या यह सही है कि जो भूमि अवाप्ति में थी और जिसकी मुआवजे की राशि का भुगतान भी किसान को नहीं हुआ हो उनमें नियमन की दरें अधिक होने के कारण उक्त कालोनियों के नियमन की दर अधिक होने से नियमन नहीं हो रहा और कैम्पों का बहिष्कार हो रहा है? उक्त में अधिकारी सरकारी निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भू–नियमन संकल्प अभियान के तहत नियमन किया जा रहा है। दिनांक 22.10.99 से भू–नियमन अभियान जारी है, जिसमें अब तक 50451 पट्टे जारी किए है।

(2) जी नहीं। पूर्व में बसी कालोनियों में पार्क हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन किया जा रहा है।

(3) जी हां। जिन कालोनियों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवासीय क्षेत्र का 60 प्रतिशत व सुविधा क्षेत्र 40 प्रतिशत उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में खाली भू–खण्डों को जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुविधा क्षेत्र बनाया जाता है एवं गृह निर्माण सहकारी समिति को योजना का संशोधित प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है, जिन भू–

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

खण्डधारियों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उनके गृह निर्माण सहकारी समिति से संशोधित प्लान में अतिरिक्त भू-खण्ड बनाकर आबंटन करने का प्रयास किया जाता है।

(3) जी हां। यह सही है कि भूमि अवाप्ति में थी और जिसके मुआवजे की राशि का भुगतान किसान को नहीं हुआ या राशि सिविल कोर्ट में जमा करा दी गयी थी। उनमें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5(3) नविवि/3/1999 जयपुर दिनांक 4.10.2002 के अनुसार सामान्य दर के अतिरिक्त 30 रुपये वर्गगज लिये जाकर नियमन की कार्यवाही की जा रही है। कुछ कालोनियों के भू-खण्डधारियों द्वारा दरें अधिक होने के कारण नियमन शिविरों का बहिष्कार किया गया है। नियमन के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जा रही है।

नियमन की जमा राशि से कालोनियों में विकास कार्य

481. श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण में जिन कालोनियों के नियमन की राशि जमा हो गई उनमें अभी तक विकास कार्य नहीं किये जा रहे है? क्या पूर्व में सरकार ने यह तय किया था कि कालोनी के नियमन राशि को उसी कालोनी के विकास कार्य में व्यय किया जावेगा?

(2) क्या विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जोन बी-3 के सामने जिन कालोनियों का नियमन शुल्क जमा किया उनमें अभी तक एक भी कालोनी में विकास कार्य शुरू नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक कार्य शुरू करा दिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही के कारण नियमन अभियान धीमी गति से चल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार नियमन से वंचित सभी कालोनियों के नियमन तक उक्त अभियान को जारी रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो जोनवार अवधि जन साधारण की सूचनार्थ कब तक प्रकाशित की जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण में जिन कालोनियों के नियमन की राशि जमा हो गई है। उनमें विकास कार्य व्यवस्थित रूप से कराये जा रहे है। नियमन की गई कालोनियों से प्राप्त राशि के अतिरिक्त और भी राशि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाकर विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। जिन कालोनियों में नियमन राशि जमा हो गई है। उनमें से लगभग 65 प्रतिशत कालोनियों में विकास कार्य पूर्ण/प्रगति पर है।

(2) जी हां। इस क्षेत्र का सैक्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन) अनुमोदन के पश्चात् कालोनियों में विकास कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

(3) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही के कारण नियमन अभियान धीमी गति से नहीं चल रहा है। बल्कि नियमन अभियान सुचारू रूप से अच्छी गति से चल रहा है।

(4) नियमन से वंचित सभी कालोनियों के नियमन तक नियमन कार्यवाही जारी रहेगी। नियमन पूर्व की कार्यवाही पूर्ण होने से पूर्व अवधि सूचित किया जाना सम्भव नहीं है।

स्वेजफार्म–गोविन्दपुरी जयपुर की हवा सड़क हेतु लिंक रोड

482. श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार स्वेजफार्म – गोविन्दपुरी 60 फीट सड़क को सीधा जोड़ने हेतु (विद्युत स्टेशन को हटाकर) हवा सड़क से सीधी लिंक रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त प्रकरण को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रख कर सड़क निकालने का निर्णय कराया जावेगा? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सड़क के अलाइनमेंट में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम की कुछ भूमि आ रही है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा उक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने पर लिंक रोड बनाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) प्राधिकरण की परियोजना कार्य समिति (पी.डब्ल्यू.सी.) की बैठक दिनांक 7.1.2003 में उक्त कार्य कराने का निर्णय लिया जा चुका है।

गोविन्दपुरी/रामनगर सोडाला जयपुर में विद्युत लाइनों के पास बने प्लाटों का नियमन

483. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में गृह निर्माण सहकारी समिति के प्लाटों को नियमित करने के सम्बन्ध में क्या नियम/उप नियम निर्धारित है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्लाटों को नियमित करने के सम्बन्ध में पास में से निकलने वाली विद्युत लाइनों के पास भू–खण्डों को सरकार नियमित नहीं कर रही है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अपनाई जा रही प्रक्रिया के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अब गोविन्दपुरी, रामनगर सोडाला, जयपुर में विद्युत लाइनों के पास में बने प्लाटों को कब तक नियमित कर

(श्री मोहन लाल चौहान)

दिया जायेगा? क्या उक्त क्षेत्र से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में गृह निर्माण सहकारी समिति के प्लाटों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्य आदेशों की 10–10 प्रतियां संलग्न है।

(2) जी हां। स्वीकृत योजनाओं के जो भूखण्ड हाई टेंशन लाइन से प्रभावित है, उनमें 11 के.वी. तक लाइन के मध्य बिन्दु से 15 फीट दूरी तथा 33 के.वी. तक के मध्य से 25 फीट दूरी एवं 33 के.वी. से अधिक (अति हाई टेंशन लाइन) मध्य बिन्दु से 50 फीट दूरी तक दोनों और की भूमि छोड़ने के पश्चात् नियमित किया जाता है। सम्बन्धित आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) गोविन्दपुरी, रामनगर सोडाला जयपुर में विद्युत लाइनों के पास में विद्युत लाइनों से प्रभावित भू–खण्डों को नियमित नहीं किया जावेगा। जयपुर शहर में गोविन्दपुरी, रामनगर, सोडाला जयपुर में विद्युत लाइनें पहले से स्थापित थी परन्तु बाद में लोगों ने लाइनों के नीचे मकान बना लिये। मकानों के ऊपर से गुजर रही लाइनो का शिफ्ट करने के लिये लागत राशि की 50 प्रतिशत राशि व्यक्ति/संस्था आदि द्वारा जमा कराने पर 50 प्रतिशत राशि विद्युत वितरण निगमों द्वारा वहन कर लाइन शिफ्ट करने का प्रावधान है। इस क्षेत्र से गुजर रही लाइनों को हटाने के लिये आवेदन करने पर व लाइन शिफ्टिंग लागत की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने पर तथा तकनीकी रूप से साध्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर लाइनों को हटाने की कार्यवाही की जा सकती है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति

484. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) **:** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि टौंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध का पानी पीने के लिए जयपुर शहर में लाने का निर्णय किया गया है? यदि हां, तो कब व किस स्तर पर क्या–क्या कार्यवाही चल रही है और जयपुर शहर को उक्त बांध से कब तक पेयजल उपलब्ध कर दिया जावेगा? उक्त सम्बन्धित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जयपुर शहर तथा मार्ग मे पड़ने वाले दो कस्बों तथा बीस गांवों को टौंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध से पीने का पानी लाने का प्रावधान है। इस बाबत विभाग की नीति निर्धारण समिति की 131वीं बैठक दिनांक 7.10.1999 में रुपये 1100 करोड़ की जयपुर–बीसलपुर पेयजल परियोजना को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

स्वीकृति के पश्चात् परियोजना का क्रियान्वयन समुचित वित्त पोषण के अभाव में नहीं किया जा सका है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16.11.2002 को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस परियोजना को 'राजस्थान अरबन इंफास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट' (एशियन डवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट) के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उपलब्ध संसाधनों को देखते हुये इस योजना के पहले चरण को रुपये 690 करोड़ की लागत पर प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा उक्त परियोजना के तहत डाली जाने वाली ट्रांसमिशन पाइप लाइन हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त कार्य को आर.यू.आई.डी.पी. में सम्मिलित करने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार एवं एशियन डवलपमेंट बैंक को प्रेषित कर दिये गये हैं जिनकी स्वीकृति शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य पूर्ण होने में लगभग तीन वर्ष का समय लगने का अनुमान है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला चूरू व बीकानेर में अवैध कारोबार पर रोक

485. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 1999 से 31 जनवरी, 2003 तक जिला चूरू व बीकानेर के कितने लोग स्मेक, चरस, ब्राउन शुगर, हेरोइन, नकली नोटों व हथियारों का अवैध करोबार करते पकड़े गये हैं?

उक्त में से किन-किन का सम्बन्ध अन्डरवर्ल्ड या अन्तरराष्ट्रीय गिरोह से है?

(2) उक्त आरोपियों के विरुद्ध राजस्थान के कौन-कौन से पुलिस थानों में किस-किस अपराध में कहां-कहां मुकदमे दर्ज हैं तथा उक्त में से किस-किस के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में चालान पेश हुआ तथा शेष मुकदमों में चालान पेश नहीं करने का क्या कारण रहा है?

(3) उक्त आरोपियों में से किस-किस के पास हथियार हैं तथा कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा जारी किये गये है?

उत्तर

(1) जनवरी, 1999 से 31 जनवरी, 2003 तक स्मेक,चरस,ब्राउन शुगर, हेरोइन व हथियारों का अवैध करोबार करते जिला चूरू एवं बीकानेर में किसी को नहीं पकड़ा हैं। उक्त अवधि में जाली नोटों के प्रकरणों में जिला चूरू में 5 व्यक्ति व जिला बीकानेर में 11 व्यक्ति पकड़े गए हैं। पकड़े गए व्यक्तियों के सम्बन्ध अण्डरवर्ल्ड या अन्तरराष्ट्रीय गिरोह से नहीं हैं।

(2) उक्त आरोपियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों का प्रगति विवरण परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(3) पकड़े गए आरोपियों को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला धौलपुर में विचाराधीन आर्म्स लाइसेंस

486. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत चार वर्षों में जिला धौलपुर में कितने नवीन आर्म्स लाइसेंस बनाये गये है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में ऐसे कितने आर्म्स प्रकरण लम्बित है जिनमें अदालत द्वारा बरी किये जाने के उपरान्त भी उनकी बन्दूकें थाने में जमा हैं तथा आवेदक द्वारा आवेदन करने के उपरान्त भी अब तक उन्हें सुपूर्द नहीं की गई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला धौलपुर में आर्म्स स्थानान्तरण के कितने प्रकरण कितने समय से लम्बित है और उनका स्थानान्तरण कब तक किया जावेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में कुल 332 आर्म्स लाइसेंस बनाये गए है। तहसीलवार विवरण निम्नप्रकार है :

	तहसील	नवीन	मृतकों/वृद्धों के शस्त्रों को हस्तान्तरण हेतु जारी नवीन आर्म्स लाइसेंस की संख्या
1.	धौलपुर	83	57
2.	बाड़ी	16	16
3.	बसेड़ी	17	10
4.	राजाखेड़ा	47	33
5.	सेपऊ	25	28
	योग	188	144 = 332 कुल

सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) उक्त जिले में ऐसे 18 प्रकरण लम्बित है, जिनमें अदालत से बरी होने पर आवेदन किया गया है, जिनमें से 4 प्रकरणों में बन्दूकें वापस किये जाने के आदेश दिये गये हैं तथा 14 प्रकरणों में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लम्बित है। सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(3) जिला धौलपुर में आर्म्स स्थानान्तरण के 170 प्रकरण आवेदकों से आवश्यक दस्तावेजातों की पूर्ति न होने के कारण लम्बित है। पूर्ति कराई जा रही है। पूर्ति होते ही स्थानान्तरण कर दिया जावेगा।

समयवार सूची परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आवासीय कालोनी प्रताप नगर, जयपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण

487. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कालोनी प्रताप नगर सांगानेर जयपुर के सैक्टर 3 व 5 के निवासियों द्वारा पुलिस उप अधीक्षक सांगानेर जयपुर को अपनी समस्याओं के बारे में जुलाई, 2002 में प्रार्थना पत्र दिया था? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और किस-किस शिकायत का निराकरण अब तक कर दिया गया है और शेष का कब तक निराकरण कर दिया जावेगा?

(3) उक्त शिकायत के आधार पर किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई और भविष्य में प्रार्थना-पत्र में वर्णित उक्त प्रकार की अनधिकृत कार्यवाही समाज कंटकों द्वारा नहीं की जा सके इसके लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल के उप आवासन वृत्त (प्रथम) सांगानेर जयपुर द्वारा भी थाना प्रभारी प्रताप नगर को एक व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से बनाई गई गड्ढे व मिट्टी काट कर नहर टाइप बनाई गई व तारबन्दी की गई को तुड़वाने में पुलिस की इमदाद हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया था? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रश्न के भाग 4 में वर्णित पत्र पर पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई? उक्त प्रकार अनधिकृत तारबन्दी व मेड़ भविष्य में नही बनाई जावे इसके लिए क्या कारगर कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) अब पुलिस अनधिकृत कब्जा और अनधिकृत मेड़बन्दी/तारबन्दी व अवैध गड्ढे निर्माणकर्ताओं को गिरफ्तार कर चालान कब तक पेश करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रार्थना पत्र की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) इस सम्बन्ध में आवासन मण्डल ने पुलिस सहायता से शिकायत में दर्ज व्यक्ति लादूराम का अतिक्रमण हटा दिया। शेष शिकायतें आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम से सम्बन्धित होने से उन्हें पत्र लिखा गया है।

(गृह मंत्री)

(3) प्रकरण आवासन मण्डल से सम्बन्धित होने से पुलिस द्वारा आवासन मण्डल को पुलिस इमदाद देकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में पुलिस ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। भविष्य में इस प्रकार के मामलों में सम्बन्धित विभाग की सहायतार्थ पुलिस कटिबद्ध है। मौके पर पुन: कोई अतिक्रमण न हो इस हेतु आवासन मण्डल की गार्ड लगी हुई है।

(4) जी हां। पत्र की प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(5) पुलिस द्वारा आवासन मण्डल को इमदाद उपलब्ध कराकर अतिक्रमण हटाया गया। भविष्य में अनधिकृत तारबन्दी व मेड़ नहीं बनाई जाये इसके लिए आवासन मण्डल द्वारा गार्ड लगाई गई है।

(6) राजस्थान आवासन मंण्डल सांगानेर को पुलिस इमदाद दी जाकर अतिक्रमण व तारबन्दी को हटा दिया गया था। इस सम्बन्ध में कोई प्रकरण दर्ज होकर अन्वेषणाधीन नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा खुला विश्वविद्यालय के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

488. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा खुला विश्वविद्यालय के किन–किन प्रकरणों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई? उक्त सूचनाओं में अन्वेषण किस स्तर पर चल रहा है? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इतने अन्तराल में अन्वेषण पूर्ण क्यों नहीं किया गया व अब कब तक पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन/चालान प्रस्तुत कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) कोटा खुला विश्वविद्यालय के दो प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। 1–पठन पाठन सामग्री के मुद्रण कार्य में अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित दर से ऊंची दरों पर फर्म को भुगतान कर 2,53,932 रुपये की विश्वविद्यालय को हानि पहुंचाने के आरोप पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 295/01 दिनांक 26.7.2001 दर्ज की गई है। प्रकरण में बाद तफतीश दोषियों के विरुद्ध सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश करने का निर्णय ब्यूरो में लिया गया है।

2– दिनांक 28.3.2001 को भ्र. नि. ब्यूरो द्वारा विश्वस्त सूचना के आधार पर स्टोर की आकस्मिक चैकिंग पर 350 रीमं कागज तथा 15 रीम आर्ट कार्डशीट कम पाई जाने पर राज्य सरकार को 2,40,111 रुपये की राशि का नुकसान पहुंचाने के आरोप पर प्रथम रिपोर्ट संख्या 43/2002 दिनांक 6.2.2002 दर्ज की गई है। प्रकरण अन्वेषणाधीन है। दोनों प्रकरणों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(2) 1– प्रकरण संख्या 295/2001 का अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया है। दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर शीघ्र सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश किया जावेगा।

(भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री)

2- प्रकरण संख्या 43/2002 अन्वेषणाधीन है। अन्वेषण पूर्ण होने पर विधिक कार्यवाही के पश्चात् उचित निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पुलिस थाना नया शहर, बीकानेर में थानेदार व अन्य के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में कार्यवाही

489. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 300/2000 पुलिस थाना नया शहर, बीकानेर में थानेदार विकास व अन्य के विरुद्ध 3 वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज होने के बाद भी न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया जा सका है? यदि हां, तो प्रारम्भ से अब तक उक्त पत्रावली में विभिन्न निर्देशों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोषियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने व विभागीय जांच पूर्ण होने के उपरान्त भी कार्यवाही नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गृह मंत्री द्वारा सेना जवान श्री सूरजभान सिंह व उनकी धर्म पत्नी को चौकी में मारपीट करने वाले दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करने की जानकारी दी थी? क्या उक्त थानेदार व अन्य को पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मुकदमें से सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध विभागीय जांच में कार्यवाही व न्यांयालय में चालान कब तक प्रस्तुत कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) यह सही है कि अभियोग सं. 300/2000 पुलिस थाना नया शहर, बीकानेर का चालान अभी न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। प्रारम्भ से लेकर अब तक पत्रावली में विभिन्न निर्देशों का विवरण तथ्यात्मक रिपोर्ट परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(2) अभियोग अनुसन्धानाधीन है। उप निरीक्षक विकास व अन्य के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच पूर्ण होने के पश्चात् 16/18 सी.सी.ए. नियम 1958 के तहत विभागीय जांच की जाकर कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज बीकानेर के विचाराधीन है।

(3) जी हां। जी हां उक्त थानेदार व अन्य को पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया है। क्योंकि यह प्रकरण सामान्य श्रेणी का था इसलिए निलम्बन से बहाल कर दिया गया।

(4) उक्त अभियोग व विभागीय जांच में शीघ्र निर्णय लिया जाकर उचित कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

पुलिस थानों में नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के थाना प्रभारी

490. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश में कुल कितने पुलिस थाने हैं? उक्त में से किन–किन पुलिस थानों को पुलिस निरीक्षक पद के लिए तय किया हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितने पुलिस थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के थाना प्रभारी पदस्थापित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 709 थाने (मय जीआरपी) हैं। पुलिस. निरीक्षकों के 277 थाने तय है। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के 93 थानाधिकारी पदस्थापित है। सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

वन्य जीव अभ्यारण्य सीतामाता चित्तौड़गढ़ के अतिक्रमण निवारणार्थ गठित समिति

491. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ उदयपुर क्षेत्र में स्थित ''वन्यजीव'' अभ्यारण्य सीतामाता के अतिक्रमण निवारणार्थ एक समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो उक्त समिति में सम्मिलित सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त वन्य जीव अभ्यारण्य में आने वाले क्षेत्रों में किस–किस जिले के कितने अतिक्रमी है तथा कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है?

(3) क्या यह सही है कि अतिक्रमी वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किये जाने के पूर्व से है? वर्ष 1980 के पूर्व एवं पश्चात् किये गये अतिक्रमियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त गठित समिति की अब तक कितनी बैठकें कहां–कहां पर आयोजित की गई और उक्त पर क्या निर्णय लिये गये?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.6.2002 से गठित समिति में सम्मिलित सदस्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अभ्यारण्य में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिले के 545 अतिक्रमियों द्वारा 74824 हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण करना पाया गया है।

(3) जी हां। वर्तमान में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उक्त अभ्यारण्य में वर्ष 1980 के पूर्व के अतिक्रमियों एवं वर्ष

(राज्य मंत्री, वन)

1980 से पश्चात् के अतिक्रमियों की नामवार सूची संलग्न परिशिष्ट ''ख'' एवं परिशिष्ट ''ग'' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) दिनांक 19.6.2002 को गठित समिति की बैठक अभी तक नहीं हुयी है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र भिनाय के गांवों का विद्युतीकरण

492. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र भिनाय के गांवों में विद्युतीकरण/पोल हटाने या अन्य कार्य हेतु विभाग को 1 दिसम्बर, 1998 के बाद विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना/विधायक फण्ड सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के लिये राशि स्वीकृति की गई है? यदि हां, तो किस–किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि किस–किस फण्ड से वित्तीय स्वीकृति जारी की गई?

(2) उक्त में से कितनी–कितनी राशि किस–किस कार्य पर व्यय की गई?

(3) क्या उक्त सभी कार्य पूर्ण हो गये? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे?

(4) क्या कार्य सम्पादन में विलम्ब के कारण अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भिनाय में गांवों के विद्युतीकरण/पोल हटाने व अन्य कार्य हेतु सांसद/विधायक कोष/विधायक क्षेत्रीय विकास योजना आदि कोष से दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 के बाद स्वीकृत सभी कार्यो का विवरण, स्वीकृति आदेश व स्वीकृति राशि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यों पर की गई राशि का कार्यवार विवरण उपरोक्त परिशिष्ट ''अ'' में दर्शाया हुआ है।

(3) जी नहीं। उक्त कार्यो में से अधिकांश कार्य पूर्ण हो गये हैं केवल 4 कार्य पूर्ण किया जाना शेष हैं। शेष रहे कार्यो को अविलम्ब पूरा करने के प्रयास किये जा रहे है।

(4) जी नहीं। श्रमिकों की कमी तथा मैचिंग मटीरियल उपलब्ध न होना आदि कारणों से कार्य पूरा नहीं हो सका है। इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदारी नहीं है। अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

नर्सरी श्रेणी के कृषि कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तन

493. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में नर्सरी श्रेणी के कृषि कनेक्शनों को दो वर्ष पूर्ण होने पर सामान्य

(श्री अमराराम)

श्रेणी में तब्दील करने का आदेश होने के बाद अप्रैल, 2000 के बाद के कनेक्शनों को दो वर्ष के बाद सामान्य में परिवर्तित नहीं करने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह सही है कि नर्सरी श्रेणी में जमा हार्स पावर चार्जेज बिलों में समायोजित करना आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था? यदि हां, तो उक्त आगामी आदेश कब तक देने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 01.04.2000 के बाद नर्सरी श्रेणी में जारी कनेक्शनों को भी स्पेशल स्कीम के कनेक्शनों की भांति ही सामान्य श्रेणी के उसी गांव के नीचे वरीयता वाले आवेदकों के कनेक्शन जारी होने की तिथि से सामान्य श्रेणी की दर से बिलिंग करने के आदेश जारी किये हुए हैं। ऐसा स्पेशल श्रेणी के उपभोक्ताओं से एकरूपता बनाये रखने हेतु किया गया है।

(2) नर्सरी श्रेणी योजना में विद्युत कनेक्शन जारी होने के बाद से हार्स पावर चार्जेज राशि को प्रथम बिल से ही समायोजित करने का प्रावधान था जिसको दिनांक 15.02.2000 को जारी आदेश के द्वारा कनेक्शन जारी होने के 5 वर्ष पश्चात् 25 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिमास के हिसाब से आगामी बिलों में समायोजित करने का प्रावधान किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में उपभोक्ताओं के लम्बित आपात कनेक्शन

494. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आपात कनेक्शन लेने की क्या प्रक्रिया है?

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने उपभोक्ताओं ने उक्त कनेक्शन हेतु आवेदन किया है? नाम व स्थान की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन–किन उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए गये? क्या वर्तमान अकाल में भी कई उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं दिए गए है? यदि हां, तो क्यों और कब तक उक्त उपभोक्ताओं को कनेक्शन दे दिए जावेंगे?

उत्तर

(1) आपात कनेक्शन देने की कोई योजना नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के अन्तर्गत किसी के भी द्वारा उक्त कनेक्शन हेतु आवेदन नहीं किया गया है क्योंकि ऐसी कोई भी योजना प्रचलित नहीं है।

(3) उक्त कनेक्शन जारी करने का कोई प्रावधान नहीं होने से कोई कनेक्शन जारी नहीं किये गये है एवं ना ही कोई आवेदन पत्र लम्बित है।

जिला जालौर में सायंकाल के समय घरेलू विद्युत आपूर्ति

495. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में शाम को 6 से 11 बजे तक अधिकांशत: घरेलू बिजली नहीं आती है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समय छात्रों की बोर्ड की परीक्षा में अध्ययन हेतु शाम को बिजली की जरूरत होती है?

(3) क्या सरकार ने उक्त में सुधार कर समय पर बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जालौर के क्षेत्रान्तर्गत सायंकाल 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक उपलब्धतानुसार सिंगल फेज सप्लाई की नियमित रूप से आपूर्ति की जाती है।

(2) जी हां। उक्त समय में छात्रों की पढ़ाई के अतिरिक्त दैनिक घरेलू कार्यो में भी बिजली की आवश्यकता होती है।

(3) सायंकाल 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिंगल फेज सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था की गई है तथा स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है ताकि विद्युत आपूर्ति में कोई व्यवधान न आये।

जिला जैसलमेर में गैस आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र

496. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गैस आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र रामगढ़ के विस्तार हेतु कार्य प्रारम्भ किये एक वर्ष हो गया है?

(2) क्या वर्तमान में 35 मेगावाट से उत्पादन बढ़ कर 105 मेगावाट हो जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि तीसरी टरबाइन के प्रारम्भ होने पर जो दो इकाइयों से निकलने वाली गैस से संचालित होगी उसके लिये किसी भी ईंधन की आवश्यकता नहीं रहेगी तभी उक्त परियोजना आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होगी?

(4) क्या सरकार व विद्युत कम्पनी उक्त उत्पादन केन्द्र को 31 मार्च तक चालू कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। इस उत्पादन केन्द्र के विस्तार कार्यक्रम से दिनांक 31 मार्च, 2003 तक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होना सम्भावित है।

ऊंटोली (अलवर) में ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

497. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बहरोड के ऊंटोली फीडर 11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण की तकनीकी रूप से योग्यता रखता है? यदि हां, तो क्या उक्त का तकनीकी तखमीना तैयार हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि 11 के.वी. ऊंटोली फीडर का तखमीना तैयार करते हुए 33 के.वी. लाइन का कंडक्टर यूज बनाया जाये जिसे वर्तमान में 11 के.वी. लाइन चार्ज की जाये? यदि हां, तो अब उक्त कार्य कब तक कराया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। बहरोड (अलवर) में 11 के.वी. ऊंटोली फीडर के वोल्टेज रेगूलेशन वर्तमान में 11.39 प्रतिशत है जिसको ठीक करने के लिये 11 के.वी. की एक 8 कि.मी. अतिरिक्त लाइन खींचकर ऊंटोली फीडर को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। अतिरिक्त लाइन के निर्माण के बाद ऊंटोली फीडर व वनहड फीडर के वोल्टेज रेगूलेशन निर्धारित सीमा 8 प्रतिशत के अन्दर क्रमश: 4.26 व 2.68 प्रतिशत हो जावेंगे। अत: ग्राम ऊंटोली में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन बनाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं रह गई है।

(2) अतिरिक्त 11 के.वी. लाइन में डोग कंडक्टर का उपयोग किया जावेगा, जो 33 के.वी. लाइन में भी काम आता है। लाइन के लिये सामान की व्यवस्था की जा रही है। सामान उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जावेगा और लगभग 6 माह में पूरा होने की सम्भावना है।

ग्राम पंचायत अमरपुरा/मोकरपुरा (अजमेर) के विद्यालय में विद्युत पोल से सम्भावित दुर्घटना

498. श्री नाथूराम (किशनगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अमरपुरा/मोकरपुरा तहसील किशनगढ़ जिला–अजमेर के विद्यालय के बीच में बिजली का पोल लगा हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बिजली के पोल में करंट आने से विद्यालय के छात्रों के साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है? क्या सरकार उक्त पोल को विद्यालय क्षेत्र से तुरन्त हटवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त पोल से करंट आने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। प्रशासन गांवों के संग अभियान में लगे कैम्प में विद्यालय में पोल लगे होने की शिकायत

(ऊर्जा मंत्री)

प्राप्त हुई। सहायक अभियन्ता (पवस) रूपनगढ़ द्वारा मौके का निरीक्षण कर पोल हटाने का 6936/– रुपये का तखमीना बनाया था तथा दिनांक 23.10.2001 को पत्र द्वारा तखमीने की 50 प्रतिशत राशि 3468/– रुपये जमा करवाने हेतु प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोखमपुरा को मांग पत्र भेजा था परन्तु उनके द्वारा उक्त राशि अभी तक जमा नहीं करवाई गई है। राशि जमा न होने के कारण पोल हटाने का कार्य नहीं किया जा सका है। मांग पत्र की राशि जमा होने पर पोल हटा दिया जावेगा।

संविदा के आधार पर नियुक्त सईसों का बकाया वेतन

499. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि संविदा के आधार पर 81 सईस नियुक्त हैं? यदि हां, तो उक्त का नाम, पदस्थापन का स्थान, नियुक्ति दिनांक व वेतन प्रतिमाह का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी सईस स्थाई पोस्ट के अन्तर्गत सेवा में लिये गये थे? यदि हां, तो उक्त को चयनित वेतनमान कब तक दे दिया जावेगा?

(3) उक्त सईसों को कितने माह के वेतन का भुगतान करना बकाया है और अब उक्त को कब तक बकाया वेतन दे दिया जायेगा?

(4) क्या सरकार उक्त को समय पर मासिक वेतन दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। संविदा के आधार पर 64 सईस कार्यरत हैं। संविदा पर कार्यरत सईसों के नाम, पदस्थापन स्थान, नियुक्ति दिनांक एवं वर्तमान में प्रतिमाह देय वेतन का विवरण सूची ''क'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त सभी सईस नियमित रूप से सृजित पदों के विरुद्ध अनुबन्ध के आधार पर रखे गये हैं। इनको नियमित वेतनमान दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) उक्त सईसों को बकाया वेतन भुगतान का विवरण सूची ''क'' में दर्शाया गया है। बकाया वेतन एवं माह मार्च, 2003 का वेतन भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित जिला अधिकारियों को बजट आबंटित कर दिया गया है।

(4) जी हां। अग्रिम आदेशों तक मासिक वेतन दिलाने का विचार रखती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जयपुर के सहकारी उपभोक्ता भण्डारों द्वारा वसूली जा रही अनियमित राशि

500. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री कन्हैया लाल)

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के सहकारी उपभोक्ता भण्डार बाजार मूल्य से अधिक दाम वसूल कर आम जनता को दवाइयां बेच कर इन बढ़े दामों पर बिक्री कर नहीं चुका कर सरकार को घाटा पहुंचा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त अधिक कीमत वसूली एवं उक्त पर बिक्री कर नहीं चुकाने के लिए कौन–कौन से उपभोक्ता भण्डार दोषी पाये गये हैं? सरकार द्वारा अब तक उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त भण्डारों द्वारा अधिक कीमत वसूली को रोक, बिल में पृथक से कर की राशि दर्शाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) किसी भी उपभोक्ता भण्डार द्वारा दवाइयों की एवं बिक्री कर की अधिक राशि वसूल नहीं की गई है, इसलिए कार्यवाही करने का प्रश्न नही है।

(3) भण्डारों द्वारा अधिक कीमत वसूली नहीं की जा रही है। भण्डारों द्वारा टैक्स पैड दवाइयां बेचे जाने के कारण कर की राशि बिल में पृथक् से दर्शाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

पंचायत समिति हिण्डौली (बून्दी) के सहकारी बैंकों में लम्बित ऋण आवेदन पत्र

501. **श्री नाथूलाल गुर्जर** (हिण्डौली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति हिण्डौली (बून्दी) के सहकारी बैंकों में वर्ष 1999 से 2002 तक कुल कितने आवेदकों के ऋण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए?

(2) क्या उक्त सभी आवेदकों को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त में से अधिकांश आवेदकों को अब तक ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त शेष रहे आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) पंचायत समिति हिण्डौली (बून्दी) के सहकारी बैंकों को वर्ष 1999 से 2002 तक कुल 964 ऋण आवेदन प्राप्त हुए, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

(सहकारिता मंत्री)

क्र.सं.	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों की संख्या			
			1999–2000	2000–2001	2001–2002	कुल
1.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बून्दी	1. दबलाना	5	2	10	17
		2 हिण्डौली	1	31	48	80
2.	जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बून्दी		427	263	177	867
	योग		433	296	235	964

(2) जी नहीं। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराये गये आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	ऋण उपलब्ध कराये गये आवेदनों की संख्या			
			1999–2000	2000–2001	2001–2002	कुल
1.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बून्दी	1. दबलाना	3	2	3	8
		2. हिण्डौली	1	25	46	72
2.	जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बून्दी		353	219	160	732
	योग		357	246	209	812

(3) जी नहीं। केवल केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बून्दी के 17 आवेदकों द्वारा निश्चित समयावधि में औपचारिकताएं पूर्ण न किये जाने के कारण आवेदन पत्र मियाद बाहर हो जाने के कारण ऋण उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

(4) जी हां। आवेदकों द्वारा ऋण आवेदन नवीनीकरण सम्बन्धी औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने पर नियमानुसार ऋण उपलब्ध करा दिया जावेगा।

स्पिनफेड यूनिट गंगापुर (भीलवाड़ा) में प्रशिक्षित सुरक्षागार्डों की नियुक्ति

502. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) स्पिनफेड यूनिट गंगापुर (भीलवाड़ा) में सुरक्षा गार्ड हेतु किन–किन व्यक्तियों को कब–कब से लगा रखा है?

(2) क्या उक्त यूनिट में अप्रशिक्षित व्यक्तियों को लगा रखा है जबकि गत दस वर्षों से ''गृह सुरक्षा दल'' से प्रशिक्षित श्रमिक के रूप में कार्यरत श्री ईश्वर सिंह, श्री गोपाल माली, श्री रामनिवास जोशी व अन्य को उक्त पद पर नहीं लगा रखा है? उक्त प्रशिक्षित व्यक्तियों को कब तक सुरक्षा गार्ड पर लगा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) स्पिन फैडरेशन यूनिट गंगापुर (भीलवाड़ा) में लगे हुए सुरक्षा गार्डों का विवरण परिशिष्ट ''1'' पर उपलब्ध है।

(2) गंगापुर इकाई में सुरक्षा गार्ड के स्वीकृत 13 पदों में से 10 पदों पर नियमित सुरक्षा गार्ड कार्यरत हैं। शेष बचे पदों पर उपलब्ध सरप्लस स्टाफ में से कर्मचारियों को समय–समय पर लगाया जाता रहा है। गृह सुरक्षा दल से प्रशिक्षित श्री ईश्वर सिंह, श्री गोपाल माली एवं श्री रामनिवास जोशी को सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करने हेतु लगा रखा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को पेंशनर्स को दवा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देश

503. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर द्वारा पेंशनर्स को राज्य कर्मचारियों की भांति पुनर्भरण योग्य अनुपलब्ध दवाइयों का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (एन.ए.सी.) एक नवम्बर, 2000 से उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो उक्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेशों के जारी होने के बाद भी दवा विक्रेता पेंशनर्स को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त प्रवृत्ति को समाप्त करने एवं जारी आदेशों के पालनार्थ दवा विक्रेताओं को अनुपलब्ध दवाइयों का पेंशनर्स को अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए पाबन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 6300–6400 दिनांक 25.10.2000 की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(सहकारिता मंत्री)

(3) इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना की जा रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

राजस्थान स्टेट को–आपरेटिव हाउसिंग फैडरेशन के कर्मिकों का बकाया भुगतान

504. **श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट को–आपरेटिव हाउसिंग फैडरेशन का नाम पूर्व में राजस्थान स्टेट को–आपरेटिव फाइनेंस सोसायटी लिमिटेड था? यदि हां, तो उक्त का नाम परिवर्तन क्यों तथा किस नियम के तहत किया गया?

(2) उक्त सोसायटी द्वारा वर्ष 1983 से 88 के मध्य कौन–कौन सी गृह निर्माण योजनाएं चलायी गई थी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सोसायटी ने उक्त अवधि में अपने यहां दैनिक वेतन भोगी/मस्टररोल आधारित टंकक/नियमित वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे? यदि हां, तो किस–किस को तथा उक्त को कब–कब हटाया गया?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त में से कुछ कार्मिकों ने वर्ष 1987 में न्यायालय में दावा पेश किया था? यदि हां, तो न्यायालय का क्या निर्णय आया तथा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? निर्णय एवं की गई कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि न्यायालय ने दिनांक 9.7.1997 के अपने निर्णय में उक्त सोसायटी के एक कार्मिक को रुपये 35,250/– एवं 1500/– मय हर्जा खर्चा के भुगतान के आदेश दिए थे? क्या उक्त भुगतान पर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं होने से न्यायालय की अवमानना हुई है? क्या उक्त प्रकरण में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो क्या तथा कब तक और उक्त कार्मिक को न्यायालय द्वारा आदेशित राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह संस्था शीर्ष स्तर की संस्था है जिसकी प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियां सदस्य हैं। किन्तु पूर्व नाम से उक्त संस्था के प्राथमिक स्तर की संस्था होने का आभास होता था। अत: शीर्ष संस्था के अनुरूप राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 14(2) के तहत नाम परिवर्तन किया गया।

(2) उक्त सोसायटी द्वारा वर्ष 1983 से 88 के मध्य निम्नांकित तीन आवास योजनाएं चलाई गई थीं :–

1. कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
2. केसरी चन्द चौधरी नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
3. इन्द्रा नगर, किशनगढ़, अजमेर।

(सहकारिता मंत्री)

(3) उक्त सोसायटी ने उक्त अवधि में आरम्भ की गई योजनाओं में समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपने यहां दैनिक मजदूरी एवं मस्टररोल पर निम्नांकित कर्मचारी रखे थे तथा योजनाएं पूर्ण होने पर इन्हें नियमानुसार इनके सामने अंकित तिथि को हटा दिये गये थे :–

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद हटाने की तिथि
1.	श्री निर्मल जैन, मिस्त्री जनवरी, 1987
2.	श्री मोहन लाल, मिस्त्री जनवरी, 1987
3.	श्री प्रेमप्रकाश, मुंशी जनवरी, 1987
4.	श्री मदन सिंह, मुंशी
5.	श्रीमती प्रमिला जैन, मुंशी
6.	श्री लेखराज मीणा, चौकीदार
7.	श्री गुलाब, मिस्त्री
8.	श्री हरिशंकर, पम्प ड्राइवर
9.	श्री महावीर, पम्प ड्राइवर
10.	श्री रामपाल, श्रमिक
11.	श्री रघुनाथ सिंह, श्रमिक

(4) जी हां। श्री मदन सिंह पुत्र श्री घीसू सिंह के मामले में भुगतान किये जाने का निर्णय आया तथा राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था। इसके अलावा अन्य मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन चल रहे हैं। निर्णय की प्रति परिशिष्ट ''एक'' पर तथा की गई कार्यवाही की प्रति परिशिष्ट ''दो'' पर संलग्न है।

(5) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण भुगतान नहीं किया गया।

(6) जी नहीं। आवासन संघ द्वारा माननीय न्यायालय से उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश प्राप्त होने एवं प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने के कारण कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही एवं राशि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र खारची में विकास कार्यों हेतु प्राप्त राशि

505. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत चार वर्षों में जिला पाली को दसवें व ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत कितनी–कितनी राशि प्रत्येक पंचायत समिति के लिए प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खारची में उक्त अवधि में प्राप्त राशि में कितने–कितने कार्य, कितनी–कितनी राशि के स्वीकृत किए गए तथा स्वीकृत राशि के विरुद्ध कितनी राशि व्यय कर कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या रही? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(3) क्या उक्त योजना के तहत अन्य योजना या राहत कार्य की राशि का डबटेल भी किया गया? यदि हां, तो उक्त स्वीकृत कार्यों में कितनी-कितनी राशि डबटेल की गई?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में जिला पाली को दसवें वित्त आयोग व ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत क्रमशः राशि रुपये 48698132 एवं 38077600 प्राप्त हुई है जिसकी वर्षवार पंचायत समितिवार सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खारची में उक्त अवधि में प्राप्त राशि में कुल कार्य, स्वीकृत/व्यय राशि एवं कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति संलग्न परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त योजना के तहत अन्य योजना व अकाल राहत कार्य की राशि डबटेल की गई है। पंचायत समितिवार स्वीकृत कार्य व डबटेल राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

वार्ड पंच महेन्द्रगढ़, पंचायत समिति सराड़ा के विरुद्ध कार्यवाही

506. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत महेन्द्रगढ़, पंचायत समिति सहाड़ा के वार्ड पंच श्री पवन कुमार के तीसरी सन्तान होते हुए भी उक्त ने गलत पत्र देकर चुनाव लड़ा? क्या उक्त की शिकायत गांव वालों द्वारा पंचायत समिति, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर तथा अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों को समय-समय पर की गई? यदि हां, तो क्या फरवरी, 2000 से जनवरी, 2003 तक उक्त शिकायतों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया? क्या नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही उक्त वार्ड पंच के विरुद्ध नहीं की गई? यदि हां, तो उक्त के लिए कौन दोषी है और आवश्यक कार्यवाही अब कब तक कर दी जायेगी?

(2) क्या उक्त वार्ड पंच के तीसरी संतान अगस्त, 1996 में हुई जिसका प्रमाण-पत्र चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेन्द्रगढ़ ने स्वयं ने अपने हस्ताक्षर से जारी किया है? यदि हां, तो चिकित्सा अधिकारी ने प्रमाण पत्र के बाद भी आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है?

(3) क्या उक्त वार्ड पंच के परिवार के राशन कार्ड में भी स्वयं, पत्नी तथा तीन संतानों का विवरण उपलब्ध है?

यदि हां, तो उक्त सभी दस्तावेजों के होते हुए भी उक्त वार्ड पंच को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया है? क्या आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी तथा उक्त में विलम्ब के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) वार्ड पंच श्री पवन कुमार के तीसरी संतान होते हुए भी गलत पत्र देकर चुनाव लड़ने सम्बन्धी आरोप की जांच नाम निर्देशन पत्र के संलग्न प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्रों के आधार पर ही की जा सकती है किन्तु पंचायत महेन्द्रगढ़ के उक्त वार्ड पंच के विरुद्ध किसी प्रकार की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी भीलवाड़ा को नहीं कराये जाने पर पंचायती राज निवार्चन नियमों के अन्तर्गत रिकार्ड चूंकि जाया किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में इस बिन्दु की जांच अब सम्भव नहीं है। लेकिन उक्त श्री पवन कुमार वार्ड पंच के विरुद्ध तीसरी संतान होने की शिकायत सम्भागीय आयुक्त अजमेर को की गयी थी। शिकायत प्राप्त होने पर जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् भीलवाड़ा से करायी गयी तथा जांच में शिकायत को सही माना गया है तथा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19(ठ) के अन्तर्गत वार्ड पंच श्री पवन कुमार को सम्भागीय आयुक्त अजमेर के द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में उक्त वार्ड पंच ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष दायर रिट संख्या 573/02 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 5.2.2002 की प्रति प्रस्तुत की है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण में अन्तिम आदेश जारी करने के क्रम में स्थगन आदेश जारी किया है। स्थगन आदेश निरस्त होने के बाद ही कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ए.एन.एम. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेन्द्रगढ़ के बयानों का उल्लेख करते हुए यह वर्णित किया गया है कि उक्त वार्ड पंच के तीसरी संतान दिनांक 19.8.1996 को हुई है। उक्त तथ्य प्रमाणित होने के बावजूद भी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के स्थगन आदेश दिनांक 5.2.2002 के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(3) समस्त ग्रामवासी महेन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के साथ प्रस्तुत परिवार कार्ड की प्रति में उक्त वार्ड पंच स्वयं, पत्नी तथा 3 संतानों का विवरण उपलब्ध है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के स्थगन आदेश दिनांक 5.2.2002 के कारण उक्त वार्ड पंच के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी है। स्थगन आदेश वैकेट होते ही कार्यवाही कर ली जायेगी। प्रकरण में कार्यवाही करने में विलम्ब उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की वजह से हुआ है इसके लिए कोई दोषी नहीं है।

सरपंच धोली मगरी, मावली, उदयपुर का निलम्बन

507. श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री हीरालाल डांगी सरपंच धोली मगरी (मावली) उदयपुर की पत्नी के दिनांक 10.06.2001 को तीसरी संतान पैदा हुई है?

(श्री कनकमल कटारा)

(2) क्या उक्त को तीसरी सन्तान होने के कारण बरखास्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव उदयपुर सम्भागीय आयुक्त ने राज्य सरकार को प्रेषित किये हैं?

(3) क्या सरकार उक्त सम्बन्धी आदेश ज़ारी कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) सम्भागीय आयुक्त से प्राप्त इन प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है।

सरपंच व ग्राम सेवकों के विरुद्ध दर्ज अनियमितता प्रकरण

508. श्री अमीन खान (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य में गत चार वर्षों में कितने सरपंचों व ग्राम सेवकों के विरुद्ध गबन के मुकदमें बने हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

राज्य में गत चार वर्षों में गबन के कुल 309 मुकदमे बने हैं जिनमें से सरपंचों के विरुद्ध 235 तथा ग्राम सेवकों के विरुद्ध 74 है। जिलेवार संख्या सूची निम्नप्रकार है :

क्र.सं.	जिले का नाम	सरपंचों के विरुद्ध बने गबन के मुकदमों की संख्या	ग्राम सेवकों के विरुद्ध बने गबन के मुकदमों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	4	1
2.	अलवर	10	3
3.	बारां	11	11
4.	बाड़मेर	0	2
5.	बांसवाड़ा	2	0
6.	भरतपुर	49	2
7.	भीलवाड़ा	0	0
8.	बीकानेर	2	1
9.	बून्दी	9	2

(पंचायती राज मंत्री)

1	2	3	4
10.	चित्तौड़गढ़	6	3
11.	चूरू	0	0
12.	दौसा	10	0
13.	धौलपुर	9	0
14.	डूंगरपुर	0	0
15.	गंगानगर	34	0
16.	हनुमानगढ़	0	0
17.	जयपुर	4	3
18.	जालौर	0	0
19.	जैसलमेर	3	0
20.	झालावाड़	0	0
21.	झुंझुनूं	6	3
22.	जोधपुर	2	0
23.	क़रौली	32	10
24.	कोटा	24	19
25.	नागौर	1	0
26.	पाली	2	3
27.	राजसमन्द	7	9
28.	सवाईमाधोपुर	2	0
29.	सीकर	4	1
30.	सिरोही	0	0
31.	टोंक	2	0
32.	उदयपुर	0	1
	योग	**235**	**74**
	कुल योग	**309**	

पंचायत समिति रायपुर (भीलवाड़ा) के अधिशेष चुंगी नाकेदारों का समायोजन

509. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर में चुंगी समाप्त करने से ग्राम पंचायत रायपुर के चुंगी नाका ठेकेदार श्री पुखराज, श्री नारायण लाल, श्री चैन सिंह पिछले कई वर्षों से अधिशेष कर्मचारी के रूप में एक निर्धारित वेतन पंचायत समिति रायपुर से प्राप्त किया जा रहा है? उक्त अधिशेष कर्मचारियों को किसी विभाग में स्थाई नियुक्ति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(2) राज्य में उक्त प्रकार के चुंगी नाके से अधिशेष कुल कितने कर्मचारी हैं?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में नोन–मैट्रिक अधिशेष कर्मचारियों के स्थायी नियुक्ति करने योग्य पद नहीं होने के कारण उन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) राज्य में चुंगी नाके से अधिशेष नॉन मैट्रिक कुल 602 कर्मचारी हैं।

जिला बून्दी के ग्रामों के निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग

510. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत घाट का बराना, मायजा सूनगर, गुडली, हिंगोनिया जिला बून्दी के गांवों में गत पांच वर्षों में विभिन्न निर्माण कार्य करवाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यों का मौके पर किया गया भौतिक सत्यापन सही नहीं है? क्या उक्त कार्य मौके पर मौजूद नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों द्वारा निर्माण कार्य घटिया स्तर के होने में पंचायत समिति केशवरायपाटन के अधिकारियों की मिलीभगत होने की शिकायत भी की है? यदि हां, तो क्या उक्त की निष्पक्ष जांच कराई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति केशवरायपाटन में कनिष्ठ अभियन्ता होने के बावजूद भी अन्य पंचायत समितियों के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्यों का मेजरमेंट किया गया है? यदि हां, तो किन–किन कार्यों का?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट 'अ')।

(2) जी हां। कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न सूची में वर्णित है।

(3) इस प्रकार की कोई शिकायत जिला परिषद्/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्राप्त नहीं हुई है।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) जी हां। उक्त पंचायतों में अन्य कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किये गये कार्यों के मूल्यांकन का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों की नियुक्ति

511. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक नियुक्त किया जायेगा? यदि हां, तो कब तथा उक्त निर्णय की पालना कहां तक हुई?

(2) राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं और उक्त में से कितनों में ग्राम सेवक कार्यरत हैं तथा शेष कितनी है जिनमें ग्राम सेवक नियुक्त नहीं किये हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त निर्णय को सरकार ने बदल दिया है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो सभी पंचायतों में ग्राम सेवक कब तक लगा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार विभिन्न विभागों के अधिशेष कर्मचारियों के पदस्थापन कर उक्त निर्णय की पालना करने की कार्यवाही कर रही है तथा अधिकांश पदों को भरा जा चुका है।

(2) राज्य में कुल 9189 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 8211 ग्राम सेवक कार्यरत है तथा 978 शेष है जिलेवार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न रख दी गई है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार विभिन्न विभागों के अधिशेष कर्मचारियों से ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों के पदों पर पदस्थापन कर पद भरने की कार्यवाही शीघ्र कर ली जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

सरपंच ग्राम पंचायत तितरिया (जयपुर) द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

512. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तितरिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर के निवासियों द्वारा दिनांक 16.8.2001 को ग्राम पंचायत तितरिया के पूर्व सरपंच एवं इन्हीं की पत्नी वर्तमान सरपंच के विरुद्ध पंचायत रिकार्ड में हेराफेरी करने की शिकायत जिला प्रमुख जयपुर को की थी? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम श्री किशनपुरा, पंचायत तितरिया, तहसील चाकसू की खसरा नं. 193 की गैर मुमकिन भूमि में एक प्राथमिक शाला भवन बना हुआ है? क्या उक्त भूमि पर पूर्व सरपंच एवं इनकी पत्नी वर्तमान सरपंच ने मिलकर पट्टे

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

जारी किए हैं? यदि हां, तो किन-किन लोगों के नाम?

(3) क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत तितरिया जिला जयपुर के गांव श्री किशनपुरा में वृक्षों की दिनांक 30.04.2001, 17.05.2001 व 24.6.2001 को नीलामी की कार्यवाही हुई? क्या उक्त में ग्राम सभा की बैठक में श्रीमती शुभा पारीक को पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई थी? यदि हां, तो पर्यवेक्षक ने जांच में दिनांक 7.7.2001 को तीनों रसीदों का रोकड़ बाद में तोड़ना बताया और उक्त नीलामी को अवैध बताया है? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत तितरिया के ग्राम भोज्यण्ड में एक प्राथमिक शाला है? यदि हां, तो क्या ग्राम से शाला तक पक्की सड़क बनी हुई है?

(6) क्या सरपंच ने गांव से शाला तक मिट्टी डलवाने के नाम से 10,000/- रुपये पंचायत राशि से उठा ली है? यदि हां, तो क्यों?

(7) क्या सरकार ने उक्त दोषी सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही अब तक नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत तीतरिया के पूर्व सरपंच एवं इन्हीं की पत्नी वर्तमान सरपंच के विरुद्ध रेकार्ड में हेराफेरी की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कर प्रतिवेदन सम्भागीय आयुक्त जयपुर को जिला परिषद् जयपुर के पत्र क्रमांक 150 दिनांक 21.1.2003 द्वारा भिजवाया जा चुका है।

(2) जी हां। किशनपुरा पंचायत समिति तितरिया तहसील चाकसू की खसरा नं. 193 गैर मुमकिन भूमि में एक प्राथमिक शाला भवन बना हुआ है। इस खसरा नं. की भूमि में श्री कैलाश चन्द, राधेश्याम जयराम, राजेश प्रसाद, राम प्रसाद, सीताराम आदि के नाम से पट्टे जारी किये गये हैं।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में जांच कर प्रतिवेदन सम्भागीय आयुक्त को भेजा जा चुका है, जहां कार्यवाही विचाराधीन है। कार्यवाही शीघ्र कर ली जायेगी।

(4) जी हां। ग्राम किशनपुरा में वृक्षों की नीलामी दिनांक 23.4.2001, 17.5.2001 एवं 24.6.2001 को की गयी थी। ग्राम सभा की बैठक में श्रीमती शुभा पारीक की पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी लगायी गयी थी। पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट में नीलामी को अवैध बताते हुए अंकित किया है कि सरपंच द्वारा नीलामी की अवैध कार्यवाही का ग्राम सभा में अनुमोदन कराना चाहा जिस पर तर्क वितर्क चलता रहा तथा दिनांक 7.7.2001 को जारी रसीदों को बाद में आगे की तारीख में

(पंचायती राज मंत्री)

रोकड़ बही में तोड़ना बताया है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन सम्भागीय आयुक्त को दिनांक 21.1.2003 को प्रेषित किया जा चुका है। शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

(5) जी हां। ग्राम पंचायत तितरिया के ग्राम भोज्यण्ड में एक प्राथमिक शाला है तथा ग्राम से शाला तक पक्की सड़क बनी हुई हैं।

(6) सरपंच ने श्योराम से भैरूंजी के स्थान तक मिट्टी डलवाने के नाम से 11,920/– रुपये उठाये हैं।

(7) सरपंच के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर के पत्रांक 150/21.1.2003 द्वारा भिजवा दिया गया। कार्यवाही सम्भागीय आयुक्त के यहां लम्बित है।

इन्दिरा गांधी नहर में एस्केप की गेजेज

513. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम एवं द्वितीय चरण में कौन–कौन सी.आर.डी. पर एस्केप बने हुए हैं?

(2) उक्त एस्केप्स की अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक की गेजेज क्या है?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में इन्दिरा गांधी फीडर की आर.डी. 629, इन्दिरा गांधी नहर की आर.डी. 165, 507.290, 750, 1121.200 एवं 1355.85 पर एस्केप बने हुये हैं।

(2) माह अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक इन एस्केपों में से छोड़े गये पानी की मात्रा संलग्न परिशिष्ट 1 से 4 पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

इन्दिरा गांधी परियोजना को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने हेतु कार्यवाही

514. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर के सभी निर्माण कार्य वर्ष 2005 तक पूर्ण करने हैं?

(2) क्या इस वर्ष तक 60% कार्य हुआ है और शेष कार्य दो वर्ष में पूर्ण करना है?

(3) क्या यह सही है कि निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय पर केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा प्रतिशत बढ़ाया है? यदि हां, तो कितना?

(4) क्या उक्त परियोजना के व्यय का 40% भाग संस्थापन पर खर्च होता है?

(5) क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष जो बजट स्वीकृत होता है राशि उपलब्ध न करवाने के कारण व्यय कम होता है?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(6) क्या सरकार निश्चित अवधि में उक्त परियोजना को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सभी निर्माण कार्य वर्ष 2005 तक पूर्ण करना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत लगभग 3995 करोड़ रुपये पर अब तक हुए व्यय के आधार पर लगभग 60 प्रतिशत कार्य हो चुका है और शेष कार्य को दो वर्ष में पूर्ण करना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी हां। परियोजना के द्वितीय चरण में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाली केन्द्रीय ऋण सहायता में वर्ष 2002 में हुये परिवर्तन के आधार पर निर्माण कार्यों में केन्द्रीय सरकार के प्रतिशत हिस्से में वृद्धि हुई है। पूर्व में यह ऋण सहायता राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय के 1 : 2 (33.33% : 67.67%) के बजाय अब 1 : 4 (20.00% : 80.00%) के अनुपात में हो गया है।

(4) जी नहीं। वर्ष 2002–03 के संशोधित बजट अनुमान के आधार पर परियोजना के व्यय का 25.80 प्रतिशत व्यय संस्थापन पर खर्च होना है।

(5) जी नहीं। परियोजना पर पिछले पांच वर्षों में आबंटित बजट एवं व्यय के निम्नानुसार विवरण के आधार पर संशोधित स्वीकृत बजट आबंटन के अनुसार प्रायः राशि उपलब्ध कराई गई है।

(राशि लाखों में)

वर्ष	मूल बजट	संशोधित बजट	अन्तिम आबंटन	व्यय
1997–1998	14500.00	18483.00	18438.70	18375.63
1998–1999	20000.00	19000.00	20000.00	19968.44
1999–2000	21000.00	14500.00	14500.00	14561.07
2000–2001	12000.00	11425.02	11379.51	11329.52
2002–2002	11500.00	11000.00	11493.70	11505.15
कुल	**79000.00**	**74408.02**	**75811.91**	**75739.81**
औसत	**15800.00**	**14881.60**	**15162.38**	**15147.96**

(राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना)

(6) परियोजना पर वर्ष 2003–04 के बजट अनुमान (177 करोड़ रुपये) के आधार पर उक्त परियोजना के कार्यों को वर्ष 2011–12 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

जिला अजमेर में पशुपालकों को चारा परिवहन हेतु अनुदान

515. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला अजमेर के किसानों/पशुपालकों को चारा परिवहन अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक कहां–कहां कब चारा परिवहन अनुदान के भुगतान हेतु बिल्टियां प्राप्त हुई तथा किस–किस का भुगतान कब–कब कितनी–कितनी राशि का किया गया और बकाया भुगतान कब तक करने का विचार है?

(2) क्या सरकार बिल्टियां सम्बन्धित कार्यालय में पेश करते ही तुरन्त भुगतान की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक निम्नानुसार उपखण्ड अधिकारियों को उनके सामने अंकित बिल्टियां प्राप्त हुई तथा किये गये भुगतान व बकाया भुगतान की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	उपखण्ड	प्राप्त बिल्टियां	भुगतान की गई राशि (लाखों में)	शेष भुगतान हेतु बकाया राशि (लाखों में)
1.	अजमेर	730	49.00	10.50
2.	ब्यावर	306	39.00	4.05
3.	किशनगढ़	402	39.00	8.14
4.	नसीराबाद	516	43.00	7.22
5.	मसूदा	932	74.00	14.50
6.	केकड़ी	819	49.00	30.95
	योग	**37.05**	**293.00**	**75.36**

बकाया भुगतान हेतु प्रक्रिया जारी है शीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा चारा परिवहन अनुदान के क्लेम संस्था द्वारा पेश किये जाने पर जांच की जाकर पाक्षिक भुगतान किये जाने के निर्देश है तथा संस्थाओं को नियमानुसार सुनिश्चित किया जाता है।

पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन (नागौर) में पशु शिविरों हेतु अनुदान

516. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र वर्तमान पशुगणना के आधार पर पशु संख्या कितनी है?

(2) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में किस-किस पंचायत में कहां-कहां गौ-शालाएं संचालित हैं और उक्त में से कितनी पंजीकृत हैं तथा प्रत्येक की पशुगणना कितनी-कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में कितने पशु शिविर संचालित हैं, कितने पशु शिविरों को अनुदान देने की स्वीकृति दी जाकर भुगतान चालू हो गया है?

(4) वर्तमान वर्ष में उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में किस-किस पंचायत में व किस-किस नगरपालिका क्षेत्र में चारा डिपो किस-किस एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है? उक्त एजेंसियों को क्या सरकार ने चारा लाने के लिए कोई राशि उपलब्ध कराई है? यदि हां, तो कितनी कितनी, कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र में 1997 की पशुगणना के आधार पर गोवंश 52463 सहित कुल पशु संख्या 3,78,228 है।

(2) पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में निम्नानुसार पंजीकृत गौशालाएं संचालित है तथा पशु संख्या नाम के आगे अंकित है :–

(अ) श्री गोविन्द गौशाला, नावां	123
(ब) श्री जन कल्याण गौपाल गौशाला, मारोठ	131
(स) श्री कुचामन गौशाला कुचामन सिटी	125
(द) श्री धर्मार्थ ट्रस्ट गौशाला घाटवा	22
(ङ) श्री कृष्ण गौशाला राजास	123
(च) श्री कृष्ण गौ सेवा सदन पदमपुरा	50

(3) कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र में निम्न पशु शिविर संचालित हैं तथा इनके अनुदान भुगतान की प्रक्रिया जारी है :–

1. ग्राम पंचायत पांचवा
2. ग्राम पंचायत जीजोट (लाम्बा)
3. ग्राम पंचायत जीजोट (जीजोट)

(4) वर्तमान वर्ष में कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र एवं नगरपालिका क्षेत्र में निम्न चारा डिपो सामने अंकित एजेंसी को स्वीकृत किये गये हैं :–

नगरपालिका क्षेत्र–अध्यक्ष, नगर-पालिका मण्डल, नावां

पंचायत समिति क्षेत्र–

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, हुडील

(2) सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डावरा

(3) श्री जन कल्याण गौपाल गौशाला, मारोठ

(सहायता मंत्री)

(4) सरपंच, ग्राम पंचायत, शिम्भूपुरा

(5) सरपंच, ग्राम पंचायत देवलीकलां

इन संस्थाओं को चारा लाने हेतु 20-20 हजार रुपये की राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निम्नानुसार दिनांकों को स्वीकृत की गई है :-

(अ) ग्राम पंचायत, हुडील	20.12.2002
(ब) श्री जन कल्याण गौपाल गौशाला, मारोठ	13.1.2003
(स) ग्राम पंचायत मण्डावरा	13.1.2003
(द) ग्राम पंचायत शिम्भूपुरा	6.02.2003
(ड) ग्राम पंचायत देवलीकलां	6.02.2003

पशु शिविरों पर व्यय राशि

517. श्री अमीन खान (शिव) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में पशु शिविर खोले गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने?

(2) उक्त शिविरों में कितनी राशि व्यय हो रही है? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 28.2.03 तक कुल 1575 पशु शिविर खोले गये हैं।

(2) इन पशु शिविरों पर प्रतिमाह व्यय की जा रही राशि का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में अकाल राहत कार्यों पर व्यय

518. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में अकाल राहत कार्य पर किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में किस-किस योजना में कितने कार्य स्वीकृत किए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में निम्न योजनाओं में व्यय की गई है :-

1-	राहत मद	12,21,000
2-	सांसद क्षेत्र विकास योजना	8,84,568
3-	विधायक क्षेत्र योजना	8,96,000
4-	मेवात विकास योजना	8,40,000
5-	राजीव गांधी पारम्परिक जल स्रोत	1,44,000
6-	राज्य वित्तीय आयोग द्वितीय	14,69,500
7-	11वां वित्त आयोग	15,14,750

(2) योजनावार स्वीकृत कार्यों की संख्या निम्नानुसार है :-

1-	अकाल राहत	9 कार्य
2-	सांसद क्षेत्र विकास योजना	16 कार्य

(सहायता मंत्री)

3–	विधायक क्षेत्र योजना	20 कार्य
4–	मेवात विकास योजना	9 कार्य
5–	राजीव गांधी पारम्परिक जल स्रोत	4 कार्य
6–	राज्य वित्त आयोग द्वितीय	19 कार्य
7–	11वां वित्त आयोग	16 कार्य

ग्राम पंचायत चांग व चिताड़ (पाली) के नियोजित श्रमिक

519. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले की तहसील रायपुर की ग्राम पंचायत चांग व चिताड़ में बी.पी.एल. परिवारों के कितने चयनित परिवार हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अगस्त, 2002 से जनवरी, 2003 तक उक्त दोनों पंचायतों में किस किस पखवाड़ा में कितने श्रमिकों को रोजगार दिया गया?

उत्तर

(1) पाली जिले की तहसील रायपुर की ग्राम पंचायत चांग व चिताड़ में बी.पी.एल. परिवारों के क्रमश: 215 एवं 244 चयनित परिवार है।

(2) माह अगस्त, 2002 से जनवरी, 2003 तक दोनों पंचायतों में पखवाड़ेवार श्रमिकों को दिये गये रोजगार की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1)

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–18 देखें)

सोडाला–बाईस गोदाम जयपुर क्षेत्र में निजी बसों का संचालन

520. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बाईस गोदाम, हवा सड़क, नन्दपुरी तिराहा जयपुर से स्वेजफार्म होते हुए न्यू सांगानेर सड़क पर आवागमन हेतु सिटी बस अथवा निजी मिनी बसें संचालित हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के निवासियों के आवागमन की सुविधा हेतु सरकार कोई बस सेवा चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो बसों का संचालन कब तक शुरू करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। बाइस गोदाम, हवा सड़क, नन्दपुरी तिराहा को मार्ग संख्या 21 व 29 की मिनी बसों द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। स्वेजफार्म होते हुए न्यू सांगानेर सड़क तक मिनी बस/सिटी बस का संचालन इस क्षेत्र में धनी आबादी होने तथा मार्ग की सड़कें छोटी होने के कारण वाहनों का संचालन होने में बाधा होती है।

(2) जयपुर शहर में सिटी मार्गों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा आमजन के नाम समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर मार्गों के सम्बन्ध में सुझाव व प्रस्ताव चाहे गये हैं। इस प्रकार प्रश्न में वांछित बस सेवा के सन्दर्भ में

(यातायात मंत्री)

समिति को इस मार्ग को खोले जाने के सम्बन्ध में परीक्षा करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

पुराने वाहन चालक लाइसेंस का नवीनीकरण का अनियमित शुल्क

521. श्री ललित भाटी (अजमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पुराने वाहन चालक लाइसेंस के नवीनीकरण कराने के क्या मानदण्ड है? क्या अलग–अलग जिलों में अलग–अलग नियम हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पुराने वाहन चालक लाइसेंस के नवीनीकरण के समय राशि रुपये 50/– नवीनीकरण शुल्क, 50/– रुपये डुप्लीकेट शुल्क एवं 200/– रुपये कम्प्यूटरीकरण के इस प्रकार कुल 300/– रुपये लिये जा रहे हैं? यदि हां, तो किस आदेश से? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नया स्थाई लाइसेंस का शुल्क मय लर्निंग लाइसेंस सहित 285/– रुपये है? यदि हां, तो नवीनीकरण के समय शुल्क अधिक किस आधार पर लिया जा रहा है?

(4) क्या यह सही है कि वाहन चालक के पास अपना मूल लाइसेंस होने के बावजूद भी उसे डुप्लीकेट लाइसेंस शुल्क लेकर उसे डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किया जा रहा है? यदि हां, तो किस कारण से? क्या सरकार वाहन चालक के मूल लाइसेंस का ही नवीनीकरण करने का विचार रखती है?

(5) क्या यह भी सही है कि वाहन चालकों को पोलोराइड लाइसेंस के लिये जबरन मजबूर कर राशि 200/– रुपये पोलोराइड के नाम से ठगी जा रही है? क्या पोलोराइड का कार्य ठेका प्रति लाइसेंस राशि 25/– का दिया हुआ है? यदि हां, तो रुपये 200/– किस आधार पर लिये जा रहे हैं?

(6) क्या सरकार वाहन चालक के मूल लाइसेंस से अपने रिकार्ड को कम्प्यूटर में डालकर पहले की तरह से ही राशि 50/– रुपये लेकर नवीनीकरण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 15 व केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 18 में वाहन चालक लाइसेंस के नवीनीकरण कराने के मानदण्ड वर्णित हैं, जिनके अनुसार लाइसेंसधारक को प्रपत्र 9 में प्रार्थना पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करने होते हैं :–

1. नवीनीकरण कराए जाने वाला लाइसेंस।
2. नियम 32 के अन्तर्गत निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा कराए जाने की रसीद।
3. चिकित्सा प्रमाण पत्र।

(यातायात मंत्री)

4. यदि लाइसेंस प्रपत्र–6 (डायरी में) में नवीनीकृत होता है तो तीन पासपोर्ट साइज फोटो।

उक्त नियम राज्य के सभी जिलों में समान रूप से लागू है।

(2) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 32 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित शुल्क की सारणी के आइटम 8 के अनुसार प्रारूप 7 में जारी किए जाने वाले लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क देय है। राज्य के कुछ परिवहन कार्यालयों द्वारा लाइसेंस सम्बन्धी शुल्क के नियमों में संशय के कारण विभाग को अधिक शुल्क वसूल करने की जानकारी प्राप्त होने पर सभी परिवहन कार्यालयों को लाइसेंस नवीनीकरण का निर्धारित शुल्क ही वसूलने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(3) नये स्थाई लाईसेंस का शुल्क मय लर्निंग लाइसेंस के 280/– रुपये है। लर्निंग लाइसेंस आवेदन-पत्र के साथ सुरक्षित वाहन ड्राईविंग निर्देशिका नामक पुस्तिका भी दी जाती है, जिसकी पृथक से 5/– रुपये कीमत ली जाती रही है। वर्तमान में इस पुस्तिका की कीमत दस रुपये है।

(4) राज्य के जिन परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत लाइसेंस जारी करने की सुविधा नहीं है, उन कार्यालयों में चालक के मूल डायरीनुमा (प्रपत्र–6) लाइसेंस का नवीनीकरण मूल लाइसेंस पर ही किया जाता है। जिन परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत लाइसेंस जारी करने की सुविधा है, उनमें लाइसेंस नवीनीकरण प्रपत्र–7 में ही किया जाता है, जिसके लिए मूल लाइसेंस होने पर डुप्लीकेट लाइसेंस की फीस पृथक से देय नहीं है। नवीनीकरण के समय मूल लाइसेंस साथ होने पर डुप्लीकेट लाइसेंस की फीस नहीं ली जावे इसके बाबत सभी परिवहन कार्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है।

(5) वर्तमान में विभाग द्वारा पोलोराइड लाइसेंस जारी की जाने की व्यवस्था नही है।

(6) लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का निर्धारण भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। प्रपत्र–6 (डायरी में) में किए जाने वाले लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क 50/– रुपये ही निर्धारित है।

(स्थगित प्रश्न)
(दिनांक 26 फरवरी, 2003)

तहसील बस्सी (जयपुर) के पृथ्वीपुरा बांध की भूमि पर अतिक्रमण

45. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जयपुर की तहसील बस्सी के पृथ्वीपुरा बांध के निर्माण पर किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है?

(2) क्या यह सही है कि बांध की सीमा में स्थानीय व्यक्तियों द्वारा वर्षों से

(श्री रमजान खान)

बिना अस्थायी आबंटन के कृषि एवं बाड़े बनाकर अतिक्रमण किया जा चुका है? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति ने कितना-कितना अतिक्रमण किया है? सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) उक्त बांध की पाल पर तलहटी में तथा भराव सीमा में किस-किस किस्म के कितने-कितने वृक्ष शेष बचे हैं? भविष्य में इनकी सुरक्षा की सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) अब तक पूर्व में वृक्ष काटने वालों, अतिक्रमणियों तथा सम्बन्धित अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत भूडला के ग्राम पृथ्वीपुरा में स्थित बांध गवाई तालाब है इसके जिर्णोद्धार पर अकाल राहत के अन्तर्गत सम्वत 2042 में सिंचाई विभाग द्वारा 1.69 लाख रुपये का व्यय किया गया।

(2) यह सही है कि गवाई तालाब (पृथ्वीपुरा) की आराजी पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है जिसका ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उक्त बांध की पाल, तलहटी तथा भराव सीमा में छोटे व बड़े देशी बबूल के कुल 154 पेड़ हैं, सफेदा के छोटे-बड़े 44, लेसुआ के 9, शीशम के छोटे वृक्ष 6 एवं नीम का 1 वृक्ष बचे हुए हैं। खसरा नं. 1 रकबा 67 बीघा 7 बिस्वा चरागाह में ग्राम पंचायत द्वारा 1 गार्ड नियुक्त किया हुआ है एवं खसरा नं. 16 व 17 सिवाय चक नला में राजस्व एजेंसी द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

(4) श्री घीसा रामसुखा पुत्र जूणा गूजर द्वारा खसरा नं. 17 की 2 बीघा आराजी में गेहूं एवं जौ की काश्त की गई एवं इसी खसरा नं. 17 में श्रवण, रामकिशोर, रामसहाय, गंगासहाय पुत्र ग्यारसा गूजर ने 1 बीघा गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण किया है, के विरुद्ध तहसीलदार, बस्सी द्वारा भू राजस्व अधिनयम, 1956 की धारा 91(3) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए दिनांक 28/2/2003 को पैनल्टी कायम करते हुए बेदखल करने के आदेश दिये गये हैं। कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

(ब्यौरा के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नावां में सड़क मरम्मत व उन्यन कार्य 17 किलोमीटर कम करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से बारां जिले के पूर्व अध्यक्ष की हत्या के चश्मदीद गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री कन्हैया लाल एवं एक अन्य सदस्य की ओर से बारां जिले में कार्यरत सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुछ अभियन्ताओं द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं एक अन्य सदस्य की ओर से रोग निरोधक टीकों के अभाव में 5 लाख भेड़ों की कथित मृत्यु से पशुपालकों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी बुला दीजिए। अभी बोल लें?

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं, जानकारी आएगी जब, उसके बाद। (व्यवधान)

(12.04 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से विद्युत विभाग द्वारा नर्सरी कनेक्शनों को सामान्य कनेक्शन में परिवर्तन नहीं करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से राज्य में किसानों के ज़ले हुए ट्रांसफार्मर समय पर नहीं बदलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री के.सी. चौधरी, सदस्य की ओर से ब्यावर शहर में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90(बी) को गलत तरीके से लागू करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से उदयपुर डिवीजन के वन क्षेत्र में लम्बे समय से बसे आदिवासी काश्तकारों को खातेदारी हक दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री मोहन लाल मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पेयजल का संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से रायपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गिरी के सरपंच पद पर वार्ड पंच को कार्यवाहक सरपंच मनोनीत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(7) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से लालकोठी किसान फल-सब्जी मण्डी प्रांगण से अतिक्रमियों को हटाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य, आज के बाद छह रोज की छुट्टी है, माननीय सदस्य सब जल्दी जाना चाहते हैं इसलिए इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

(नियम 295 की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई। कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरा 295 है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

डा. सी.पी. जोशी : पर्चियों को भी मान लिया जाए। पर्चियों को भी मान लिया जाए, डिबेट शुरू करिये आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. सी. पी. जोशी : पर्चियों को भी पढ़ा हुआ मान लिया जाए आज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के ऊपर आपने यह व्यवस्था दी थी कि राज्य सरकार से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आएगा-आएगा। आएगा न, बुलाएंगे आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज?

श्री उपाध्यक्ष : आज नहीं, जैसे ही सरकार से सूचना आएगी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सूचना तो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी आएगी, आपको बुलाएंगे।

श्री अमराराम (धोद) : जानकारी तो आ गयी, यह तो वैसे ही जानकारी है इसकी तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री अमराराम (धोद) : वैसे ही जानकारी है इसकी तो। इसमें कौनसी जानकारी कहां से प्राप्त करनी है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा हूं कि इसके बहुत सीरियस डाइमेंशंस है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। बिराजिये, बिराजिये। आप बिराजिये प्लीज। प्लीज, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : ...क्योंकि सांगोद दो दिन से, मेरा पाइंट आफ इंफारमेशन है, सांगोद दो दिन से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र राठौड़, बोलिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है। बिराजिये। अब क्या करें?

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, राजेन्द्रजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह इतना गम्भीर विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री महोदय, कृपा करिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सब मस्त हो रहे हैं। यह सब्जी मण्डी है? यह सब्जी मण्डी है क्या? यह मछली बाजार है? यह मछली बाजार है? यह विधान सभा है। नहीं, नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हो? बोलिये। एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ जिस तरह का इशारा माननीय मंत्री महोदय ने किया है वह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। आपको बोलना नहीं है? राठौड़ साहब, आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : काका के रूप में किया है न, काका के रूप में। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं कि आपने मेरे मोशन को पढ़ा है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, मैं आपसे सिर्फ यह निवेदन करना

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

चाहता हूं कि उसकी गम्भीरता को समझेंगे। छह दिन का अवकाश है, आज उसके ऊपर स्टेटमेंट आना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यानि पूरे आर.ए.एस. आफिसर्स ने जो उनके अधीनस्थ कार्य करते हैं, कलक्टर के खिलाफ एक ज्ञापन देकर यह कहा है कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नार्मली इस पर बोलने की इजाजत देते ही नहीं हैं, फिर भी अगर आपका यह मामला महत्वपूर्ण है तो इस पर सरकार से... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं बोल नहीं रहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए सरकार से जानकारी प्राप्त होने के बाद आपको बोलने की इजाजत देने पर विचार किया जाएगा। यह अध्यक्ष महोदय ने भी व्यवस्था दे दी, फिर क्या बात है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन ठप पड़ा है। अकाल के काम चल रहे हैं, आप समझिये कि कलक्टर के और दूसरे तमाम आफिसर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप है तो कैसे चलेगा? मुझे बताइये आप। आपके छह दिन का अवकाश है, फेमिन रिलीफ के काम भी अवकाश कर देंगे मोहर्रम है कल, उसके बाद में होली है तो लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था खड़ी होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जैसे ही सरकार की सूचना आती है आपको...(व्यवधान) विचार किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है उस व्यवस्था पर आप और हम दोनों... (व्यवधान) माननीय राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र राठौड़। प्लीज, यह नहीं होगा। माननीय राजेन्द्र राठौड़, आप बोलिये। आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समझने की चेष्टा करें कि कल मोहर्रम है और होली का त्योहार आने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या करूं मैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था खड़ी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो मेरे से रुकना नहीं है, वह तो आएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और नीचे के मजिस्ट्रेट के बीच में इतना बड़ा गैप हो गया तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो उचित नहीं है। सरकार को, माननीय कल्लाजी को इस बात के लिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिये आप। माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिये। प्लीज कोआपरेट, आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : कल्लाजी तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सूचना नहीं है अब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सब सूचना है उनके पास।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उनके पास सब सूचना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : लैट द रिप्लाई कम, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय कल्लाजी के पास सब सूचना है। (व्यवधान) टौंक जिले के अन्दर...(व्यवधान) दैनिक भास्कर ने यह ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सब अखबारों में छपा पड़ा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह पूरे अखबार छपे पड़े हैं पूरे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, प्लीज आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अलाउ कर ही नहीं सकता। क्यों फालतू समय बरबाद कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बोल ही नहीं रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या कर रहे हो आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कर रहे हो आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या फायदा है इससे? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय की गम्भीरता को समझें। कल मोहर्रम है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वही होगा जो नियम होगा। आप बिराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और होली आने वाली है। ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम हो रही होगी। (व्यवधान)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जयपुर स्थित लालकोठी सब्जी मण्डी पर किसानों का धरना

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की राजधानी जयपुर में गत 15 जनवरी से सैकड़ों किसान लाल कोठी सब्जी मण्डी पर बेमियादी धरना दिये बैठे हैं। किसान उस सरकार से मांग कर रहे हैं जो सरकार अपने आपको किसानों की हितैषी कहती है, जिस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में राजस्थान के किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम, उत्तरदायी बाजार और बिचौलिया मुक्त बाजार उपलब्ध कराने के थोथे नारे दिये थे। आज उसी सरकार के सम्मुख, उपाध्यक्ष महोदय, एक–दो दिन से नहीं, तीन महीने से ज्यादा समय हो गया, किसान लगातार अपनी मांग के लिये बेमियादी धरना दिये बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा, अभी दो दिन पहले ही किसानों ने ऐलान किया था कि 10 मार्च को जयपुर की सब्जी मण्डी में किसान अपनी सब्जी नहीं लाएगा। समाचार पत्रों में छपा। सब्जी के दाम डेढ़–दुगुने नहीं, कई गुना बढ़ गये। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, वर्ष 1995 में राजस्थान की सरकार ने पांच करोड़ रुपये लागत लगाकर महाराष्ट्र की हड़पसर पद्धति पर किसान और उपभोक्ता के बीच में बिचौलिया नहीं हो, इस अवधारणा के साथ लाल कोठी क्षेत्र में पांच बीघा जमीन सब्जी मण्डी के लिये आबंटित की थी। इसके साथ वहां पांच बड़े–बड़े प्लेटफार्म बनाये गये, किसानों के लिये रैस्ट हाउस बनाया गया। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। इस सारे मामले में कृषि विपणन बोर्ड ने पांच करोड़ रुपये खर्च किये। इस नये प्रयोग से जहां आम उपभोक्ता को 10 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत कम भाव से सब्जी मिलनी प्रारम्भ हो गयी, वहीं किसान सीधे अपनी उपज उपभोक्ताओं को बेचे, इसका बन्दोबस्त हुआ। परन्तु 27 मई, 2001 को जब आपरेशन पिंक के नाम पर इस सरकार ने छोटे, गरीब दुकानदारों को तबाह किया था...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी गम्भीर बात है। सदन चल रहा है, हम जनता के दर्द को इस सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। यहां उप मुख्य मंत्री स्तर के आदमी बैठे हैं, हम बतला रहे हैं लेकिन तकलीफ इस बात की है कि सर्वोच्च आसन के निर्देशों की भी अवहेलना कर रहे हैं। आप उधर देख रहे हैं, विधि मंत्रीजी इस तरह बात कर रहे हैं जैसे किसी पार्क में दो नौजवान आपस में बैठकर बात किया करते हैं। किससे बतिया रहे हैं आप? और यह उप मुख्य मंत्रीजी को देखिये, जब कभी...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई जरूरी नहीं है, कोई बहुत ही सार की बात होती तो हम गम्भीरता से सुनते। ऐसी क्या बात थी जिसके लिये बड़ी बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निश्चित तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारी बात कही। किसान की बात कहें वह आपको सार की बात नजर नहीं आती। पशुपालक की बात कहें? आपको सार की बात नजर नहीं आती। यहीं पर कोई उद्योगपति की बात होती, किसी उद्योग को रियायत देने की बात होती तो, विधि मंत्रीजी, सबसे पहले आप बोलते। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, न तो भेड़ मरी है, न कहीं एक लाख भेड़, कभी कहीं पचास हजार भेड़, मर्जी आवे वह नम्बर टेक देते हैं। कहां मरी हैं, कहां पर पड़ी हैं, वह कौनसी जगह है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : खेतसिंहजी, भेड़ की बात–बात ही नहीं है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसकी फोटो आप उतारकर लाये हैं तो पेश कीजिये। ख्वामख्वाह एक बवण्डर बनाने के लिये, कि हम हैं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, भेड़ की तो बात ही नहीं थी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : भेड़ का कोई प्रकरण नहीं चल रहा है, किसानों की बात कर रहे हैं। किसान लालकोठी पर धरना दिये हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह खुद भेड़ की–सी टोपी पहनकर आये हैं, इसलिए इनको भेड़ याद आयी है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष जी, इन मंत्रियों को थोड़ा निर्देशित करिए आप। सदन में बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, इनको पता ही नहीं है और जवाब क्या दे रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, मंत्रीजी?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजे, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : किसानों की बात इनके कानों में नहीं जाती, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चिन्ता की बात है। आज राजस्थान का किसान अकाल से दु:खी है, पशु मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात। मान्यवर, विराजिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : भेड़ें मर रही हैं और यहां पर किसान लाल कोठी पर बैठे हैं, उनकी चिन्ता ही नहीं है आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें न। माननीय सांवर लाल जी, बिराजिये। माननीय राठौड़ साहब। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : लगातार तीन महीने से बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी के सामने +++ बने हुए हैं किससे बात कर रहे हो आप? (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : उनको तो कानून की बात सार लगती है, बाकी कुछ नहीं लगती। आप क्यों...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो मुख्य मंत्रीजी के सामने +++ बने हुए हैं, किससे बात कर रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत बात है। इन्होंने एक वरिष्ठ मंत्री को...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या गलत कहा है? क्या गलत कहा मैंने? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जो हम पैदा हुए तब से सरकार में है, इनको +++ कह दिया, यह कार्यवाही से आप निकलवाइये। यह बहुत गलत बात है। यहां सब आदमी बैठे हैं, यहां कोई जानवर नहीं है। (व्यवधान) यहां आपने विधि मंत्रीजी के लिये यह बात कही है, बहुत गलत कही है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या गलत कहा मैंने? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाए। माननीय खाद्य मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह देखो। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिलकुल ठीक कहा है मैंने जो कुछ कहा है सदन के अन्दर। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी +++ की आदत पड़ गयी है। सरकार की +++ करने की आदत पड़ गयी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है। इनको तो परसों झुंझुनूं से आने वाले ऊर्जा मंत्रीजी ने इनको +++ कहा था तो इनको बड़ा दर्द हुआ और आपत्ति हुई और कार्यवाही से निकलवाया, जबकि +++ तो महारानी को कहते हैं। और इन्होंने एक वरिष्ठ मंत्री को +++ कह दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा बन जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है, इसको कार्यवाही से निकलवाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : इसको निकालो। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या बात हुई? यहां सब आदमी हैं, +++ कैसे कह दिया आपने +++ इनको। आपने क्यों कहा यहां? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कहावत है। यह क्या गलत है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से निकलवाइये इनको। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कहावत है +++ की तरह घूम रहे हैं यहां पर। किसी की सुन नहीं रहे कुछ। (व्यवधान) गम्भीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो +++ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे हम? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सांवर लालजी, बिराजिये आप। एक मिनट... (व्यवधान) आप बिराजिये एक मिनट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : यह दोनों राठौड़ों का मामला है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जो संज्ञा दी है विधि मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह राजस्थान की कहावत है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भेड़ों की तरह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप बिराजें। माननीय मंत्रीजी, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, शेर को +++ कहना, या तो इनको आंखों से दिखना बंद हो गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय सदस्य, आप बिराजिये प्लीज। माननीय मंत्रीगणों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृपा करके एम.एल.एज. की बात अपने कक्ष में सुनिये, यहां पर इस बात को बंद कीजिये। आप क्यों जाते हो मंत्रीगणों के पास, कौनसा तरीका है यह? यह कोई तरीका ही नहीं है। आप सुनना ही नहीं चाहते। अगले बोल रहे हैं तो आप कुछ सुनो, कुछ करो। आप इनको अपनी जगह भेजें। Say no to them and ask them to come to the chamber.

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप बैठिये, फिर उठें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप उठिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप उठिये, आसन की व्यवस्था है।

श्री रोहिताश्व कुमार : क्या जोरदार रूलिंग दी है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : यह कौनसा तरीका है फिर? माननीय सदस्य, आपने +++ शब्द का उपयोग किया क्या?

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, किया है, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न। आप क्यों खड़े हो रहे हो? आप नीचे बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : इन्होंने +++ का इस्तेमाल किया, उन्होंने किया। कोई चर्चा ही नहीं थी +++ की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों बहस कर रहे हो? आप बैठिये न नीचे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्पष्टीकरण दूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि... (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : इन्होंने शेर को +++ कह दिया। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने क्या कहा, मैं बताती हूं कि मैंने क्या कहा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाओ न नीचे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बताती हूं। मैं बताऊं तो सही कि मैंने क्या कहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न नीचे, यह बोल रही हैं ना। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बताऊं तो सही मैंने क्या कहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? इनको बोलने दीजिये न पहले। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : शेरनी को तो +++ ही दिखेगी, यह तो शेरनी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। माननीय सदस्या, आपको पूछ रहा हूं कि आपने इनको +++ कहा क्या? आप बैठिये न, कमाल है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिये, मैंने क्या कहा। मेरी बात सुनिये पहले, मैंने क्या कहा, जब इन्होंने कहा कि यहां कोई भेड़ों की बात नहीं हो रही है। इन्होंने कहा, इतना सीरियस मैटर था, उसके ऊपर वरिष्ठतम सदस्य हैं, सन् 1952 से लगातार सदस्य आ रहे हैं, इन्होंने कहा आप तो हर चीज को भेड़ समझ लेते हैं, भेड़ों की बात कर रहे हैं। तब मैंने कहा, +++ तो मुख्य मंत्रीजी के सामने आप बने हुए हैं। यह मैंने कहा। यह मुहावरा है। क्या मैंने गलत कह दिया? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आपत्तिजनक बात है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या आपत्तिजनक कह दिया, क्या गलत कहा? बताइये, क्या गलत कहा? (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : सारे मंत्रियों को +++ कह दिया, यह सारे मंत्री +++ बने हुए हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप में केवल यह इंक्लूड होते हैं, और कोई नहीं। "आप में" केवल जिन्होंने +++ की बात की थी, वही इंक्लूड हैं, बाकी कोई और नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने कैसे मान लिया कि मैं मुख्य मंत्रीजी के सामने +++ बना हुआ हूं। सवाल ही नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने इसलिए मान लिया कि आपको भेड़ ही भेड़ दिखाई देती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शेर हैं, शेर।

श्री सांवर लाल : आप शेर नहीं बने, मुख्य मंत्रीजी के सामने तो +++ ही रहोगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पूरी जिन्दगी में कभी +++ का सवाल ही नहीं है, शेर ही शेर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, हर मुख्य मंत्री इनको शेर समझ कर हर मंत्रिमण्डल में लेते रहे हैं।

श्री सांवर लाल : +++ समझ कर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी पर जो +++ शब्द लागू होता है उसको एक्सपंज कर दो। माननीय राजेन्द्रजी, बोलिये।

श्री महादेव सिंह : विधान सभा क्षेत्र का नाम भी शेरगढ़ ही है, शेरों का गढ़। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ का कालचक्र बड़ा गम्भीर होता है। इस समय के कालचक्र ने कभी के शेर को आज किस हालत में लाकर खड़ा कर दिया, बैठा दिया, मैं उस पर कहना नहीं चाहता, परन्तु मुझे पूरी सहानुभूति है। मुझे पूरी सहानुभूति इसलिए है कि यह मेरे काकाजी लगते हैं और अब उम्र के इस मोड़ पर उस शेर की बात कभी मत करना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़। माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब वो बातें इतिहास के पन्नों में चली गयीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : भतीजा इस तरह नालायक हो गया इसलिए ये दिन देखने पड़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समय यों ही जाया कर रहे हो, क्या फायदा है इससे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बड़ा गम्भीर मामला है, 15 जनवरी से किसान आन्दोलन कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात। प्लीज।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजेन्द्रजी राठौड़ के लिए नालायक शब्द कहा है, इसको आप कार्यवाही से निकलवाइये। नालायक से क्या मलतब है?

श्री रोहिताश्व कुमार : कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : इनको तो कोई आब्जेक्शन ही नहीं है, आप काहे को बोल रहे हो?

श्री राजेन्द्र पारीक : जब माननीय सदस्य अपने काका श्री के बारे में इस तरह से वार्ता कर रहे हैं तो यह कहना बिलकुल जायज है कि भतीजा इस तरह से नालायक हो गया तो काका को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हम को आपत्ति है, यह नहीं हो सकता, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) बिना सोचे-समझे चाहे जो मन में आए जो कह देंगे किसी के लिए? उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से निकलवाइये। कल दूसरे माननीय सदस्य के लिए कहेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : और बढ़िया होते तो लायक कहते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इनमें एक भी लायक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इतने सीनियर सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : यह तो चाचा-भतीजे का वार्तालाप है, इसमें आप को कहां तकलीफ है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इन कांग्रेसियों में एक भी लायक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 15 जनवरी से किसान बेमियादी धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि किसान के लिए सब्जी मण्डी जिस पर सरकार ने पांच करोड़ रुपये खर्च किये, किसान के लिए जहां पांच बड़े-बड़े सीमेंट के प्लेटफार्म बनाये गये, उस पर जब इसी सरकार में बैठे लोगों ने छोटे दुकानदार को उजाड़ा और जब दुकानदार ने कहा कि हम कहां जाकर व्यापार करें, जब दबाव पड़ा तो विस्थापितों को स्थापित करने की दृष्टि से यह कहा था किसानों को कि एक महीने में जिन लोगों को हमने अस्थायी तौर पर यहां बैठा रहे हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे। एक महीने की बात कह कर इस सरकार ने उन बिचौलियों को, जिन बिचौलियों को दूर करने के लिए सरकार ने हड़पसर पद्धति से यह नयी योजना लागू की थी, उनको काबिज करा दिया।

किसान ने मांग की, कई बार कई दौर में शिष्टमण्डल ने बात की। उपाध्यक्ष महोदय, और तो और जो रैस्ट हाउस किसानों के लिए बनाया गया था उसमें एक्स.ईएन. टर्मिनल का दफ्तर खोल दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गैर-लाइसेंसधारी लोग किसान की मण्डी पर कब्जा किये बैठे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अब तो उन्होंने आम रास्ते पर कब्जा कर लिया। यह कभी न कभी कानून और व्यवस्था का सवाल खड़ा हो सकता है। किसान लगातार धैर्य से लोकतांत्रिक तरीके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से लड़ रहा है, धरना दे रहा है, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान की पीड़ा को समझें। आप शोषण मुक्त, बिचौलिया मुक्त बाजार देने की बात किसान से करते हो, लम्बे–चौड़े वादे करते हो परन्तु किसान को उसका हक नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई लम्बी–चौड़ी बात नहीं, सिर्फ 156 लोग हैं। 156 वो लोग जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है। ये लोग राजस्थान उच्च न्यायालय में गये, राजस्थान उच्च न्यायालय में हार गये। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस गूंगी–बहरी सरकार से मांग करना चाहता हूं, किसान के लिए जिसके मन में दर्द नहीं। किसान की बात कहते है तो यह कहते हैं, कि हम बिना बात की बात यहां विधान सभा में रख रहे हैं। आज भेड़ मरने की बात कहते है, आज भेड़ के लिए टीके की बात कहते हैं तो यह बात कहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर सरकार की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए। किसान की उस जायज मांग को सरकार माने यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जसवन्त सिंह गुर्जर।

बाड़ी विधान सभा क्षेत्र के चंद्रावली प्राथमिक विद्यालय में पैराटीचर पद पर हुई नियुक्ति में गड़बड़ी

श्री जसंवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में शायद ही ऐसा कोई दिन रहा हो जब नियमों और कानूनों को कोने में रख कर अपने लोगों को नहीं बचाया हो या बचाने का प्रयास नहीं किया हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने आप को पारदर्शी, संवेदनशील सरकार कहने का ढोंग रचने वाली सरकार के सामने मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाड़ी विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक स्थिति से डांग इलाका है। मैंने सदन में भी कई बार शिक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अभाव में निरन्तर वहां अपराधियों को संरक्षण देते रहे हैं और वहां शिक्षा के अभाव में निरन्तर क्राइम बढ़ते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां माध्यमिक स्कूल तो आज तक खोले नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए राजीव गांधी पाठशाला जरूर वहां खुली हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाड़ी में पैराटीचर की नियुक्ति के लिए जो धांधलियां हुई, उसके विषय में मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चंद्रावली में 5.5.2000 को पैराटीचर की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित हुए। उसमें एक कमेटी गठित हुई। प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत के सदस्य, सरपंच और वहां के एक टीचर की कमेटी गठित हुई। उस कमेटी के समक्ष पैराटीचर हेतु नाम क्रमशः श्रीमती शालू पत्नी गोविन्द प्रसाद, श्रीमती विद्या पत्नी आदराम, श्रीमती फूलवती पत्नी श्री रामवीर

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

और श्रीमती ममता पत्नी केदार अपने आवेदन पत्र के साथ उपस्थित हुई। जिनमें शालू पत्नी गोविन्द प्रसाद की योग्यता के आधार पर पैराटीचर के पद के लिए चयन किया गया। लेकिन शाला के प्रधानाध्यापक श्री कदीर ने योग्यता सूची में ग्राम पंचायत के सरपंच के फर्जी साइन करके और नदिरा बानो पुत्री श्री अब्दुल कदीर खां, जो साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुई थी, का चयन कर लिया।

इस पूरे प्रकरण की शिकायत सम्भागीय आयुक्त को की गयी 18.10.2002 को। उसके बाद आयुक्त के पत्र क्रमांक 2210 दिनांक 18.10.2002 के अन्तर्गत जांच के आदेश दिये गये। सम्भागीय आयुक्त द्वारा जांच के आदेश से जिला कलक्टर, धौलपुर ने विकास अधिकारी, बसेड़ी को जांच के आदेश दिये। विकास अधिकारी ने जांच करके पत्र क्रमांक 2691 द्वारा जिला कलक्टर को सौंपी। जिला कलक्टर ने कागजों में हेराफेरी का आरोप कर तत्कालीन शाला के प्रधानाध्यापक श्री अब्दुल कदीर, श्री बाबूलाल शर्मा को निलम्बित करने की सिफारिश कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जिला कलक्टर, धौलपुर की अभिशंसा पर उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर ने दिनांक 30.07.2002 को श्री अब्दुल कदीर प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चन्द्रावली व बाबूलाल शर्मा को निलम्बित कर दिया। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, प्रार्थिनी शालू शर्मा ने धारा 156 (3) के तहत इस्तगासा न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायालय में अब्दुल कदीर खां, प्रधानाध्यपक के विरुद्ध मुकदमा नम्बर 191/2001 कायम किया जिसमें अब्दुल कदीर, प्रधानाध्यापक को विभिन्न धाराओं के तहत जेल भेज दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात तो यह है कि पैराटीचर के चयन में गड़बड़ी करने, कागजों में हेराफेरी करने की जांच पूर्ण प्रमाणित होने के बाद भी आज तक नदीमा बानो को वहां से नहीं हटाया गया। मेरा आपसे निवेदन है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, नदीमा बानो को हटाकर शालू शर्मा को लगाएं। योग्यता के अनुसार, कमेटी के अनुसार, नियम के अनुसार उसका चयन होना चाहिए, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि उसको लगाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा गम्भीर मामला उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनका कहना है कि अनियमितता के मामले में जेल में एक आदमी चला गया और वह पैराटीचर वहीं काम कर रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो भी हो गया, आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी गम्भीरता के लिए निवेदन कर रहा हूं मैं तो।

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीरता को तो मंत्रीजी समझ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, वह जेल में चला गया, उसने गड़बड़ी की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह जेल में चला गया और वह वहीं नौकरी कर रही हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : जेल में हवा खाने के बाद आज तक .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

राज्य में मौसमी बीमारियों के प्रकोप से लोगों में व्याप्त भय

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी तथा राज्य सरकार का ध्यान मौसमी बीमारियां जिनसे लोग काफी आशंकित और भयभीत हैं, उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अबकी बार मौसम का मिजाज कुछ अजीब-सा करवट ले रहा है। कभी सर्दी पड़ जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। बेमौसम बरसात हुई, ओले पड़े उससे कई मौसमी बीमारियों का जन्म हुआ, जैसे- अस्थमा, दमा, मीजल्स, खसरा, स्माल पॉक्स और चिकन पाक्स।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में ही झालाना डूंगरी में 18 वर्षीय गोपाल और 32 वर्षीय छोटी, सांगानेर तहसील के आकोदा गांव में मीणा परिवार के तीन लोग और चाकसू तहसील के थली गांव के अन्दर लोगों के चेचक जैसी बीमारी हुई जिसमें बुखार आता है, छोटे और बड़े फफोले होते हैं, ऐसा देखने में आया है उससे आसपास के क्षेत्रों में लोग काफी भयभीत और आतंकित है। उनके मन में यह शंका पैदा हो गयी है कि हमने जिस बड़ी माता या चेचक जैसी बीमारी के ऊपर काबू पा लिया था, नियन्त्रण पा लिया था, जिसका पूरी तरह से खात्मा कर दिया था, कहीं हमारे बच्चे इसकी जकड़ में पुनः नहीं आ जाएं। जिसको थोड़ा बहुत भी बुखार होता है और शरीर पर दाफड़ होते हैं, वह बड़ा भयभीत हो जाता है, परेशान हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, एक तरफ तो हम करोड़ों रुपये खर्च करके एड्स और पल्स पोलियो का अभियान चलाकर नियन्त्रण की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि जिन बीमारियों पर हमने पहले नियंत्रण पा लिया है उनका पुनर्जन्म हो जाए। लोग उससे बड़े भयभीत और आशंकित हैं। आप बड़े सक्षम मंत्री हैं, मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्र की दूर-दराज की जनता जो एक तरफ अकाल की मार सह रही है, वह आतंकित और भयभीत है। अखबारों में भी यह आया है कि चिकन पाक्स ने पैर पसारे। कहीं आ रहा है कि बड़ी माता और चेचक वापस आ गये हैं। तो लोगों के मन में जो भ्रांति उत्पन्न हो रही है और भय उत्पन्न हो रहा है, मैं चाहूंगा कि इसमें क्या स्थिति है, आप सदन को और राजस्थान

(मोहम्मद माहिर आजाद)

की जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी चौधरी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बड़ा गम्भीर मामला है, मंत्रीजी को कुछ तो कहने दो, साहब।

श्री धर्मपाल चौधरी : पहले वाले का जवाब दिया नहीं, अब इसका जवाब दे रहे हो।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, चेचक का मामला उठाया, चेचक पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। मीजल्स की कुछ रिपोर्ट्स आयी हैं। मीजल्स के टीकों का प्रबन्ध, पोलियों की दवाई पिलाने का प्रबन्ध और अन्य टीकों का प्रबन्ध हमने ग्राम स्तर पर, पंचायत हैडक्वार्टर पर किया है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन मौसमी बीमारियों को राजस्थान में नहीं फैलने दिया जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी।

नीमराना और शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदूषित जल का निकास

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी का ध्यान जो अभी हाजिर नहीं है। नीमराना और शाहजहांपुर में औद्योगिक क्षेत्र है उसके प्रदूषित जल से...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह पोल्यूशन मंत्रीजी से सम्बन्धित है, उद्योग मंत्रीजी से सम्बन्धित नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : उद्योग और पोल्यूशन एक ही होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी डिमाण्ड आ रही है इसकी।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, पर्यावरण से मतलब नहीं है इसका। (व्यवधान) जल की बात हो रही है। मैं बताता हूं यह उद्योग से है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो।

श्री धर्मपाल चौधरी : इसका जो प्रदूषित जल है उसकी निकासी के लिए रीको नाला बनाने में लग रहा है, इसलिए पर्यावरण से मतलब नहीं है। औद्योगिक एरिया डवलप करने से पहले केन्द्र सरकार के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में यह है कि पहले ट्रीटमेंट प्लांट बने और उसके बाद उद्योग लगे। शाहजहांपुर को बीस साल हो गये और नीमराना में दस साल हो गये, दस साल तक ट्रीटमेंट प्लांट बना नहीं। जो उद्योग वहां लगे हुए हैं, कई बार इसके बारे में उद्योग मंत्रीजी से शिष्टमण्डल मिला और हमने कहा कि जो गन्दे पानी की आप योजना बना रहे हैं, हमारे मुण्डावर क्षेत्र के दस किलोमीटर एरिये में जाने के बाद इस गन्दे पानी को साहबी नदी में डालना चाहते हैं, दस किलोमीटर तक यह पानी जब वहां से निकलेगा, वहां पर जो खेत हैं, वहां पर जब प्रदूषित जल जाएगा तो नीचे का वाटर खराब हो जाएगा हमारा उसके बाद साहबी नदी में खुला डालना चाहते है, आसपास 50-60 गांव के लोग उस खुले पानी से बीमार होंगे। सबसे पहले हमने यह कहा

(श्री धर्मपाल चौधरी)

कि औद्योगिक क्षेत्र के जो आफिसर्स हैं जो पानी को ले जाना चाहते है, वहां पर इन आफिसर्स को कालोनी बनाओ। ये जब उस गन्दे पानी के पास रहकर देखेंगे तो इनको पता लगेगा। उस क्षेत्र की जनता और साहबी नदी में खुला पानी, वहां पर हजारों की संख्या में गायें घूमती हैं और हमारा जो पशुधन है वह भी साहबी नदी के क्षेत्र में चरता है, 50-60 गांवों में इस ढंग से खुला प्रदूषित पानी जाकर बहेगा उससे क्षेत्र की जनता में भारी रोष है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब हम मिले थे, सैक्शन चार की कार्यवाही हुई थी 7.9.2002 को और उसमें 3.10.2002 को हमारे क्षेत्र के किसानों ने एतराज दिए थे। मंत्रीजी से भी कई बार मिले, मंत्रीजी ने हमको आश्वासन भी दिया कि यह नहीं जाएगा, लेकिन अभी 7.3.2003 को धारा 6 के नोटिस जारी कर दिये गये। धारा 6 के नोटिस जारी करके 15 दिन में अन्दर, उन्होंने कहा, बहुत जल्दी बनाना जरूरी है। जल्दबाजी में धारा 6 की कार्यवाही करके वहां नाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मुण्डावर क्षेत्र की जनता और मेरी तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस गन्दे पानी की निकासी के लिए वहां दोनों औद्योगिक क्षेत्र में ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और हमारे क्षेत्र की जनता को बख्शें। अगर सरकार ने रीको ने नाला बनाने की कोशिश की तो हम किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। चाहे कैसा भी संघर्ष करना पड़े, हम निर्माण नहीं होने देंगे, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री केसाराम चौधरी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जैसलमेर में वर्ष 1995-96 में हुई अध्यापकों की कथित फर्जी नियुक्ति

श्री केसाराम चौधरी (खारची) **:** उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में वर्ष 1995-96 में अध्यापकों, शारीरिक शिक्षकों इत्यादि की हुई कथित फर्जी नियुक्ति के प्रकरण में समुचित कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) **:** उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1995-96 में जैसलमेर जिले में अध्यापकों, शारीरिक शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति तथा सेवा में न रहते हुए भी प्रयोगशाला सेवकों के फर्जी तरीके से स्थानान्तरण करवाकर सेवा में लेने/नियमित करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में विभिन्न समाचार-पत्रों एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तत्कालीन सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर को आदेश क्रमांक

(डा. बी. डी. कल्ला)

प.2(13) शिक्षा–2/96 दिनांक 11.10.1996 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा 6.11.1996 प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के मुख्य बिन्दु निम्नप्रकार हैं :

श्री अशोक कुमार शर्मा एवं श्री विनोद कुमार शर्मा जो कहीं पर भी सेवा में नहीं थे, को फर्जी तरीके से प्रयोगशाला सेवक के पद पर जैसलमेर जिले में पहले दौसा से पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरित किया गया और फिर छह महीने बाद पुनः पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर वापस दौसा/जयपुर जिलों में उनका स्थानान्तरण कर दिया गया। इस प्रकरण में मुख्य रूप से तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर को मुख्य दोषी तथा तत्कालीन संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर को भी सहयोगी माना।

श्रीमती विजय लक्ष्मी बिस्सा को जो मार्च, 1996 में गलत ढंग से जैसलमेर जिले में नियुक्त किया गया, जहां पर एक दिन जाइन किया फिर अनुपस्थित रही और तीन महीने बाद जून में दौसा जिले में स्थानान्तरण कर दिया गया। सुश्री जाहिदा बेगम को बिना नियुक्ति फर्जी ढंग से सेवारत दिखाकर जयपुर जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरण किया। प्रारम्भिक नियुक्ति से लेकर कार्य मुक्ति अन्तिम वेतन भुगतान पत्र एवं स्थानान्तरण आदि सभी में फर्जी रिकार्ड तैयार कर षडयंत्र से सेवा में प्रवेश लेने का माना। इस हेतु जांच अधिकारी ने तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर को मुख्य अभियुक्त, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) दौसा, उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर एवं संयुक्त निदेशक (प्रारम्भिक) शिक्षा, बीकानेर को उक्त प्रकरण में सहयोगी माना है।

श्री त्रिलोक चन्द मीणा, पुत्र श्री मूल चन्द मीणा, ग्राम पोस्ट गोविन्दगढ़, जिला अलवर को जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर द्वारा दिनांक 20.1.1996 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मयाजलार, जैसलमेर में प्रयोगशाला सहायक तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया। इस प्रकरण में जांच अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), जैसलमेर को फर्जी नियुक्ति के लिए दोषी माना। जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), जैसलमेर ने अपने आदेश दिनांक 22.1.1996 को श्री मुरारीलाल शर्मा को राजकीय माध्यमिक विद्यालय उजला, जिला जैसलमेर में पुस्तकालयाध्यक्ष, तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त किया। जांच के दौरान कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी ने उक्त आदेश उनके कार्यालय से प्रसारित नहीं होना प्रमाणित किया। उन्होंने श्री मुरारीलाल शर्मा का इस पद के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होना एवं न ही नियुक्ति हेतु वरीयता सूची में नाम अंकित होना बताया। इस हेतु तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), जैसलमेर को दोषी माना गया। उपरोक्त जांच बिन्दुओं के अलावा जांच प्रतिवेदन में निम्नांकित आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की गयी :– संदर्भित सारे मूल रेकार्ड को विभिन्न स्त्रोतों से विभाग द्वारा एकत्रित कर

(डा. बी. डी. कल्ला)

एक केन्द्र स्थान पर रखा जाए। आगामी जांच कार्यवाही किसी ऐसी एजेंसी से करवायी जाए जो शिक्षा विभाग से सम्बन्धित न हो, निष्पक्ष हो तथा इस प्रकार के प्रकरणों की जांच करने में अनुभवी हो, साथ ही अधिकृत एवं प्रभावी हो। प्रकरण का गहराई से अन्वेषण प्रारम्भ हो। उक्त बिन्दुओं के परीक्षण में इस प्रकरण में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो से उपरोक्त के विरुद्ध पांच प्रकरण संख्या 26/97 से 30/97 दिनांक 31.1.1997 को दर्ज करवाये गये।

इसके साथ ही विभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कर जांच रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकरण में जांच प्रतिवेदन में वर्णित अधिकारियों तत्कालीन संयुक्त निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), बीकानेर के विरुद्ध सी.सी.ए. 16 में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं उनके अतिरिक्त तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी दौसा, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), जयपुर, तत्कालीन उप निदेशक, जयपुर एवं अन्य के विरुद्ध सी.सी.ए. 17 में कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया है। कोड आफ कंडक्ट में परन्तु शिक्षा विभाग द्वारा 21.8.1998 को प्रकरण संख्या 26/97 से 30/97 के सम्बन्ध में महानिदेशक पुलिस राज्य जयपुर से प्रकरण में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु प्रगति की सूचना चाहने पर अन्वेषण ब्यूरो ने अपने पत्र दिनांक 8.9.1998 द्वारा अवगत कराया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार जो प्रकरण ब्यूरो में अनुसंधानाधीन चल रहा हो उसमें विभागीय स्तर पर जांच नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार अन्वेषण ब्यूरो के उपरोक्त पत्र के अनुसरण में सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय जांच रोक दी गयी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपने पत्र दिनांक 22.5.2001 द्वारा सूचित किया कि प्रकरण संख्या 27/97 से 28/97 तक एवं 30/97 का दिनांक 16.4.2001 को एवं अपराध संख्या 29/97 को दिनांक 25.10.1999 को न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। प्रकरण संख्या 26/97 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर के साथ–साथ श्री अशोक कुमार व श्री विनोद कुमार शर्मा आशार्थी को दोषी माना जाकर चालान पेश किया गया। प्रकरण संख्या 27/97 में जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर एवं जाहिदा बेगम आशार्थी को दोषी पाये जाने पर न्यायालय में चालान पेश किया गया प्रकरण संख्या 28/97 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर एवं श्री मुरारीलाल शर्मा आशार्थी को ही दोषी पाया गया और इनका ही चालान किया गया।

प्रकरण संख्या 29/97 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर एवं श्री त्रिलोक सिंह लाभार्थी के विरुद्ध चालान पेश किया गया। प्रकरण संख्या 30/97 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर एवं श्रीमती विजय लक्ष्मी बिस्वा को दोषी पाये जाने पर न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मुख्य रूप से

(डा. बी. डी. कल्ला)

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर को ही मुख्य आरोपी मानते हुए उनका ही न्यायालय में चालान किया गया तथा शेष विभागीय अधिकारियों को दोषी नहीं माना गया। जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर में विरुद्ध न्यायालय में अभी भी प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में जिन आशार्थियों को फर्जी नियुक्ति प्रदान कर स्थानान्तरण किया गया है और जिनका न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है, उनमें श्री त्रिलोक चन्द, श्री मुरारी लाल शर्मा, श्री अशोक कुमार, श्री विनोद कुमार, सुश्री जाहिदा बेगम एवं विजय- लक्ष्मी बिस्सा की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं।

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या लाभार्थी फर्जी नियुक्त कर्मचारियों के माता-पिता या अन्य रिश्तेदार शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर आज भी कार्यरत हैं? दूसरा, क्या विजय लक्ष्मी बिस्वा के पिता नन्द किशोर रंगा, उप निदेशक, (माध्यमिक), जयपुर में कार्यालय सहायक के पद पर कार्यरत हैं?

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह फर्जी प्रकरण दौसा और जैसलमेर में हुआ और यहां पर जो भी रेकार्ड रहता है वह वहां पर रहता है। शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी की लड़की कहीं कोई लाभान्वित हुई हो, उसको वहां से हटा दिया गया। वह कहीं न कहीं तो काम करेगा। इन दोनों स्थानों पर जहां भी घटना घटित हुई है वहां पर कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : नो डिबेट प्लीज, क्वेश्चन। नो बहस।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शिक्षा मंत्रीजी, आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है, जो जांच अधिकारी ने 6.11.1996 को प्रस्तुत किया है, उसका आपरेटिंग पार्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति प्रदान करें। यह तो इस प्रकरण की समस्या या सामाजिक नासूर का केवल अंश है जो ऊपर उभर कर दिख रहा है। अगर गहराई से जांच की जाए तो शायद पता चलेगा कि अनियमितता एवं फर्जी कार्य इन कार्यालयों में गहरी जड़ जमा चुके हैं। भ्रष्टाचार का ऐसा स्वरूप सामने आएगा जो आंखें खोलने वाला होगा। फर्जी ढंग से नियुक्ति की गयी है, यह उपरोक्त प्रकरण से स्पष्ट है। किसने यह नियुक्ति की, यह आभासित हो रहा है। परन्तु एक मूल प्रश्न यह है कि निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर आर्थिक प्रलोभन से या उच्च अधिकारियों के दबाव से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें दोनों ही तथ्य प्रभावित रहे हैं।

दूसरा इतना बड़ा षडयंत्र जो कई जिलों में फैला है, परते खुलने पर इसका विस्तार और मिल सकता है, मात्र कुछ अधिकारियों से यह सम्भव नहीं है। सम्बन्धित कार्यालयों में कुछ लोग भी अवश्य लिप्त होने चाहिए। आखिर जैसलमेर जिला शिक्षा अधिकारी छात्रा के कार्यालय में फर्जी नियुक्ति पत्र कौन टाइप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करता था? या अलवर, दौसा, जयपुर आदि जिलों के लोगों को जैसलमेर में नियुक्ति के लिए किसने व्यवस्था की थी? इन अधिकारियों के नीचे भी जिला स्तर रेंज स्तर और निदेशालय स्तर पर ऐसे लोगों का पूरा तंत्र फैला हुआ है जो इन कार्यालयों में लिप्त हैं। अनौपचारिक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को यह भी बताया गया कि कुछ लोक सेवा के प्रत्याशी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो इनके पास है। आप क्या पूछना चाहते हो जो पूछ लो ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो जांचकर्त्ता है उस जांचकर्त्ता ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर, मंत्रीजी, यह भी कहा है कि यह बहुत बड़ा रैकेट है और इसके मामले में उसने लिखा है कि आगामी जांच की कार्यवाही किसी ऐसी एजेंसी से करायी जाए जो शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं हो, निष्पक्ष हो, इस प्रकार के प्रकरणों की जांच करने में अनुभवी हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब यह कह रहा है कि शिक्षा विभाग के अलावा किसी से जांच करायी जाए तो आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है?

माननीय सदस्य ने जब यह कहा कि जो–जो लोग लाभान्वित हुए, उनके पिता या उनके निकट के सम्बन्धी क्या आज की तारीख में आपके विभाग में कार्यरत हैं, तो आपने अभी खड़े होकर फट कह दिया, कहीं तो कार्यरत रहेंगे। जांच रिपोर्ट यह इंगित करती है, शिक्षा विभाग में जिसके लिये वह कह रहे हैं कि वह कहीं न कहीं काम करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लेना, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह अपनी बच्ची, बच्चे के साथ खुद गये हैं और वह इसमें लिप्त रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं, क्या यह सही है...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : खुद ही बिराजे हुए हैं, बता दें। उनके समय के यह सारे केसेज हैं, यह धंधा बना रखा था वहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रकरण संख्या 29/97 में जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई है त्रिलोक चन्द मीणा के खिलाफ और उनकी फर्जी नियुक्ति का मामला है, क्या यह सही है कि उनके पिता मूलचन्द मीणा आपके यहां पर उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर में कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि विजय लक्ष्मी बिस्सा के पिता नन्दकिशोर रंगा, जांच रिपोर्ट में साफ जांच अधिकारी ने लिखा है कि नन्दकिशोर रंगा अपनी पुत्री विजय लक्ष्मी बिस्सा के साथ जैसलमेर में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में खुद आये। यह जांच से स्पष्ट है तो क्या कारण है कि आज वही कार्यालय सहायक शिक्षा निदेशक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माध्यमिक, जयपुर में संस्थापन जैसी जगह पर हैं? आप एक तरफ यह कह रहे हो कि आरोपियों को कहीं हम ऐसी जगह पर लगाएंगे, यह एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। आप क्यों इनको बचाना चाहते हो और आपका इनसे क्या सम्बन्ध है?

डा. बी. डी. कल्ला : मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या यह सही है कि यह बंधु आपके निजी सचिव भी रहे हैं? आपके कार्यालय में इन्होंने काम किया है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें।

डा. बी. डी. कल्ला : नहीं। निजी सचिव नहीं रहे।

डा. करण सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इनमें से एक यादव भी है जिसका चाचा मैं हूं। यह क्या बात हुई? रिश्तेदारों को बैठकर फांसी पर चढ़ा देवें? जिनके राज-काज में यह काम हुआ वह तो...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, इनको बोलने दीजिये। माननीय करण सिंहजी, इनको दीजिये। लैट हिम रिप्लाई।

डा. बी. डी. कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच निष्कर्ष के आधार पर ही ए.सी.डी. को उस समय यह सारा काम सौंपा गया। ए.सी.डी. ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें प्रकरण संख्या 26/97 में श्री रामकिशोर खंगारोत, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर, श्री अशोक कुमार एवं श्री विनोद कुमार शर्मा को दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध चालान पेश करने का निर्णय लिया गया और तमाम लोगों को सर्विस से हटा दिया गया। जब घटना दौसा और जैसलमेर में घटित हुई, इनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति वहां पोस्टेड नहीं है, इसलिये कहीं पर रेकार्ड को खुर्दबुर्द करने का कोई सवाल ही नहीं है। सारे मामलों में चालान पेश कर दिया गया है, यह मैंने सदन के सामने बता दिया। अब जो कोर्ट आदेश देगा उसके अनुसार कार्यवाही कर देंगे और जिन जिन के खिलाफ दोष पाया जाएगा उसको बिलकुल सख्त से सख्त हम सजा देंगे, यह मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) **:** उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में आपने सदन में अब तक जो जवाब दिये हैं उन जवाबों को मैं पढ़ना चाह रहा हूं। यह प्रश्न था 26.4.2000 का जो विधान सभा में माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र गोयल ने पूछा था। उसमें था, क्या शिक्षा उप निदेशक, जयपुर के कार्यालय में जैसलमेर कांड के सम्बन्धित फर्जी स्थानान्तरण नियुक्ति में लिप्त तथाकथित कर्मचारियों के माता-पिता संस्थापन शाखा कार्यालय में कार्यरत हैं? यदि हां, तो नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। इसका जवाब आपने दिया, जी नहीं। जैसलमेर फर्जी नियुक्ति काण्ड में दोषी पाये गये कोई भी लोक सेवक, अपने परिवार के सदस्य वर्तमान में शिक्षा निदेशक माध्यमिक जयपुर कार्यालय में पदस्थापित नहीं हैं। यह प्रश्न का जवाब ही काफी है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दूसरा, समय-समय पर इसी प्रकार का जवाब जब भी पूछा, तब आपने दिया। आपने पिछले एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी इसी प्रकार जवाब दिया था जो हमें बाद में मिला, क्योंकि हाउस में तो आया नहीं था। जांच अधिकारी ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट में फर्जी तरीके से नियुक्ति प्राप्त तथाकथित कर्मचारियों के माता-पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत होने का कोई तथ्य उजागर नहीं किया तथा न ही विभाग में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई। इसका मतलब आप यह डिनाई कर रहे। यह आपका जांच प्रतिवेदन है जिससे इनको दोषी माना है, इसको मैं पढ़ता हूं। अपने आपको ऐसे गलत काम करने के लिये क्यों प्रेरित हो रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

जांच का जो दूसरा पाइंट है श्रीमती विजय लक्ष्मी और सुश्री जाहिदा बेगम की फर्ज़ी नियुक्ति के सम्बन्ध में, यह जांच का बिन्दु है। इस प्रकार का सार रूप जयपुर, दौसा क्षेत्र में श्रीमती विजय लक्ष्मी बिस्सा को मार्च, 1996 में गलत ढंग से जैसलमेर जिले में नियुक्त किया गया। जहां एक दिन भी जाइन नहीं किया, फिर अनुपस्थित रहीं और तीन महीने के बाद जून में उसको वांछित स्थान दौसा लगा दिया गया। इसमें जांच का जो उन्होंने सार दिया, निम्नप्रकार है–जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), जैसलमेर के आदेश संख्या जैसलमेर 22.3.1996 द्वारा एक आदेश प्रसारित किया गया जिसमें विजय लक्ष्मी बिस्सा, पिता श्री नन्द किशोर रंगा की जैसलमेर में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति की गयी। इस नियुक्ति के सन्दर्भ में इन्होंने कई पाइंट बताये हैं कि कहीं इसका मैरिट लिस्ट में नाम नहीं, कहीं उसका वहां दर्ज नहीं। इसमें छठे पाइंट पर उन्होंने लिखा है, इसको आप पढ़िये। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भियाणा, जिला जैसलमेर की प्रधानाध्यापिका ने जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) संस्था जैसलमेर को लिखे गये अपने पत्र दिनांक 21.9.1996 में यह स्पष्ट किया है कि श्रीमती विजय लक्ष्मी बिस्सा के आदेश डाक से प्राप्त नहीं हुए थे। उसके पिताजी भी साथ आये थे। साथ में नियुक्ति पत्र लेकर दिया और दूरभाष पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री खंगारोत ने उसके कार्य भार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया है। यह उस हैड मिस्ट्रेस ने कहा कि मुझे आकर हाथों हाथ लिफाफा दिया और डी.ओ. ने कहा, दो। नन्द किशोर रंगा स्वयं गया। और प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप हमेशा इसको डिनाई कर रहे हैं। स्वयं ने जाकर नियुक्ति पत्र दिया और यह नियुक्ति प्राप्त की यह सच है या नहीं?

त्रिलोक चन्द मीणा है, आप क्यों सच को छिपाते हो, जब जांच हो चुकी है, प्रमाणित हो गया, उसे जबरदस्ती आप छिपाने के लिये इतने सालों से प्रयास क्यों कर रहे हैं? त्रिलोक चन्द मीणा प्रयोगशाला सहायक पद पर फर्जी नियुक्ति 21.1.1996 को जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से आदेश क्रमांक..... प्रसारित हुआ जिसमें त्रिलोक चन्द मीणा, पुत्र श्री मूलचन्द मीणा, गोविन्दगढ़, जिला अलवर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जैसलमेर में प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति दी जाती है। इस नियुक्ति के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने की अवधि 5.2.1996 को जाइन किया। फिर उसके बाद उक्त सन्दर्भित नियुक्ति अवधि में शिथिलता देवें। दोनों आदेशों के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर ने प्रमाणित किया कि ये आदेश इस कार्यालय से प्रसारित नहीं हुए। त्रिलोक चन्द मीणा का नाम 1995-96 के प्रयोगशाला सहायक पद पर तैयार की गयी वरीयता सूची में नहीं है। इसका नाम साक्षात्कार देने वालों की सूची में भी नहीं है। इस प्रकार यह त्रिलोक चन्द मीणा, जो आपका डी.डी. काम कर रहा है उसका लड़का है, मूलचन्द मीणा का जो अभी डिप्टी डायरेक्टर का काम कर रहा है।

इसी तरह से श्री रज्जाक जो उस समय जोइंट डायरेक्टर था, उसकी भतीजी जाहिदा, वह भी इस तरह सारे के सारे डाकूमेंट में है। लगातार, जब से यह प्रकरण चला तब से लेकर विभिन्न तरीकों से प्रयास कर रहे हैं, पर आपका विभाग हमेशा, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मैंने आपको उत्तर बताया, मुख्य मंत्रीजी को भी मैंने चिट्ठी लिखी थी। मुख्य मंत्रीजी की चिट्ठी आपको सुनकर और देखकर हैरानियत होगी, इसका किस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं। मेरा पत्र था 15.11.2000 का, मुख्य मंत्रीजी का था, श्री कटारियाजी, जैसलमेर जिले में 1995-96 में शिक्षा विभाग के कई पदों पर फर्जी नियुक्ति होने के सम्बन्ध में आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन सचिव, शिक्षा विभाग को भेज रहा हूं। शिक्षा विभाग का शासन क्या जवाब देता है? मुझे जो पत्र आया है उनका, जहां तक तथाकथित कर्मचारियों के माता-पिता अथवा निकटतम रिश्तेदारों का शिक्षा विभाग जयपुर मण्डल में विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित होने का प्रश्न है, जैसलमेर फर्जी डिग्री प्रकरण को अंजाम देने में ऐसे किसी भी लोक सेवक एवं परिवार के सदस्य का शिक्षा उप निदेशक में पदस्थापन नहीं है। यह आप जवाब दे रहे हैं। हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं और आपकी जांच रिपोर्ट में यह प्रमाणित है कि ये उनके ही परिवार के हैं और रंगा तो स्वयं उस स्कूल में जाइन कराने के लिये लैटर भी स्वयं लेकर गये जो वहां की संस्था प्रधान ने बताया। डी. ओ. ने टेलीफोन किया कि इसको जाइन कराओ। ये सारे प्रकरण प्रमाणित हैं, फिर हम पता नहीं क्यों इस मानसिकता के हैं कि कोई गलती है तो उस गलती को दबाना है? चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे परिवार का कोई मामला हो, हम उन लोगों को क्यों बचाना चाहते हैं? और वे आज भी उस नौकरी पर हैं। यह बात प्रमाणित है, कई लोग हैं, और भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन ये तीन तो प्रमाणित हैं, जो डाकूमेंट हैं, जो आपके द्वारा दिये हुए हैं, उन पर ही प्रूव है और आपका विभाग यह कहता है कि हमें मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता ने स्वयं अपने कार्यकाल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराई, उसके बाद में आपने स्वयं ने ए.सी.डी. में मामला भेजा। ए.सी.डी. ने जो आपको पत्र भेजा है मैं उसको पढ़कर सुना सकता हूं। आपको उसकी कापी दे सकता हूं। उन्होंने इस प्रकरण में केवल मात्र मुख्य दोषी श्री खंगार, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर को माना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। यह कोई बहस का विषय नहीं है। इन्होंने सीधी-सी बात कही कि जिन लोगों को जाइन कराया उनके रिश्तेदार सर्विस में हैं। प्लस आपके इंस्पेक्टर ने टेलीफोन किया कि नहीं किया। इसका जवाब दे दें, चाहे तो उसकी इंक्वायरी करवा लें। इन्होंने नहीं किया तो आप करवा दो।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, कई प्रश्न उठाये हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : इतना ही बता दें न।

डा. बी. डी. कल्ला : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने ही इंक्वायरी ए.सी.डी. को दी थी और ए.सी.डी. ने कहा कि यह खंगार केवल दोषी है। खंगार का कोई रिश्तेदार शिक्षा विभाग में लगा हुआ नहीं है। हमने विधान सभा को सही जवाब दिया है क्योंकि ए.सी.डी. ने हमको रिपोर्ट दी है कि इस प्रकरण में खंगार दोषी है या जिन्होंने नियुक्तियां ली हैं वे दोषी हैं। उन सबको हटा दिया गया है। जिन लोगों को एवं इनीशियों रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से नियुक्ति दी थी उनको हटा दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : एक तो मीणा, एक विजयलक्ष्मी या क्या नाम आया है?

डा. बी. डी. कल्ला : विजयलक्ष्मी को हटा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मीणा को?

डा. बी. डी. कल्ला : ऐसा है, मीणा के बारे में जो इन्होंने मुझे तथ्य दिये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताएं कि मीणा के लड़के ने वहां पर फर्जी नियुक्ति प्राप्त की, उसको हटा दिया। अब यह कह रहे हैं कि मीणा के पिता के खिलाफ एक्शन लो। लाभान्वित के पिता के खिलाफ एक्शन लो। अपराध किसी ने किया है और अपराधी के पिता के खिलाफ एक्शन लें, यह क्या उचित है? और उनको भी हमने दौसा या जैसलमेर नहीं रखा है... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, जो आदेश जारी हुए हैं... (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : एक मिनट, लैट मी कम्प्लीट फर्स्ट। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी जांच रिपोर्ट में रंगा ने स्वयं ने जाकर उसकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
बच्ची को उस दिन जाइन कराया कि नहीं?

डा. बी. डी. कल्ला : ए.सी.डी. को जांच रिपोर्ट आपने दी थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह आपकी जांच रिपोर्ट में है।

डा. बी. डी. कल्ला : वह जांच रिपोर्ट खतम हो गयी क्योंकि आपने ए.सी.डी. को मामला दे दिया, और ए.सी.डी. की जांच फाइनल हैं (व्यवधान) जिसके आधार पर चालान हुआ है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह जांच ऐसे समाप्त नहीं हुई। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सारा कबाड़ा इनके वक्त में हुआ, सबको हटा दिया गया, ए.सी.डी. में जांच इन्होंने दी। ए.सी.डी. ने जिन लोगों को दोषी पाया, उन्हें चालान कर दिया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कबाड़ा तो, ए.सी.डी. में भी हमने भेजा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. बी.डी. कल्ला : मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी दी उसके लिये हमने निदेशक को पत्र लिखकर...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मंत्री परसादी लाल जी मीणा ने केवल सही उत्तर दिया है और बाकी यह सब घुमाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मूलचन्द मीणा के अधीनस्थ कार्यालय से ही समस्त स्थानान्तरण आदेश जारी हुए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। श्री हीरालाल जी देवपुरा। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : उन्हीं के अधीनस्थ कार्यालय से ही समस्त स्थानान्तरण के आदेश जारी हुए हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि रंगा जो इनके दफ्तर में है, उसने जाकर स्वयं जाइन कराया। अब जो ए.सी.डी. की रिपोर्ट है जिसको आप आधार बना रहे हो क्या रंगा ने जाकर उसकी बच्ची को स्वयं ने साथ लेकर एक दिन जाइन कराकर ट्रांसफर नहीं कराया, जो फर्जी नियुक्ति निकली?

डा. बी. डी. कल्ला : ए.सी.डी. ने ऐसी कोई रिपोर्ट हमको नहीं दी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अच्छा, अब आप ए.सी.डी. की रिपोर्ट पढ़ दें। जिन बिन्दुओं पर यह सारी की सारी जांच हुई, प्रत्येक बिन्दुवाइज बता दीजिये कि इसमें यह हुआ, इसमें यह हुआ। यह डिटेल हुआ। यह पढ़ दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, माननीय विपक्ष के नेता महोदय, बिराजें प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर मान लो इतने तथ्य प्रमाणित हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई एण्ड नहीं है। जब डिमाण्ड आएगी उस पर फिर बोल लेना...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, सारा परपज खतम हो जाएगा, इतना सब करने के बाद, तथ्य आने के बाद भी अगर सरकार इनको बचाने का काम करेगी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डिमाण्ड आ जाएगी तब बोल लेना। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं तो चाहता हूं कि ए.सी.डी. की जो रिपोर्ट आपको आयी है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इससे बड़ा गम्भीर मैटर और क्या हो...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विजय लक्ष्मी के बारे में ए.सी.डी. क्या कहती हैं, त्रिलोक चन्द के बारे में क्या कहती है, फलां के बारे में ए.सी.डी. क्या कहती है, पाइंटवाइज अगर आपके पास हो तो रिपोर्ट पढ़ दो कि ए.सी.डी. ने उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। ए.सी.डी. ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका क्या लेना-देना है? आप तो बैठो न। (व्यवधान) आपका का लेना-देना है?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये, माननीय सदस्य।

डा करण सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इनके जमाने के सारे किये हैं, सबको हटा दो। (व्यवधान) इनके जितने रिश्तेदार हैं सबको हटा दो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल में एक मंत्री है जिसने सही ढंग से जवाब दिया है और एडमिट किया है कि कोई गड़बड़ी है तो, श्री परसादी लाल जी मीणा और बाकी बी.डी. कल्ला साहब के पास घुमाने के अलावा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

डा. बी.डी. कल्ला : ये सब नियुक्तियां आपके कार्यकाल में हुई हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसने की हैं। उसका हम कह रहे हैं न। कार्यकाल क्या होता है, हमने एंटी करप्शन को दिया। कार्यकाल क्या होता है? (व्यवधान) अब तक पांच साल से बी.जे.पी. को +++ (व्यवधान) कार्यकाल क्या होता है?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, खतम करें। ऐसे नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। (व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में एक महत्वपूर्ण विषय आया है और जो इसमें अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, जिसने खुद अपनी लड़की को ले जाकर जाइन कराया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें प्लीज। हो गयी न बात।

डा. बी. डी. कल्ला : मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और हमने उसकी लड़की का चालान किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

डा. बी. डी. कल्ला : हमने उसकी लड़की का चालान किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवपुरा जी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप समझने की कोशिश कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

डा. बी. डी. कल्ला : भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जिन अधिकारियों को दोषी बताया है, उनका कोई रिश्तेदार जयपुर में पोस्टेड नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

डा. बी. डी. कल्ला : भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जिन अधिकारियों को दोषी बताया है, उनको कोई रिश्तेदार जयपुर में पोस्टेड नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

डा. बी.डी. कल्ला : डिप्टी सैक्रेटरी की रिपोर्ट को आपने स्वयं ने खारिज कर दिया, आपने ए.सी.डी. में दिया, और ए.सी.डी. ने जिनको दोषी माना है, उनका कोई रिश्तेदार यहां पर नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, देवपुरा साहब। 131 में बहुत क्लियर पोजिशन है। मैंने तो आपको इसलिए बोलने दिया कि आप विपक्ष के नेता हो, बाकी 131 के रूल्स में न तो आप बोल सकते हैं न कोई बोल सकता है, सिवाय इन दोनों के कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है। इसके बाद भी चूंकि आप विपक्ष के नेता हैं, आपको अवसर दे दिया, उन्होंने जवाब दे दिया। इसका कोई एण्ड ही नहीं है। कोई एण्ड तो होगा न? (व्यवधान) प्लीज। माननीय देवपुरा साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिया न आपने। माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवपुरा साहब।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति "ख" का प्रतिवेदन (क्रम संख्या–13 से 15)

श्री हीरालाल देवपुरा (सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख') : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति "ख" 2002–2003 के तीन प्रतिवेदन (क्रम संख्या–13, 14 व 15) उपस्थापित करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 11 मार्च, 2003 को राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1), 231(1) सहपठित नियम 232(1), 233–ख(1) द्वारा...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : इतने लोगों को बुलवा दिया सारे ही बोलेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : मैं संतुष्ट हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? (व्यवधान) मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, आपने सब सुन लिया। मैंने मंत्रीजी को कह दिया कि आप इसमें और कोई कार्यवाही करना चाहते हैं तो कर दीजिये। यह कार्यवाही करनी होगी तो कर लेंगे, और क्या होगा?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

डा. बी. डी. कल्ला : मैं किसी बेईमान को बचाने के लिए यहां पर नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

डा. बी. डी. कल्ला : कोई सवाल ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

डा. बी. डी. कल्ला : कोई बचाने के लिए नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको कहें कि बेईमान हैं, वह कहें कि बेइमान नहीं हैं तो उसका कहीं एण्ड नहीं होगा। हरिसिंह जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री हरिसिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 11

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिसिंह)

मार्च, 2003 को राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1), 231(1), सहपठित नियम 232(1), 233(खा)(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति "क", प्राक्कलन समिति "ख" व राजकीय उपक्रम समिति, 2003–2004 प्रत्येक के लिये 15–15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231(1) सहपठित नियम 232(1), 233(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाये, जितना सभा में उनकी सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

आय–व्ययक अनुमान पर चर्चा

श्रीमती बीना काक।

श्रीमती बीना काक (वन राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 9–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को संमाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई नहीं बोलेगा। आप बोलिए। नैक्स्ट बिजनस काल अपान कर लिया है। आप बिराजिए प्लीज।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री धारीवालजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न जांच का।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (पर्यटन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 47–पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,08,08,000/– (रुपये सत्रह करोड़, आठ लाख, आठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। आप बैठिये।

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो तो सही। माननीय मंत्रीजी, इन्होंने कहा है, जो कुछ कहा है उसकी दुबारा जांच करवा लो, उसमें क्या बात है?

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने...

श्री उपाध्यक्ष : जहां जिस स्टेज पर है, उस पर जांच करवा लो। भ्रष्टाचार विभाग से है तो वहां से करवा लो।

डा. बी. डी. कल्ला : इन्होंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को जो चिट्ठी लिखी है उसके आधार पर डाइरेक्टर को लिख दिया गया है, जो आएगा उसके अनुसार कार्यवाही कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हो गई, आप बिराजिए प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री हीरासिंह चौहान : xxx

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसको डिप्टी सैक्रेटरी से जांच करवा लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बस, बात खतम हो गई।

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

डा. बी. डी. कल्ला : मैं स्वयं भी देख लूंगा, मैं स्वयं देख लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, बोल दिया मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : बोल दिया?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, हुजूर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

श्री मदन दिलावर : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। क्या है यह? यह कोई मतलब है क्या? नहीं करना चाहते हैं तो मत करो? यह क्या है?

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्रीमती सुमित्रा सिंह : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपसे विनम्र शब्दों में यह बात निवेदन कर रहा हूं कि हाउस को आर्डर में चलने दीजिए। नहीं चलाना चाहते हो तो वैसे बताओ। मेरे पास कोई दूसरा आप्शन नहीं है, मैं अभी डिमाण्ड को पास करवा दूंगा। क्या करूं मैं?

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : एक खड़ा हो गया, दूसरा खड़ा हो गया, तीसरा खड़ा हो गया, चौथा खड़ा हो गया, इस तरह नहीं होगा। आप भी उनके साथ लग रहे हो?

श्री हीरासिंह चौहान : xxx

श्री उपाध्यक्ष : मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं, रिपीटेडली मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर चुका हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी होती है तो इजाजत लेकर चेयर से पहले फिर बोलते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे से स्वीकृति लेकर ही बोलें। यह तो सम्भव है ना। बिराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) **:** xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरी परिस्थिति को समझिए।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर खड़े हो गये?

श्री हीरासिंह चौहान : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसा करेंगे तो मैं डिमाण्ड पास करवा दूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे, फिर वे बोलेंगे। ऐसे थोड़े ही होता है। इसका अंत नहीं है। आप बिराजिए प्लीज। (व्यवधान) मैं फिर रिपीटेडली निवेदन कर रहा हूं कि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे तो मुझसे स्वीकृति लेवें। (व्यवधान) आप बैठिए प्लीज। वह नहीं खड़े हों उससे पहले तो आपके चार खड़े हो जाते हैं, किसको स्वीकृति दूं? आप तेरह दफे खड़े हो गये, आप कह रहे हो कि कोई खड़ा नहीं होता। यह खड़े हो गये, वह खड़े हो गये, वह खड़े हो गये, स्वीकृति किसको दूं? आफ्टरआल हाउस चल रहा है, हाउस के तरीके से, आई एम हियर टू अलाउ यू टू स्पीक।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : यह फिर बोल गये। बिराजिए। व्हाट इज द एण्ड आफ दिस? आप क्या कहना चाहते हैं, दिलावरजी, बोलिए। सीधी–सी बात है, इसमें क्या अड़चन है?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सांगोद कस्बा दो दिन से लगातार बंद है और इस बात को लेकर बंद है कि वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस निकाल कर भारत को अपमानित करने का प्रयास किया...

श्री उपाध्यक्ष : इस पर तो कल बोल चुके हैं पर्ची पर।

श्री मदन दिलावर : आप मेरा निवेदन सुने।

श्री उपाध्यक्ष : बोल गए न पर्ची पर, कल बोल गए न आप पर्ची पर?

श्री मदन दिलावर : भूमिका नहीं, माननीय आप एक मिनट सुनिए। मेरा निवेदन यह था कि दो दिन से लगातार हमारा सांगोद बंद है और पुलिस का, सरकार का दबाव बन रहा है कि वहां जो लोग भारत माता की जय बोले, क्योंकि निश्चित रूप से यह आन्दोलन हो रहा है तो भारत माता की जय ही बोलते होंगे, भारत माता की जय बोले, हिन्दुस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाएं तो उनको गिरफ्तार कर लो।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) **:** xxx

श्री मदन दिलावर : हिन्दुस्तान जिन्दाबाद और भारत माता की जय बोलने वालों को निरन्तर पुलिस गिरफ्तार कर रही है, राष्ट्रद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है अभी तक, यह मेरा निवेदन है। इसलिए देशभक्तों की गिरफ्तारी को रोका जाए, उन पर झूठे मुकदमे लगाकर षड्यंत्र रचा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। श्री ललितजी भाटी।

श्री हेमन्त कुमार : xxx

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्षजी, माननीय वन मंत्री ने अपना आधा ही पढ़ा था, कितने रुपये की मांग है वह नहीं पढ़ पाई थीं। वह बता दें कृपया कि वह कितने की थी, एक बार खड़ा करके उनसे बतवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रही हैं आप?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मांग नहीं रखी उन्होंने, अपनी पूरी मांग नहीं रखी है उन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पूरा सुनाई नहीं दिया, फिर बोल देते हैं। साधारण–सी बात है, इसमें क्या है? वन मंत्रीजी।

श्रीमती बीना काक (वन राज्य मंत्री) **:** आप सुनना ही नहीं चाहते थे।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती बीना काक)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 9-वन की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,02,91,81,000/- (दो अरब, दो करोड़, इक्यानवे लाख, इक्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या-9 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-9 मुख्य शीर्षक वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया गया, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री अमीन खान (शिव) :

1. विभाग द्वारा बाड़मेर जिले के डेजर्ट नेशनल पार्क के एरिया को कम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
2. बाड़मेर जिले की तहसील शिव के गांव, पीपरली की गोचर भूमि में डेजर्ट नेशनल पार्क होने से ग्रामीणों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।
3. रेगिस्तानी सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर में डी.डी.पी. का कार्यक्रम विभाग को देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. रेगिस्तानी जिलों में किसानों को खेतों के लिये पेड़ निःशुल्क दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

5. वन विभाग द्वारा रेगिस्तानी जिलों यथा-बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर एवं जोधपुर में वन विकास के कार्यों में शिथिलता बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

6. राज्य में वन क्षेत्र में अवैध खनन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. राज्य में वन-जीव सलाहकार मण्डल के कार्यकाल समाप्त होने के कारण उसका पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. राज्य में घटते हुए वन क्षेत्रफल पर चर्चा के लिये।
9. वन विभाग टौंक द्वारा वर्ष 1998 से 2000 तक वन भूमियों पर से हटाये गये अतिक्रमणों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) :

10. विधान सभा क्षेत्र में बागीदौरा के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर वृक्षारोपण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) :

11. हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पगारा बांध,

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

ग्रा.पं. डाबेटा के विस्तारी बांध पर वन विभाग की रोक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र की पगारा ग्राम पंचायत के ग्राम हुंआलिया प्रधानमंत्री सड़क योजना पर वन विभाग द्वारा लगायी गई रोक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के बसौली बांध पर वन विभाग द्वारा लगायी गई रोक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खीनियां के ग्रामवासियों को वन विभाग द्वारा नाजायज परेशान करने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

15. विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ों की निगरानी नहीं रखने के कारण पेड़ों को नष्ट होने से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विभाग द्वारा ग्राम मणु तहसील लाडनूं में आबंटित भूमि पर तारबन्दी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. ग्राम निम्बीजोधां तहसील लाडनूं जिला नागौर में पाडोलाईनाडी के आंगोर में अलाट की गई भूमि से वन विभाग द्वारा क्रय भूमि पर तारबन्दी करने पर चर्चा के लिये।

18. विभाग में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

19. भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सहित अनेक अधिकारियों के विरुद्ध लम्बे समय से वित्तीय अनियमितताओं के लम्बित प्रकरणों को निपटारा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. प्रदूषण नियंन्त्रण मण्डल द्वारा लम्बित प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. वन विभाग द्वारा वन विभाग की अभिरक्षा में रह रहे पशुओं के भोजन की राशि में बढ़ोतरी नही करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. वन क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. वन विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पूर्व की स्थापित आरा मशीनों को भी नाजायज तरीके से बंद करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) :

24. वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अरुण सिंह (डीग) :

25. वन विभाग के अधीन तहसील जमवारामगढ़, जयपुर की भूमि खसरा नम्बर-62 के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

26. रणथम्भौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर में शेरों की संख्या की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) :

27. राज्य में वन्य जीव पशुओं को (वर्षा न होने के कारण) पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. स्थानीय जंगली पेड़ों को ज्यूली फ्लोरा (विदेशी बबूल) के अधिक फैलने से बचा कर इनकी वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. राज्य में वन विभाग द्वारा अवैध आरा मशीनों पर रोक लगाने व उन पर सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. राज्य में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमणों को हटाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर) :

31. विभाग द्वारा अजमेर शहर के चारों तरफ की पहाड़ियों पर वनों का विकास करने की कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विभाग द्वारा अजमेर नगर परिषद् के सीमा क्षेत्र में वन भूमि पर वर्षों से बसे हुए लोगों के मकानों व व्यावसायिक उपयोग में ली जा रही कब्जे वाली जमीन के नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. अजमेर नगर परिषद् सीमा क्षेत्र में आने वाली वन भूमि का कुल क्षेत्रफल की भूमि के बराबर वन विकास हेतु अन्यत्र भूमि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

34. वन विभाग द्वारा बालवाड़ की पहाड़ी से गरीब मजदूर व किसान को अपने रिहायशी मकान बनाने हेतु पत्थर लाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :

35. वन विभाग द्वारा दर्शाये गये वृक्षारोपण के आंकड़ों की विश्वसनियता पर चर्चा के लिये।

36. राजस्थान की भूमि, जलवायु एवं अपर्याप्त जल आपूर्ति को आधार मानकर उसके अनुसार वृक्षारोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) :

37. विभाग द्वारा वन्य जीवों को पेयजल मुहैया करवाये जाने हेतु गोचर एवं ओरा भूमियों में ट्यूबवैल व टांकों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) :

38. विभाग द्वारा वन्य जीवों हेतु छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में छीपाबड़ोद की बालाजी की डूंगरी का एनीकट को और बड़ा बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम घट्टी तहसील-छबड़ा में कुछ लोगों द्वारा वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा एनीकट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. वन विभाग द्वारा छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अल्प कार्य करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. विभाग द्वारा छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में प्लांटेशन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

43. जिला टौंक के वन अधिकारियों के खिलाफ लम्बित कार्यवाहियों पर अग्रिम कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. वन विभाग द्वारा कर्मचारियों को सरप्लस करके हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. वन विभाग, सीकर में वाटर सेंड प्रोग्राम एवं पौधों हेतु दवाई खरीद में हुए घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. राज्य में वन विभाग द्वारा तेन्दुपत्ता की नीलामी नहीं करने से हुई आर्थिक हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. पंचायत समिति धोद, जिला-सीकर में सरकार द्वारा अलाट भूमि पर वन विभाग द्वारा अनावश्यक वाद दायर कर बाधा उत्पन्न करने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

48. विभाग द्वारा चूरू जिले में वर्ष 2001-2002 में वृक्षारोपण में हुई कथित अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) :

49. राजस्थान में हो रही वनों की अवैध कटाई पर चर्चा के लिये।

50. विभाग द्वारा खारची विधान सभा के अरावली क्षेत्र में वन्यजीवों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. पाली जिले में वर्ष 2001-2002 में वृक्षारोपण कार्यों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. विभाग द्वारा खारची विधान सभा क्षेत्र के अन्दर केन्द्रीय योजना की राशि का समुचित उपयोग नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. विभाग द्वारा खारची विधान सभा क्षेत्र

(श्री केसाराम चौधरी)

के अरावली वन क्षेत्र में एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

54. सन् 1962 से पूर्व वन अभ्यारण कानूजा के आसन-जिलेलाव के बीच 2 से 3 किलोमीटर तक की सड़क मार्ग के रखरखाव पर चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा कानूजा, कासवकलां, खोडिया, बगडी, कोट किराणा, बीजागुड़ा पंचायत क्षेत्रों के वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में जंगली जानवरों की सुरक्षा व पेयजल के लिये छोटे-छोटे एनीकटों के निर्माण कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विभाग द्वारा वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र की ग्राम पंचायत समिति में पाली उप वन कार्यालय द्वारा अवैध आरा मशीन की अनुज्ञा जारी करने एवं जंगली लकड़ियों को सीज न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. बगड़ी तहसील, रायपुर के वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र में सम्भावित आरा मशीन चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. विभाग द्वारा झेवला माला वन क्षेत्र कानूजा व चकदीपावास वन क्षेत्र उपवन कार्यालय क्षेत्र पाली में जंगली जानवरों हेतु एनीकट नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

59. हनुमानगढ़ जिले में वन विभाग की लकड़ियों की अवैध कटाई को रोकने हेतु सार्थक कदम उठाने एवं नर्सरियों में किसानों को लाभदायक एवं फलदायक पौधे उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विभाग द्वारा हनुमानगढ़ जिले में पुराने आवेदन किए हुए व्यक्तियों को आरा मशीनों का लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. भादरा क्षेत्र में वन विभाग की जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमणों को हटवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. भादरा क्षेत्र में कई स्थानों पर आबादी भूमि, सार्वजनिक संस्थाओं एवं काश्तकारों की कृषि भूमियों को वन विभाग के नाम गलती से दर्ज हुए इन्तकालों की निरस्त करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र भादरा में वन विभाग की सूखी लकड़ियों हेतु बिक्री केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :

64. विभाग द्वारा जैसलमेर जिले की विभिन्न वनीकरण योजनाओं के एकीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विभाग द्वारा विलायती बबूल की पौध को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) :

66. वन विभाग में उच्च प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण राज्यकोष को हो रही हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रभूलाल करसोल्या (नैनवां) :

67. विधान सभा क्षेत्र नैनवां में वन विभाग द्वारा निर्मित अपूर्ण एनीकटों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

68. सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण में घटती वन्य जीव संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र में वन्य जीवों हेतु जल व्यवस्था की आवयश्कता पर चर्चा के लिये।

70. विभाग द्वारा अरावली क्षेत्र में पेड़ों को लगाने के आंकड़े प्रस्तुत करने के अनुपात में पेड़ न लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. विभाग द्वारा अलवर जिले के घाट खूंटेटा वन क्षेत्र में अवैध खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

72. वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा जिला जयपुर में नियम विरुद्ध रेस्ट हाउस बनाकर की गई फिजूल खर्चे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. विभाग द्वारा राज्य के अरावली क्षेत्र में केन्द्रीय योजना से स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. विभाग द्वारा चूरू कस्बे में वन विभाग की आरक्षित भूमि में चराई हेतु समय पर नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. चूरू तहसील में डी.डी.पी. योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण वर्ष 2000-01 में हुई कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) :

76. राज्य में आरा मशीनों के रजिस्ट्रेशन हेतु विभाग द्वारा भारत सरकार को अनुशंसा नहीं भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. राज्य की वन सम्पदा से गांवों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. वन विभाग द्वारा बिना कारण आरा मशीनों को संचालित किये जाने वाले व्यक्तियों को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये

79. राज्य में जंगली जानवरों के लिए वन विभाग द्वारा पेयजल की व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वन विभाग में आने वाले गांवों

(श्री कन्हैया लाल)

की सूची तैयार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) :

81. विभाग द्वारा धवला, जागनाथजी की पहाड़ियों में वृक्षों की दयनीय हालत सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विभाग द्वारा राज्य में प्रत्येक पंचायत में स्थिति गोचर, ओरण, नाडी, सरकारी जमीन में वृक्ष लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. वन विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ों की सुरक्षा के लिये जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विभाग द्वारा वृक्ष रहित पहाड़ी पर वृक्ष लगाने की योजना बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विभाग द्वारा जिला जालौर में पहाड़ों पर लगाये गये वृक्षों की नियमित देखभाल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) :

86. राष्ट्रीय राजमार्गों पर से काटे गये वृक्षों के एवज में वन विभाग द्वारा प्राप्त मुआवजे की राशि से अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण में लापरवाही बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. राज्य में वन्य जीवों के शिकारियों से मुकाबला करते समय मारे जाने वाले वन्य जीव प्रेमियों के परिवार के आश्रितों को एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता एवं उसके परिवार के एक सदस्य को विभाग में नौकरी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर) :

88. वन विभाग द्वारा लगाये गये वृक्षों में से अधिकतर बिना देखरेख के मृत हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. वन विभाग क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रामवासियों को निजी निर्माण कार्यो के लिये वन क्षेत्र से पत्थर लाने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विभाग द्वारा अंग्रेजी बबूल के कोयले को लाने ले जाने हेतु टी.पी. से मुक्त करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

91. राज्य में अकाल के समय वन विभाग के चरागाहों की मवेशियों के लिये खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) :

92. विभाग द्वारा गांवों के लोगों को वन क्षेत्र में मकान बनाने के लिये पत्थर व बजरी निकालने पर रोक हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विभाग द्वारा आरा मशीनों को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री मोहन लाल मोदी)

94. विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा के लिये कारगर कदम उठाने की आवश्यकतानुसार चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) :

95. राज्य में वनों के विकास के लिये वृक्षारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. राज्य में वनों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) :

97. विभाग द्वारा लकड़ी चिराई वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित चिराईखाने का पंजीयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. राज्य में विदेशी बबूल के वृक्ष को जड़ से उखाड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. राज्य के नेशनल हाइवे–8 पर कट रहे पेड़ों के स्थान पर तत्काल नये पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. पर्यावरण को शुद्ध करने के लिये पहाड़ों को हराभरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. वन के बिहड़ों को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

102. राज्य के वन पथ एवं वन सुरक्षा तथा जंगल जमीन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय) :

103. विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध समय पर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. अवैध रूप से वृक्षों की कटाई होने व नये देशी वृक्षारोपण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. विभाग द्वारा शोकलिया में गोड़ावत की संरक्षा के समुचित प्रावधान व प्रयास न होने से दुर्लभ पक्षी का जीवन संकट में होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. वन विभाग के जंगलों में अंग्रेजी बबूल की कटाई न होने से जानवरों के चरने में होने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

107. सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में चारे–पानी की कमी से वन्य प्राणियों की हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से किये गये अवैध कब्जों को हटाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

109. आबू रोड की दांतीवाड़ा परियोजना में पदस्थापित जिला वन अधिकारी द्वारा सरकारी आवास में स्वीमिंग पूल

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बनाने से सरकारी धन के दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. प्रदेश में घट रहे वन क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. विभाग द्वारा जयपुर के नाहरगढ़ अभ्यारण्य में पेड़ों की हो रही अवैध कटाई को रोकने की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धारीवाल साहब, आप भी वापस बोल दीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो बोल चुका हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : वापस बोल दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दुबारा बोलना है?

श्री उपाध्यक्ष : हां।

मांग संख्या 47-पर्यटन की प्रस्तुति

श्री शांतिकुमार धारीवाल (पर्यटन मंत्री) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,08,08,000/- (सत्रह करोड़, आठ लाख, आठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या-47 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-47 मुख्य शीर्षक पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

1. बाड़मेर जिले के कैराड़ू पर्यटन स्थल को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. बाड़मेर जिले के जूनापतरासर को पर्यटक स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

3. राजस्थान पर्यटन निगम द्वारा वर्ष 1999 से 2001 तक पर्यटन विभाग द्वारा मेलों, त्यौहारों व अन्य कार्यक्रमों पर किये गये खर्च के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. राज्य में नई पर्यटन नीति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) :

5. प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अरधुना हनुमानजी का मन्दिर तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में सड़क, सुचारू आवागमन के साधन एवं उबड़-खाबड़ मन्दिर परिसर के चारों ओर संगमरमर की फर्श की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. ऐतिहासिक शहीद स्थली भानगढ़ में पानी, बिजली, संचार, आवागमन,

(श्री जीतमल खांट)

सार्वजनिक आवास की सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. पर्यटन स्थल घोटिया आम्बा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा में सड़क बिजली, सार्वजनिक आवास एवं कुण्ड के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. आदिवासियों का महाकुम्भ बेणेश्वर धाम पर चिकित्सा व्यवस्था, संचार एवं बस सेवाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

9. पर्यटन निगम में वर्कलोड़ से अधिक कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. पर्यटन निगम के होटलों के कमरों को सुधारने के नाम पर तोड़कर सालभर तक एक साथ सभी होटलों के कमरे बन्द करने के कारण निगम को हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये।

11. पर्यटन विकास निगम के वाहनों और सामान का उच्च अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत विदेशी दौरों के मामले में आडिट आक्षेपों की पालना नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. पर्यटन विकास निगम के होटलों में खाद्य सामग्री खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

14. राज्य में पर्यटन माफियाओं के कारण पर्यटन व्यवसाय को हो रही क्षति पर चर्चा के लिये।

15. राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए पर्यटन नीति का लक्ष्य प्राप्ति के लिये पर्यटन नियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. पर्यटक स्थल जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील अरनोद में स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से प्राचीन गोतमेश्वर धाम को विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विभाग द्वारा उदयपुर में चलाये जा रहे फूड क्राफ्ट संस्थान में 45% स्थान जनजाति को प्रशिक्षणार्थियों के लिये आरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

18. पर्यटन क्षेत्र के विकास एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु ट्यूरिस्ट गाइडों के लम्बित लाईसेंस जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

20. राज्य के पर्यटक स्थलों की सूची बनाकर शीघ्र घोषणा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विदेशी एवं देशी पर्यटकों के साथ लपका गिरोह द्वारा की गई ठगी, लूट, चोरी, धोखाधड़ी की वारदातों के लम्बित मामलों का निपटारा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. राजस्थान पर्यटन विकास निगम का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अरुण सिंह (डीग) :

23. विभाग द्वारा डीग के प्रसिद्ध जल महलों के रखरखाव के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विभाग द्वारा बृज क्षेत्र को पर्यटक स्थल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित भाटी (अजमेर) :

25. विभाग द्वारा राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अजमेर की उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विश्व प्रसिद्ध गरीब नवाज की दरगाह से तथा अढाई दिन का झोपड़ा से तारागढ़, किला स्थित दरगाह तक जायरीनों व पर्यटकों को रोप–वे सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. अजमेर जिले में तीर्थराज पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर से गायत्री मंदिर तक पर्यटकों को ले जाने हेतु रोप–वे की सुविधा आर.टी.डी.सी. या बी.ओ.टी. के अन्तर्गत उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. अजमेर स्थित अकबर किला की जर्जर होती स्थिति के कारण गिरती हुई पर्यटक संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. विभाग द्वारा अजमेर स्थित रूठी रानी का महल हैप्पी वैली को पर्यटन की दृष्टि से विकास करने तथा इसके साथ सटी हुई ताका शहीद की मजार व पृथ्वीराज स्मारक के बीच थोक मालियान की जमीन पर उर्स जायरीनों के लिए स्थायी विश्रामस्थली का राज्य स्तरीय ब्लाक बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) :

30. विभाग द्वारा सियाना क्षेत्र में हल्देश्वर महादेव तीर्थ, भीमगोड़ा अभय धाम तीर्थ, दंताला मीर दरगाह, ललिता माता मन्दिर समदड़ी को पर्यटक स्थल बनाने में एवं उक्त स्थानों को डामर की सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

31. विभाग द्वारा शाकम्बरी माता के स्थान से खण्डेला को सीधा जोड़ने व शाकम्बरी माता को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

32. विभाग द्वारा हर्ष पहाड़ी पर बने हुये पुराने भवनों के रख-रखाव व पर्यटक स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :

33. राजस्थान प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पर्याप्त प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) :

34. विभाग द्वारा बारां जिले की शेरगढ़, अभ्यारण्य को पर्यटन के लिए विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विभाग द्वारा बारां जिले के छीपाबड़ोद कस्बे की बालाजी की डूंगरी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विभाग द्वारा बारां जिले के पर्यटन के लिए विकसित किये जाने वाले स्थानों की घोषणा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विभाग द्वारा हाड़ौती क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विभाग द्वारा छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की तहसील छीपाबड़ोद के ग्राम काकोनी (गणेशपुरा) को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

39. विभाग द्वारा राज्य में पेइंग गैस्ट योजना के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विभाग द्वारा गत दो वर्षों में शाही रेलगाड़ी के संचालन में हो रही लाभ-हानि की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. विभाग द्वारा सीकर जिले के हर्ष पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) :

42. विभाग द्वारा खारची विधान सभा क्षेत्र के सुमेर महादेव को पर्यटन के लिये विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. सरकार द्वारा आचार्य भिक्ष स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विभाग द्वारा खारची विधान सभा क्षेत्र के काजलवास को पर्यटकों के लिए विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विभाग द्वारा खारची विधान सभा क्षेत्र के वायड के भैरूं स्थान को पर्यटन के लिए विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विभाग द्वारा फुलाद के परबत सिंहजी की धुंणी को पर्यटन के लिए

(श्री केसाराम चौधरी)

विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

47. विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में चूरू में शेखावाटी मेला का आयोजन नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

48. जिला चूरू स्थित पर्यटन बंगला "चिरमी" में रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विभाग द्वारा चूरू जिले में संचालित विभिन्न केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. विभाग द्वारा चूरू में भित्ती चित्र व मालजी का कमरे के संरक्षण हेतु कार्यकारी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

51. विभाग द्वारा हनुमानगढ़ जिले में गोगाजी के प्रसिद्ध धाम गोगामेड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विभाग द्वारा हनुमानगढ़ जिले में नए पर्यटन स्थलों के विकास हेतु सर्वे करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

53. सरकार द्वारा पाली जिले के आसन जिलेलाव थानेश्वर मंदिर व सारनपीरजी के मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. सरकार 500 वर्ष पूर्व शेरशाह सूरी व जोधपुर के महाराजा मालदेव के मध्य स्थित युद्ध भूमि सुमेल व गिरी तहसील रायपुर के बीच का विकास कर पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा पुष्कर पर्यटन स्थल से भक्त शिरोमणि मीरा बाई की जन्म स्थली कुड़की (जैतारण) व रणस्थली गिरी एवं बाबा रामदेव के ऐतिहासिक मंदिर तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. सरकार द्वारा पाली जिले के ऐतिहासिक स्थल गौखरण स्थली गिरी एवं बाबा रामदेव का मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) :

57. विभाग द्वारा ऐतिहासिक स्थल जालौर दुर्ग को पर्यटक के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विभाग द्वारा जालौर दुर्ग पर स्थित धर्मस्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. जालौर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :

60. विभाग द्वारा जैसलमेर किले के विकास हेतु स्थानीय पर्यटक सूचना एवं प्रसार कमेटी के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विभाग द्वारा जैसलमेर नगर के पास पर्यटक स्थलों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) :

62. राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय के गिरते स्तर पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) :

63. विभाग द्वारा कालीबंगा पुरातत्व महत्व के स्थल एवं घग्घर बाढ़ नियंत्रण योजनाधीन बने डिफेशनों में बनी मरुस्थलीय धोरों के बीचोबीच झीलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

64. विभाग द्वारा चूरू जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) :

65. जयपुर एवं राजस्थान के मुख्य पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति के रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्थित नई का नाथ महादेवजी के मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर) :

67. विभाग द्वारा पुष्कर तीर्थस्थल के आसपास आवारा पशुओं से तीर्थयात्रियों एवं विदेशी पर्यटकों को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विभाग द्वारा बूढ़ा पुष्कर, मध्य पुष्कर को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विभाग द्वारा पुष्कर पर्यटन ग्राम को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विभाग द्वारा पुष्कर पर्यटन स्थल को ब्यावर से पुष्कर वाया पीलांगन सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विभाग द्वारा पुष्कर के आसपास सभी पर्यटन स्थलों को सड़क से जोड़ने तथा अन्य सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) :

72. विभाग द्वारा पर्यटकों को राजस्थान में विकसित पर्यटक स्थलों की ओर आकर्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मोहन लाल चौहान)

73. विभाग द्वारा तहसील परबतसर जिला नागौर में स्थित खुदीयास, हासियास, बाबा रामदेव को पर्यटन स्थल घोषित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) :

74. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में बलेश्वर स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. नीमकाथाना स्थित गणेश्वर स्थान पर बहने वाले गर्म पानी के नाले को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

76. विभाग द्वारा महाराणा प्रताप राजतिलक स्थान गोगुन्दा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) :

77. केकड़ी (अजमेर) विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सरवाड़ दरगाह शरीफ को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विभाग द्वारा सरवाड़ के ऐतिहासिक किले को पर्यटन के लिए खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विभाग द्वारा पर्यटन की सुविधा के लिए सरवाड़ को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. सरकार द्वारा अजमेर के तारागढ़ को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. अजमेर के उर्स मेले एवं पुष्कर के मेले में आने वाले पर्यटकों को विशेष पैकेज देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय) :

82. अजमेर जिले के पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु पर्याप्त बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र भिनाय के बगड़ावतों के स्थान, सुरसुरा के तेजाजी के स्थान को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

84. राज्य में प्रशिक्षित गाइडों के अभाव में पर्यटकों को पर्यटक स्थानों पर सही जानकारी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. विभाग द्वारा पर्यटक स्थानों के रख-रखाव के लिए पर्याप्त राशि मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. राज्य में पर्यटकों की संख्या में निरन्तर हो रही कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. विभाग द्वारा पर्यटन पुलिस की स्थापना के पश्चात् भी उसका उद्देश्य पूरा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

88. जयपुर के पर्यटन स्थल नाहरगढ़ किला क्षेत्र में किये जा रहे अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी। (व्यवधान) प्लीज, आप रुको न।

श्री हीरासिंह चौहान : +++ शब्द रिकार्ड में आया है, उसको निकलवाया जाए। +++ एम.एल.ए. जो शब्द आया है, उसको निकलवाने की व्यवस्था दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : किसको कहा +++ है?

श्री हीरासिंह चौहान : उन्होंने कहा, राजेन्द्रजी पारीक ने, रिकार्ड पर आया है।

श्री उपाध्यक्ष : किसने?

श्री हीरासिंह चौहान : राजेन्द्रजी पारीक, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : +++ शब्द आया है, उसको एक्सपंज कर दो।

श्री हीरासिंह चौहान : ठीक बात है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। अच्छा बोलो न, बहुत अच्छी जगह है। अच्छी जगह बैठे हैं। माननीय ललितजी भाटी।

मांग संख्या-9 व 47 पर विचार

श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-9 और मांग संख्या-47, वन एवं पर्यावरण तथा पर्यटन के लिए जो मांगें यहां पर व्यय की जाने वाली राशि के निमित्त रखी गई हैं, उन पर मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब पृथ्वी अस्तित्व में आई, उसके साथ-साथ ही पेड़ भी अस्तित्व में आये।

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

पहाड़ी भी आये, आप और हम भी आये; नदी, नाले, जल सब एक साथ अस्तित्व में आये-जल, थल, नभ। ज्यों-ज्यों, सभापति महोदय, हमारी सभ्यता का विकास होता गया, वैसे-वैसे, सत्य को और तथ्य को हमको स्वीकार करना चाहिए कि आनुपातिक रूप में जनसंख्या तो बढ़ती चली गई, आबादियों का विस्तार बढ़ता चला गया लेकिन बाकी सारी चीजें-थल कम पड़ने लग गया, वन कम पड़ने लग गया, जल कम पड़ने लग गया, ये सब चीजें आनुपातिक रूप में कम होती चली जा रही हैं। जब से शासन पद्धति समाज के अन्दर स्वीकृत हुई उसके बाद से कुछ नियोजन किया जाने लगा। नियोजन इस बात के लिए किया जाने लगा कि मानव समाज के लिए जो बहुत आवश्यक चीजें हैं, जो प्राकृतिक वातावरण को भी संतुलित रखें, उसके लिए आवश्यक है कि इन सबका नियोजित रूप से संरक्षण भी होना

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ललित भाटी)

चाहिए और संवर्धन भी होना चाहिए। यह एक अन्तराल तक चलता रहा। जब से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्दर, प्रजातंत्र को अपना मूल मानकर अपने विकास के लिए संलग्न हुए, उसके बाद से वनों को बचाने के लिए और पर्यावरण संतुलित रखने के लिए बड़ी सजगता के साथ प्रयास किये जाते हैं। हम शास्त्रों के अन्दर भी देखें तो पेड़ों को, वनों को आदमी का चोली-दामन का साथी माना गया है। उस चोली-दामन के अन्दर हम अगर दामन को खींचे तो तकलीफ, और चोली को खींचें तो तकलीफ। मगर इसके बावजूद भी यह खींचा-खांची का खेल चल रहा है। आज स्थिति यह है कि जो प्रतिवेदन यहां पर दिया गया है, मुझे खुशी हुई कि इसके अन्दर मत्स्य पुराण का आपने रेफरेंस दिया है। मत्स्य पुराण के अन्दर लिखा है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष, अर्थात् 10 पुत्रों को जन्म देने जितना लाभ एक वृक्ष को लगाने से होता है। आज हम मत्स्य पुराण की इस बात के ऊपर कितना चल रहे हैं, सभापति महोदय, यह देखने की बात है। यों तो हमारे लिए खुशी की बात है कि अभी राजस्थान का जो सेटेलाइट सर्वे हुआ है उस सेटेलाइट सर्वे में 982 वर्ग किलोमीटर एरिया वृक्ष आच्छादित पाया गया। इसके लिए निश्चित रूप से मैं यह मानता हूं कि हमारे वन विभाग के अधिकारियों ने और उसके साथ में राजस्थान की जनता ने ऐसे प्रयास किये होंगे। जहां एक तरफ हम यह मानकर चल रहे हैं, और हमारे पास इस बात के आंकड़े मौजूद हैं, कि असामान्य वर्षा हमारे प्रदेश के अन्दर हो रही है, उस असामान्य वर्षा के दौरान भी अगर हमारे वन क्षेत्र में वृक्ष आच्छादित एरिया एकदम इतनी बड़ी संख्या में, 92 से लेकर 97 के बाद तक का पीरियड आया है, उसमें अभी दो वर्ष के लिए सेटेलाइट सर्वे किया गया, उसमें 982 वर्ग किलोमीटर एरिया एक्सेस हुआ पाया गया है, तो यह तय बात है कि कुछ प्रयास नहीं, बल्कि बहुत प्रयास इस बात के लिए किये गये। इसके लिए मैं विभाग के अधिकारियों को भी और सरकार को भी बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से 1998 के बाद से सरकार ने इस बात के लिए अपनी वचनबद्धता रखी हुई है कि राजस्थान के अन्दर हम वन क्षेत्र के जो इंटरनेशनल स्टेंडर्डस हैं वे स्टेंडर्डस बढ़ाकर, बल्कि अन्य प्रदेशों की तुलना में भी हम अपने वन क्षेत्र को, उसके प्रतिशत को बढ़ाकर दिखाएंगे, उसके लिए प्रयासों को और इंटेंसिव करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि 273 वर्ष पूर्व अमृता देवी ने जिनका जिक्र किया गया, यह सजगता दिखायी कि राजस्थान के जिस हिस्से में वे थीं वहां पेड़ों को नुकसान न हो, वहां वनों को नुकसान न हो। वहां 363 लोगों के साथ में उन्होंने आन्दोलन किया वन बचाने के लिए, वृक्ष बचाने के लिए। आज हम उनकी याद में ''अमृता देवी पुरस्कार'' वन विभाग की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से देते हैं ताकि वनों

(श्री ललित भाटी)

के प्रोत्साहन के लिए, उनके संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को हम आगे लेकर आएं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अमृता देवी 363 लोगों के साथ चली थीं, आप अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे पांच करोड़ लोगों को साथ में लेकर अगर ईच वन फीड वन की पद्धति को अपनाएं, एक व्यक्ति अगर एक वृक्ष भी लगाता है तो, सभापति महोदय, हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के अन्दर आप इस बात की कल्पना करिए, अगर एक व्यक्ति एक पेड़ का अपना प्रण ले ले कि मुझे इसको तब तक जीवित रखना है जब तक यह अपनी ग्रोथ के लिए सैल्फ रिलायंस नहीं होता है, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि बहुत तेजी के साथ हम अपने प्रदेश के अन्दर न सिर्फ वन क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे बल्कि हम पर्यावरण संतुलन जो अब बिगड़ता चला जा रहा है उस पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाने की दिशा में एक बहुत सार्थक कदम उठा पाएंगे जिसका लाभ पूरे समाज को और इस प्रदेश को मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, इतने जो प्रयास हो रहे हैं इनकी बार-बार बड़ाई करते रहने के साथ मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अभी तक फोरेस्ट की पालिसी प्रदेश के अन्दर बनी हुई नहीं है। जब तक आपके पास में कोई पालिसी नहीं होगी, आपकी कोई नीति नहीं होगी, मैं यह मानकर चलता हूं कि कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य रह जाएगी प्लान-वे के अन्दर उसको डवलप करने के लिए या उसको एक्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब तक आप इस दिशा के अन्दर कोई कार्य नहीं करेंगे कि राजस्थान सरकार अपनी क्या वन नीति रखती है। इस वन नीति के ऊपर मंत्री महोदया, आप काम करिए और विभाग के अधिकारियों को इस बात के ऊपर आप लगाइए कि दूसरे स्टेट्स के अन्दर वनों को विकसित करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वनों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, उस प्रदेश की आय का 50 प्रतिशत से ज्यादा, बल्कि मैं कहूं 60-62 प्रतिशत उनकी इनकम है वनों से प्राप्त होती है। 60 से 62 प्रतिशत रेवेन्यू वनों के माध्यम से कोई प्रदेश प्राप्त कर सकता है तो हमारे यहां भी हम यह माहौल बनाने की दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं।

वन उपज के बारे में हम देखें, जो प्राकृतिक रूप से हमको उपलब्ध थी, विभाग के द्वारा कोई प्रयास किये जा रहे हों, तो वे प्रयास इतने कम हैं कि वे नजर नहीं आ रहे हैं। वनों के माध्यम से हमारे प्रदेश का ढांचा वनों के अन्दर जनजातीय तबका जिस तरीके से घनी आबादी के रूप में वन क्षेत्रों के अन्दर रह रहा है, आज उन लोगों की आजीविका का साधन कम होता चला जा रहा है क्योंकि उनको वन उपज नहीं मिलती है। अगर इस प्रकार का

(श्री ललित भाटी)

प्लांटेशन किया जाए, आप क्लासीफाइड फोरेस्ट की तरह काम क्यों नहीं करना चाहते राजस्थान के अन्दर? कि हम राजस्थान के लोगों को यह कह सकें कि बांसवाड़ा के अन्दर हम सागवान का पूरा जंगल तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से कि हम डूंगरपुर के अन्दर कोई और प्रजाति का, हम वहां बांस का जंगल तैयार कर रहे हैं। पचासों तरीके की लकड़ियां और पचासों तरीके के पेड़ जो हमें आमदनी उपलब्ध कराते हैं, उनके लिए हम अब तक कोई सर्वे क्यों नहीं कर पाये? वहां की मिट्टी को जो दरकार हो, जो उस मिट्टी को सूट करता हो उन पेड़ों को रोपित करके हम क्लासीफाइड फोरेस्ट अभी तक डवलप नहीं कर पाये। मैं मध्य प्रदेश की बात आपको करना चाहता हूं, मैं बहुत जंगलों के अन्दर घूमा हूं, मैं जंगलों को वहां जाकर देखकर आया हूं, वहां उन्होंने क्लासीफाइड फोरेस्ट बना रखे हैं। वहां अगर आप जाएंगे तो चिरौंजी जो जंगलों के माध्यम से प्राप्त होती है, एक पूरा वन क्षेत्र चिरौंजी ही चिरौंजी का है, एक वन क्षेत्र पूरा सागवान ही सागवान का है, एक वन क्षेत्र पूरा तेंदू पत्ते ही तेंदू पत्ते का है। तो इस तरीके से हम राजस्थान के अन्दर क्लासीफाइड फोरेस्ट की भी बात करें, हम मिक्स्ड फोरेस्ट की भी बात करें। जैसा मैंने कहा कि हमारा चोली दामन का साथ है। आबादी का विस्तार हम रोक नहीं पा रहे हैं। उसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं, मगर आबादी का जब तक विस्तार होता रहेगा, लकड़ी की आवश्यकता उतनी मात्रा में समाज में बनी रहेगी। और जब लकड़ी उपलब्धता की और मांग की बात होगी तो आप जब जंगल उगाएंगे ही नहीं और जिस तरीके से अवैध कटान पेड़ों का हो रहा है, जिस तरीके से जंगलों का विदोहन किया जा रहा है, सभापति महोदय, यह हम रोक नहीं पाएंगे। इसके बड़े विनाशकारी परिणाम हमारे को देखने को मिलेंगे। मैं सोचता हूं कि राजस्थान का जो हमारे वन विभाग का बड़े अधिकारियों का एक इतना बड़ा ढांचा है, बड़े विशेषज्ञ हैं, वे इसी बात के लिए हैं, वे इसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे कि हमारी जो रोजमर्रा की सामाजिक डिमाण्ड है उस डिमाण्ड को चाहे अपने साधनों से, हमारे अपने वनों से पूरा करें या बाहर से, दूसरे प्रदेशों से लकड़ी को मंगाकर करें। मगर कहीं न कहीं हमारे को चैकिंग मैजर्स तो रखने पड़ेंगे कि हमारा वन संतुलन बिगड़े नहीं।

मैं, सभापति महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि जो वृक्षारोपण वन विभाग के द्वारा किया जाता है उसके अन्दर मैंने देखा है कि जूली फ्लोरा पूरे राजस्थान के अन्दर बड़ी आसानी के साथ में विभाग बांटता है, बबूल का जो पेड़ है। मेरे को गांव वालों के माध्यम से, सभापति महोदय, यह पता लगा कि वे नाम के चक्कर में फंस गये थे, उन्होंने सोचा था कि कोई बहुत सुन्दर-सा पेड़ होगा जूली फ्लोरा और बड़े अच्छे-अच्छे उसके ऊपर पत्ते आएंगे, बड़े अच्छे-अच्छे उसके ऊपर फूल आएंगे। मगर जब वह उगा, सभापति महोदय, तो उसके

(श्री ललित भाटी)

अन्दर बड़े तो ऐसे कांटे कि न तो वह आदमी के पास आने का, न जानवर के पास जाने का। और उसने हमारे यहां पर फैलकर पर्यावरण को भी असंतुलित ही किया है, क्योंकि एक बार जिस मिट्टी के अन्दर यह बबूल उग जाए, वह मिट्टी तो बंजर जैसी होने की स्थिति के अन्दर आ जाती है। बड़ पीपल, नीम और आंवला, हमारे शास्त्रों के अन्दर इन पेड़ों का बड़ा महत्व है। ये पेड़ छायादार भी होते हैं। फलदार भी होते हैं और दीर्घायु वृक्ष होते हैं जिनसे वर्षा आकर्षित करने के अन्दर भी बहुत मदद मिलती है। इन पांच तरीके के पेड़ों को, सभापति महोदय, पहले तो वाटर हारवेस्टिंग के अन्दर किया ही यही जाता था पुराने सिस्टम के अन्दर, आज जितनी विज्ञान ने तरक्की की है, मैं समझता हूं उस समय इतनी तरक्की भी हुई नहीं थी, मगर पुराने लोगों के अनुभव थे कि अगर इन पांच प्रजातियों के पेड़ों को एक साथ कहीं लगाते हैं तो बरसात के बादल स्वतः ही आकर्षित होकर नीचे आते हैं और टकराकर उससे बारिश होती है। लेकिन आज इन पेड़ों को वृक्षारोपित किये जाने का कोई प्रोग्राम अभियान के अन्दर, मंत्री महोदय, देखने को मिल नहीं रहा है कि इन पेड़ों को लगाया जा रहा हो। दूसरे पेड़ लगे हैं जिनके अन्दर सफेदे का पेड़ है यह है। हो सकता है आप यह कहें कि हमने सफेदे की भी प्रजाति विकसित कर ली है जो अण्डरग्राउण्ड वाटर को बहुत ज्यादा वाष्पीकृत नहीं करती हो। बाकी तो यूकेलिप्ट्स जिन देशों से आपने यहां पर आयात किया है उन्होंने अपने वहां जो पानी की बहुलता पेड़ों के हिसाब से जमीन के अन्दर थी, जमीन दलदल बनी हुई थी, उस पानी को वाष्पीकृत करके जल्दी सुखाने के लिए इस तरीके की प्रजातियों को उन्होंने विकसित किया था। लेकिन हमारे यहां अब अण्डरग्राउण्ड वाटर नहीं रहा, बरसात हमारे यहां पर कम होती है, हमने ऐसे में सफेदे के जंगल के जंगल लगाने शुरू कर दिये तो यह तो कोई विवेकपूर्ण निर्णय मैं मानकर नहीं चलता। हो सकता है आप यह कहें कि हमने यहां पर परिस्थितियों के अनुकूल, मौसम के अनुकूल, यहां की मिट्टी के अनुकूल सफेदे की नई प्रजाति डवलप कर ली है, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति ने हमारी विरासत ने जिन पेड़ों को हमें दे रखा है वह प्रजाति हम क्यों नहीं डवलप कर पा रहे हैं जो हमारी मिट्टी के अन्दर ज्यादा रचे बसे, फूले-फले, पुष्पित और पल्लवित हों। उस दिशा के अन्दर भी अनुसंधान का कार्य किया जाना चाहिए और इसी तरीके के वृक्षों को जो हमारी सामाजिक मान्यता लिये हुए हैं, जिनसे हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं उन आस्था जुड़े हुए पेड़ों का ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण, उनको ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां लगाने का कार्य करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं तेंदू पत्ते के बारे में बात करना चाहता हूं। तेंदू पत्ते को प्राकृतिक रूप से इस राजस्थान को कुदरत ने दे रखा है, लेकिन विभाग मुझे इस बात

(श्री ललित भाटी)

की अगर गारंटी देकर कहे कि विभाग ने किसी एक साल एक वृक्ष भी तेंदू पत्ते का कहीं उगाया हो तो मैं ये जो कहेंगे वह करने के लिए तैयार हूं। करोड़ों रुपये की आय और सिर्फ डेढ़-दो महीने का काम होता है। इस तेंदू पत्ते से पूरा बीड़ी व्यवसाय जुड़ा हुआ है, बीड़ी व्यवसाय जुड़ने के साथ-साथ पूरे बीड़ी श्रमिक उससे जुड़े हुए हैं, मगर पूरे बीड़ी व्यवसाय को कोई संरक्षण यहां पर भरपूर रूप से नहीं दिया जा रहा है। आम के आम और गुठलियों के दाम वाला काम है कि हमको कुदरत की वजह से भी पैसा मिल जाए और व्यापारियों के काम्पीटीशन की वजह से रायल्टी के रूप में भी आपको पैसा मिल जाए। आप यह सोचते हैं कि हर साल काम्पीटीशन की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें आप विशेष प्रयास अपने नहीं कर रहे हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि जिनसे आपको बिलकुल तुरन्त कैश रेवेन्यू प्राप्त होती है उन पेड़ों को आप जंगलों के अन्दर उगाने की दिशा के अन्दर काम करेंगे तो अपन और ज्यादा आय सृजित करने की दिशा में कदम उठा सकेंगे। तेंदू पत्ते का भी वृक्षारोपण उन क्षेत्रों के अन्दर, सभापति महोदय, होना चाहिए, जहां पर आज यह काम होता है और जिसमें जनजातीय तबका ज्यादा है। सभापति महोदय, डेढ़-दो महीने के अन्दर जब इसका प्रोक्योरमेंट का काम चलता है तो सारे राजस्थान के ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी प्रदेशों के भी बीड़ी व्यवसायी आकर वहां पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। यही अवसर है, सभापति महोदय, जब राजस्थान के अन्दर इतना भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, मई-जून के अन्दर ही यह सारा प्रोक्योरमेंट का काम होता है और पिछले 4 साल से इसी पीक पीरियड के ऊपर आपकी लेबर सीलिंग भी उठाते हैं। सभापति महोदय, सरकार की बहुत बड़ी मदद इसके अन्दर होती है, मगर इन पेड़ों को बढ़ाने की दिशा में या पीक पीरियड के अन्दर जब हमें प्रदेशवासियों को ज्यादा रोजगार देने की बात है आदिवासी बहुल इलाके में, उसमें इस तरीके की वन उपजों को बढ़ाने की दिशा के अन्दर वन विभाग गम्भीरता के साथ में विचार कर रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। मंत्री महोदया, मैं यह मानता हूं कि मेरी बातों को जिस धैर्य के साथ गम्भीरता के साथ में आप सुन रही हैं, तेंदू पत्ते के विकास के लिए आप विशेष निर्देश आज ही इस हाउस के माध्यम से अधिकारियों को देंगी और राजस्थान के अन्दर हम बीड़ी व्यवसाय को संरक्षित करने के लिए और उसके साथ जुड़े हुए तमाम परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तेंदू पत्ते के जंगलों को उगाने की दिशा के अन्दर काम करेंगे।

एक, सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वनों को जिस तरीके से विकसित करने के लिए विभाग अपना प्रयास कर रहा है। मैं सोचता हूं अगर यह पहल आप सरकारी स्कूल से ही करें। मैं तो कहता हूं कि इसके अन्दर निजी क्षेत्र के स्कूलों को भी लें। हमारे पास में श्रम शक्ति और मानव शक्ति बड़ी संख्या में

(श्री ललित भाटी)

उपलब्ध है, उनको आप नजदीकी क्षेत्र में कोई टुकड़ा ही बांट दें कि इतना क्षेत्रफल आपको दिया जाता है इसके अन्दर आप पेड़ों को उगाएंगे। बरसात का मौसम आने वाला है, आप इसको सुरक्षित कर सकते हैं। आप विभाग के माध्यम से निःशुल्क पौधे वितरित करवाते हैं, वह वितरित करवाइये और उनके ऊपर जिम्मेदारी दीजिए। स्कूल के बच्चों के लिए खुशी-खुशी खेलने का खेलना होगा और हमारे लिए बहुत बड़ी मात्रा में जीवित वृक्षारोपण तैयार होगा। जो प्रतिशत आपको मिलता है विभाग के द्वारा, आप अगर आंकड़े देखें तो बहुत कम प्रतिशत मिलता है। मगर आप स्कूली बच्चों को और स्वयंसेवी संस्थाओं को इस प्रकार से उपयोग करेंगे, मंत्री महोदया, तो बहुत बड़ी संख्या में अपन वन विकास की दिशा के अन्दर काम कर सकेंगे।

सभापति महोदय, मैंने वन विभाग से सम्बन्धित दो-एक कट मोशन मेरे अजमेर क्षेत्र से सम्बन्धित दिये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अजमेर की जो टोपोलोजी है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अजमेर के एक-एक चप्पे को, सभापति महोदय, चारों तरफ पहाड़ियां हैं। इन चारों तरफ की पहाड़ियों के ऊपर भी जैसा मैंने कहा, स्कूलों को आप ले लें, स्वयंसेवी संस्थाओं को आप ले लें और जिन भी संगठनों को, एन.जी.ओज. को लेना चाहे, लेकर एक अभियान चलाएं कि हम अजमेर के चारों तरफ की पहाड़ियों को वापस उतना हरा-भरा कर दें जो आज के 50 साल पहले लोग देखा करते थे। आज सारी की सारी पहाड़ियां नंगी हो चुकी हैं, उनका पत्थर अवैध रूप से खनन करके इमारती पत्थर के रूप में काम में लिया जा रहा है। तो उन पहाड़ियों के ऊपर भी बड़े सुनियोजित तरीके से वन विकास की दिशा में काम करें मंत्री महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं।

एक, सभापति महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसकी ओर मैं मंत्री महोदया का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह देखने में आ रहा है कि नगर परिषद् की सीमाएं बढ़ गई हैं, आबादी बढ़ गई है और जो वन क्षेत्र पहले दूर हुआ करते थे, अब वे नजदीक आ गये। नजदीक आ गये तो उनके ऊपर लोगों ने जाकर अपने कब्जे किये हैं। कब्जे करके उन्होंने अपने घर बना लिये हैं, अपनी झोपड़ी बना ली हैं जिसके अन्दर वे अपना आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग कर रहे हैं। आज स्थिति, सभापति महोदय, यह आती है कि वन विभाग के अधिकारी जाकर उन लोगों को परेशान करते हैं। मैं अजमेर की बात आपसे करता हूं, 60-60 साल से लोग उन जगहों पर रह रहे हैं, मगर चूंकि वह फोरेस्ट लैण्ड है फोरेस्ट लैण्ड होने की वजह से आप उनको परेशान करते हैं। मैं कहता हूं कि जो सबसे नीचे की श्रेणी का कर्मचारी है, कैटल गार्ड, वह वहां पर जाता है, वह भी जाकर उनको डरा-धमका कर उनसे चौथ वसूली करके आ जाता है। आदमी छतविहीन नहीं हो जाए, इसलिए सोचता है कि इसको कुछ दो और रवाना करो। उनका नियमन हो

(श्री ललित भाटी)

सके, उस दिशा में प्रयास करने के लिए मैं मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि उतनी ही जमीन जो आज आपके उस गजट के अन्दर फोरेस्ट लैण्ड है, जिला कलक्टर के माध्यम से, सरकार के माध्यम से खुद सक्षम हैं, उतनी जमीन आप दूसरी जगह पर अलाट करवा लीजिये और उसको डवलप करिये ताकि जो शहरी क्षेत्र के नजदीक जमीन आ गई है, वह आबादी के काम में आ सके।

सभापति महोदय, मैं विश्वास करता हूं कि जो बातें अपने प्रगति प्रतिवेदन के अन्दर मंत्री महोदया ने यहां हम सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई हैं और राज्य सरकार की जो मंशा है उस मंशा के अन्दर जो सुझाव मैंने दिये हैं उन सुझावों को आप शामिल करके राजस्थान के वन विकास की गति को और तेजी आप प्रदान करेंगे और उसका पूरा लाभ प्रदेश को मिल सकेगा।

सभापति महोदय, मैं पर्यटन के लिए अपनी बात 5-10 मिनट में समाप्त करना चाहता हूं। पर्यटन के लिए अपना उद्देश्य वाक्य रखा है, ''पधारो म्हारे देश'' राजस्थान वैसे ही बहुत आकर्षित करता रहा है। यहां के पुराने किले, यहां के गढ़, यहां की संस्कृति और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, सोने पे सुहागा, यहां के राजपूतों की शौर्य गाथाएं। ये सब चीजें मिलकर हमेशा पर्यटकों को आकर्षित करती रही हैं कि एक बार तो राजस्थान चलना ही चाहिए। विदेशी भी कोई बाहर से आता है तो वह जरूर सोचता है कि मुझे राजस्थान तो एक बार जाना ही है। वह जोधपुर जाना चाहते हैं, जैसलमेर जाना चाहते हैं, जयपुर आकर हवामहल को देखना चाहते हैं। तो यह जो हमेशा अपना उद्देश्य वाक्य रखा हुआ है उस उद्देश्य वाक्य को और सार्थकता तब मिल सकती है जब हमने जो अपनी पर्यटन नीति 2001 के अन्दर घोषित की, मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की चिन्ता सुस्पष्ट हो रही है, उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि हम पर्यटन को भी न सिर्फ विदेशी आय अर्जित करने का बल्कि रोजगार के अवसर सृजित करने का भी बहुत बड़ा माध्यम बना सकते हैं और राजस्थान में एक बहुत बड़ी आय हम पर्यटन विकास के माध्यम से दे सकते हैं। और जब वह आय होगी तो प्रदेश का चहुंमुखी विकास करने के अन्दर हम बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ सकते हैं। जो हमारी पर्यटन नीति है, राज्य के हमारे उपलब्ध समृद्ध पर्यटन संसाधन हैं उनका हम अधिकाधिक रूप से अन्दर उपयोग कर सकें, अधिकाधिक रोजगार दे सकें, हस्तकला और शिल्पकला को बाजार उपलब्ध करा सकें, यहां के जैवैधिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत को वैज्ञानिक प्रबन्ध के द्वारा संरक्षण हम प्रदेश के अन्दर प्रदान कर सकें, यह बड़ा सारगर्भित हमारी पर्यटन नीति का अंग है। इस दिशा में माननीय मुख्य मंत्रीजी यहीं नहीं रुके कि हमारी पर्यटन नीति तो हमने घोषित कर दी और उसके बाद में विभाग अपना काम करता रहे, सरकार अपने काम की, कार्यक्रम की मानिटरिंग करती रहे, उसकी जांच-परख करती रहे कि कार्य प्रगति कहां है, कहां

(श्री ललित भाटी)

नहीं है। खुद अपनी अध्यक्षता के अन्दर आपने राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना भी की है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, जिस तरीके से आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, मैं मेरी बात को बहुत जल्दी कटशार्ट करते हुए यह कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ जयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, जैसलमेर की बात करें? और राजस्थान की जो हृदयस्थली अजमेर है, उस अजमेर को भूल जाएं? वहां के हिन्दुओं का सर्वोच्च तीर्थ पुष्कर है, वहां पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी है। लेकिन अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अजमेर की पहचान जितनी बननी चाहिए उस दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार को इस दिशा के अन्दर सोचना चाहिए। कल्पवृक्ष भी हैं। ये तीनों चीजें हैं, उसके बावजूद भी मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र के ऊपर अजमेर की प्रमुखता स्थापित करने के लिए क्या विशेष कार्यक्रम किये गये, यह मेरी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं किये जा रहे हैं, यह समझने की बात है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हवाई अड्डे का प्रकरण अभी तक रुका हुआ है। आप यह सोचें कि हम जयपुर को ही अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाकर पूरे राजस्थान के पर्यटन का विकास कर देंगे तो यह होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, अजमेर की बहुत लम्बे समय से मांग पैंडिंग पड़ी हुई है और उसके ऊपर राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिए। अगर जमीन का मुआवजा देने की बात भी है तो करीबन डेढ़ करोड़ रुपये की बात आती है। डेढ़ करोड़ रुपये की राशि अगर राज्य सरकार वहन नहीं कर सकती है तो राज्य सरकार यह दबाव बना सकती है कि भारत सरकार उस खर्चे को क्यों वहन नहीं कर सकती। विदेशी मुद्रा का अर्जन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सिर्फ इस प्रदेश को ही थोड़े होने वाला है? माननीय सभापति महोदय, एक बात और करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री ललित भाटी : एक-एक लाइन में सारी बात करके तुरन्त अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आर.टी.डी.सी. पैलेस ऑन व्हील्स का सारा संचालन करती है। अजमेर के पास होकर, अजमेर की मिट्टी के ऊपर जितनी भी रेल-पटरियां बिछी हुई हैं उनके ऊपर घड़घड़ाहट करते हुए पैलेस ऑन व्हील्स निकल जाती है। क्यों नहीं उसको रोकने की आप कार्यवाही करते हैं? एक दिन का या एक रात का हाल्ट वहां पर हो, लोग रुकेंगे तो वहां अकबर का किला भी है, वहां पुष्कर भी है, वहा दरगाह भी है और कौनसी चीज ऐसी है...

श्री हीरासिंह चौहान : भाटीजी, वहां अन्तिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किला भी है, वह भी तो बोलिये आप।

श्री ललित भाटी : मैंने यह लिख रखा है, मैं उसके ऊपर भी बोलने जा रहा हूं। सभापति महोदय, मैं यही कह रहा हूं

(श्री ललित भाटी)

कि वहां कौनसी चीज ऐसी है जो पर्यटकों को नहीं लुभाती हो मगर पैलेस ऑन व्हील्स को रोकने की बात नहीं की जाती है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अन्तिम हिन्दू सम्राट के किले की इन्होंने बात की है, उसके ऊपर मेरा कटमोशन दिया हुआ है, मैंने यह बात रखी है कि आप चाहे यहां प्राइवेट कम्पनीज को बुलाइये, चाहे आप बी.ओ.टी. के अन्दर दीजिये, चाहे आर.टी.डी.सी. खुद इसको करे, चाहे भारत सरकार की मदद प्रवर्तित योजना हो, आप ढाई दिन के झोपड़े से लेकर ऊपर तारागढ़ तक जहां यह किला है, वहां ऊपर दरगाह भी है, आप रोप-वे की बात करिये। ये सब चीजें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। वहां रोप-वे के ऊपर आज तक डिपार्टमेंट ने कोई कार्य नहीं किया। आपने वहां जिन अधिकारियों को लगा रखा है वे किस तरीके से पर्यटन विकास की बात करते हैं, यह हमारे समझ में नहीं आया है।

इसी तरीके से ब्रह्माजी के मन्दिर से लेकर गायत्री मन्दिर तक है, गायत्रीजी का मन्दिर, सावित्रीजी का और ब्रह्माजी, इन तीन चीजों का इतिहास मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग वहां आते हैं उनकी धार्मिक मान्यता यह है कि ब्रह्माजी के दर्शन करने के बाद गायत्री के दर्शन करने जरूर जाना है, क्योंकि गायत्री जी तो रूठकर अलग विराजमान हो गई थीं। वहां सीढ़ियां नहीं हैं, मगर जिस तरीके का व्यू है, ब्रह्मा मंदिर से वहां तक रोप-वे आसानी के साथ में डवलप किया जा सकता है। यह सुविधा वहां पर्यटकों को उपलब्ध कराई जा सकती है, मगर इस दिशा के ऊपर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।

मैंने अकबर के किले की बात की है जिसको मैग्जीन के रूप में जाना जाता है, आज वह जर्जर अवस्था के अन्दर है। सभापति महोदय, इन्होंने उसकी मरम्मत की दिशा में कोई काम नहीं किया। उसका पुरातत्व महत्व अलग है। मगर इन सब बातों के बावजूद भी सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह जो मांग रखी है, मंत्री महोदय तो कहीं चले गये हैं, उस मांग में से कुछ रुपया इन पाइंट्स पर भी खर्च करने की बात करिए ताकि अजमेर के महत्व को भी बढ़ाया जा सके मैं सबसे बड़ी बात और सबके हित की करना चाहता हूं...

श्री रोहिताश्व कुमार : सभापति महोदय, मंत्री महोदय को तो बुलाओ।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, इतनी महत्वपूर्ण बहस चल रही है और माननीय मंत्रीजी नहीं हैं। पर्यटन मंत्रीजी को यहां रहना चाहिए। (व्यवधान) जो नोट करके स्लिप दे देंगे उससे कुछ नहीं होगा। आप तो पूर्व मंत्री हैं, माननीय मंत्रीजी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो सबसे वरिष्ठ सदस्य हो-सदन के, जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी होती है, माननीय मंत्री महोदया यहां विराज रही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप खड़ी होकर बताइए कि आप नोट कर रही हो क्या? आप खड़ी होकर कह दीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : वन का ये देंगे और पर्यटन का उत्तर वो देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ये पूर्व में पर्यटन मंत्री रही हुई हैं, ये नोट कर रही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर हम उत्तर भी इन्हीं से लेंगे। यह आसन व्यवस्था दे कि दोनों मांगों का उत्तर बीनाजी दें।

श्री सभापति : आप खुद जानते हो कि नोट करने के बाद उत्तर तो देने वाला ही देगा। माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री ललित भाटी : अन्तिम बात कर रहा हूं; सभापति महोदय। ख्वाजा साहब की दरगाह का आप जानते हैं कि हर साल उर्स भी भरता हैं और मोहर्रम तो अभी चल भी रहा है। पूरे हिन्दुस्तान से जायरीन और पर्यटक उस मौके पर लाखों की संख्या में अजमेर आते हैं। उनके वहां पर ठहरने की...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, मैं अंतिम रूप से समाप्त कर रहा हूं। मेरी बात अंतिम रूप में ही है, अंतिम चरण में ही है। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपो बहुत समय दिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** मैं भी अनुरोध कर रहा हूं।

श्री ललित भाटी : मैं समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान का स्मारक और ताका शहीद की मजार, उसके बीच में 1000 बीघा जमीन है, सरकारी जमीन है, वहां पर अगर आप स्थाई विश्राम स्थली बनाने की दिशा के अन्दर काम करें तो स्टेटवाइज आप ब्लाक्स बना सकते हैं। आज जो विश्राम स्थली यू.आई.टी. की बनी हुई है, आज एक तारांकित प्रश्न का जवाब भी दिया गया है कि मेला भरने के लिए हम नगर परिषद् और यू.आई.टी. के ऊपर ही निर्भर हो गये हैं। इतने लाखों की संख्या के अन्दर जायरीन आये। आप देख लें कि कुम्भ का मेला भरता है, कुम्भ का मेला भरने की जिम्मेदारी, सारी तैयारी और खर्चा वहां की प्रदेश सरकारें उठाती हैं। यह भी इसी तरीके का है। चाहे पुष्कर का मेला हो या चाहे उर्स का मेला हो, इन दोनों मेलों की व्यवस्था, पुष्कर मेले की तो आपने पशुपालन विभाग के ऊपर डाल रखी है और उर्स मेले की जिम्मेदारी आपने नगर परिषद् और यू.आई.टी. के ऊपर डाल रखी है। इनके खुद के ही आय के साधन इतने नहीं हैं कि ये इतने लोगों की व्यवस्था कर सकें। राज्य सरकार क्यों नहीं इन खर्चों को उठाने के लिए तैयार होती है? राज्य सरकार क्यों डिपेंड हो रखी है कि नगर परिषद् और यू.आई.टी. इनके ऊपर खर्चा करें? सभापति महोदय, इस 1000 बीघा जमीन पर स्टेटवाइज ब्लाक्स बन सकते हैं, पार्किंग की व्यवस्था हो सकती हे। वहां पर जो उस समय पुलिस का प्रबन्ध करना चाहिए, वह सब सुचारू रूप से हो सकता है। तो

(श्री ललित भाटी)

मैं यह कहना चाहता हूं, कि इन सारी चीजों के ऊपर राज्य सरकार को सोचना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अंत में अपनी बात कहते हुए कि मंत्री महोदय जब जवाब दें माननीय सदस्यों की बातों का तो अजमेर के हित में मैंने जो बातें कहीं हैं, उनके ऊपर गौर फरर्माते हुए वे कदम उठायेंगे, उन बात को अपनी रिप्लाई में भी शामिल करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, आज दो विभागों की मांगों के ऊपर चर्चा है तो कृपया समय का ध्यान रखकर दोनों के ऊपर ही अपने विचार व्यक्त करेंगे तो ठीक रहेगा। माननीय डाक्टर किरोड़ी लाल मीणा।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय सभापति महोदय, बोलना तो पर्यटन पर काफी चाहता था लेकिन आपने सीमित कर दिया। शांति धारीवालजी तो कहीं चले गये, बीनाजी बैठी हुई हैं, बीना जी की जगह अगर चार्ज विजय लक्ष्मीजी को दिया होता तो पर्यटन का मामला ज्यादा बढ़ सकता है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : बीनाजी के पास कहां हैं? बीनाजी के पास तो फोरेस्ट है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : विचाराधीन है।

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य सचेतकजी जो कहते हैं कि विचाराधीन है। (व्यवधान) तो राजस्थान में दो ही मुख्य हैं। एक तो मुख्य मंत्री और एक मुख्य सचेतक, और तो किसी के आगे मुख्य लगता नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मुख्य बनपाल भी होता है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापति महोदय, वन और वृक्ष के बारे में भाटीजी ने जो परिकल्पना प्रस्तुत की, वन और वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। वनों में हमारे संन्यासियों ने तपस्या की और करके बहुत अच्छे संदेश दुनिया को दिये हैं। बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने विश्व को संदेश दिया। हम पीपल की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं और कल्पवृक्ष के नीचे चले जाएं तो सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो इतनी महत्वपूर्ण चीज है, उसमें जितनी प्रगति इस प्रदेश में होनी चाहिए वन विकास की दृष्टि से, वह हो नहीं पाई। राज्य में 32488.01 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जो प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.49 प्रतिशत है। सभापति महोदय, पर्यावरणविदों के अनुसार राजस्थान में यह क्षेत्र होना चाहिए 33 से 38 प्रतिशत लेकिन 33 से 38 प्रतिशत नहीं होकर यह 9.49 प्रतिशत है। 1997 में यह 8.43 प्रतिशत था, चार साल के राज में मात्र 0.49 प्रतिशत या कुछ ज्यादा वन क्षेत्र बढ़ा है। वन अधिकारी यहां पर बैठे हैं, सदन को मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में पहले ही बहुत रेगिस्तान है, राजस्थान के हालात खराब हैं इसलिए वन क्षेत्र में विकास की दृष्टि से सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, हो क्या रहा

(डा. किरोड़ी लाल)

है? वनों की भूमि पर कब्जे हो रहे हैं जिसका पर्यावरणीय नुकसान अरबों में नापा गया है राजस्थान में राजस्थान के सन्दर्भ में फोरेस्ट्री स्टेटिस्टिक्स इण्डिया 2000 के अनुसार करीब 8000 हैक्टेयर का अतिक्रमण है, जो अब बढ़कर 22,000 हैक्टेयर हो गया है। आठ से बढ़कर 22,000 हैक्टेयर में अतिक्रमण हो गया है। सभापति महोदय, उच्चतम न्यायालय ने वन एवं पर्यावरण मुद्दे को गम्भीर मानते हुए टी.एन.गोदाचरम बनाम भारत सरकार व अन्य वाद के सिलसिले में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी गठित की, इस कमेटी ने माना कि राज्य सरकार अतिक्रमणों को रोकने में विफल रही है और राजस्थान में तो अतिक्रमण कैंसर की तरह बढ़ रहा है। सभापति महोदय, मई, 2001 में सभी अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश भारत सरकार ने दिये थे, मैं पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी, उसके बाद आपने क्या कोशिश की? कितने अतिक्रमण हटाये? बल्कि मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि आपने अतिक्रमण जानबूझकर बढ़ाये हैं। 1978 में वन भूमि परिवर्तन के सभी प्रस्ताव केन्द्र को भेजने के दिशा-निर्देश हैं लेकिन उसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, उनको दरकिनार कर दिया और उन्होंने ही परमिशन दी, कलक्टर के स्तर से दे दी। 1980 में सरकारों के रवैये में तब्दीली नहीं आने पर अंततः फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 लागू किया गया।

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

इसमें हो क्या रहा है, मैं बता रहा हूं। हमारे रणथम्भौर है, ये कांग्रेस के लोग बहुत चिल्लाते हैं कि केन्द्र सरकार हमारी मदद नहीं करती है। मैं, वन मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं, इण्डिया ईको डवलपमेंट एक कार्यक्रम चलता है जो 100 प्रतिशत सेंट्रल गवर्नमेंट से असिस्टेड, है, उसमें 37 करोड़ रुपये के लगभग रणथम्भौर के विकास के दृष्टि से आये, आपने कोई 2-4 करोड़ खर्च कर दिये हों तो मुझे ध्यान नहीं आता। मैं अब की बार गया था खुद, वहां जो खूनी संघर्ष हुआ था। मुख्य सचेतकजी, आप भी जाकर आये हैं, आसपास के गांवों में चारे की इतनी भयंकर समस्या है और चार साल में स्थिति इतनी बिगड़ गई अकाल के कारण से कि पशुपालक परेशान हैं, किसान परेशान हैं, वन विभाग के कर्मचारी परेशान हैं। परेशान होने के कारण आपस में झगड़े-लड़ाई रोज हो रहे हैं। मुझे विश्वास है, मंत्रीजी इस बात का जवाब देंगी। जब आसपास के गांवों के किसानों के लिए चरागाह का पैसा भारत सरकार ने दिया, चरागाह को डवलप करो, घास विकसित करो, एनीकट बनवाओ, उसकी बाउण्ड्री बनवाओ, किसानों की वन समिति बनाओ। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार के 37 करोड़ रुपये किस कारण से लैप्स हुए? यह राजस्थान सरकार इसके लिए दोषी है।

सभापति महोदय, ये वन मंत्रीजी बहुत जाती हैं अपने रणथम्भौर में पर्यटन की दृष्टि से, और वन मंत्री हैं उस दृष्टि से भी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाम्भूराम गायब हो गया, वह भाम्भूराम

(डा. किरोड़ी लाल)

कौन है? भाम्भूराम वह है जिसको बिल क्लिंटन देखने के लिए आये। एक टाइगर है। वह रोमांचित हो गये। उसको देखने के लिए प्रियंका भी आई, राहुल भी आये और बाड्राजी भी आये। मैं तो देखता रहता हूं...

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको भी देखने आये।

डा. किरोड़ी लाल : हरिसिंहजी हैं मेरे बगल में, मैं तो उसी सिंह को देखता रहता हूं, उससे ही राजी हो जाता हूं। वह गायब हो गया, मार दिया गया। उसका आज तक पता नहीं है कि भाम्भूराम कहां है। राज्य सभा के सांसद जो आपके खुद के कांग्रेस के हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाम्भूराम गायब हो गया। उनको बहुत ज्यादा चिंता लगने लगी, मैं भी चिंतित हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि नेशनल पार्क में कितने टाइगर थे, आज कितनी संख्या में रह गये? वहां पर माफिया विकसित हो गये और माफिया टाइगर को मार मार कर उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि खालों का एक्सपोर्ट हो रहा है, शेरों को मारा जा रहा है और सरकार इसके प्रति किसी भी तरह से गम्भीर नहीं है।

(14.00 बजे)

मैं, सभापति महोदय, इस बात की ओर ध्यान आपका आकर्षित करते हुए एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारा जो आदिवासी इलाका है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और इधर अपने थानागाजी, अलवर का इलाका, मैं आज जब आ रहा था, मेरे को इस विषय पर बोलना था, तो कुछ आदिवासी भाई मिले, उन्होंने एक दरखास्त दी कि कवादर, पीपल, बाबा, दमाणा में सन् 1970 से आदिवासी वन भूमि पर काश्त पर रहे हैं, परन्तु अब तक खातेदारी देने की सरकार ने चिंता नहीं की। सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट के भी डाइरेक्शन हैं कि 1980 के पहले के जितने भी कब्जे हैं, जितने भी परिवार बसे हुए हैं, उनके कब्जों को नियमित कर दिया जाए। लेकिन पचास हजार से ज्यादा आदिवासी परिवारों को सरकार उजाड़ने के लिए तैयार है। और एक ओर सवाईमाधोपुर रणथम्भौर के क्षेत्र में एक कलक्टर पधारे थे पी.के.गोयल साहब, उनको आरोप पत्र थमाया। आरोप पत्र की भाषा के अनुसार जिस नियम के तहत आरोप पत्र थमाया गया, उसके तहत आरोप साबित होने पर उक्त अधिकारी को निलम्बित करने के अलावा फील्ड पोस्टिंग से हटाने और बरखास्त करने तक का प्रावधान है। मैं, वन मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं कि नोटिस देकर आप चुप बैठ गईं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं उसको किस कारण से आपने बचाया? किस कारण से उसको सस्पैण्ड नहीं किया? किस कारण से उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की? वह रूल क्या है? अण्डर रूल 88 आफ आल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एण्ड अपील रूल्स, 1969 अगर उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें डाइरेक्शन हैं। यह जो आपने इनको आरोप पत्र थमाया, उस आरोप पत्र में लिखा है–यह कि आप श्री

(डा. किरोड़ी लाल)

पी. के. गोयल तत्कालीन जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा अपने उक्त पदस्थापन दिनांक 1.11.1999 से 10.7.2001 के दौरान राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रणथम्भौर अभयारण्य की सीमा के पास कुम्भट कमेटी तथा राज्य सरकार द्वारा गठित मानिटरिंग एण्ड इम्प्लीमेंटिंग कमेटी की सिफारिशों को अनदेखा करते हुए होटल निर्माण हेतु चार पत्रावलियां निकाल दीं, चार पत्रावलियां। पत्रावलियों की संख्या देने में मैं समय खराब नहीं करना चाहूंगा। उपरोक्त पत्रावलियों में से क्रम संख्या दो का आदेश आप द्वारा स्थानांतरण के बाद जारी किया गया है-ट्रांसफर हो जाने के बाद में, पैसा लेकर-इस प्रकार आप अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता बरतते हुए गम्भीर दुराचरण के जिम्मेदार हैं। तो उनको आरोप पत्र थमा दिया। इस आरोप पत्र में आगे उन्होंने लिखा है, मेमोरेण्डम भेजा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 3.8.1995 में राज्य सरकार को कुम्भट कमेटी रिपोर्ट पर विचार करने व कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। 1995 में सरकार ने निर्देश दे दिये कि कुम्भट कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर कार्यवाही करें। राज्य सरकार द्वारा कुम्भट कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई। उसके बावजूद आप द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में लाये बिना ही अभयारण्य सीमा के पास भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी कर दिये गये। सभापति महोदय, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक पी.आई.एल. में गये और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दस किलोमीटर तक की दूरी का सुझाव जो कुम्भट कमेटी ने दिया है वह उचित है। वहां तक किसी भी प्रकार की कोई होटल का निर्माण नहीं होना चाहिए और अगर हो गया है तो उसको ध्वस्त कर देना चाहिए। यह भी बात नहीं चली। फिर, सभापति महोदय, इसमें आया है कि राज्य सरकार द्वारा गठित मानिटरिंग एवं इम्प्लीमेंटेशन कमेटी द्वारा अभयारण्य की आधा किलोमीटर की परिधि में कोई निर्माण, भू-उपयोग का परिवर्तन नहीं करने की सिफारिश की गई थी तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, जो यहां बिराज रहे होंगे आज, ने दिनांक 19.1.2001 से मानिटरिंग एण्ड इम्प्लीमेंटिंग कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही हेतु शासन सचिव, वन विभाग को लिखकर प्रति जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर को दी थी। फोरेस्ट सैक्रेटरी भी यहां बिराज रहे होंगे, मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदया, जब सुप्रीम कोर्ट का डाइरेक्शन है, कुम्भट कमेटी के डाइरेक्शन हैं, राज्य सरकार के 1995 के डाइरेक्शन हैं, उसके बाद एम्पावरमेंट कमेटी के डाइरेक्शन हैं, ये सारे डाइरेक्शन होने के बाद भी अब हुआ क्या है, सभापति महोदय? 10, जनपथ से कोई फोन आ गया, बीमारियां 10 जनपथ की बहुत बुरी हैं, 10 जनपथ से फोन आया तो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फोन नम्बर कोट करें? फोन नम्बर, मंत्रीजी, पता है या कोट करें?

डा. किरोड़ी लाल : इन्होंने क्या किया...

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय, आप जिस होटल का जिक्र कर रहे हैं वह होटल है कौन-सा?

डा. किरोड़ी लाल : हां, उस होटल का नाम बता देता हूं। उस होटल का नाम है बीकानेर का...

श्री रोहिताश्व कुमार : आप ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं-नहीं, कोई डाइवर्ट नहीं, मेरे को ध्यान है, ऐसे डाइवर्ट नहीं होने वाला। बीकानेर के धर्मेन्द्र सिंह। उसको नियमित कर दिया, जो नम्बर दो की फाइल है। अब, सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से कि एक कलक्टर फोरेस्ट में निर्माण की परमिशन दे दे और वहां ओबेराय ग्रुप की होटल बन गई, उसको हम देखकर आये हैं, तीन-चार सदस्य गये थे, माननीय राजेन्द्र राठौड़ थे, यह भी थे धर्मपालजी वगैरह, हम सभी थे। सभापति महोदय, वह तो शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन पर बना है, दिग्विजय सिंहजी को पता है उसमें जो घोटाला-घपला हुआ है। उस जमीन पर बनाने के अलावा फोरेस्ट के एरिये में घुसकर उस होटल को बनाया है ओबेराय ग्रुप ने। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने किस मिलावट के कारण उस ओबेराय होटल को वहां पर बनने दिया, एक? और मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि जब आपने आई.ए.एस. पी.के. गोयल को नोटिस दे डाला तो इतनी जल्दी इसको ड्राप क्यों कर डाला?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ड्राप कर दिया? शेम।

डा. किरोड़ी लाल : ड्राप करने की तारीख है, सभापति महोदय, 25 जनवरी, 2003, अभी असेम्बली चल रही है और इसको ड्राप कर दिया। ड्राप करने में लिखते हैं, केवल इतना-सा ही है बस, पी.के.गोयल उनके विरुद्ध आरोपित अपना लिखित अभिकथन 16.1 को प्रस्तुत किया। प्राप्त लिखित अभिकथन का संबंधित अभिलेख के साथ परीक्षण करने पर पाया कि गोयल के विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनता। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदया, एक वनवासी तो अपनी झोपड़ी में नहीं रह सकता, उनके तो पचास हजार परिवारों को आप उठाकर उजाड़ देना चाहते हैं। पचास हजार परिवारों को तो उजाड़ देना चाहते हैं, आपको यह ज्ञापन देकर गये हैं अभी परसों के दिन और एक कलक्टर जिसने परमिशन दी, जिसमें लेनदेन हुआ और उसमें 10 जनपथ घुस जाए, इसको हम बरदाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं आपके अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं, आपको भी निवेदन करना चाहता हूं, प्रिंसिपल सी.सी.एफ. हो, चाहे सैक्रेटरी हो, इस ढंग से पक्षपात करके अगर निर्माण वहां पर चालू रखे तो वहां का भी आदिवासी पागल नहीं है। उसके पशु भूखे मर रहे हैं, पेट पालन किसानों का नहीं हो रहा और भूखा मरता क्या नहीं करता, यह भूखा मरता हुआ आदिवासी और किसान, इन महलों के टके नहीं उठने देगा। वे जो महल बनाये, आप हमको बताएंगे कि ओबेराय ग्रुप और दूसरे ग्रुप जितने भी

(डा. किरोड़ी लाल)

पोलिटिकल लीडर्स के वहां पर बने हैं, पोलिटिकल लीडर्स ने होटल बना दिये, होटलें बन गईं, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने नोटिस नहीं दिया, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगाना चाहूंगा, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, वे पोलिटिकल लीडर्स, वे प्रशासनिक अधिकारी, वे बड़े-बड़े व्यापारी, बिजनसमैन जिन्होंने जाकर वहां होटल बनाये हैं जो रणथम्भौर को उजाड़ देना चाहते हैं और उजाड़ कर उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं, इस पर आपको बताना पड़ेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मुख्य सचेतकजी, आप मुख्य मंत्रीजी को बुला लो, आपने तो यह घोषणा की थी कि हम पारदर्शी शासन देंगे, संवेदनशील सरकार देंगे, भ्रष्ट जो होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। इतना बड़ा घपला करने के बाद, आपने तो उसको दौसा में देखा है, वह कलक्टर था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मंत्री महोदया, खुद आपने भी देखा था।

डा. किरोड़ी लाल : जो इतना अक्षम अधिकारी था कि तीन बार बूथ कैप्चरिंग हो गई थी, हिन्दुस्तान में मेरी समझ में तीन बार बूथ कैप्चर तो कहीं हुआ नहीं होगा, बी.बी.सी. लंदन बोला था, और उसको हटाया था। उसको हटाया था, वह कलक्टर साहब, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। मेरी तरफ से वह चार बार बूथ कैप्चर कराएं, पचास होटलों को परमिशन दें, पर, माननीय मंत्री महोदया, वन और पर्यावरण को जो उजाड़ा जा रहा है, 33 प्रतिशत वन आच्छादित यह प्रदेश होना चाहिए था वह 9.49 प्रतिशत पर टिका हुआ है, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करके सरकार को कहना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर कोई कार्यवाही करेगी जो अधिकारी वनों को उजाड़ रहे हैं उनके खिलाफ? मंत्री महोदय जवाब देते हुए इसमें इस प्रकार का हमें आश्वासन देंगी कि आज चाहे कितना ही बड़ा यह अधिकारी क्यों नहीं हो...

श्री हरिसिंह (महुवा) : कृपया, माननीय सदस्य।

श्री सभापति : प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : कोई कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, भूमि रूपान्तरण की और नियमन की कार्यवाही पूरी तरह से रुक जानी चाहिए। अभी एक कोई गार्जन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है नई दिल्ली की, गार्जन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के लिए...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया अच्छी तरह जानती हैं, उनको यह नाम लिखने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री सभापति : मुख्य सचेतकजी लिख रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये जानती हैं अच्छी तरह, नहीं तो खड़ी होकर कह दो कि नहीं जानती।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सब एक साथ जवाब मिल जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां लेंगे न जवाब, एक-एक चीज का जवाब लेकर जाएंगे।

डा. किरोड़ी लाल : उसने बिना इजाजत लिये वहां निर्माण करा दिया। अब कलेक्टर को आरोप पत्र थमा रहे हैं। अचम्भा इस बात का है कि कलक्टर का आरोप पत्र पोलिटिकल प्रैशर से ड्राप कर रहे हैं, 10 जनपथ का फोन आ रहा है। क्योंकि वहां राहुल आते हैं, वहां प्रियंका आती हैं इसलिए ड्राप तो होना ही था।

श्रीमती बीना काक (वन राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, ये बार-बार 10, जनपथ का नाम लाना उचित नहीं है। इनके पास अगर कोई साक्ष्य हों तो वो प्रेषित करें। फिजूल में कोई चीज हवा में कह देने से इस सदन में इनका हल नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है प्रामाणिक लगाया, गम्भीरता से लगाया है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप सदन की एक समिति बना दो, हमारे पास जो पत्रादि हैं उन पत्रादि से हम यह सिद्ध कर देंगे। पी.के. गोयल के खिलाफ जो आरोप पत्र था और जिस होटल का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, मुझे तकलीफ इस बात की है, मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं आप रणथम्भौर गयीं और आपने रणथम्भौर जाकर उस जगह को देखा अपनी आंखों से और देखकर आपके साथ जो थे उनको कहा कि यह तो गलत हो रहा है, उसके बाद आप क्यों चुप रह गयीं? आप वहां तो कह रही थीं कि नहीं, मैं शेरनी हूं, मैं कार्यवाही करूंगी, फिर क्या हो गया?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब ये अपना उत्तर देंगे तब आपको संतुष्ट कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, फिर ठीक है।

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, यह परम्परा रही है इस सदन की कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है या जो अपना स्पष्टीकरण सदन में दे नहीं सकता उसके खिलाफ कोई बात नहीं हो नम्बर-1 बात।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, संतुष्ट कैसे कर देंगे?

डा. महेश जोशी : और नम्बर-2 बात, एक तरफ तो माननीय सदस्य यह कह रहे हैं नाम ध्यान नहीं था तो कह दिया कि मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैंने नोटिस नहीं दिया और दूसरी तरफ वो ही बातें कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं, आरोप नहीं लगाया...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : नामजद बात नहीं की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 10, जनपथ।

श्री रोहिताश्व कुमार : 10, जनपथ कहा था।

डा. किरोड़ी लाल : 10, जनपथ ने पैसा लिया यह हमने नहीं कहा... (व्यवधान) ...पैसा लेने की बात कब कह दी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं, आरोप नहीं। हमने तो यह कहा कि मंत्री महोदया के नालेज में था। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आप नाम कैसे नहीं ले रहे हैं? कभी आप राहुल नाम ले रहे हैं, कभी आप बढेरा नाम ले रहे हैं, आप कैसे नहीं नाम ले रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कह रहे हैं राहुल नहीं गये, मैं तारीख बताऊं? राहुल गये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज राजेन्द्र जी, सहयोग कीजिये, यह कोई आर्ग्यूमेंट का विषय नहीं है, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, राहुल गये हैं, प्रियंका जी गयी हैं, राहुल गये हैं और मैं सब नहीं लूंगा, उसके पीछे-पीछे दौड़ती आपकी मंत्राणी जी गयी हैं। राहुल और प्रियंका जी की आहट के साथ आपकी मंत्राणी जी वहां गयी हैं।

डा. महेश जोशी : उनका जाना कहीं मना है क्या? उनका जाना मना है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर हमने गलत क्या कहा?

डा. महेश जोशी : यह क्या बात हुई?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, गलत क्या कहा?

डा. महेश जोशी : नहीं, गलत नहीं, आप नोटिस दीजिये। आप नोटिस दीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : संभापति महोदय...

श्री सभापति : क्या फर्मा रहे हैं?

श्री रोहिताश्व कुमार : आरोप थोड़े ही है? आरोप लगाने पर नोटिस दिया जाएगा।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, उप मुख्य सचेतकजी ने कहा कि जो हाउस का सदस्य नहीं हो उसका नाम लेना उचित नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने उनकी विजिट की बात कही है।

श्री दिग्विजय सिंह : तो मैं कह सकता हूं कि तत्कालीन जिलाधीश जो थे, तत्कालीन जिलाधीश ने जो कार्यवाही की उसके ऊपर तो आप कार्यवाही कर सकते हैं, उसका तो बोल सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, यह है, दिग्विजय सिंहजी। ये हैं हमारे पुराने नेता।

श्री दिग्विजय सिंह : नाम मत लें पर तत्कालीन जिलाधीश सवाईमाधोपुर के विरुद्ध जो कार्यवाही हुई...

श्री सभापति : माननीय किरोड़ी लाल जी, चालू रखिये।

डा. किरोड़ी लाल : जवाब दो उसका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत बढ़िया बात है।

श्री धर्मपाल चौधरी : महेश जी, आप छोड़ो, वो बहुत सीनियर आदमी हैं। उन्होंने कह दिया, अब आप चुप रहे।

श्री सांवर लाल : होम मिनिस्टर रहे हुए हैं हमारे।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, बहुत ही सीनियर व्यक्ति जो राजस्थान सरकार में गृह मंत्री रहे हैं और वन एवं पर्यावरण के बड़े प्रेमी हैं, उन्होंने इस मांग को दुहराया कि तत्कालीन कलक्टर के खिलाफ तो कार्यवाही करो। वो भी ट्रैजरी बैंच से हो रहा है, इसलिए मैं विश्वास

(डा. किरोड़ी लाल)

करता हूं कि मंत्री महोदया कुछ न कुछ इस बारे में बताएंगी। ये कह रहे थे कि आप प्रियंका, राहुल बढेरा का नाम मत लो। सभापति महोदय, प्रियंका जी राहुल और बढेरा जी भ्रमण के लिए आये थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और उनके पीछे कई दौड़ते अपने आप चले आये थे।

डा. किरोड़ी लाल : अब मैं भ्रमण का नाम भी नहीं लूं क्या सभापति महोदय?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप क्यों गये थे, महेश जी जोशी साहब?

डा. किरोड़ी लाल : और बिल क्लिंटन भी आये थे, क्या उनका नाम भी नहीं लूं, सभापति महोदय? मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि प्रियंका, राहुल बढेरा जब आये तो उन्होंने उस भम्भूराम को देखा जिसको बिल क्लिंटन ने देखा था, और रोमांचित हुए। सभापति महोदय, तमाशा इसलिए है कि प्रशासनिक जो वन के अधिकारी हैं इनको दबाया जाता है। बेचारे इनकी भी मजबूरियां हैं। उन्होंने विदेशी फीस भ्रमण की मांगी तो राहुल और उसकी कोलम्बियन साथी थी महिला प्रेमिका, वो शेरबाग रिसोर्ट में रुके थे, जब विदेशी फीस मांगी भ्रमण की तो ये नाराज हो गये सत्ताधारी दल के लोग। उन्होंने कहा कि फतेह सिंहजी बहुत लम्बे समय से रह रहे हैं। उन्होंने नाराजगी का कारण जो त्यागी वहां पर अधिकारी थे और दायमाजी वहां के सबसे ईमानदार फोरेस्ट में अधिकारी हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से और फिर उसी 10 जनपथ के टेलीफोन के कारण हटाया। उस समय बड़ी चर्चा हुई, चर्चा का विषय रहा। वन मंत्री नहीं चाहते थे कि ईमानदार अधिकार हटे, लेकिन मुख्य मंत्री का विशेषाधिकार का मामला है। विशेषाधिकार का उपयोग भी मुख्य मंत्री ने इसलिए किया कि 10, जनपथ का दबाव था-प्रियंका नाराज हो गयी, बढेरा नाराज हो गये, राहुल नाराज हो गये। अब ये आने वाले नाराज होंगे तो क्या आप रणथम्भौर को उजाड़ेंगे, क्या वन को उजाड़ेंगे? यह कभी ऐसे उजड़ने नहीं दिया जाएगा। आदिवासियों को आप उजाड़ दो, इसको भी बरदाश्त नहीं किया जाएगा। 50 हजार परिवारों को आप घर विहीन कर दो, उनको उजाड़ दो, जला दो, यह चलने वाला नहीं है। अब आदिवासी भी जाग चुका है, आपने महल वालों को बचाया तो इसके परिणाम गम्भीर होंगे। आपने इस ब्यूरोक्रेट को बचाया जिसने फोरेस्ट एरिया में जाकर भीतर निर्माण किया है तो डाक्टर किरोड़ी लाल वहां हजारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में धरना देगा और आपको

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विश्व के स्तर पर बता देगा कि कांग्रेस के राज में रहते हुए इस रणथम्भौर को कैसे लूटा जा रहा है, कैसे खसोटा जा रहा है। होटलें बनायी जा रही हैं, व्यभिचार के अड्डे हो रहे हैं। बड़े-बड़े बिजनसमैन आ रहे हैं। सारे परिवारों की नीवों को तोड़ कर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सारी रूलिंग्स को खतम करके वहां पर होटलें बना रहे हैं, मैं इस पर सख्त आब्जेक्शन करना चाहता हूं।

(डा. किरोड़ी लाल)

मैं विश्वास करता हूं कि मंत्री महोदया इस पर आश्वस्त करेंगी। सदन में कहना चाहता हूं कि वह कलक्टर जिसका आपने आरोप पत्र खारिज किया है, उसको सस्पैंड ही नहीं करें, उसको बरखास्त करें। पर्यावरण के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ यह सदन बरखास्त नहीं करेगा।

श्री सभापति : माननीय रतनाराम जी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, आज वन एवं पर्यावरण की मांग पर जो विचार हो रहा है उस पर मैं मेरे विचार रख रहा हूं। वन एवं पर्यावरण का चोली दामन का सम्बन्ध है, जब वन एवं पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तो कई विपदाएं खड़ी हो जाती हैं और बरसात पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पहले के जमाने में अति वृक्ष थे और किसान भी अपने परिवार की तरह इन वृक्षों को पालते थे, पनपाते थे। आज भी हमारे वहां किसानों के खेतों की मेड़ पर खेजड़ी, देशी बबूल, नीम, सरस-ऐसे अनेकों वृक्ष आज किसानों की मेहनत से लगे हुए हैं और खेतों को हरियाली दे रहे हैं। परन्तु मेरे को कहते हुए दुःख हो रहा है कि चाहे सरकार भाजपा की आयी हो, चाहे सरकार और कोई आयी हो, लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी वन विभाग-आज वन विभाग की 2 अरब 2 करोड़ और करीब 50 लाख रुपये की मांग स्वीकृत होने जा रही है, हर साल इतने रुपये वृक्षारोपण पर खर्च हो रहे हैं, परन्तु आज जाकर देखे तो जैसे वृक्ष पर तीन पात थे तो आज भी तीन पात ही हैं, चौथा पात नहीं निकला है। हर सड़क पर इन लोगों ने वृक्षारोपण किया, एंगल लगाये, तार लगाये लेकिन आज आप जाकर रानीवाड़ा से सांचौर की सड़क देख लीजिये, रानीवाड़ा से भीनमाल जालौर का जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है उस सड़क का निरीक्षण कर लीजिये, एक भी वृक्ष वहां लगा हुआ नहीं है सिवाय अंग्रेजी बबूल के जो अपने आप पनपता है। पनपाने की जरूरत नहीं होती, उनको पानी देने की जरूरत नहीं होती है। एक लकड़ी की तरह वह बबूल वहां खड़ा है, बाकी कोई वृक्ष वहां देखने को नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, यह किसकी जिम्मेदारी है कि लाखों रुपये खर्च करके आप वृक्ष लगाते हो, एंगल लगाते हो, तार लगाते हो और फिर वहां वृक्ष पनपता नहीं है? यदाकदा एकाध कोई वृक्ष वहां पनप जाता है तो पशुपालक उसको बीच में से काट देता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती। फोरेस्ट का वहां जो आदमी लगा हुआ होता है वह पशुपालकों को रोकता नहीं है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही करता नहीं। इसलिए मेरा आपको यह सुझाव है कि अगर आपको वृक्ष लगाने हैं तो जितेन रुपये आप खर्च कर रहे हो उतनी सब्सिडी किसानों को क्यों नहीं दी जाए? किसान और सरंपच के मार्फत क्यों नहीं वृक्षारोपण करवाया जाए? पंचायत के मार्फत क्यों नहीं वृक्षारोपण करवाया जाए? अगर पंचायत के मार्फत वृक्षारोपण होगा तो वहां लोकल आदमी होगा, वहां सरपंच उन लोगों को बाध्य कर सकता है कि हमने जो वृक्ष लगाये उनको

(श्री रतनाराम चौधरी)

कोई काटे नहीं। 50 परसेंट काम वन विभाग को दीजिए। और 50 परसेंट सरपंचों को काम दीजिए। उन दोनों का काम देखो, जो ठीक करता है उनको आइंदा से काम देना, जो ठीक काम नहीं करता है उनके परसेंट में कटौती कर देना।

जो पहाड़ों पर पुराने वृक्ष थे, आज सारे पहाड़ नंगे हो गये। वहां इस मंत्रालय की कोई पकड़ नहीं है। हमारे वसुंधरा जैसे पहाड़ों में जहां शेर, चीते, सूअर, रीछ वगैरह रहते हैं, वहां ऊपर पानी मिलता नहीं है क्योंकि अकाल है। भयंकर अकाल पड़ गया, नहीं तो झरने बहते थे। चार साल से भयंकर अकाल है, वहां पशुओं को पीने के लिये पानी मिलता नहीं है तो शेर, रीछ वगैरह रात के समय गांव में आते हैं और कई पशुपालक भाइयों को, कई किसान भाइयों को जख्मी करके चले जाते हैं। पानी के लिये वे गांव में आते हैं इसलिए मेरा यह सुझाव है, मंत्री जी कि पहाड़ों में आप एनीकट बनवाइए। आप तो चले गये, आप सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) इसलिए पहाड़ों में छोटे-छोटे एनीकट बनाइए। एनीकट बनाने से वहां पानी रुकेगा और पानी रुकेगा तो जो हिसंक पशु हैं वह गांवों में आएगा नहीं। (व्यवधान) ऊपर एनीकट बनेगा, नीचे वृक्ष होगा तो वह पानी रुक कर सारे वृक्षों को मिलेगा। इससे आपका वृक्षारोपण भी बहुत बढ़िया पनपेगा। दूसरा, शेर, चीता और रीछ वगैरह जो पानी के लिये गांव में आ जाते हैं, वहां उनको पानी मिल जाएगा तो वे नीचे आकर हिंसा नहीं करेंगे। मेरा यह सुझाव है कि अबकी बार इस बजट में आप जंगलों में एनीकट बनवाइए।

दूसरा, वन विभाग वाले हमारे वहां अंग्रेजी बबूल लगाते हैं, उनकी भी बुआई नहीं करवाएं। वहां खेजड़ी, नीम, सरस ऐसी लकड़ियों के पेड़ लगने चाहिये जिससे पशुओं के लिये भी पत्ती काम आती है और बड़ा वृक्ष होता है तो उसकी छाया भी होती है। ऊंट, बकरी, गाय के लिये उनकी पत्ती काम आती है, जबकि बबूल पर तो कांटे ही कांटे हैं, अंग्रेजी बबूल में पत्ती नहीं आती है। हमारे देशी बबूल बहुत कीमती होते हैं, देशी बबूल पर फली आती है। इसमें दो बबूल हैं, एक पर फली आती है, एक पर इतनी-सी फली आती है। दो प्रकार के बबूल हैं।

एक माननीय सदस्य : आपको बड़ी फली वाला चाहिये न?

श्री रतनाराम चौधरी : हमको बड़ी फली वाला ही चाहिये। अगर हम ग्रामीण लोगों का सुझाव शहरी लोग मानते, शहरी लोगों को न तो मालूम है कि क्या बबूल है, कौन खेजड़ी है, कौन क्या है। हम गांव से आने वाले व्यक्ति हैं, धरती पुत्र हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम हाथ से हल चलाते हैं आप लोगों ने किसी के खेत में जाकर देखा है? (व्यवधान) सामने बैठने वालों ने भी 8 साल में कुछ नहीं किया, 8 साल अंग्रेजी बबूल लगाया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजेन्द्र जी पारीक, सुन लो। शहरी आदमी, सुन लो।

श्री रतनाराम चौधरी : मुझे बीच में जिन्होंने डिस्टर्ब किया है मैंने उनको जवाब दे दिया, और जो बीच में बोलेंगे उनको भी जवाब दे दूंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धन्यवाद, आज अच्छा बोल रहे हो।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए ऐसे वृक्ष लगाएं जिनकी फल-पत्तियों से आम पशुओं को और लोगों को फायदा हो। देशी बबूल लगाने से उसमें गोंद आता है, वह बहुत कीमती होता है। (व्यवधान) गोंद कहो, गूंद कहो, गुड़ कहो, कुछ भी कह दो आप। अपने हिसाब से कुछ भी कह दो। आपके बच्चों के लिये सर्दी में लड्डू बनाया था। वह गोंद का बनाया था, वही गोंद हैं।

डा. महेश जोशी : आहूजा साहब, आप अपनी मूंछों पर इतराना मत, मूंछ उधर भी कम नहीं हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लेकिन वह सफेद है।

श्री रतनाराम चौधरी : हमने कई उतार-चढ़ाव देखे हुए हैं। आपके काली हैं अभी तक आपने धूप-छाया नहीं देखी है, हमने जमाना देखा है। राजा महाराजा और सामंती जमाना देखा हुआ है।

श्री सभापति : कृपया सहयोग कीजिए। चौधरी साहब, आप वन विभाग की मांग पर बोलिए।

श्री रतनाराम चौधरी : यह तो इस कांग्रेस के महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया है इसलिए आपने वे दिन नहीं देखे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपन दोनों मूंछों वाले हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए भी आज आप मूंछों पर तांव दे रहे हो। आपसे कोई कम मूंछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चौधरी साहब, अपन दोनों मूंछे वाले हैं। (व्यवधान) ये अपन दोनों को लड़ाना चाहते हैं। अपन दोनों मूंछे वाले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : ज्ञानदेव जी, बिराजिए।

एक माननीय सदस्य : आपके नकली मूंछें हैं, आपने रंग पोत रखा है।

श्री सभापति : रतनाराम जी बोल रहे हैं, क्या व्यवस्था का सवाल उठा रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। यहां पर चर्चा हो रही है मूंछ पर, सदन में आज मांग है।

श्री रामचन्द्र सराधना : सभापति महोदय, ये कहां से बोल रहे हैं? इनसे कहिए कि ये अपनी सीट से बोले।

श्री सभापति : रतनाराम जी, अपनी बात को चालू रखिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) **:** दोनों मूंछों वालों के बीच में आ रहे हो (व्यवधान) राजेन्द्र जी...

डा. महेश जोशी : नकली नहीं हैं, आहूजा जी आपकी तो काली नकली हैं रंगी हुई। (व्यवधान) इनके असली हैं।

श्री हेमन्त कुमार : आपकी तरह नकली नहीं है। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : वन विभाग के लिए सुझाव दिये हैं, हमारे कई मंत्री, वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए हैं वे नोट कर रहे हैं, जब आप रिप्लाई दें तो मेरे सुझाव पर जरूर ध्यान देकर उन पर जवाब देने की कृपा करें।

पर्यावरण पर भी आ रहा हूं। वन और पर्यावरण का चोली-दामन का साथ है, यह मैंने पहले ही कह दिया है। पर्यटन ने जिस तरह से माउण्ट आबू है, इसी तरह से हमारे विधान सभा क्षेत्र में सुन्दा माता का स्थान एक पर्यटन स्थल के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सारे हिन्दुस्तान से पर्यटक तीर्थ स्थल पर आते हैं, रमणीय स्थल है सुन्दा माता। सुन्दा पहाड़ कहते हैं उसमें सुन्दा माताजी का भी स्थान है, वह सुन्दा माता पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। मंत्री महोदय, करोड़ों रुपये का चढ़ावा आता है, 15-15, 20-20 करोड़ रुपये का चढ़ावा आता है लेकिन वहां मामूली ट्रस्ट बना हुआ है, सारे धन का दुरुपयोग हो रहा है। जालौर जिले में सोनगिरा है, जालौर जिले में एक परकोटा बना हुआ है माउण्ट आबू से करीब 60-70 किलोमीटर की दूरी है उसके बीच में है। माउण्ट आबू जैसा ही वह स्थल है, मेहरबानी कर सुन्दा माता को पर्यटन स्थल के रूप में शामिल करें। राज्य सरकार के राजस्व में करोड़ों रुपये का फायदा होगा। धन का दुरुपयोग हो रहा है, कृपया इस पर गौर करके जन हित में, राजस्व हित में इसे पर्यटन स्थल घोषित करवाने की कृपा करें। (व्यवधान) वहां पर मेला भी लगता है। हर महीने एकादशी से पूर्णिमा तक वहां पर मेला लगता है, एक दिन में लाखों लोग आते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम, देशी रीति रिवाज के अनुसार कई होते ही हैं, चलते ही रहते हैं। सुन्दा माता रमणीक स्थल है, वहां ऐसा क्यों नहीं होता होगा? होता ही रहता है।

श्री सभापति : रतनाराम जी, कृपया अपने भाषण को समाप्त कीजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : आपने मुझे समय दिया, समय पर बुलाने की कृपा की इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मैंने जो पहले सुझाव दिये, उन पर गौर करके मेरे सुझावों को अमलीजामा पहनाने की वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, पर्यटन मंत्री कृपा करेंगे, इसी आशा के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ज्ञानदेव आहूजा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : टक्कर के हैं। अब होगी मूंछों की टक्कर। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : ये नकली मूंछें हैं, रंगी हुई हैं, इधर ओरिजिनल मूंछें हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, लटक कर देख लो, असली हैं या नकली हैं। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : रंगी हुई हैं, रंगी हुई। (व्यवधान)

श्री सभापति : उप मुख्य सचेतक जी, सभा को संचालित करने में सहयोग कीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह सचेतक हैं, बताइये। (व्यवधान) खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, सचेतक नहीं +++ हैं। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : एक मिनट, फैक्ट्रियों का पानी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। पाली और बालोतरा इलाके में आता है, हमारे जालौर जिले में आता है और खेती करने वाली अमूल्य जमीन को बिगाड़ता है, इसलिए कृपया फैक्ट्रियों को लाइसेंस जारी करने के पहले उनको पाबंद कराइये कि फालतू का पानी नदी में नहीं छोड़ें।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री रतनाराम चौधरी : दूसरे किसानों के खेत बरबाद नहीं हों। (व्यवधान)

श्री सभापति : नोटिस में ले लिया, आप बिराजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : यही बात मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, जैसा मेरा स्वभाव है, मंत्री महोदय भी आ गये हैं इसलिए शेर सुनाना बहुत जरूरी है। उनके आदाब में एक शेर सुनाना जरूरी है।

श्रीमती बीना काक (वन राज्य मंत्री) : चलो, आपके बोलने का तरीका तो बदला। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम कांटों की बात करते हैं आप फूलों से जख्म खाए हैं, हम गैरों की बात करते हैं आप तो अपनों के ही सताए हैं।

श्रीमती बीना काक : आज तो नहीं सताओगे ना? (व्यवधान) आज आप कांटों की श्रेणी में आएंगे या फूलों की श्रेणी में आएंगे?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम तो आज फूलों की श्रेणी में आएंगे। (व्यवधान) इसीलिए हमने कहा कि आप अपनों के सताए हैं, तो हम आपके अपने हैं लेकिन अभी सामने बैठे हैं।

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मांग संख्या-9 और 47 वन और पर्यटन की चर्चा में पहले पर्यटन के बारे में आज चर्चा में भाग लूंगा। सभापति महोदय, जहां शुरू किया, पर्यटन विभाग और इसके कार्य व संगठन, पर्यटन कला और संस्कृति विभाग की ओर से प्रकाशित यह प्रतिवेदन है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद गलत व्याख्या करके नेहरू परिवार ने भारतीय कला और संस्कृति जो भारत की महान संस्कृति है, उसको कठपूतली, नाच-गाने, ड्रामों के साथ जोड़ दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसका नाम पर्यटन विभाग ही रखा जाए तो ठीक है। कला एवं संस्कृति की व्याख्या तो बहुत ऊंची है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की। निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ प्यार मोहब्बत और विरह के गीत ही पर्यटन नहीं हैं, न ही कला व संस्कृति हैं।

+++ : शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

आपने इसमें एक शब्द जरूर कहा है, राजस्थान की गौरव गाथा-कला और संस्कृति। राजस्थान की गौरव गाथा ऐतिहासिक है, लेकिन इसमें कहीं भी आपने उन स्थानों का जिक्र नहीं किया जिसके कारण पूरे विश्व के लोग राजस्थान के ऐतिहासिक महापुरुषों को याद करके पर्यटन स्थलों पर घूमने आते हैं। आपने कहीं भी जिक्र महाराणा प्रताप का नहीं किया, महाराणा प्रताप के युद्ध स्थल हल्दी घाटी का नहीं किया है। इस प्रतिवेदन में कहीं भी कुम्भलगढ़ का जिक्र नहीं किया गया है। महाराणा प्रताप और अकबर का जहां युद्ध हुआ, हल्दी घाटी और रक्त तलाई का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। मंत्री महोदय, महाराणा प्रताप का स्मारक हिरणमगरी जो उदयपुर में है, उसका जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके पीछे आपका षड्यंत्रकारी उद्देश्य है जो आजादी के बाद 55 साल से चल रहा है। आप छद्म धर्मनिरपेक्षवादी हैं, आप ढोंगी, धर्मनिरपेक्षवादी हैं। आपके लिए तो अकबर महान है ना। जिसके लिए अकबर महान होगा, उसके लिए महाराणा प्रताप महान कैसे हो सकता है? महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी, रक्त तलाई, कुम्भलगढ़, हिरणमगरी, चेतक स्मारक और तो और, भरतपुर का लोहागढ़ का नाम, महाराज सूरजमल का नाम जोड़ने में कहां दिक्कत थी? महाराज सूरजमल जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये थे, उस महापुरुष का भी नाम महाराणा प्रताप के साथ जोड़ा होता। वह आपने नहीं जोड़ा। आपने सिर्फ ऐतिहासिक गौरव गाथा का कहा है। सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें कहीं अमर सिंह राठौड़ का नाम नहीं है, पन्नाधाय के स्थान का नाम नहीं है। न कहीं महारानी पद्मिनी के चित्तौड़गढ़ के किले का। चित्तौड़गढ़ का तो नाम है। पर्यटन सचिव महोदय ने प्रतिवेदन जब बनाया है तो क्या उन महापुरुषों का जो राजस्थान के लिये ही नहीं, इस देश के लिये लड़े नाम नहीं लिख सकते थे? सभापति महोदय, छोटे से छोटा बोलिविधा देश है दक्षिणी अमेरिका में, वहां एक क्रान्तिकारी योद्धा हुए, एक सेनापति हुए बोलीवर, उनके नाम से उस देश का नाम है, बोलीवर के नाम से बोलीविया। आपने कलंकित कर दिया है यह प्रतिवेदन निकालने में राजस्थान के पर्यटन विभाग का-न महाराणा प्रताप का नाम, न अमर सिंह राठौड़ का नाम, न पन्नाधाय का नाम, न कहीं महारानी पद्मिनी का नाम और न कहीं महाराजा सूरजमलजी का नाम। क्या अर्थ है इस प्रतिवेदन को निकालने का?

आपने जो सबसे पहले व्याख्या की है, सभापति महोदय, राजस्थान में लोग आते हैं हवामहल देखने, राजस्थान में लोग आते हैं महरानगढ़ का किला देखने, राजस्थान में लोग आते हैं उदयपुर की मेवाड़ घाटी के दर्शन करने, राजस्थान में लोग आते हैं पुष्कर के दर्शन करने, राजस्थान में लोग आते हैं माउण्ट आबू के लिये और दिलवाड़ा जैन मन्दिरों के लिये। कहीं है क्या जिक्र उस सम्बन्ध में? आपने धार्मिक नगरियों को छोड़ दिया, आपने ऐतिहासिक नगरियों को छोड़ दिया। मंत्री महोदय, जो प्रतिवेदन छपवाया है उसमें है पर्यटन नीति

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

एवं राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन, तो क्या राजीव गांधी के पैदा होने से पहले राजस्थान की गौरव गाथा नहीं थी, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल नहीं थे? पुष्कर राज तो 17 लाख वर्ष पहले, तीर्थों में तो राज पुष्कर राज, सभी तीर्थों का केन्द्र पुष्कर राज है। उसके बारे में आपने ढंग से व्याख्या की होती। आपको तो छद्‌म धर्म निरपेक्षता का एक ऊपर से चांदी का कलश चढ़ा हुआ है। वह भी काली पड़ गयी चांदी, अब आपकी कलई खुल रही है। और जो आपने निकाला है राजीव गांधी मिशन, इसके क्या कार्यकलाप होंगे, क्या प्रोग्रेस करेंगे? राज्य की अनेक लोक कलाओं, हस्तशिल्प, स्थापत्य कलाओं का योजनाबद्ध तरीके से संरक्षण, संवर्द्धन। जयपुर के अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को प्रारम्भ करवाना, एयरपोर्ट आपने चालू करवाया। पूरे राजस्थान के धार्मिक या ऐतिहासिक या गौरवपूर्ण स्थानों का राजीव गांधी के आने के बाद में विकास होगा? यह विकास तो पहले हो चुका है। झूठे मिशन बनाकर, यह मिशनरी चीज, सभापति महोदय, कहां से आयी? यह मिशनरी चीज क्रिश्चियन श्रीमती सोनिया गांधी के आने के बाद, आपने उनको खुश करने के लिये कितने मिशन बनाये हैं, लेकिन मिशनरी जील आपमें पैदा नहीं हो पायी। इस सरकार में मिशनरी जील पैदा नहीं हो पायी लेकिन राजीव गांधी मिशन, राजीव गांधी मिशन। पर्यटन में क्या लेना-देना है राजीव गांधी के नाम का? उनके नाम का क्या लेना-देना है? लेकिन पर्यटन में भी लोग देश-विदेश से जो आते हैं उसमें आपने राजीव गांधी मिशन नाम जोड़ दिया।

माननीय सभापति महोदय, आठवीं, नवीं पंचवर्षीय योजनाओं का और बाकी का हवाला, अंकों के हिसाब से, गणित के हिसाब से और आंकड़ों के हिसाब से तो समय जाएगा, मूल बात यह है कि जनजाति क्षेत्र में आपने पर्यटन स्थलों के विकास के लिये सिर्फ 80 लाख रुपये और 125 लाख रुपये पर्यटन प्रयास और मेलों के लिये रखे हैं। अब जनजाति के जो मेले लगते हैं बांसवाड़ा-डूंगरपुर में, मैं गया हूं सिरोही और जालौर में, जनजाति के जो मेले लगते हैं उन मेलों के लिये मात्र 205 लाख रुपये पर्याप्त हैं क्या? बाकी जगह आप करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, तो जनजाति के लोगों के लिये भी आप खर्च करें। जितने पैसे का आपने प्रावधान रखा उसमें से भी राशि व्यय नहीं हो पायी। आयोजना भिन्न मद में विभाग का विवरण दिया है 235 लाख, उसमें से आप सिर्फ 161 लाख रुपये खर्च कर पाये। घूमने, फिरने, मौज मस्ती में भी आपने पैसा बचा लिया। उसमें से तो पूरा खर्च कर देते पर्यटन में तो।

आगे जाकर आपने दिया है पर्यटन सांख्यिकी, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं। अब केन्द्र प्रवर्तित जो योजनाएं हैं उसमें पूर्वी राजस्थान का भी कोई हिस्सा है कि नहीं है? माननीय सचिव अरविन्द मायाराम साहब का तो खुद पूर्वी राजस्थान, किशनगढ़ में जन्म हुआ है। ऐसा पवित्र

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

स्थल अलवर-भर्तृहरि का स्थान, पाण्डुपोल का स्थान, तालवृक्ष का स्थान, राणी माता का स्थान, और तो और सरिस्का टाइगर डैन वहां, उसमें आपने जो केन्द्र से पैसा दिया है। अलवर का विकास करने के लिये, पूर्वी राजस्थान के साथ तो अन्याय है। यह राजस्थान की सरकार तो जैसे पूर्वी राजस्थान में मानती ही नहीं है। पूर्वी राजस्थान के साथ अन्याय है, भरतपुर और अलवर के साथ अन्याय है। अलवर में मात्र एक स्वागत केन्द्र, बाकी जगह 2-2, 3-3, केन्द्र। अलवर जो राष्ट्रीय राजधानी एरिये में है, अलवर जो दिल्ली के पास है, सबसे पहले विदेश का पर्यटक अलवर जिले में आता है। भरतपुर आता है जहां पर साइबेरिया से क्रेन-पक्षी आते हैं। टाइगर डैन देखने आता है। (व्यवधान) सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान में इतना बड़ा अन्याय आप कर रहे हैं। आप मेले लगाते हैं। मेले लगाते हैं तो क्या भर्तृहरि का लक्खी मेला नहीं है? क्या अलवर का जगन्नाथ का मेला नहीं है? क्या वहां पर पाण्डुपोल का लगने वाला नहीं है? आपको तो धर्म से चिढ़ है। मार्क्सवादियों को तो चिढ़ हो सकती थी कि विष की गोली है, लेकिन आप तो धर्म में आस्था रखने वाले मंत्री हैं। आपने बाबा रामदेव के मेले का कोई इसमें जिक्र नहीं किया। आपने इसमें तेजाजी का मेला, ब्यावर का कहीं जिक्र नहीं किया। मैं अलवर की बात कह रहा हूं। अलवर के साथ में जो विशेष मेले हैं, गोगामेड़ी का जिक्र भी एक पंक्ति में एक शब्द में किया है। भरतपुर में एक महीने तक प्रदर्शनी चलती है, किस अधिकारी, किस नेता और किस मंत्री को मालूम नहीं है, वहां चलने वाली नुमायश...(व्यवधान) न करें नोट, नोट अपने आप करते रहेंगे। यहां इन्द्राज हो जाएगा। कोई चिन्ता मत करिये, धर्मपाल चौधरी साहब।

भरतपुर में चलने वाली नुमायश जिसको प्रदर्शनी कहते हैं-जसवन्त प्रदर्शनी, महाराजा सूरजमलजी के समय से लग रही है। एक-एक महीने चलती है, कुश्ती-दंगल होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, कव्वालियां होती हैं, उसका कहीं जिक्र है क्या इसमें? अलवर और भरतपुर और राजस्थान के अन्य मेलों के बारे में आपने इसमें कहीं जिक्र नहीं किया। अलवर उत्सव में पिछली बार आप पधारे थे। अब तो वन है। अब आप जंगल में घूमते हैं, लेकिन तब आप पर्यटन करते थे। शहरों में भी...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : किनको कह रहे हो, मंत्री तो धारीवालजी हैं। वे तो फोरेस्ट मंत्री हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये तो धारीवाल हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां, यही तो हैं।

श्रीमती बीना काक : धारीवालजी ही तो हैं पर्यटन मंत्री।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छा, धारीवाल साहब हैं। मैंने इसलिये कहा तब पर्यटन मंत्री, मंत्री महोदय, दरअसल नजर सुन्दर चीज पर ही जाती है। धारीवालजी इतने सुन्दर नहीं हैं। तो, पर्यटन मंत्रीजी, आपने अलवर उत्सव लगाया, इस बार आप पधारे। आपसे पूर्व पर्यटन मंत्री, श्रीमती बीना काक...

मोहम्मद माहिर आजाद : आहूजा साहब, आप तो यह बताएं कि धारीवालजी सुन्दर हैं या नन्दलालजी हैं, इन दोनों में से एक का तो आप फैसला कर दो। (व्यवधान) नाम से तो ये ही सुन्दर हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नन्दलालजी तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक मेला लगता है कुरूप सम्मेलन, उसमें मैं बुलवाने वाला हूं। नन्दलालजी को मैं अवार्ड देने वाला हूं, आप क्या बात करते हो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : धारीवालजी, वह है ना, "मोहे पनघट पर छेड़ गयो नन्दलाला।"

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय माहिरजी आजाद, समय खराब नहीं करें। आप कृपा करें, वरना और बात रह जाएगी।

माननीय धारीवाल साहब, आप पर्यटन मंत्री हैं, अभी आप अलवर पधारे थे, पर्यटन के नाम पर अलवर उत्सव आपने किया। सचिव महोदय भी पधारे थे, और भी अधिकारी और पदाधिकारी पधारे थे। आपने हम सब विधायकों को भी बुलाया, धन्यवाद। मैं भी उद्घाटन में उपस्थित था। आपने मात्र 2 लाख रुपये दिये अलवर उत्सव में। सभापति महोदय, इसमें शर्म की और क्या बात हो सकती है। 2 लाख का तो, साहब, वहां का जीरा नहीं आए, वहां का धनिया नहीं आए अलवर उत्सव में, जो खाना खाया है इन्होंने। खर्चा हुआ 30–40–50 लाख रुपये। पिछली बार जब बीना काक साहब पर्यटन मंत्री थीं, इसलिये उनकी तरफ ध्यान गया, इन्होंने वहां पर बिल्डिंग देखी, आर.आर. कालेज, राजर्षि कालेज। बिल्डिंग देखकर कहा कि मन मोह लिया है, बहुत लुभावनी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है। यह तो स्मारक होना चाहिए। आप एक बार पर्यटन मंत्री रहे, उसके बाद में भूल गये। अब नये भटकने वाले, पर्यटन का मतलब भटकना, नये भटकने वाले मंत्री आ गये माननीय धारीवाल साहब। माननीय धारीवाल साहब, रिक्त पदों का कल भी मैंने उठाया था, मैं कर्मचारी नेता रहा हूं, मजदूर नेता रहा हूं, इसलिये मुझे प्रेम इस बात से है। आज भी रिक्त पद आपके यहां हैं, कितने रिक्त पदों को आपने खाली रख छोड़ा है? सभापति महोदय, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन रिक्त पदों को भरें।

होटलों के बारे में आपने दिया, राज्य में पर्यटन उद्योग को उपलब्ध सुविधाएं और रियायतें इसमें दिया है कि सबसे ज्यादा

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बीयर पिलाते हैं। अब ये बीयर पिलाकर, बीयर और डियर बनकर ही राजस्थान के पर्यटन विभाग को चलाना चाहते हैं, और कोई उपलब्धि नहीं है आपकी। आप नशेबाज लोगों को, यहां पर देशी-विदेशी लोगों को बीयर पिलाकर ही अपनी तरक्की करना चाहते हैं। करें तरक्की, लेकिन यह जनता और यह समाज आपको माफ नहीं करेगा।

सभापति महोदय, मैं रिक्त पदों के बाद में एक निवेदन करना चाहता हूं, मानव संसाधन मंत्रालय से इनके पास पैसा आया, पर्यटन विभाग को सिर्फ 10 प्रतिशत देना है, 90 प्रतिशत आपको केन्द्र सरकार दे रही है। उसमें भी आप नहीं कर पाये। उदयपुर जैसा क्राफ्ट मेला तो आप लगा रहे हैं, क्राफ्ट मतलब हैण्डलूम और बुनकर, आपने बरबाद कर दिया हैण्डलूम वालों को, आपने बरबाद कर दिया बुनकर वालों को। आप कहते हैं मेरा विभाग नहीं है लेकिन उसमें पर्यटन वालों को कठपूतलियां गुड्डे, गुड़िया दिखाकर लुभाते हैं। उदयपुर का जो मूल क्राफ्ट है लकड़ी के खिलौने, आपने उसका विकास करने में कोई योगदान नहीं दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पैकेज ट्यूर के नाम पर कई पैकेज ट्यूर गिनाये है। हवामहल ट्यूर, डैजर्ट ट्यूर, त्रिकोण ट्यूर, मेवाड़ पैकेज, गोल्डन ट्राएंगल, राजस्थान भ्रमण, वाइल्ड लाइफ ट्यूर, तो क्या अलवर का जो मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली के पास में है, 100-150 किलोमीटर पर है, माननीय

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अभी वन के बारे में तो बोलना है। मेरे जैसे तो सुझाव... (व्यवधान)

श्री सभापति : वन के बारे में आप बोलना नहीं चाहते हो न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं बोल रहा हूं, साहब, वन के बारे में। उसको भी बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो यहां चिपका हुआ है। पूरा का पूरा... (व्यवधान) हो ही नहीं सकता, माननीय सभापति महोदय, यह तो पूरा वन है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, यह ट्यूर है, इस ट्यूर के बारे में कोई अलवर और भरतपुर का ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ये वन्य जानवर यहां बीच में कहां से आ गये? यह वन में जानवर बीच में कहां से आ गये? (व्यवधान)

श्री सभापति : बहुत आये हुए हैं, बहुत हैं जानवर। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसी पैकेज ट्यूर में अलवर का कहीं भी केन्द्र नहीं बन सकता क्या? आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया, जो दिल्ली से मात्र 100-125-150 किलोमीटर पर है। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने अलवर और भरतपुर के साथ में जितना पक्षपात किया है उतना पक्षपात कोई सरकार नहीं कर सकती।

अब मैं कहना चाहता हूं पर्यटन की अन्तिम बात है कि पर्यटन के नाम पर ए.बी.सी. सर्टिफिकेट प्राप्त कुछ अखबारों को आप विज्ञापन देते हैं। माननीय पर्यटन मंत्री महोदय, ए.बी.सी. सर्टिफिकेट प्राप्त पांच जन्य साप्तहिक दिल्ली का है, "आर्गेनाइजर" साप्ताहिक दिल्ली का है नई दिल्ली की एक जाहनबी मासिक पत्रिका है, एक राष्ट्रधर्म पत्र "पाथेय कण" राजस्थान का है जो पाक्षिक है। आपके जितने भी अखबार निकल रहे हैं, उनसे वे कहीं भी पीछे नहीं है और ए.बी.सी. का सर्टिफिकेट प्राप्त हैं, उनको आप क्यों नहीं विज्ञापन दे रहे हैं? उनको आपने लिस्ट में क्यों नहीं रखा? कृपया लिस्ट में जोड़ने का कष्ट करें, यह पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अब यह जो वन का मैटर है उस मैटर के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले इन्होंने जो शुरूआत की है, वन का जो प्रतिवेदन दिया है उसमें अमृता देवी का नाम दिया कि उन्होंने वनों की सुरक्षा की। वृक्षों के संरक्षण के लिए राज्य का इतिहास अत्यधिक गौरवशाली रहा है। आज से लगभग 273 वर्ष पूर्व 363 लोगों के साथ वृक्षों के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी। अमृता देवी का नाम तो ठीक है, लेकिन जम्भेश्वर महाराज जिन्होंने पेड़ों की रक्षा की है, विश्नोइयों के जो गुरु हैं, देवता हैं, उनका नाम इस पुस्तक में कहीं जिक्र में नहीं है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि उनका नाम भी आप जोड़े। पेड़ों से लाभ कितने हैं वह आप सब लोग जानते हैं, मुझे कहने की, बखान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेड़ आपने लगाये कौनसे? मैंने पिछली बार भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं, फिर रिमाइंडर दे रहा हूं कि संजय गांधीजी की पवित्र आत्मा ने कहा था, पेड़ लगाओ, इमरजेंसी में। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, तो हमारे फोरेस्ट के अधिकारी पागल हो गये। पेड़ लगाओ जल्दी-जल्दी पेड़ लगाओ तो कौनसा पेड़ लगाओ, जो तीन दिन में, 13 दिन में लम्बा हो जाए? जो तुरन्त फैल जाए? विदेशी बबूल लगा दिया। अभी चौधरी साहब ने भी कहा, सफेदे का पेड़ लगा दिया। सफेदे का पेड़ दलदल सुखाने के लिए आस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था, एक घण्टे में छह लीटर पानी सोखता है। माननीय सभापति महोदय, सारा बरबाद कर दिया राजस्थान को यह पेड़ लगाकर विदेशी बबूल। आप देशी पेड़ क्यों नहीं लगा रहे है? आप जड़ी-बूटियों और औषधियों के पेड़ क्यों नहीं लगा रहे है? आपको अगर पेड़ लगाने है, वन मंत्री महोदय, तो आप फूल जड़ी-बूटियों के पेड़-पौधे लगाएं।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

माननीय सभापति महोदय, एक अधिकारी है पी.के. मेरकम और एक अधिकारी है जी.बी. रेड्डी, जिनके बारे में हमारे सवाईमाधोपुर के आने वाले विधायक और राज्य सभा सदस्य और उनकी श्रीमतीजी जो यासमीन अबरार हैं, उन्होंने मामला उठाया था। इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच चली। एक घाट खूंटेट्य करके अवैध खनन हो रहा है। एक रेंजर का ट्रांसफर हुआ मेरी उस इंक्वायरी पर, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। राजगढ़ झीरी, रैनी, तैलाश, सरिस्का, थानागाजी, तालवृक्ष, भर्तृहरि में अवैध खनन हो रहा है। वन्य जीवों को मारा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे है। सारी अरावली पर्वतमाला नंगी हो गई है। वर्तमान अलवर कलक्टर के खिलाफ श्रीमती मेनका गांधी ने दो पत्र लिखें, वह जब मिनिस्टर थी। वह वाइल्ड लाइफ को देखती है। उन्होंने लिखा पत्र कि यह कलक्टर पर्यावरण विरोधी है, यह कलक्टर प्रदूषण फैलाने वाला है। पेड़ों को कटवाने में और अवैध खानों को चलाने में इस कलक्टर ने जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। हजारों और लाखों पेड़ कटवा दिये, अब पूरे वन क्षेत्र को बर्बाद कर रहा है यह कलक्टर वन्य जीवों को यह कलक्टर मरवा रहा है कटवा रहे हैं और उनकी खाले बिकवा रहे हैं। ऐसा करके मेनका गांधीजी ने अपनी संसदीय भाषा में लिखा। मैं सीधा खरा आदमी हूं गांव का आदमी हूं इसलिए सीधा बोल रहा हूं। कलक्टर के खिलाफ दो लैटर आये हैं, आपके पास ड्यू पड़े हुए है क्या आप उन पर कार्यवाही करेंगे? यह आप बताने का कष्ट करें जब आप अपना भाषण बोले तो। जी.बी. रेड्डी और पी.के. मेरकम, वन के जो बड़े अधिकारी है, ये डी.एफ.ओ., हमारे अलवर में रह चुके और उसके बाद बांसवाड़ा में रहे। उसके बाद सवाईमाधोपुर में बहुत बड़ा दंगा हुआ, वहां के किसानों के खिलाफ इन्होंने कार्यवाही की।

लाठियां चलाई, गोलियां चलाई। विदेशों से करोड़ों रुपये आपके पास आ रहे हैं वन क्षेत्र के लिए भी। वन क्षेत्र में आप बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, जापान, जर्मनी और स्वीडन की योजनाएं यहां चली। मैं खुद वन और वन्य जीव में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं, मैं कतई सात्विक व्यक्ति हूं, सुपारी तक भी नहीं खाता हूं। मैंने कहा वन अधिकारियों को कि पेड़ दो, एक-दो लाख पेड़ मैं रामगढ़ क्षेत्र में लगाना चाहता हूं। उन्होंने नहीं दिये। आप घोषणाएं बहुत करते हैं कि अरावली क्षेत्र में लाखों पेड़ लग गये। कहां पेड़ है? कहां पेड़ आपको नजर आ रहे है? पेड़ के बिना अरावली पर्वत श्रेणी नंगी हो गई, कोई करोड़ों पेड़ नहीं है। जबकि आपके पास जर्मनी, जापान और स्वीडन से अरबों रुपया आ रहा है। केन्द्र द्वारा जैसे पर्यटन में है, वैसे ही वन क्षेत्र में 90 परसेंट आ रहा है। लेकिन पेड़ कहां हैं? अनुसंधान के नाम पर आप किसी उच्च आयुर्वेद अधिकारी की, किसी औषधि का निर्माण करने वाले की राय ले कि कौन-कौन सी जड़ी-बूटी आयुर्वेद में काम आती हैं। क्योंकि देर-सवेर देश और दुनिया में यह भारत की

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

तुलसी माता, यह भारत की लोंग और इलायची और यह भारत का जीरा और हल्दी, आज अमेरिका पेटेंट कर रहा है तुलसी को और हल्दी को, आखिर वही हमको काम आने वाले हैं। विदेशी दवाइयां काम आने वाली नहीं हैं। इसलिए आप चेतिये, माननीय मंत्री महोदय, आप पहचान कीजिए और आयुर्वेद के बड़े से बड़े एक्सपर्ट अधिकारियों को बैठाइये कि जड़ी-बूटियों का प्रचार-प्रसार हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में दो मिनट और लूंगा, आप ज्यादा घूर करके मेरी तरफ नहीं देखिये कृपा करके इनका प्रचार-प्रसार हो अच्छी तरह से मेलों में और प्रदर्शनियों में और आपने लिखा है वन महोत्सव में छोटे-छोटे बच्चों की किताबों में स्टिकर लगाया जाए। आपने कहा, "पानी बचाओ" बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ", तो मैं कह रहा हूं गाजर लगाओ, मूली लगाओ, कद्दू लगाओ और खाओ। इससे ही भला होने वाला है। इससे ही भला हाने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, इससे ही भला होने वाला है, और किसी बात से होने वाला नहीं है। सिर्फ पानी, बिजली बचाने की बात नहीं, बात तो यह है कि खाएं क्या जिससे शरीर स्वस्थ्य रहे और सुन्दर रहे, अच्छा ताजा रहे। जोशीजी, हाथ मत जोड़िये, मैं तो आपका भाई हूं।

वन्य जीव संरक्षण में तुलनात्मक रेकार्ड नहीं दिया है। यह बताएं कि इतने-इतने चीतल हैं, इतने-इतने साम्भर है। अब मैं, माननीय सभापति महोदय, जो अधिकृत आंकड़े हैं वे आपको दे रहा हूं। आप इसकी जांच करवा लीजिए अगर यह बात गलत कह रहा हूं हो तो। माननीय सभापति महोदय, छह चीतल मारे गये, पिछले वर्ष या डेढ़ साल में मारे गये होंगे। तीन बांघ और एक चीता एक्सीडेंट में मारे गये अलवर और भर्तृहरि वाले जंगल में, सरिस्का वाले, थानागाजी तक में, विराट नगर तक के जंगल में दो की खाल मिली, जैसे डाक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि माफिया गिरोह वहां काम कर रहे है। हिरण और बारहसिंघा का पता ही नहीं है कि कितने मारे गये और नील गायें तो रोज वहां पर मारी जाती है। बकायदा ऐसी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हत्याएं होती है, इन वन्य जीवों की हत्या होने से रोकिये। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा, वन सुरक्षा की प्रबन्ध समितियां, जिलेवार, इन्होंने संख्या दी है, क्या प्रबन्ध समितियां हैं? कहीं पर दस, कहीं पर 20 और कहीं पर 25 और कहीं पर 40 है। अलवर जिले में 1960 गांव हैं और प्रबन्ध समितियां अलवर जिले की हैं 41, यह कोई तरीका है क्या? आप प्रबन्ध समितियां बनाएं, सुरक्षा की कमेटियां बनाएं तो गांव-गांव में बनाएं। सभापति महोदय, आपने दो बार घंटी बजायी है और मैं नियम का उल्लंघन नहीं करता।

श्री सभापति : माननीय श्री दिग्विजय सिंह।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक मिनट, एक अन्तिम बात श्री कुम्भाराम, मैनेजर आर.टी.डी.सी., उनके बारे में भ्रष्टाचार की। सस्पैंड किया और फिर तुरन्त किसी दबाव

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

में बहाल कर दिया। इसके बारे में भी मंत्री महोदय जांच करें। सचेतक महोदय, आप डिस्टर्ब मत करो, आप दोनों सचेतक हो, आप तो चलने दीजिए सदन को ढंग से ...(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, वह बोल नहीं रहे हैं, आप बोलो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, डिस्टर्ब कर रहे है मंत्री महोदय को...

श्री सभापति : आप बोलिये। आपका मिनट खतम हो रहा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय महेशजी साहब, बैठिये, मैं शेर अन्त में सुना दूं। मैं शुरूआत भी शेर से करता हूं और अन्त भी करता हूं, एक बार फिर माननीय वन मंत्रीजी के लिए-

"दिल में फफोले जल उठे दिल की आग से।

"इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।"

आपके घर के चिराग से।"

श्री सभापति : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में दो महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हो रही है, एक वन और दूसरी पर्यटन के सम्बन्ध में दोनों ही प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मांगे है।

(15.00 बजे)

वन का जहां तक सम्बन्ध है, राज्य में ही नहीं बल्कि सारे देश में ही अगर वन नहीं रहेंगे और वन सम्पदा नष्ट होगी तो आज जो इकोलोजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है वह बढ़ता चला जाएगा। इरेटिन रैनफाल जो हो रही है उसका भी यही कारण है कि वन सम्पदा धीरे-धीरे राज्य में ही नहीं, बल्कि सारे देश में नष्ट होती जा रही है, सिवाय उन जगहों के जहां पर आज मनुष्य पहुंच नहीं पाता और इल्लीगल कटिंग नही कर पाता। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर शुरू में वन सम्पदा का प्रतिशत जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 18 से 21 प्रतिशत के बीच में था। आज यह घट कर 8 से 9 प्रतिशत पर आ गया। कहां तो हम 18 प्रतिशत पर थे और अब घट कर हम आठ पर आ गये, यह एक चिन्ता का विषय है। सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में दोष नहीं देना चाहता, चाहे किसी की सरकार रही हो, पर निश्चित रूप से यह आज हमारे सबके लिये चिन्ता की बात है कि इस वन सम्पदा को अगर हम नहीं बचा सके और नहीं बचाया गया तो प्रदेश के लिए, प्रदेश क्या प्राणी मात्र के लिये, वन्य प्राणियों के लिए बहुत गम्भीर संकट पैदा होगा। इसके अन्दर जब तक सोशल फोरेस्ट्री और पीपुल एनवायर्नमेंट नहीं होगा, पीपुल्स पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जनता को इसके अन्दर भागीदार नहीं बनाया जाएगा, केवल जंगलात विभाग के माध्यम से हम इसे बचा नहीं सकेंगे। इसलिए पीपुल्स पार्टिसिपेशन, सोशल फोरेस्ट्री, इन सबको साथ जोड़कर, इसके ऊपर अधिक ध्यान देकर इस वन सम्पदा को बचाना होगा, तब ही हम वन सम्पदा को बचा सकेंगे।

(श्री दिग्विजय सिंह)

सभापति महोदय, आपने राजस्थान के अन्दर खूब दौरे किये होंगे कमेटी के माध्यम से, और भी हमारे कई माननीय सदस्यों ने किये हैं, केवल सैंक्चुरीज के अलावा जो अरावली श्रृंखला है उसके अन्दर तो वन सम्पदा बिलकुल नष्ट हो गयी है। जहां सैंक्चुरीज हैं, नेशनल पार्क है, उनके अन्दर जरूर आपको कुछ दिखाई देगा। सभापति महोदय, लेकिन आज यह स्थिति है कि जहां राष्ट्रीय उद्यान है, जहां नेशनल पार्क है, उनमें भी अगर आप बफर एरिये की तरफ बाहर से देखेंगे तो वहां आपको सिर्फ पहाड़ नजर आएंगे। आज से बीस साल पहले मुझे मालूम है, वहां एक पत्थर दिखाई नहीं देता था। आज आप, पांच किलोमीटर दूर से उस पहाड़ को आराम से नग्न देख सकते हैं। यह किस कारण हुआ, इसके ऊपर भी आपको जाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, एक्सप्लोजन आफ पापुलेशन हो गया, एक्सप्लोजन आफ पापुलेशन हुआ तो लोगों को ईंधन की आवश्यकता हुई और ईंधन की आवश्यकता हुई तो उन्होंने निश्चित रूप से पहाड़ों में जाकर लकड़ी को काटना शुरू किया। घर के काम चलाने के लिये जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता पड़ी और घर के अन्दर कोई मौत वगैरह हो जाए तो भी लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हमारा इकोलोजिकल बैलेंस बिगड़ा। फोरेस्ट डिपार्टमेंट को दुबारा से सारे मामले पर चिन्तन करना चाहिये कि हमारी वन सम्पदा जो बची है, उसको हम किस प्रकार से बचा सके और किस प्रकार से हम उसको रखें।

सभापति महोदय, इसमें कई फैक्टर सामने आये हैं। वन सम्पदा के बारे में कई माननीय सदस्यों ने सुझाव भी दिये हैं। आज एफोरेस्टेशन के लिये करोड़ों की विदेशी एड ले रहे हैं और विदेशों से एड लेकर हम जंगल लगा रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा और मंत्री महोदया से मैं निवेदन करूंगा कि अब तक कुल कितनी एड विदेशों से ली या हमने अपने पास से फोरेस्टेशन के लिये कितना खर्च किया? उसमें जो वृक्ष लगे उनकी कितने प्रतिशत सरवाइवल रेट रही? जब हम देखेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर फोरेस्ट के ऊपर तो हमने इतना किया और जो पेड़ लगाये हैं उनका सरवाइवल इतना रहा तो हमें मालूम पड़ेगा, जहां तक मेरी जानकारी है, 10-15 प्रतिशत के ऊपर सरवाइवल नहीं रहा। कई-कई जगह पर तो जहां आपका फोरेस्ट हुआ उस पर इंक्वायरियां भी हुई है जालौर की, पाली की, वे किस सम्बन्ध में हुई? माननीय मंत्री महोदय को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उस जांच को अगर आप निकालकर देखेंगे तो उसके अन्दर साफ लिखा है कि फोरेस्ट के हिसाब से कार्य किया, वहां खड्डे खुदे हुए मिले, पर पेड़ नहीं मिले। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर इसलिए कह रहा हूं कि हमको इस विभाग को इस बात के लिये भी सतर्क करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट के अन्दर डी. एफ. ओज. है, उनके नीचे लेवल के रेंजर्स हैं, उनके ऊपर रेस्पांसिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिये, हम अगर फोरेस्ट के लिये पैसा देते हैं और

(श्री दिग्विजय सिंह)

वहां पर पेड़ लगाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है। उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी किसी के ऊपर निर्धारित की जानी चाहिये, तब तो हम फोरेस्ट को बचा सकेंगे और फोरेस्ट को हम आगे बढ़ा भी सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि वन हमारी अमूल्य धरोहर है। आप सोना ले आएंगे, और सब कुछ ले आएंगे पर वन चला गया तो आपके सारे क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस खतम हो जाएगा और जो बरसात में कमी आ रही है उसमें और कमी हो जाएंगी। यही स्थिति रही तो मैं समझता हूं, राजस्थान के अन्दर कुछ जगह ही ऐसी रह जाएगी जहां पर आपके जंगलात रह सकेंगे, अन्यथा जंगल आज साफ हैं। आज अगर आप जंगल देखें तो दो ही जगह हैं, या तो आप रोड साइड प्लांटेशन देखते हैं या आप देखते हैं सैंक्चुरीज में। रोड साइड प्लांटेशन का आंकड़ा भी मिला लिया तब जाकर आठ प्रतिशत पर हम होते हैं। जो एक्चुअल फोरेस्ट था आज से पहले, वह फोरेस्ट नष्ट हो गया।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया को इस बात के लिये विशेष तौर से आग्रह करूंगा, आपने इस वन विभाग को सम्भाला है, मैं समझता हूं आपको समय बहुत कम मिला है सम्भालने के लिये, पर जितना भी समय है, उस समय का पूरा उपयोग करके इस डिपार्टमेंट को आप टोन-अप करेंगी और जहां पर भी इल्लीगल कटिंग वगैरह हो रही है वहां के जो रेंजर्स है, उनको भी आप दण्डित करने के लिये कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगी।

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं फोरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ इस बात की सहानुभूति रखता हूं कि आज फोरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो फोरेस्ट गार्ड्स है, एक फोरेस्ट गार्ड के पास 15 किलोमीटर का बीट है। अगर कम से कम 15 किलोमीटर का बीट एक फोरेस्ट गार्ड करता है और उस जंगल में घूमता है आठ किलोमीटर के जंगल में भी जैसा आप कह रहे हैं, वह पैदल घूमे तो उसके लिये सम्भव नहीं है। खास तौर से ऐसे जंगल जो ऊबड़-खाबड़ हैं, आपके चम्बल में है, दूसरे तरह के है, वहां फोरेस्ट गार्ड की मोबिलिटी के लिये आप कुछ न कुछ व्यवस्था नहीं करेंगे तो आपकी जो वन सम्पदा है, उसको आप नहीं बचा सकेंगे। या आप कुछ गार्ड्स की स्वीकृति दें, माननीय वित्त मंत्रीजी, क्योंकि फोरेस्ट गार्ड के पास अगर इतना बड़ा बीट होगा कि वह घूम नहीं सकता तो आप यह मानकर चलिये कि फोरेस्ट की रक्षा नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, आप मुझे घड़ी का इशारा तो कर रहे हैं पर उससे पूर्व वक्ता बोल रहे थे तब आप घड़ी भूल गये थे। खैर, कोई बात नहीं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि वनों की बात हम कर रहे हैं और वनों के साथ वन्य प्राणी जुड़े हुए हैं। अगर वन्य प्राणियों की रक्षा करने में भी असमर्थ रहेंगे, हमारी सैंक्चुरीज के अन्दर जो वाइल्ड लाइफ घूम रही है, उनको अगर नुकसान हो

(श्री दिग्विजय सिंह)

गया था. वह कम होती चली गयी तो आपका जो ट्यूरिज्म है, उस ट्यूरिज्म पर भी असर पड़ेगा। इसलिए वन्य प्राणियों के ऊपर और खास तौर से जो नेशनल पार्क है, आपकी सैंक्चुरीज हैं, उनके ऊपर आप अधिक ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ खास बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, रणथम्भौर अभयारण नेशनल पार्क के रूप में प्रख्यात है, और आल इण्डिया में चाहे इंटरनेशनली, आज इस पार्क का नाम इतना ख्याति प्राप्त हो गया कि इसको आपको ज्यादा विकसित करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़े अचम्भे में पड़ा जब मेरे को किसी ने कहा, जब मुझे मालूम पड़ा कि एक संस्था के माध्यम से इसको एडवरटाइज करने के लिए, कि बाहर इसका नाम रोशन किया जाए, बी.बी.सी. वालों की टीम बुलायी गयी। उसको कहा गया कि उसके अन्दर शूटिंग करेंगे। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि उस टीम को अनकंडीशनल लाइसेंस दे दिया, खूब घूमो धड़ाके से। वह नेशनल पार्क मेरे बिलकुल लगता हुआ पार्क है। मुझे मालूम है, मैं खुद भी गया हूं जिस वक्त वो घूम रहे थे आराम से। वे घूमे तो घूमे, अपने साथ ट्यूरिस्टों को और घुमा रहे थे। उनके लिए कोई सीमा नहीं, कोई समय नहीं, जब चाहे गाड़ी जाए, जब चाहे आ जाए। दूसरा कोई ट्यूरिस्ट जाए तो उसके लिए , तीन घंटे निर्धारित सुबह और शाम पर इनके लिए नहीं। मैंने पूछा तो कहा, साहब इसके लिए इसलिए किया गया कि रणथम्भौर नेशनल पार्क को विदेशों के अन्दर और प्रचारित किया जाए ताकि हमारे पास ट्यूरिस्ट भी ज्यादा आ जांए। मैं समझता हूं, माधोपुर के अन्दर ट्यूरिस्ट आते ही टाइगर को देखने के लिए है। नहीं तो वहां है कौन? वहां कोई जिलाधीश को देखने के लिए आता है क्या? वहां टाइगर को देखने के लिए आता है, जिलाधीश को देखने के लिए नहीं आता। वहां शेर को देखने आते हैं। सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई मजाक की बात नहीं है। आप घना सैंक्चुरी में चले जाइये, सुन्दर वन में चले जाइये, देहरादून सैंक्चुरी नेशनल पार्क में चले जाइये जितना इजीली टाइगर आपको आज रणथम्भौर में दिखता है, ट्यूरिस्ट कहीं चला जाए, उसको टाइगर स्पॉट हो ही नहीं सकता जितना कि रणथम्भौर में होता है। रणथम्भौर के अन्दर एक विशेषता है, उसका जो टेरेन है, उसकी सारी जो भौगोलिक स्थिति है वह अलग है। आज सरिस्का सैंक्चुरी रणथम्भौर से बड़ी है, रणथम्भौर 392 स्क्वायर किलोमीटर है, वह 800 कुछ है, पर आज जितना डिफेक्शन टाइगर का रणथम्भौर में होता है, जितना सुलभ तरीके से होता है, किसी जगह नहीं हो सकता। इसलिए रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। वहां पर जो लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को उससे किसी न किसी प्रकार से जोड़ लिया, एक टाइगर वाच नाम की संस्था है, इसके साथ

(श्री दिग्विजय सिंह)

आपके विभाग ने तो नहीं किया पर जहां तक मेरी जानकारी है, वहां के जो फिल्ड डाइरेक्टर साहब थे उन्होंने समझौता कर लिया। पूछा गया कि यह समझौता कैसे हुआ? आखिर जो समझौता होता है, जिसे एम.ओ.यू. कहते है, वह सरकार के माध्यम से होता है, पर उसके अन्दर कोई सैक्रेटरी के दस्तखत नहीं हैं। टाइगर वाच संस्था जिसका हैड आफिस मुम्बई में है, उसका यहां संचालन करने वाले तत्कालीन टाइगर प्रोजेक्ट निदेशक, उसको करने की वजह से उनको छुट दी गयी। जो टाइगर वाच संस्था है, उसके अन्दर जो टर्म एण्ड कंडीशन हैं वह टर्म एण्ड कंडीशन तो आज हैं नहीं...

श्री मदन दिलावर : वह डाइरेक्टर कौन थे?

श्री सभापति : आप बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, डाइरेक्टर का तो पता लगना चाहिए न।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डाइरेक्टर कौन है, बताओ न आप।

श्री अरुण सिंह : पुश्तैनी लड़ाई है..(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : नाम बताने में क्या दिक्कत है?...(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : फतेह सिंह, एक...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। हां, अपनी बात कहिये आप।

श्री दिग्विजय सिंह : आप से ज्यादा नियमों को जानता हूं। आपको मालूम है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने कहा तत्कालीन।

श्री सभापति : हां, आप अपनी बात पर आ जाओ। आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : यह तो यह बात हो गयी जैसे भारतीय संस्कृति में महिला पति का नाम नहीं लेती है।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : इनके हिसाब से वह डाइरेक्टर इनके पति हुए।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो मुझे बता रहे हैं, वह भी नियम का पालन कर लें, अपनी सीट पर चले जाएं तो ठीक है।

श्री सभापति : वह सब ठीक है। आप अपनी बात कहें।

श्री अरुण सिंह : फतेह सिंह ने इनको सैंक्चुरी में पकड़ा है।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, इस प्रकार से एक विशेष व्यक्ति को लाभ देने के लिए यह टाइगर वांच के नाम से संस्था बनायी गयी। पांच साल का उसके साथ कांट्रेक्ट होना, पांच साल के कांट्रेक्ट में उसको छूट है कि वह वहां घूमे। उसके अन्दर यह भी शर्त है कि वहां पर वह काम कराएंगे, चैक डैम बनाएंगे, वाल बनाएंगे।

(श्री दिग्विजय सिंह)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा...

श्री अरुण सिंह : आपके खिलाफ कोई एफ.आई.आर. लाज है, माननीय सदस्य महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री अरुण सिंह : फोरेस्ट विभाग ने, पुलिस ने कोई एफ.आई.आर. लाज की?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इनसे सीधा सवाल मत पूछिये, आसन इसीलिए है।

श्री अरुण सिंह : पूर्व गृह मंत्री थे जब.. (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय डीग से आने वाले सदस्य, अगर उनके पास एफ.आई.आर. की कापी हो तो सदन में रख दें।

श्री अरुण सिंह : रख देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप उनकी बात का ध्यान क्यों दे रहे हो?

श्री दिग्विजय सिंह : आरोप लगाएं उससे पहले प्रमाण के साथ बोलें तो ठीक रहे।

श्री सभापति : नहीं, कोई आरोप नहीं है आप पर।

श्री दिग्विजय सिंह : किसी ने कह दिया और शायद बाहर गये हों, किसी ने कह दिया होगा, आपने बोल दिया।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, कोई आरोप नहीं है।

श्री अरुण सिंह : एफ.आई. आर. की कापी ले आऊंगा, साहब।

श्री दिग्विजय सिंह : आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको केवल उस व्यक्ति से सहानुभूति है।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और इसलिए करना चाहता हूं, मंत्री महोदया कि कृपा करके आप इस टाइगर वाच संस्था के जो टर्म आफ कांट्रेक्ट है, जो शर्तें हैं उसके तहत यह उनसे यह जानकारी कर लें कि उस नेशनल प्रोजेक्ट में उन्होंने कितना धन खर्च किया, किस-किस काम के लिए खर्च किया और क्या-क्या चीजें हम को उपलब्ध करायी तो आपको मालूम पड़ जाएगा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं 10 मिनट और लूंगा, साफ कह रहा हूं आपको।

सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, पता है उनको क्या दिया? हैवरसैक, मौजे, जूते। हमारी राज्य सरकार या वन विभाग की हालत यह हो गयी कि हमारे गार्ड को हम हैवरसैक नहीं दे सकते, पानी की बोतल नहीं दे सकते, हम मौजे नहीं दे सकते, हम जूते नहीं दे सकते? यह हम को टाइगर वाच संस्था ने दी। जिप्सी दी, वह भी सैकण्ड हैण्ड, और शायद छोड़ जाएंगे जब जाएंगे। यह स्थिति है टाइगर वाच संस्था और जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, किस तरह से मिल कर इस टाइगर प्रोजेक्ट

(श्री दिग्विजय सिंह)

का एक्सप्लायटेशन हो रहा है, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मंत्री महोदया, जिस कठोरता से आप काम कर रही है, मैं आपकी बहुत सराहना करता हूं। मुझे मालूम है कि जब आपने चार्ज सम्भाला; आपने कई निर्देश दिये और उन निर्देश के फलस्वरूप वहां पर कुछ खलबली भी मची। मैं समझता हूं कि आप और दृढ़ रहेंगी और दृढ़ रह कर वहां पर जो टाइगर वाच संस्था के नाम से दुरुपयोग हो रहा है और जो उनके नाम से वहां पर काम हो रहा है, उसको देखेंगी।

सभापति महोदय, और तो और, इस टाइगर वाच संस्था के नाम से ट्यूरिस्ट भी जा रहे है। उस होटल का तो जिक्र नहीं करना चाहता जो अभी बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, परन्तु निश्चित रूप से उस होटल के अन्दर कई व्यवस्थाएं है। वहां विशेष व्यवस्था भी है कि ट्यूरिस्ट आता है, वहां ठहरता है उनकी ख़ुद की जिप्सियां थीं, जिनको ही अन्दर जाने की इजाजत होती थी। बाद में आपने उनको रोक दिया, यह तो मुझे मालूम पड़ा। पर वहां पर जो डिपार्टमेंट अन्दर ले जाता है, उनके और उनके पास में मोबाइल फोन है। उन मोबाइल फोन के माध्यम से ट्यूरिस्ट होटल में बैठा रहता है और वे मोबाइल से इत्तिला करते हैं कि बाग के अन्दर शेर दिखाई दे रहा है, तो फौरन बैठ कर वहां चले जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की सांठगांठ से जो काम हो रहा है, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया से कहूंगा कि इस सब की जानकारी करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे।

सभापति महोदय, इसके साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, अधिक समय नहीं लूंगा। आपके वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड एक मेंडेटरी प्रोविजन है, पर, सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज दो साल से, बल्कि पहले जब इसका गठन हुआ था उस समय मैं भी उसका मैम्बर था, तत्कालीन वन मंत्रीजी को मैंने कोई 5-6 बार पत्र लिखे कि आप बैठक बुलाइये, पर उनके पूरे कार्य-काल में एक बैठक भी उन्होंने नहीं बुलायी। वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड के अन्दर मेंडेटरी प्रोविजन है कि साल में दो दफे बैठक होनी ही होनी है, पर वह नहीं हुई और आज भी स्थिति क्या है? उस एडवाइजरी बोर्ड का अब तक गठन नहीं हुआ। अब मालूम पड़ा है कि केन्द्र ने यह कह दिया कि अब उस एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन मुख्य मंत्री होंगे। कोई बात नहीं, मुख्य मंत्री हों, पर बोर्ड तो गठित हो, बोर्ड की सूचना तो हो ताकि बोर्ड अपना काम करे और वन्य प्राणियों के लिए बोर्ड जो सलाह देता है उसके ऊपर राज्य सरकार कोई काम करे। सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है और मैं मंत्री महोदया से विशेष तौर से आग्रह करूंगा..

श्री मदन दिलावर : चार साल से आपकी बात नहीं सुन रही है यह सरकार और ये मंत्रीगण।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य लगातार इस बात को उठाते रहे है, मुझे पता है।

श्री सभापति : आप बिराज जाइये।

श्री मदन दिलावर : वह लगातार उठाते रहे हैं, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का है।

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, ये जब हमारे साथ थे तब माननीय सदस्य की क्या हैसियत थी और आज कांग्रेस ने क्या बना दी? बहुत चिन्ता की बात है।

श्री सभापति : अब आपकी क्या हैसियत रही, छोड़कर चले गये आपको। (व्यवधान) बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, आपके आदेश से यह राजस्थान चला करता था, क्या हालत बना दी आपकी? आपके नाम के आगे सिंह लगता है, अभी छलांग मारो और इधर आ जाओ। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, दब रहा हूं। मैं तो इनकी जानकारी में ला रहा हूं और मैं यह कह रहा हूं...

श्री मदन दिलावर : अब इधर मत आ जाना, जरूरत नहीं है। आप मिमिया रहे हो। यहां दहाड़ते थे। इधर मत आना। आपका स्वभाव मिमियाने जैसा हो गया है, इधर मत पधारना।

श्री दिग्विजय सिंह : आप तो कृपा करो, बिराजो। आप तो सब जानते हो, आप खुद कमेटी के साथ गये थे।

श्री मदन दिलावर : मुझे पता है न इसलिए तो कह रहा हूं कि आपकी क्या हालत हो गयी।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं दो-तीन और बातें फोरेस्ट के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा, उसके बाद में थोड़ा-सा समय पर्यटन के बारे में बोलूंगा।

यह जो टाइगर प्रोजेक्ट है, उसमें वहां के कर्मचारी है उनको हार्ड ड्यूटी एलाउंस जरूर देना चाहिए। दूसरे प्रोजेक्ट में आप हार्ड ड्यूटी एलाउंस देते है। मेरी जहां तक जानकारी है केन्द्र सरकार ने आपको कह दिया है, दे दिया है तो आप क्यों नहीं उनको हार्ड ड्यूटी एलाउंस देते हैं। सभापति महोदय, वे माननीय सदस्य तो हमारे साथ गये थे इसलिए उनको पता है। गर्मियों के दिनों में जब वे टाइगर सेंसस करते हैं और टाइगर के पद चिन्ह उठाते हैं, भीषण गर्मी के दिनों में एक पानी की बोतल साथ में लिए हुए पैदल 12-13 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आते हैं। सुबह पांच बजे निकलते हैं और दिन में 12 बजे वापस लौटते हैं। ऐसी हार्ड ड्यूटी वे करके आते हैं, फिर भी उनको हार्ड ड्यूटी एलाउंस नहीं दिया जा रहा है। मंत्री महोदया, मैं आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि आप उनको हार्ड ड्यूटी एलाउंस देंगी तो वहां के कर्मचारी आपकी सराहना करेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले स्वर्गीय राजीव गांधीजी परिवार के साथ वहां आये थे, पधारे थे। उन्होंने तीन दिन का भ्रमण किया था। तीन दिन का विश्राम करने के बाद उन्होंने एक घोरपड़े कमेटी नियुक्त की। उस घोरपड़े कमेटी ने रिपोर्ट

(श्री दिग्विजय सिंह)

भेजी, मुझे मालूम नहीं कि वह डिपार्टमेंट में है या नहीं। उसकी एक प्रति मेरे पास जरूर है और मैंने एक फोटो कापी करवाकर डिपार्टमेंट को भेजी है जिसके अन्दर कई सिफारिशें उन्होंने लिखी है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो बातें महसूस की उसके ऊपर उन्होंने एक इण्डिपेंडेंट कमेटी घोरपड़े के नाम से नियुक्त की जिसके अन्दर कई सिफारिशें लिखी गयी हैं। एक सिफारिश यह भी की गयी कि उसकी पेराफेरी में होटल्स का निर्माण नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां का जितना भी इकोलोजिकल डिस्टर्ब हो रहा है वह होटल्स के निर्माण की वजह से हो रहा है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, इन्होंने आदेश निकाल दिया कि 500 मीटर बफर जोन की पेराफेरी में कोई होटल का निर्माण नहीं होगा जिसके लिए ये बधाई की पात्र हैं। मैं, इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने साहस करके यह कदम उठाया।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ एक बात आपसे और निवेदन करना चाहूंगा। यह तो हो गया कि आगे से निर्माण नहीं होंगे, पर आज दिन तक जब से नेशनल पार्क यह घोषित हुआ है रणथम्भौर ...

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि दिनांक 26.12.2002 के आदेश के तहत 500 मीटर तक की परिधि में निर्माण पर रोक तो लगा दी गयी है, परन्तु आज भी खुले रूप से अवैध होटल्स के निर्माण चल रहे हैं। एक माफिया गिरोह है जो होटल्स का निर्माण करवा रहा है। वन विभाग के पूरे अधिकारी उसमें मिले हुए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षण कार्यालय से रिकमण्डेशंस जाती हैं और यह लिखा जाता है कि वन क्षेत्र की सीमा के अन्दर यह होटल का निर्माण इसमें काबिज नहीं है लिहाजा इस अवैध निर्माण को कराया जाए।

श्रीमती बीना काक : कहां से आती हैं?

श्री अशोक बैरवा : प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा आदेश निकाला गया कि यह होटल निर्माण उस परिधि में नहीं आ रहा, जबकि 150 मीटर की परिधि में निर्माण करवाये जा रहे हैं और वहां पर होटल खुले रूप से बन रहे हैं। वहां का वन विभाग पूरा का पूरा मिलीभगत कर रहा है, सांठगांठ कर उस सैंक्चुरी एरिया में वन क्षेत्र में...

श्री सभापति : भाषण नहीं।

श्री अशोक बैरवा : मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं...

श्री सभापति : आपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया, इनके नोटिस में दे दिया।

श्री अरुण सिंह : इन्क्वायरी कराओ, मंत्री महोदया।

श्री अशोक बैरवा : मेरा निवेदन है कि कोई रोक नहीं लगी है। आज भी अवैध रूप से निर्माण जारी है। होटल्स बन रहे हैं और पूरे वन विभाग की मिलीभगत से, सांठगांठ से बन रहे हैं। उसके बाद वन

(श्री अशोक बैरवा)

विभाग ने अपने यहां कमेटी में रखने के लिए होटल निर्माण की फाइल को मंगवाया है और उन होटल्स निर्माण की सिफारिश कर दी जाएगी। ऐसा सर्कुलर निकालने का कोई मतलब नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री अशोक बैरवा : यदि आप मंशा रखते हैं तो वास्तव में ईमानदारी से मंशा रखिए।

श्री सभापति : आप बिराजिए। माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं तो यही निवेदन कर रहा था मंत्री महोदया से। खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी, इसके सम्बन्ध में तो आप खुद देखेंगी और बाद में निर्णय करेंगी। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो आपने आदेश निकाला, वह ठीक है।

आप आश्चर्य करेंगे कि रणथम्भौर को नेशनल पार्क घोषित हुए बीस वर्ष से ऊपर हो गये और उसका आज तक भी सीमांकन नहीं हुआ कि कौन सा तो बफर एरिया है और कौनसा कोर एरिया है। कोई सीमांकन नहीं है और ये जो निर्माण हो रहे हैं उनका यही कारण है। जो कोर एरिया है वह तो पहाड़ के अन्दर आ गया और जो बफर एरिया है बाहर का, उसका कोई सीमांकन नहीं है। उसका सीमांकन जल्दी से जल्दी करवाया जाए ताकि आस पास के गांव वालों को भी इस बात का ध्यान रहे कि कौन सा बफर एरिया है ताकि वे उसमें नहीं जा पाएं।

आप बार-बार फर्मा रहे हैं, मैं अधिक नहीं कहते हुए एक और निवेदन करूंगा कि इस सैंक्चुरी के अन्दर जो टाइगर पोचिंग है और जो मरे हैं उन सबका लेखा-जोखा दे दें तो डीग से जाने वाले माननीय सदस्य की स्थिति भी साफ हो जाएगी।

सभापति महोदय, अन्त में मैं पर्यटन के सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहूंगा। यह एक बगैर इन्वैस्टमेंट का उद्योग है। आप केवल राजस्थान को बाहर कंट्रीज में सेल आउट करने का कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो राजस्थान के अन्दर आज ट्यूरिज्म का जो इंफ्लक्स है वह चौगुना हो जाएगा। आज केवल मिडल-ईस्ट कम्पनीज के अलावा राजस्थान को कोई नहीं जानता। अमेरिका वाले तो पसन्द करते ही नहीं है। जापान वाले कुछ आते हैं, इण्डोनेशिया वाले कुछ आते हैं, बाकी और बहुत कम आते हैं। इसलिए ट्यूरिज्म इण्डस्ट्री के सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम राजस्थान को कैसे सेल आउट करें। सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि विदेशों के अन्दर जो भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, जहां पर ट्यूरिस्ट ज्यादा आते हैं वहां पर ट्यूरिस्ट विभाग के लाइजनर हैं। आपके जो हाई कमीशन हैं, एम्बेसडर्स हैं उनके माध्यम से आप यह कर दीजिए, आपका खर्चा भी नहीं आएगा और उसके माध्यम से हम अगर राजस्थान के ट्यूरिज्म को वहां पर सेल आउट करेंगे तो ज्यादा आएगा।

(श्री दिग्विजय सिंह)

इसके साथ-साथ मेले-त्यौहार वगैरह तो करते ही हैं और हैरिटेज होटल्स को भी आप लाभ दे रहे हैं। मैं अन्त में दोनों मंत्री महोदयों का ध्यान दिलाता हूं, खास तौर से वन मंत्री महोदया का कि मैंने आपको जो सुझाव दिये हैं, जो बातें कही हैं उनके ऊपर आप विशेष ध्यान देंगी और जब आप उत्तर देंगी तो वे बातें बताएंगी जो मैंने आपको बतायी हैं।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह : वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड है उसको आप आगे गठन करना चाहती है या नहीं चाहती हैं? सभापति महोदय, उसमें राज्य सरकार का कोई टका ही नहीं लगता। उनके नाम ही घोषित नहीं किये हैं और वह फाइल पता नहीं कहां पड़ी हुई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा नाम पुकार लिया गया है।

श्री सभापति : एक मिनट।

श्री दिग्विजय सिंह : वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड में जो मैम्बर्स हैं, जिनको बनाया गया है वार्डंस को, कम से कम उनके नाम घोषित किये जाएं और ऐसे लोगों के नाम सूची में नहीं हों जिनके खिलाफ केसेज दर्ज हों और जिन्होंने राज की भूमि बेच दी हो। उनके नाम आप अंकित नहीं करें, उनको कार्ड जारी नहीं करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : एक मिनट। माननीय सदस्यों की तरफ से जो बातें आ रही हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत-से माननीय सदस्यों को आज जाना है इसलिए इस डिबेट को बाइण्ड-अप करना चाहते हैं पांच बजे तक। जो भी माननीय सदस्य बोलें, अपने दिमाग को इसी बात पर रखें कि दस मिनट में अपनी बात खतम कर दें और इसी तरह से उसकी शुरूआत करें। चलिए।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं जो दिग्विजय सिंहजी से पूछा था कि फील्ड डायरेक्टर कौन हैं? इन्होंने कहा कि मेरा बड़ा अनुभव है।

श्री सभापति : समझा नहीं, क्या?

डा. किरोड़ी लाल : उनका नाम नहीं बता सकता। यह सन्दर्भ समिति के चेयरमैन हैं तो वाइल्ड लाइफ की बात को सन्दर्भ समिति के चेयरमैन रहते हुए क्या यहां उठा सकते हैं? यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने कोई भी नाम किसी का लिया नहीं है और सन्दर्भ समिति के यह चेयरमैन हैं उस हिसाब से इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है।

डा. किरोड़ी लाल : वहां परीक्षण चल रहा है इसका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वहां मामला परीक्षण में चल रहा है।

श्री सभापति : चल रहा है। न तो वहां का परीक्षण इससे प्रभावित होगा और

(श्री सभापति)

न वहां के परीक्षण से सदन प्रभावित है। आप बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजें। इस कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ रहे हो आप?

श्री दिग्विजय सिंह : वह जानते हैं। वह नाम भी जानते हैं।

श्री सभापति : वह मैं भी जानता हूं और मैंने उनसे कह दिया।

श्री दिग्विजय सिंह : वह नाम कहलवाना चाहते हैं। मेरे से ज्यादा प्रेम उनका है।

श्री सभापति : वह बात हो गयी ना। मैंने समाप्त कर दी बात।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, सदन के सम्मुख वन के बारे में दो अरब उन्नीस लाख रुपये की मांग लेकर वन मंत्री और सत्रह करोड़ रुपये से अधिक की मांग लेकर पर्यटन मंत्री सदन से स्वीकार कराना चाह रहे हैं। (व्यवधान) बता दिया। अब आप मुझे डिस्टर्ब न करें।

श्री सभापति : व्यासजी, आप डिस्टर्ब मत करो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, बहुत बचपन में एक दोहा मैंने पढ़ा था वह याद आ गया।

''रूंख विनायक रूंख वर रूंख शारदा रूप,
दूवां रां इणमैं दरस भू छाजण बड़ भूप।''

इसका मतलब यह है कि...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो संस्कृत बोलती नहीं हो। हमारे सामने...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : संस्कृत नहीं है, यह मारवाड़ी है। इसका मतलब यह है कि रूख गणेश रूप में है और रूख ही वर श्रेष्ठ है और रूख ही शारदा रूप है। इसमें देवताओं के दर्शन होते हैं और यह पृथ्वी के लिए जब आच्छादन करता है तो पृथ्वी का श्रृंगार है। इस दोहे का मतलब यह है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रही हूं कि जवाहर लालजी नेहरू ने भी बहुत पहले कहा था कि कोई भी उगता हुआ पेड़ देश की प्रगति का प्रतीक है। वन विभाग की जो रिपोर्ट आयी है उसमें मतस्य पुराण को उद्धृत किया गया है, जो पहले कह चुके हैं, कि दस गुणी पुत्रों के बराबर, मतलब दस तालाब, दस बावड़ी, दस झील, दस झीलों में कितना अपव्यय होता है एक इन्सान का, उसके बराबर एक गुणी पुत्र पैदा करने का पुण्य है। अब तो नहीं है वह, लेकिन आज भी पुण्य है गुणी पुत्र पैदा का। एक गुणी पुत्र के बजाय दस गुणी पुत्र पैदा करने के बराबर एक वृक्ष लगाने के महत्व को उन्होंने समझाया, बताया। यह इसलिए बताया है कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन होने के नाते वन क्या-क्या काम करते हैं? वन भूमि के कटाव को रोकता है, वन बाढ़ के प्रकोप को कम करता है, वन बादलों से बरसात को आमंत्रित करता है, वन वन्य जीवों को संरक्षण करता है। यह सब वनों के बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन हालत क्या हुई?

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि वनों के इसी महत्व को समझते हुए

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ही तो जम्भाजी महाराज की जो शिष्या थी अमृता देवी, उन्होंने खेजड़ी के पेड़ की रक्षा की थी। खेजड़ी का पेड़ कल्पवृक्ष है, मैं पहले भी निवेदन कर चुकी, इसकी हर चीज काम में आती है। तो खेजड़ी के वृक्ष से चिपक कर अपने जीवन की कुर्बानी दे दी थी वनों के महत्व के लिए ही। मैंने जैसा बताया वन वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है इसलिए जम्भा जी महाराज ने वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत कुछ कहा है। जहां कहीं विश्नोई हैं, आज भी वन्य जीवों की रक्षा करते हैं और वृक्षों की भी रक्षा करते हैं, वनों की रक्षा करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, 1950 में हमारे इस प्रदेश के अन्दर सोलह प्रतिशत वन थे और आज रह गये हैं, वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार कहीं तो लिख दिया है 11 प्रतिशत और कहीं लिख दिया है 9.40 प्रतिशत। लेकिन जो सोलह प्रतिशत थे, आज 53 साल बाद घटकर सोलह प्रतिशत से ज्यादा भी माने तो ग्यारह प्रतिशत आ गये हैं। ग्यारह प्रतिशत में से तीन प्रतिशत तो न्यायालय के विवादों में उलझे हुए हैं, जहां लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और न्यायालय में चले गये। और दो प्रतिशत जो वनों का भाग है वह अतिक्रमण कर लिया गया–पंचायतों ने कर लिया, किसानों ने कर लिया, कहीं नगरपालिकाओं ने कर लिया, कहीं सरकार ने कर लिया। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे इस प्रदेश की पूरी भूमि तीन लाख अड़तालीस हजार वर्ग किलोमीटर में से केवल 31.9 हजार वर्ग किलोमीटर ही वन क्षेत्र है। इससे अन्दाजा लगाइये कि पर्यावरण के लिए जो तैंतीस प्रतिशत वन होने चाहिए उसके बजाय हमारे यहां पर केवल 9.40 प्रतिशत ही वन हैं।

वैसे आज राजस्थान में सिरोही में 31 प्रतिशत भी वन हैं, लेकिन चूरू में तो 0.47 ही हैं। आज हमारे आठ जिले ऐसे हैं जहां पांच प्रतिशत भी वन नहीं हैं। इस प्रदेश की यह हालत धीरे-धीरे क्यों हुई और कैसे हुई? वन संवर्द्धन से ही काम नहीं चलेगा, वन मंत्रीजी। वन संवर्द्धन का मतलब है पेड़ लगाओ, लेकिन वन संरक्षण भी जरूरी है और वन संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं दिया आपने। इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पेड़ काट लिये गये।

कभी–कभी जंगलों में जब गरमी के दिनों में आग लग जाती है तो जंगल का जंगल साफ हो जाता है। आप तो जानती होंगी, वन मंत्री हैं, कि इसके लिए फायर लाइन बनायी जाती है आठ–दस फीट चौड़ी। गरमी के दिनों के अन्दर जहां पेड़ हैं उनको आठ–दस फीट की लाइन में बिलकुल साफ कर दिया जाता है, आग जब लगे तो आगे नहीं बढ़े। कई जगह इस तरह की फायर लाइन बनाकर वनों की रक्षा की जाती है। हमने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। केवल संवर्द्धन की बात करते हैं, लेकिन संरक्षण की बात नहीं हो रही है। हमारे पेड़ कागजों में तो लग जाते हैं, जमीन पर भी लग जाते हैं, गड्ढा खुद जाता है, लेकिन सरवाइवल के बारे में हम उतने गम्भीर नहीं है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में लाखों पेड़ लगे और लाखों पेड़ लगकर कट भी गये। 'पंजाब केसरी' के अन्दर एक बार खबर छपी थी–पांच हजार हरे वृक्ष कट गये, प्रशासन देखता रहा। दौसा के पास एक गांव है, बांदीकुई उप खड मुख्यालय से चार किलोमीटर की दूरी पर कोलान ग्राम पंचायत है वहां पर पांच हजार हरे वृक्ष और वहीं नहीं, आप तो जानते हैं, सभापति महोदय, झुंझुनूं के अन्दर आपके उदयपुरवाटी क्षेत्र के अन्दर, गुढ़ा क्षेत्र के अन्दर जो बहुत बढ़िया नर्सरी थी, हजारों पेड़ जिसमें थे, वे हजारों पेड़ कट गये। अब वहां पर बिलकुल वीरान है, एक पेड़ भी नहीं है। झुंझुनूं की सतर्कता समिति में यह मामला आया, प्रशासन देखता रहा, कुछ नहीं हुआ। गांव वाले ही जाकर शिकायत करते हैं कि हरे पेड़ कट रहे हैं। सरपंच रोजाना वहां से भेज रहा है ट्रक, भर-भर कर, ट्रैक्टर भर-भरकर जा रहा है। पुलिस में जाते हैं, प्रशासन को कहते हैं, डी.एफ.ओ. के पास जाते हैं, सर्वोच्च सतर्कता समिति जो है उसमें भी यह मामला उठ गया लेकिन प्रशासन को सांप सूंघ गया। और वन मंत्रीजी, आपकी नर्सरी कटकर बिलकुल वीरान हो गयी।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि वन संवर्द्धन के लिये अरावली वानिकी विकास और इंदिरा गांधी नहर वृक्षारोपण के लिये ओरवसीज इकोनोमिक कारपोरेशन फण्ड (ओ.ई.सी.एफ.) से जापान सरकार के सहयोग से राजस्थान को 7869 येन, उनकी जो मुद्रा है, दिये गये थे, लेकिन खर्च कितने हुए? खर्च हुए मात्र 4410 येन। इतना ही नहीं, राज्य के महालेखाकार ने अपनी 2001 की रिपोर्ट में लिखा कि 1 करोड़ 11 लाख का निष्फल व्यय किया गया, गड़बड़-घोटाला किया गया। आप पता लगाएं इस बात का। विलायती बबूल को पाली और जालौर जिले के अन्दर जड़ से उखाड़ने के लिये, जड़ से काटने के लिये ठेका दिया गया था। कोई एक करोड़ से अधिक का ठेका था, एक करोड़ के आस-पास का ठेका था, पाली और जालौर के अलग-अलग ठेकेदारों ने जड़ से समूल विलायती बबूल को नहीं काटा। हमारी बदकिस्मती यह रही कि हमारे प्रदेश की जलवायु, प्रदेश की मिट्टी और इस प्रदेश के अन्दर कौनसा पेड़ पनपता है, इसको तो ध्यान में रखा नहीं और जल्दी बढ़ने वाले पेड़ जैसे गुलमोहर है, जैसे यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस के बारे में वह तो केवल एक ही बात कर रहे थे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैंने तो कुछ भी...

श्री सभापति : दस मिनट हो गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पर्यटन के बारे में भी कहना है, वन्य जीवों के बारे में भी कहना है। लोग तो इतना इतना देर तक बोले जब तो आपने कुछ नहीं कहा और अब आप घंटी पर घंटी बजा रहे हो।

श्री सभापति : मैं तो दस मिनट की याद दिला रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो आप ही की तो बात कर रही हूं। आपकी नर्सरी की बात कर रही हूं, आपके क्षेत्र की बात कर रही हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका कहना मान लेता हूं ..(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह भी बताऊंगी ..(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : इतना ही निवेदन है कि जिले का ध्यान रखो। आप जिले का ध्यान रखो।

श्री सभापति : आपका आदेश सिर माथे है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो एक घंटा बोल लिये और मुझे तो पांच मिनट भी नहीं हुए, उससे पहले ही आपने ...(व्यवधान)

श्री सभापति : बोलो, बोलो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह सैटायर वे में कह रहे हैं। वह सैटायर वे में कह रहे हैं, मैं समझ रही हूं इस बात को।

श्री सभापति : आप फरमाइये ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह सही कह रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सैटायर वे में नहीं कह रहे हैं तो धन्यवाद उनको। तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि वह..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ट्यूरिज्म पर बोलना पड़ेगा आपको, धारीवाल साहब नाराज हो जाएंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बोलूंगी, बोलूंगी। ट्यूरिज्म पर भी बोलूंगी, समय मिलेगा तो जरूर बोलूंगी।

एक करोड़ के आसपास जड़ से विलायती बबूल को खोदकर कोयला बनाने के लिये ठेका दिया गया था। उन्होंने सब प्रकार के पेड़ वहां से काट डाले और सब प्रकार के पेड़ काटकर 35 करोड़, एक करोड़ की बजाय 35 करोड़ उन्होंने कमाये, 34 करोड़ का चूना लगाया राज्य सरकार को। यह है पारदर्शी और जवाबदेह सरकार।

श्री सभापति : 34 करोड़?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह है पारदर्शी और भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लेने वाली सरकार का एक उदाहरण। (व्यवधान) नहीं, जवाबदेह तो खैर अलग बात है।

इतना ही नहीं, सन् 1950 से लेकर 1980 तक सरकार ने कितने ही वनों को रैगुलराइज किया, यह भी एक बात है जिसके ऊपर निश्चित तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये। वन विभाग की हजारों हैक्टेयर भूमि पर आज भी किसानों के, गांवों के कब्जे हैं। राजसमन्द, उदयपुर, बांसवाड़ा और जमवारामगढ़ के अन्दर तो खनन विभाग ने अपना कब्जा कर रखा है। वह कहते हैं, इससे हमें करोड़ों रुपयों की इनकम होती है इसलिये यहां पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। विभाग के अफसरों की मिलीभगत से सरकार को तो चूना लगा सो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लगा, तत्कालीन मंत्रीजी, ने कह दिया कि मेरे विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। 34 करोड़ रुपये का जब किसी विभाग के अन्दर चूना लगेगा तो मंत्री तो बोलेंगे ही कुछ न कुछ तो नतीजा निकला कि उनका डिपार्टमेंट छीनकर उन्हें घर बिठा दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिपार्टमेंट थोड़े ही छीना?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वही मतलब कि उनसे लेकर घर बिठा दिया। यही तो कह रही हूं मंत्री पद छीनकर घर बिठा दिया। यह है भ्रष्टाचार को खतम करने के प्रयास करने का नतीजा।

वन मंत्रीजी, जनवरी के महीने में आपने कोई समझौता किया है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कारपॉरेशन से, अखबारों में भी आया था। 442 करोड़ का आपको कर्ज देंगे, दस साल तक कुछ नहीं लेंगे। दस साल बाद दस वर्ष के लिये आपको चुकाना पड़ेगा इस कर्जे को। 8.5 रुपये को ब्याज होगा, आपका शेयर होगा इसमें 15 परसेंट। 85 परसेंट देंगे वह और 15 परसेंट आपका शेयर होगा। इस योजना में आपने 18 जिलों को शामिल किया है, लेकिन बदनसीब झुंझुनूं जिला नहीं आया उसके अन्दर। झुंझुनूं नहीं है, मैंने पढ़ा है। झुंझुनूं नहीं है..

मोहम्मद माहिर आजाद : झुंझुनूं बदनसीब नहीं है।

श्री हरि सिंह (महुवा) : झुंझुनूं नहीं है, मैडम, फायदे में रहोगी। फायदे का काम है। झुंझुनूं जिला नहीं है तो फायदे में रहा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : फायदे में रहा झुंझुनूं नहीं आया तो। जो आये वे जिले बरबाद होंगे, झुंझुनूं बचेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन यह कर रही थी कि झुंझुनूं को भी शामिल कर लो। मैं बड़ी प्रशंसक हूं आपकी, इसलिये कम से कम इतना तो मेरे कहने से आप कर दो, और कोई फर्क तो है नहीं, झुंझुनूं का भी तो आधार पोर्शन बिलकुल थार है, खारा पानी है, बड़े-बड़े ऊंचे-ऊंचे धोरे हैं जैसलमेर जैसे, उसको आपने छोड़ दिया। सीकर को ले लिया, आपने चूरू को ले लिया और बीच में झुंझुनूं छोड़ दिया, यह उचित नहीं किया है झुंझुनूं के साथ। इसलिये मैं चाहूंगी कि झुंझुनूं को भी लेकर आप 18 की जगह 19 कर लो..

श्री सभापति : माननीय सदस्या, 20 मिनट हो गये हैं। आप इनसे भी पूछो... (व्यवधान) इनसे भी पूछो कुछ तो दूसरे मंत्री महोदय से भी। 20 मिनट हो गये हैं, दूसरे मंत्री महोदय से भी कुछ पूछो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप इनके प्रशंसक नहीं है क्या?

श्री सभापति : हां, उनसे पूछो कुछ। उनसे पूछिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बोलूंगी, आप मुझे समय देंगे तो जरूर बोलूंगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : धारीवालजी आपके प्रशंसक नहीं हैं क्या?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रशंसा तो ठीक है।

मैं निवेदन कर रही थी, वनों के संवर्धन और संरक्षण का काम आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सक्रियता और जनता के सहयोग से ही होगा, क्योंकि अभी जो 442 करोड़ रुपये आपको मिले हैं, इसमें आप पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगाकर निजी लोगों को उसकी जिम्मेदारी सौंपेगे सरवाइव करने की। मैं आपको खुली इस बात के लिये रिक्वैस्ट कर रही हूं कि आप मुझे दे दें वे पेड़ मेरे खेत पर लगाने के लिये, हण्डरेंड परसेंट सरवाइवल की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। लेकिन यूकेलिप्टस नहीं लूंगी, जूली फ्लोरा भी नहीं लूंगी...

श्री सभापति : माननीय सदस्या, सदन में खुद की पैरवी नहीं की जाती है, आप सोचो इस बात को।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्यों? वनों का संवर्धन तो कह ही सकती हूं। क्या बात है?

श्री सभापति : बात कह रहे हैं, इसलिये मैं कह रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : पानी नहीं है वहां लगाने के लिये तो यह अच्छी बात कह रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वनों के संवर्धन के लिये कह रही हूं, पेड़ लगाने की बात कर रही हूं, पुण्य कमाने का काम है। यह भी पुण्य कमाएंगी, मैं भी कमाऊंगी। उसमें क्या बात हुई?

दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रशासनिक सक्रियता, नियम और कानून का सख्ती से पालन करवा कर जनता के सहयोग से आप इन वनों का संवर्धन और संरक्षण कर सकते हैं।

वन्य जीवों के बारे में मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगी...

श्री सभापति : अब समय का ध्यान करो थोड़ा-सा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सिर्फ एक निवेदन है।

वन्य जीवों पर भी अकाल की मार, अकाल की छाया है। अकाल के दौरान चारे का अभाव हो जाता है, पानी सूख जाता है, इसलिये यह भी आपकी जिम्मेदारी है कि वनों के अन्दर वन्य जीवों के लिये आप संरक्षण दें।

वैसे तो 442 करोड़ के अन्दर आप ऊंचे-ऊंचे मकान बनाएंगी, हट्स जगह-जगह बनाएंगी, उसके जरिये काफी कुछ होगा। मैं अन्त में यही निवेदन करूंगी कि आपने ये जो (टी.पी.), ट्रांजिट पास जारी किये हैं, ये जारी करके आपने बहुत गलत काम किया है। पहले आपने बन्द किया था, डेढ़ साल तक बन्द रहे। इसके कारण लोग-बाग आपके सारे वनों को समाप्त कर देंगे। इसलिए इस टी.पी. वाले आदेश को जो सीधे मुख्य मंत्रीजी के यहां से आये हैं, इन पर पुनर्विचार करें और इसे बन्द करें।

सभापति महोदय, पर्यटन के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि राजस्थान अपने ऐतिहासिक गौरव, समृद्धशाली इतिहास, अपनी सांस्कृतिक विरासत,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

रंग-बिरंग मेले, तीज-त्यौहार और स्थापत्य कला के अनूठे गढ़ और किलों की वजह से पर्यटकों को सदैव आकर्षित करता रहा है। लेकिन मुझे विभाग का प्रगति प्रतिवेदन मिला है, इसमें सबसे अधिक अफसोस इस बात का हुआ, कुछ दिनों पहले जब पर्यटन मंत्री थीं आज की फोरेस्ट मंत्री तो उन्होंने कहा था कि हमने पिछले सालों में पर्यटन विभाग का जो 12 करोड़ का घाटा था उसको पूरा करके 2 करोड़ के मुनाफे में हम विभाग को ले आये हैं। लेकिन आपने जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है, उसमें अभी भी 2 करोड़ का घाटा है। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आयी और तो और, जो मदिरा 1999-2000 के अन्दर आप 4 करोड़ 38 लाख की बेच रहे थे, उसकी बजाय अब 2002-2003 में वह 2 करोड़ 91 लाख रह गयी है। कौन पीता है? यह? कौन ले गया जो आपका लाभ इतना कम हो गया? आपके चार साल में यह कौन पी गया जो यह 457 लाख के मुकाबले 291 लाख पर आ गयी? मैं यह जानना चाहूंगी कि कौन पी गया, कहां चली गयी यह शराब?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। अब तो सहयोग कीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, बस खतम कर रही हूं। मैं यह निवेदन कर रही हूं कि पर्यटन के लिए आपके पास पैलेस ऑन व्हील्स है, हैरिटेज होटल्स है, ऊंट की सवारी का आनन्द भी आने वाला पर्यटक लेता है, थार का लम्बा-चौड़ा रेगिस्तान आपके पास है, पहाड़ियां भी आपके पास हैं और वन्य जीवों के अभयारण्य भी हैं। ये सब चीजें पर्यटकों को बहुत मोहती है। लेकिन देशी पर्यटकों की संख्या तो बढ़ रही है, विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार चार साल से घट रही है। अब मैं उम्मीद रखूंगी कि आप उसे बढ़ाएंगे। वह तभी बढ़ेगी जब पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं वहां प्राप्त होंगी सारी इंफार्मेशन मिलेगी, बुनियादी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी आवास व्यवस्था का इंतजाम होगा। मैं यह निवेदन करूंगी कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे।

सभापति महोदय, राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना 5 जुलाई, 2001 को हुई थी, इसके जरिये आप बहुत कुछ पर्यटन को प्रोत्साहित करेंगे, बढ़ाएंगे। इसमें आपने ए.डी.बी. से 1529 करोड़ रुपये का, अब तो बढ़ाकर वह शायद 70 या कुछ हो गया है, उसके अन्दर 6 शहरों को काफी सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया गया है। आपने प्रगति प्रतिवेदन में बताया है कि उसकी वजह से यहां पर पर्यटक आएंगे। मैं उम्मीद करती हूं-कि आप वह कारण बताएंगे कि बीयर की दुकानों पर चार साल के अन्दर कमी क्यों आयी। वन मंत्रीजी, अब आपको तो विकास के लिए सीधे ही पैसा मिलेगा, राज्य सरकार भी बीच में नहीं आएगी। अब आपका यहां पर केन्द्र बना दिया गया है, सीधे ही वनों के

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

विकास के लिए पैसा देगा। इसलिए आपकी तो सारी चिंताएं वैसे ही दूर हो गयी हैं, राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति : श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : सभापति महोदय, मैं वन विभाग की मांग संख्या-9 और पर्यटन विभाग की मांग पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। वन और वृक्ष अनादिकाल से ही कृषक समाज की अर्थव्यवस्था की धुरी रहे हैं। राजस्थान में 70 से 80 प्रतिशत तक काश्तकार खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। वन विभाग में थोड़ी-सी कमजोरी और शिथिलता पिछले सालों में जिस तरह से आयी है, वनों की जिस प्रकार से अंधाधुंध कटाई हुई है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान पिछले सालों से इसी कारण से अकाल की मार झेल रहा है। अगर राजस्थान के निवासियों का वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा के लिए ध्यान जाता तो राजस्थान जो आज भयावह अकाल का मुकाबला करने के लिए खड़ा है, उससे शायद हम बहुत कुछ बच सकते थे।

सभापति महोदय, हमारे चाहे लोक देवता कहे या हमारे भगवान कहे, पुराने समय के अंदर, आज से कोई ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, पांच सौ, सवा पांच सौ साल पहले का मामला है, मारवाड़ के अन्दर बीकानेर जिले की नोखा तहसील में मुकाम, वहां पर पीपासर ग्राम में लोहड़जी नाम के पंवार राजपूत के घर गुरु जम्भेश्वर महाराज का जन्म हुआ था। वह एक गरीब किसान परिवार के व्यक्ति थे। उस समय लोगों का धंधा पशुपालन और वृक्षारोपण का था। पशुपालन का धंधा तभी चल सकता है जब गांवों के अन्दर बराबर हरियाली और वृक्ष रहे, तो ही पशु जीवित रह सकते हैं। उन्होंने हमेशा गायें चरायी और यही एक उपदेश दिया कि जीवों की रक्षा होनी चाहिए। वृक्षों की रक्षा होनी चाहिए, गायों का पालन होना चाहिए। तब कभी भी अकाल की स्थिति में कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं होगा मुझे यह कहते हुए खुशी है कि उनके इस प्रचार की वजह से राजस्थान के मारवाड़ में एक विश्नोई समाज या विश्नोई पंथ जन्मा और विश्नोई पंथ के जो भी अनुयायी थे उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि गुरु जम्भेश्वर महाराज ने हमें यह जो एक शिक्षा दी है, हमारा जो धर्म बताया है कि जीवों की रक्षा करनी है, वृक्षों की रक्षा करनी है, "जीव दया पालनी, रुख लीला नहीं जावे," जीवों की दया पालनी, जीवों पर दया रखना और वृक्ष को नष्ट नहीं करना है, इस मंत्र को लेकर विश्नोई समाज के लोग शुरू से ही समर्पित है। मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, कि हमारे राजस्थान राज्य का वृक्षों की रक्षा के लिए गौरवशाली इतिहास रहा है। आज अगर हम देखें कि कोई भी मनुष्य किसी भी जगह, किसी भी प्रकार का ऐसा वातावरण देखता है, जहां पर वृक्ष कट रहे हों, जहां पर वन्य जीवों का शिकार होता

(श्री रामनारायण विश्नोई)

हो, उसको देखकर आम आदमी हमेशा यह सोचता है कि हमें इससे क्या लेना-देना है, अपने आप जो करेंगे सो भरेंगे। पर गुरु जम्भेश्वर महाराज ने यह उपदेश दिया कि वृक्षों की कटाई किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे, जीव हत्या हम किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेंगे।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, यह आज से 273 वर्ष पहले का मामला है। जोधपुर से 25 किलोमीटर दूरी पर, उस समय जोधपुर के राजा अभय सिंहजी थे और अभय सिंहजी गुजरात में कोई युद्ध जीतकर आए थे, नया कोई महल बना रहे थे और बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। उस समय उनके गिरधर भण्डारी नाम के कामदार थे, उन्होंने कहा की महाराज साहब, आप जो पहले महल बना रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, राज के खजाने में पैसा नहीं हैं और राज के खजाने में पैसा नहीं है तो यह काम पूर्ण नहीं होगा। मैं पैसे का इन्तजाम कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से करोगे? तो उन्होंने कहा कि विश्नोई समाज के लोग जोधपुर के आसपास रहते हैं, उनके यहां वृक्ष खूब हैं, वे वृक्ष काटने नहीं देते हैं, उन वृक्षों को काटकर और बेचकर हम काफी कुछ पैसा-धन इकट्ठा कर सकते हैं और आपके ये महल वगैरह बन जाएंगे। जोधपुर दरबार अभय सिंहजी ने कहा कि इस प्रकार का काम हमको नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही अन्यायपूर्ण काम है, तो उनके कामदार भण्डारी ने यह कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। विश्नोई समाज के लोग, वृक्ष जब हम काटने के लिए वहां पर कुछ लोगों को, फौज को लेकर जाएंगे तो वह डरते हुए आएंगे और कहेंगे कि वृक्ष मत काटो तो हम यह कहेंगे कि अगर वृक्ष रक्षा करनी है तो आप पैसा दे दीजिए हमको और इस प्रकार वे डर कर पैसा दे देंगे और हमारी जो इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति हो जाएगी और धन हमको मिल जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार का प्रयोग किया गया। वहां जब मौके पर भण्डारी अपनी फौज लेकर गया और वहां उन्होंने वृक्ष काटने शुरू किए तो वहां पर महिलाओं-पुरुषों ने आकर कहा कि वृक्षों को नहीं कटने देंगे। हालत यह हुई कि जब उन्होंने कहा की किसी भी सूरत में वृक्ष नहीं कटने देंगे, घेराव कर लिया तो भण्डारी के आदमी जो वहां गए थे, वे एक बार तो दौड़कर वहां से आ गये वापस जोधपुर और आकर कहा; दरबार को तो उन्होंने कहा की यह काम तो नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी भण्डारी ने कहा कि नहीं, आपके जो आदमी गए थे, वे फौजी बिलकुल कायर थे, ये बिना मतलब दौड़कर, पीठ दिखाकर आ गये। अगर इस प्रकार से राज चलाएंगे तो राज नहीं चलेगा। राज में कुछ न कुछ सख्ती होनी चाहिए। इस तरह से तो राज के कामकाज में कोई भी व्यक्ति रुकावट डालेगा। सभापति महोदय, इस प्रकार थोड़ा जोश दिलाया उन्होंने, वापस वहां जाने की कोशिश की और वे गये। गए तो क्या हुआ कि ज्यों ही उन्होंने वृक्ष काटने शुरू किए तो सबसे पहले अमृता देवी नाम की जो वहां की

(श्री रामनारायण विश्नोई)

औरत थी, उसने अपना सिर आगे कर दिया कि वृक्ष नहीं काटने देंगे। इस प्रकार से 363 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया और बलिदान देकर ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि वहां पर वृक्ष काटने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद में अभय सिंहजी ने भी यह फर्मान जारी किया कि विश्नोइयों के एरिये में कोई भी व्यक्ति कभी भी वृक्ष को काट नहीं सकेगा।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि समाज का एक वर्ग का यह एक कमिटमेंट था, यह जो एक बात थी, उसी बात की वजह से आज जहां कहीं पर भी हम राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, यू.पी. में, मध्य प्रदेश में जाते हैं तो विश्नोई समाज के व्यक्ति वृक्षों की रक्षा करने के लिए बिलकुल तत्पर रहते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो गौरवशाली इतिहास राजस्थान का है, पूरे देश में ही नहीं, आज दुनिया में भी इस बात के लिए अचम्भा किया जाता है कि वृक्षों के लिए कोई आदमी किस प्रकार से मर सकता है। सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारे देश की सीमा पर जवान आज रक्षा कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी जिनकी नीयत कुछ खराब हो जाती है, वे हमला करने आते हैं और वहां पर फायर करते हैं, तोप से फायर करते हैं, बन्दूक से फायर करते हैं, तो हमारे देश का जवान जिस तरफ से फायर होता है, उस तरफ दौड़कर जाता है, उसी प्रकार से जहां कहीं भी विश्नोई समाज का व्यक्ति अपने गांव में, खेत में, जंगल में, कही पर भी अगर आवाज सुनेगा बन्दूक की, उसे एकदम से यह महसूस होगा कि जरूर कोई न कोई शिकारी वन्य जीवों का शिकार कर रहा है, वह दौड़कर बन्दूक की आवाज जहां से आ रही है उसकी तरफ जाता है। मानव का स्वभाव आप देखिए, जहां कहीं भी अगर कोई खड़का या बन्दूक की आवाज या कोई झगड़ा होता है तो आदमी उससे दूर हटता है, पर विश्नोई समाज का व्यक्ति बन्दूक की आवाज सुनकर मरने के लिए भी वहां जाने के लिए तैयार रहता है और मरता भी है। सभापति महोदय, बहुत-से, सैकड़ों आदमी मरे हैं और मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जब इस प्रकार की बातें केन्द्र सरकार के ध्यान में लाई गई तो केन्द्र सरकार ने शौर्य पुरस्कार की घोषणा की है कि जो कोई व्यक्ति चाहे किसी भी कौम का हो, अगर इस प्रकार जीवों की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान देगा तो उसको शौर्य पुरस्कार का इनाम दिया जाएगा। जोधपुर जिले के डाबड़ी गांव के गंगाराम पुत्र फुसाराम विश्नोई को केन्द्र सरकार की तरफ से शौर्य पुरस्कार दिया गया है। शौर्य पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति साढ़े सात सौ रुपये महीना पेंशन पाएगा, उसके लिए और भी बहुत-सी सुविधा होगी। इस प्रकार के कदम अगर राजस्थान की सरकार पिछले सालों के अन्दर उठाती तो यह स्थिति राजस्थान में आज जिस प्रकार से वृक्षों का ह्रास हो रहा है, जिस प्रकार से वन नष्ट हो रहे हैं, वह स्थिति नहीं आती।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दो-तीन सालों के अन्दर वृक्षारोपण में हैक्टयर्स कमी आई

(श्री रामनारायण विश्नोई)

है। राजस्थान में कितने हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया जा रहा है, कितना पौधारोपण किया जा रहा है, उसके अगर मैं थोड़े-से आपको आंकड़े बताऊं, उन आंकड़ों के मुताबिक...

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ये फर्जी आंकड़े हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सबसे बड़ा आंकड़ा है, चार साल से अकाल पड़ा है।

श्री अमराराम चौधरी (पदपदरा) : तो इसीलिए फर्जी आंकड़े हुए न ये।

श्री रामनारायण विश्नोई : अकाल पड़ने का कारण ही यही है। यह अकाल पड़ता ही नहीं अगर इस प्रकार से आप संख्या बढ़ाते जाते तो अकाल की नौबत नहीं आती। अकाल पड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। जैसा झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया कि यह बरसात...

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य, मैं थोड़ी आपसे क्वैरी करना चाह रहा हूं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 70 प्रतिशत भूमि वनाच्छादित थी, 35-36 में वहां कल्टीवेबल लैण्ड बनाने के लिए महारावल को ठेके पर वन कटवाने पड़े। तो 36 से 41 तक वहां अकाल क्यों पड़ा, इतना भारी वन होने के बावजूद भी? इसका कोई जवाब है क्या?

श्री रामनारायण विश्नोई : ऐसा है, सभापति महोदय, अकाल बांसवाड़ा जिले के अन्दर दूसरे जिलों के मुकाबले हमेशा कम पड़ता है। बांसवाड़ा में माही वगैरह की अच्छी बरसात होती थी, अच्छे पानी की स्थिति थी, वह वृक्षों की वजह से ही थी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह गवर्नमेंट का रिकार्ड है, 36 से 41 तक लगातार 5 साल अकाल रहा।

श्री रामनारायण विश्नोई : वह ठीक है। बांसवाड़ा जिले का अकाल..

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : फिर काहे के लिए जंगल की यह चर्चा करवा रहे है? साइंस ही झूठी बता दी आपने।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ऐसा नहीं है, यह एक अकेला फैक्टर नहीं है जलवायु के लिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : बांसवाड़ा जिले का अकाल, जिन जिलों के अन्दर वृक्षारोपण ज्यादा है, वृक्ष ज्यादा है, वहां के अकाल में और दूसरे जिलों के अकाल में आपको फर्क मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि यह राजस्थान सरकार के लिए और राजस्थान के निवासियों के लिए बहुत ही अफसोसजनक बात है, जब हम यह देखते हैं, विभागीय वृक्षारोपण के अन्दर हैक्टेयर की आपने जो सूचना दी है, 2001-02 में 30,000 का लक्ष्य रखा गया, 30,000 के लक्ष्य के अन्दर 31,572 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। पर 2002-03 की स्थिति देखें, 30,000 के लक्ष्य से 12,000 लक्ष्य। 12,000 हैक्टेयर के अन्दर वृक्ष लगाएंगे, पौधरोपण करेंगे, एकदम आधे से भी कम यह की यह स्थिति पौध वितरण की है। 2001-02 के अन्दर 150 लाख पौध

(श्री रामनारायण विश्नोई)

वितरण का पहले लक्ष्य रखा गया था, 2002–03 के अन्दर 120 का लक्ष्य प्राप्त किया है 96.42, यह स्थिति है। पौधरोपण और वृक्षारोपण का हैक्टेयर लाखों की संख्या के अन्दर आप इस प्रकार से संख्या घटाते जाएंगे तो आप यह क्या उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान का किसान वर्ग या देहातों में रहने वाला व्यक्ति अकाल की मार से पीड़ित नहीं होगा?

सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहे दूसरे खर्चों को कम कीजिए, पर वृक्षारोपण के हैक्टेयर में कमी नहीं आनी चाहिए और पौध वितरण के अन्दर भी आप संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं ताकि हम इस बात में कामयाब हो सके।

सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समाज का कमिटमेंट है, जो समाज बिना किसी सरकार के एक पैसे के खर्च किए अपने प्राणियों, वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे देता है, उन गांवों के अन्दर कुछ न कुछ सरकार की तरफ से सहायता देकर उन लोगों की जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वृक्षारोपण के काम में वन विभाग के दूसरे कर्मचारियों की रिपोर्ट हम सुनते आ रहे हैं कि ये कामकाज ठीक नहीं कर रहे हैं, उनकी बजाय वहां की लोकल कमेटी बनाकर ये सारे खर्चे उन पर डालकर कहे कि यहां पर वृक्षों की संख्या बढ़नी चाहिए तो यह वृक्षों की संख्या बढ़ेगी, पौधारोपण होगा, वृक्षारोपण होगा और हम अकाल से बच सकेंगे। एक वृक्ष अपनी 50 साल की आयु के अन्दर कितना फायदा देता है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। उसकी पत्तियों से, घास–फूस से खाद का काम भी करता है, छाया भी देता है। इतना आराम देता है जिसका कोई अंदाजा नहीं। जैसा, अभी बताया गया, एक पेड़ अगर लगाते हैं तो 10 पुत्र पैदा करने के बराबर पुण्य होता है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 29 जनवरी, 2003 को नागौर के अन्दर पीपासर गांव के पास में छैलूसिंह राजपूत का बलिदान हुआ है। शिकारी शिकार करने जा रहे थे, छैलूसिंह व विश्नोई समाज के कुछ लोगों को जब पता चला तो उन लोगों ने जीप में बैठकर उनका पीछा किया कि इन शिकारियों को नहीं जाने देंगे। सामने से शिकारियों ने गोली चलायी, छैलूसिंह का बलिदान हो गया। छैलूसिंह को राज्य सरकार की तरफ से कम से कम लाख रुपये की घोषणा की जानी चाहिए। आपने जो छोटा–मोटा काम करने वाले व्यक्ति के लिए 25 हजार की घोषणा की है, उसकी बजाय जो लोग अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं उनके लिए कम से कम एक लाख रुपये की घोषणा राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए, मेरा यह निवेदन है।

सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न लेकर एक निवेदन और करना चाहूंगा। इसी प्रकार से वृक्षारोपण के अन्दर आप नेशनल हाइवे की बात ले लीजिए।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

आज जयपुर से उदयपुर का हाइवे बन रहा है, कम से कम 2 लाख 25 हजार पेड़ इस हाइवे की वजह से कट जाएंगे। हाइवे के अन्दर फोरेस्ट डाइट के प्रावधानों के मुताबिक जो भी यूजर अथोरिटी है, नेशनल हाइवे अथोरिटी है, उनको सरकार के अन्दर पैसा पहले जमा कराना पड़ता है। पैसा पहले जमा कराने के बावजूद राज्य सरकार दूसरी जगह वन न लगाकर, बराबर पेड़ों

(14.12 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

की कटाई कर रही है। जो एक्जिस्टिंग पेड़ हैं उनकी कटाई हो रही है और सड़कों का कामकाज हो रहा है। हम यह नहीं कहते कि सड़क का कामकाज व विकास का काम रुकना चाहिए, पर सबसे पहले जब नेशनल हाइवे अथोरिटी या जो भी यूजर एजेंसी है वह आपको पैसा जमा कराती है तो उस पैसे को पहले वृक्षारोपण के अन्दर लगाकर फिर सड़क का काम शुरू करना चाहिए। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कम से कम चार करोड़ रुपये तो.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो हो जाएगा, पहले आप बोल लिये क्या?

श्री रामनारायण विश्नोई : मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो ना।

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस ओर ध्यान दिलाना चाहता था राज्य सरकार का कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर राज्य सरकार को राजमार्ग संख्या 79 के अधीन चार करोड़ 64 हजार के करीब मुआवजा प्राप्त हो चुका है इसी प्रकार 64 करोड़ का मुआवजा लीज होल्डर से भी प्राप्त किया है। यह राशि आज तक वृक्षारोपण के अन्दर काम में नहीं ली गई। इसी प्रकार नेशनल हाइवे संख्या 8 के अन्दर भी करीब 50 लाख रुपये राज्य सरकार के पास कई साल पहले आ चुके थे, वो भी वृक्षारोपण के अन्दर काम नहीं आ रहे हैं और राज्य सरकार के दूसरे कामों के अन्दर इस धन का उपयोग किया जा रहा है। जैसा मैं निवेदन करना चाहता था, इसका असर यह होगा कि धीरे-धीरे वृक्षों की संख्या कम हो जाएगी और हम इस नाते जो अकाल का मुकाबला करने की इच्छा रखते हैं वो मुकाबला हम कर नहीं सकते। मेरा निवेदन यह है कि ऐसी स्थिति में आपको इस ओर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट बात।

श्री रामनारायण विश्नोई : लास्ट। वह यह है कि पिछले तीन-चार साल के अन्दर वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं बहुत ही ज्यादा संख्या में बढ़ी हैं। जिस प्रकार के छोटे-मोटे आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। 1999 में करीब 66 हिरण, मोर और खरगोश के शिकार हुए हैं। 2000 के अन्दर 45 हिरण मारे गये हैं। 2001 में 69 हिरण मारे गये। 2002 में करीब 103 हिरणों का शिकार हुआ है। शिकारी जीपों पर, ऊंटों पर बंदूक ले-लेकर जाते हैं और बराबर 20-20, 30-30 की संख्या में एक

(श्री रामनारायण विश्नोई)

साथ शिकार करने आ रहे हैं। हम सुना करते थे, 1998 से पहले जब पूर्ववर्ती सरकार थी तब लोग यह कहते थे कि इस सरकार के अन्दर शिकार बहुत ज्यादा हो गये हैं। पर, उपाध्यक्ष महोदय, अब जो स्थिति हम देख रहे हैं, इन्होंने बिलकुल पुराना रिकार्ड सारा का सारा खतम कर दिया और स्थिति यह है कि शिकार करने वाले शिकारियों के विरुद्ध में कोई भी सख्त कार्यवाही जिस प्रकार की होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। आपको और हम सबको अच्छी तरह से मालूम है कि जोधपुर के अन्दर कई फिल्म स्टार्स आये और फिल्म स्टारों ने वहां पर 1998 के अन्दर शिकार किये। उस वक्त भी विश्नोई समाज के व्यक्ति रात को उनका मुकाबला करके उनको न पकड़वाते तो शायद वे आज तक कभी पकड़ में नहीं आते। पर उसके बाद, डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत मुश्किल से 1998 के अन्दर केस दर्ज होने के बाद 29.5.1999 को उनके चालान हुए 4–5 मुकदमों के अन्दर। आज तीन साल का समय बीत चुका है, वहां पर लोक अभियोजक बार–बार बदले जा रहे हैं, गवाहों को धमकाया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमे में राज्य सरकार की तरफ से जिस प्रकार के सीनियर अधिवक्ता लगातार पैरवी की जानी चाहिए वो पैरवी नहीं की जा रही है, जिससे भी बड़ा भारी असंतोष का वातावरण बना हुआ है। ऐसे फिल्म स्टारों के नाम आप और हमसे कोई छिपे हुए नहीं हैं। उन लोगों के विरुद्ध अगर किसी प्रकार की ढील की कार्यवाही की गई तो राजस्थान का नाम बदनाम हो जाएगा। हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार का वातावरण राजस्थान के अन्दर बना हुआ रहे और हम किसी भी सूरत के अन्दर इन शिकारियों को इस प्रकार की सजा दें कि दुनिया के अन्दर इस बात का पता हो कि राजस्थान के अन्दर कोई भी शिकार आसानी से करके नहीं आ सकते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : बहुत–बहुत धन्यवाद, सर, जो आपने मुझे समय दिया। मैं खाना खा रहा था तब आपने फर्माया कि जाइए जल्दी से।

श्री उपाध्यक्ष : अब बोलो, फटाफट बोलो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : धन्यवाद तो दूंगा, साहब, आपने मुझे समय फर्माया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वन विभाग की चर्चा में बहुत–से माननीय सदस्यों ने वृक्ष लगाने पर, वृक्षारोपण के लिए और वन को विकसित करने के लिए अपने विचार रखे। बड़े गम्भीर–गम्भीर विचार रखे, गम्भीरता से विचार रखे कि वनों का विकास होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए। उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह बात सही है कि वन लगने चाहिए, वनों का विकास होना चाहिए, पेड़ लगने चाहिए, मगर...(व्यवधान) मैं आपसे यह कहना

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

चाहता हूं कि जैसे–जैसे वन विभाग के अन्दर अधिकारियों की बढ़ोतरी हुई है वैसे–वैसे...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय बंशीवाल जी, पेड़ लगने तो चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से धतूरे और भांग के लगने चाहिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : विदेशी बबूल लगा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, जैसे–जैसे वन विभाग के अन्दर अधिकारियों की भर्ती होती गयी वैसे–वैसे वन घटते चले गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप रेकार्ड उठाकर देख लें, पहले प्रधान मुख्य वन संरक्षक एक हुआ करता था, इनके राज में तीन हुए, अब मुझे पता नहीं दो हैं या तीन हैं। कम से कम दो तो होने चाहिए। (व्यवधान) तीन ही हैं। एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उनके यहां तो घंटी भी नहीं है। अगर चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजाएं तो उनके पास घंटी भी नहीं है। जैसे–जैसे आपने वन विभाग के अधिकारियों को बढ़ाया, वैसे–वैसे इस राजस्थान के अन्दर वन घटते चले गये। आप लोगों द्वारा यहां पर वन विभाग की बड़ी तारीफ की जा रही है।

वन सीमा ज्ञान के लिए आपने कोई चिन्हीकरण कर रखा है क्या? आज चिन्हीकरण नहीं होने से राजस्थान प्रदेश के हर जिले में काश्तकारों में, राजस्व विभाग में और खनन विभाग के अन्दर आपस में बहुत गहरे मतभेद पैदा हो गये हैं क्योंकि आपने जिलेवार कोई वन सीमा लाइन मुकर्रर नहीं कर रखी है। खसरा मानचित्र के अनुसार आपने नहीं बना रखे, नोटिफिकेशन के हिसाब से आप चलते नहीं हो क्योंकि वन विभाग का नाम आते ही सारे अधिकारी हमारे माननीय मंत्री जी को, मुख्य मंत्रीजी को धौंस दिखा देते हैं कि आपने सुप्रीम कोई देखा है क्या, सुप्रीम कोर्ट की यह रूलिंग आई है और आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं जा सकते। वन विभाग क्या करता है, माननीय मंत्री महोदया, आप इससे पूरी तरह से अवगत हैं। आपके नोटिफिकेशन और नक्शे एक–दूसरे से मेल ही नहीं खाते। अपने जो नक्शे बनाये हैं उनको ही ये वैध मानते हैं। इन्होंने जो नक्शा बना लिया वही फाइनल है, नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, जबकि नोटिफिकेशन को ही लीगल मान्यता है। इन्होंने जो नक्शा बनाकर दे दिया कि यह हमारा नक्शा है वह पत्थर पर लकीर हो गया। वह चैंज नहीं हो सकता है, पत्थर पर लकीर है। एक मामले के अन्दर डिवीजनल कमिशनर, जयपुर ने जांच की थी उस जांच के अन्दर यह कहा था कि वन खण्ड डिगोता इकसठ का जो नक्शा है, that is without sign, seal and date.

श्रीमती बीना काक : वह कौनसा मामला था?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मामला नहीं, वन खण्ड डिगोता इकसठ की बात कर रहा हूं। मामले की बात नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती बीना काक : आपने कहा न वह मामला था। मामले का नाम तो बताओ कि कौनसा मामला था?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं मामले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नक्शे की बात कर रहा हूं, आप जवाब दे देना इसका।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप जवाब दे देना न उनको।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : वन खण्ड डिगोता इकसठ, उसके अन्दर डिवीजनल कमिशनर, जयपुर ने रिपोर्ट दी कि map is without sign, seal and date. और उसके ऊपर किसी अधिकारी का नाम भी नहीं है। उस नक्शे को वैध मानते हो। ऐसे अधिकारी वन विभाग में काम कर रहे हैं। आपने ऐसी–ऐसी भिन्नता कर रखी है कि आपके नोटिफिकेशन और नक्शे नहीं मिलते हैं। आप एक बात बताइये, मंत्री महोदया, 1996 के अन्दर आपने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 262 खाने अलवर में बंद की थीं। आपने खाने बंद की थीं। यह ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राज नहीं चलेगा, कानून नहीं चलेगा यहां पर। पारीक साहब, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा। आप ऐसे नहीं बोलेंगे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राज यहां पर चलने वाला नहीं है। यहां पर हमारा जो हिन्दुस्तान का संविधान है उसके अनुसार ही कार्यवाही चलेगी, आप ऐसे नहीं बोलेंगे। आपने 262 खाने बन्द कीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : हिन्दुस्तान का और कुछ चले या नहीं चले लेकिन बीनाजी का राज पूरा चलेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उनसे ही तो निवेदन कर रहा हूं। अब ये चलाएं या नहीं चलाएं, उनसे ही निवेदन कर रहा हूं कि आपने 262 खानें बन्द कर दी। तरूण भारत संघ ने एक रिट लगा दी सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर, उस आदेश के तहत आपने उन खानों को बन्द कर दिया। आपने कहा कि उसके ऊपर वृक्षारोपण करेंगे। आज तक आपने वृक्षारोपण किया है क्या? आप जाकर देखिये। आप देखकर आये हैं क्या। आपने देखा है क्या वहां पर? मैं आपको चैलेंज के साथ यह कहता हूं कि वहां पर आज तक कोई वृक्षारोपण नहीं हुआ है। बड़े–बड़े ढोंग रचाये जा रहे हैं, बड़े–बड़े स्वांग रचाये जा रहे हैं वन विभाग द्वारा कि हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। भगराजजी चौधरी जब वन मंत्री थे, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि वो जमुवारामगढ़ गये थे वृक्षारोपण चैक करने के लिए। मई–जून के महीने में वो वृद्ध मंत्रीजी ने पहाड़ पर चढ़कर उन गड्ढों को चैक किया जिसके अन्दर इन्होंने वृक्षारोपण किया था। वहां पर कोई चिन्ह नहीं मिले, वृक्षों के कोई चिन्ह नहीं मिले और इन्होंने कागजों के अन्दर...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अब इन से तो चढ़ा नहीं जाए, वो तो थे तो चढ़ गये।

श्रीमती बीना काक : आप मुझे पकड़ कर ले चलोगे न?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैं ले चल सकता हूं चढ़ाकर आपको।

श्रीमती बीना काक : आप लाठी बनकर चलना मेरे साथ।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : दोनों ले चल सकते हैं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : इतनी देर क्या कर रहे थे?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : निवेदन ही कर रहा हूं आपसे। आपने 22 सैंक्चुरीज बना दीं पूरे राजस्थान में अभयारण्य में जानवर भी तो होने चाहिए तभी तो आप उसको अभयारण्य घोषित करेंगे। मेरा निवेदन है कि आपने जमुवारामगढ़ अभयारण्य बना दिया, इसके अन्दर आपकी वाइल्ड लाइफ की सेंसस है मेरे पास। अभयारण्य के अन्दर इन्होंने बता दिया टाइगर, पैंथर, बीयर, वाइल्ड कैंट, चीतल, चिंकारा, ब्लैक डाग, ब्लू बुल, जैकाल, क्रोकोडायल, मंकी, जबकि उपाध्यक्ष महोदय, आपको बताऊं कि जमुवारामगढ़ के अन्दर बंदर तक नहीं है। उसको आपने वन्य जीवन अभयारण्य घोषित कर रखा है। यह आपकी सेंसस है मेरे पास, एक बंदर तक नहीं है। मंकी भी नहीं है। एक लोमड़ी नहीं है, मंकी नहीं है जबकि जयपुर शहर के अन्दर...

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य, डंकी तो होगा?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जयपुर के अन्दर आप गली-गली के अन्दर बंदरों को उछलता देख सकते हैं, मगर उस अभयारण्य क्षेत्र में आपको बंदर भी...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व वन मंत्री जब यहां विराजमान थे तब 33 यहां आ गये थे, वापस नहीं गये 33 में से एक भी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय मंत्री महोदया, आप बता दें कि जमुवारामगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में कितने बंदर हैं?

श्रीमती बीना काक : बंदरों की खान तो है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर दिया। जयपुर फोरेस्ट एक्ट, 1939 जरिये नोटफिकेशन दिनांक 19 जुलाई, 1940, जयपुर-गजट अक्टूबर, 1940 में प्रकाशित हुआ। उसके अन्दर इसको फोरेस्ट में लिया। फिर स्टेट ने एक विज्ञप्ति जारी की 15.10.1947 द्वारा वन अधिनियम 1939 के। इसको आरक्षित वन के रूप में प्रस्तावित किया। फिर राजस्थान सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की 12.01.1961 को, राजपत्र दिनांक 30 मार्च, 1961, प्रकाशन हुआ 1.4.1961 के अनुसार उसके अन्दर यह वन खण्ड आया। कानीखोर गांव उसके अन्दर 3127.313 एकड़ भूमि आई, डिगोता इकसठ के अन्दर 15561.445 एकड़ भूमि आई जिसमें तहसील जमुवारामगढ़ जिला जयपुर में जो भूमि घोषित हुई उसका सीमा विवरण मय सीमा स्तम्भों तथा सीमा रेखा का प्रकार अंकित किया जाकर राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 20 के अन्दर आरक्षित वन घोषित किया।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

वन्य जीव सुरक्षा, आप कहते हो कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अन्तर्गत जमुवारामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य वन सीमा लाइन व राजस्व सीमा लाइन के अनुसार प्रस्तावित किया गया जिसकी विज्ञप्ति 31.8.1982 को जारी हुई।

श्रीमती बीना काक : इसको पढ़ा हुआ मान ले।

श्री उपाध्यक्ष : यह पढ़ रहे हो यह यहां रख दो जो रेकार्ड पर आ जाएगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं, मैं बताने जा रहा हूं कि यह मैं यह क्यों पढ़ रहा हूं। नहीं, मैं बताने जा रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया 22.8.1997 को...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, पढ़ते पढ़ते उस अधिकारी का नाम मत पढ़ देना जिसने आपको लिखकर दिया है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरे पास सारे आंकड़े हैं। मैं किसी का बोला हुआ और लिखा हुआ पढ़ता नहीं हूं। मेरा खुद का लिखा हुआ पढ़ता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैंने तो सावधान किया है कि गलती से पढ़ जाओ तो वह मारा जाए बैठे-बैठे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं कोई वन मंत्री थोड़े ही हूं जो वन मंत्रीजी को कागज पकड़ा दिया अधिकारियों ने वह पढ़कर सुना दिया। कोई इन मंत्रियों की तरह थोड़े ही हूं। ऐसे मंत्रियों की तरह नहीं हूं मैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गम्भीर बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ही गम्भीर विषय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको एक आदेश पारित किया 22.8.1997 को, उसके अन्दर इन्होंने कहा कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18 एवं 35 और धारा 31, 21 के अन्तर्गत आप दो महीने में तय करके बताएं। मामलों को सैटल करें और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, इस वन्य जीव अभयारण्य में आने वाले हैं, उनके जो लीगल राइट्स हैं उनको तय करें। उसके अन्दर गांव भी बसे हुए हैं, उसके अन्दर रोड भी बनी हुई है, उसके अन्दर काश्त की जमीन भी है, उसके अन्दर खनन की जमीन भी है, वहां पर लोग-बाग रहते भी हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने इसको आदेश दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह आदेश है 22.8.1997 का यह लो वन मंत्रीजी तो उठकर चली गयीं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उन्होंने इसको गम्भीरता से लिया। जिला कलक्टर महोदय ने बहुत जल्दी, तुरत-फुरत में जब दो माह का टाइम दिया उच्चतम न्यायालय ने तो उन्होंने 22.8.1997 को आपत्तियां काल की जिसके अन्दर इनको 481 आपत्तियां प्राप्त हुईं। इन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश का निस्तारण करने के लिए किसी के राइट सुने नहीं, किसी को क्लेम नहीं दिया, आर्डर पारित कर दिया

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

और सरकार के पास भेज दिया। इसमें एक मामला श्रुति मार्बल का आया। उसने फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 के तहत डीफोरेस्टेशन के लिए एप्लाई किया। इसी वन विभाग ने भारत सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया कि इसका डीफोरेस्टेशन कर दिया जाए। भारत सरकार से वह एन.ओ.सी. लेकर आ गया। एन.ओ.सी. लाने के बाद उससे 7,58,000 रुपये जमा करा लिये और सरकार ने अपने खुद के लैण्ड बैंक से 27 बीघा भूमि वन विभाग के नाम दे दी और उसको भारत सरकार की एन.ओ.सी. मिल गई। उसके बाद यहां के तत्कालीन वन सचिव ने उसकी खान को बंद करा दिया। वह इनके बंद कराने के बाद एकल पीठ उच्च न्यायालय जयपुर में गया मामले को लेकर, तो वहां की एकल पीठ ने यह कह दिया कि यह जमवारामगढ़ कोई वन्य जीव अभयारण्य नहीं है इसलिए इसकी खान को रोका नहीं जाए। 24 घंटे के अन्दर-अन्दर इन्होंने डबल बैंच में जाकर स्टे ले लिया। मेरा निवेदन इसलिए करना है कि 15 हजार वहां जमवारामगढ़ के खान मजदूर बेरोजगार हो गये और वहां पर अधिकांश खानें उन्होंने बन्द कर दी। मैं यह नहीं कहता कि फोरेस्ट नहीं हो, अगर फोरेस्ट है तो फोरेस्ट को डवलप कीजिये मगर आप अपने अधिकारियों को निर्देशित कीजिये कि आप नोटिफिकेशन से बाहर नहीं जा सकते। आपकी दादागिरी चलने वाली नहीं है। अगर इस तरह से वन विभाग से अधिकारी दादागिरी करेंगे तो पब्लिक भी इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मजबूर हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सैंक्चुरी का जो मामला है, आपने इस तरह से गोलमोल कर रखा है, इसको तुरन्त निपटाइये। अगर आप नहीं निपटाएंगे तो इसको सैंक्चुरी, वहां पर पब्लिक मानने वाली नहीं है और जब वन विभाग के अधिकारी वहां जाएंगे तो इसका जवाब दे दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। बोलो आप। (व्यवधान) श्री संजीव बेनीवाल।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उसके लिए धन्यवाद।

श्री संजीव कुमार (भादरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस पवित्र सदन में मांग संख्या 9–वन एवं मांग संख्या 47–पर्यटन पर विचार चल रहा है। सदन के काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार इन पर खुलकर पेश किये हैं तो मैं विशेष कर उन बातों को नहीं दोहराना चाहता और अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ माननीय वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में बहुत-सी ऐसी जमीने हैं जो पिछले कुछ वर्षों पहले वन विभाग के नाम गलती से उनका इंतकाल हो गया, इंतकाल दर्ज कर दिया गया। बहुत-सी स्कूलों की जमीनें, दूसरी संस्थाओं की जमीनें और कुछ ऐसी जमीनें जिस पर आबादी बसी

(श्री संजीव कुमार)

हुई है, ऐसी जमीनों को एक साथ वन विभाग में दर्ज किया गया, उसमें गलती से वन विभाग दर्ज कर दिया गया। इन समस्याओं को लेकर इलाके के किसान, इलाके के लोग जब किसी भी अधिकारी से मिलते हैं, एस.डी.एम. के पास जाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं चाहे कलक्टर के पास जाते हों, हर कोई अधिकारी वन विभाग लिखा हुआ पढ़ते ही अपने हाथ खड़े कर देता है। अब समस्या बहुत बड़ी है–पुराने विद्यालय हैं, पुरानी बिल्डिंग बनी हुई हैं, पुरानी आबादी बसी हुई है, पुराने लोगों के खेत उसमें हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गम्भीर समस्या के मद्देनजर आप ऐसी जमीनों को जो गलती से वन विभाग में दर्ज हो गईं, वन विभाग आरक्षित हो गईं, उनके लिए किसी न किसी तरह से रास्ता निकालकर, उन जमीनों को उस इंतकाल से मुक्त कराएं।

इसके अलावा जहां तक वनों की कटाई का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसान इस अकाल की स्थिति में अगर अपने खेत से मजबूरीवश कोई पेड़ काटकर ऊंटगाड़ी पर डालकर या ट्रैक्टर ट्राली में डालकर ले जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्यवाहियां की जाती हैं। उसको पकड़कर उसका चालान कर दिया जाता है। जितना ध्यान उनकी तरफ दिया जा रहा है, इतना वन विभाग में लकड़ी की अवैध और निर्मम कटाई जो हो रही है, उसकी तरफ भी दिया जाना चाहिए। वास्तव में जो अवैध कटाई वनों की हो रही है, उसके लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि वनों की निर्मम कटाई को रोका जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे क्षेत्र में कई ऐसी जमीने हैं जिनका वन विभाग में नाम दर्ज होने के बाद, वन विभाग के नाम इंतकाल होने के बाद उन पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिये। लोग उस पर अवैध रूप से काश्तकर रहे हैं, लोगों ने अवैध रूप से बाद में मकान बना लिये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो ऐसे मामले हैं, उनकी जांच करवाकर ऐसे अतिक्रमणों को, अवैध कब्जों को जल्दी से जल्दी हटाने की कार्यवाही की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे विभाग की नर्सरियां हैं, हमारे कार्यालय हैं जहां नर्सरी बनी हुई हैं, उसमें जिस तरह से पौधों का, पेड़ों का वितरण किया जाता है, उसमें विशेषकर फलदार पौधे, किसानों के लिए उपयोगी पौधे चाहे वह शीशम हो, चाहे वह पप्लर हो चाहे वह अरडू हो, इस तरह के पौधों का वितरण किया जाए न कि कांटेदार कीकर, जूलीफ्लोरा वगैरह-वगैरह का। मैं इसके लिए विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि फलदायक और लाभदायक और उपयोगी पौधे किसानों को वितरित किये जाएं।

इसके अलावा जो एक समस्या सामने आई हुई है, बहुत-सी आरा मशीनों के लोग-बाग मिलते हैं, उनकी समस्या है। पुरानी आरा मशीनें चल रही हैं, किसी को

(श्री संजीव कुमार)

रजिस्ट्रेशन कराने की बात है तो उसमें अधिकारियों का जवाब आता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की उस पर रोक है, माननीय हाई कोर्ट की उस पर रोक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुरानी आरा मशीनें हैं और जिन्होंने पुराने आवेदन कर रखे हैं या जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, कोई उसका लाइसेंस बनवाकर जाना चाहे तो उसके लिए कोई न कोई रास्ता अपन को निकालना चाहिये।

इसके अलावा पर्यटन मंत्रीजी का मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक पर्यटन का सवाल है हमसे हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी के अन्दर गोगाजी का पवित्र मेला भरता है। ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक लोक देवता के रूप में गोगाजी जाने जाते हैं। सभी धर्म और सम्प्रदाय को मानने वाले लोग, हिन्दू–मुसलमान–सिक्ख–ईसाई, सभी धर्म के लोग एकजुट होकर उस मेले में इक्ट्ठे होते हैं। भादवा के महीने में बहुत बड़ा मेला वहां भरता है, एक ऐतिहासिक जगह है और एक धार्मिक जगह है जहां 10 लाख के करीब जनता आती है, पूरे एक महीने तक मेला चलता है, इतनी जनता इकट्ठी होती है। मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि गोगामेड़ी के उस पवित्र स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले में दूसरे पर्यटन स्थलों का सर्वे करवाकर पूरे जिले में पर्यटन स्थलों का विकास किया जाना चाहिए। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर सदन में चर्चा हो रही है, वह विषय हमारे जनजीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्राकृतिक संतुलन का अगर कोई आधार है तो वह हमारा वन क्षेत्र है। उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जहां 10वीं वार्षिक पंचवर्षीय योजना में पूरे देश में 33 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र हैं, वहीं हमारे राजस्थान में मात्र 9.4 प्रतिशत है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव और शहरीकरण, इस सबके चलते वनों का जिस तेजी से ह्रास हुआ है, उसका प्रभाव यह पड़ा कि हमारी ऋतुओं का क्रम बदल गया। ऋतुओं का क्रम बदलने के साथ–साथ, मौसम बदलने के साथ–साथ, हम अंदाजा लगाया करते थे उन सारी चीजों से धीरे–धीरे, बिगड़ते पर्यावरण के कारण दूर होते चले गये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पढ़ रहा था, वार्षिक प्रतिवेदन में सरकार यह कहती है कि पिछले दो वर्षों में वनाच्छादित क्षेत्र में 518 किलोमीटर की वृद्धि हुई। 2001–2002 व 2002–2003 में इन्होंने जो उपलब्धि अपने प्रगति प्रतिवेदन के माध्यम से बताई है, मैं समझता हूं, शत–प्रतिशत से ज्यादा उपलब्धि इन्होंने अर्जित की है। वन मंत्रीजी, 2000 के अन्दर आपने 22500

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैक्टेयर का लक्ष्य रखा था वृक्षारोपण का और उपलब्ध आपने कर लिया 25000 से ज्यादा। इसी तरह से पौध वितरण के 250 लाख के लक्ष्य की जगह आपने 306 लाख का लक्ष्य अर्जित कर लिया। एक तरफ तो वन विभाग यह कहता है कि जो हमारे लक्ष्य थे उन लक्ष्यों को हमने पूरा किया, दूसरी तरफ यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में जनता अकाल का सामना कर रही है और इसका मुख्य कारण है कि राजस्थान के अन्दर पिछले तीन वर्षों में औसत से कम बरसात हुई है। वर्ष 2000–2001 के अन्दर औसत से 29 प्रतिशत कम बरसात, 2001–02 में 15 प्रतिशत कम बरसात और 2002–03 में 64 प्रतिशत कम बरसात हुई है। इतनी कम बरसात होने के बावजूद, आपका वन और वृक्षारोपण ज्यादातर बरसात पर निर्भर करता है, आपके पास, मंत्रीजी, कौनसी जादू की छड़ी थी कि आपने सारे के सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिये?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ नया करके दिखाएं। ये कागजी आंकड़े हैं, कागजी आंकड़े रखकर आप यह कह सकते हैं, एक बार झूठी वाहवाही ले सकते हैं, परन्तु धरातल पर जाओगे तो कोई चीज मिलेगी नहीं।

इसके साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्रीजी का ध्यान इस बार जो आपका योजनागत व्यय है, उस ओर ले जाऊं। आपका बजट हैड है 2406 वोल्यूम 4–द, आप उत्तर दें तो मुझे जवाब भी दें, योजनागत व्यय था पिछले साल का 60 करोड़ 71 लाख और इन्होंने खर्च किया है उसमें से 2.93 करोड़, यानि दशमलव 75 प्रतिशत आपने स्टेट प्लान का खर्च किया है। सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम में आपको 16.19 करोड़ मिले और आपने 14 करोड़ खर्च किये। अब मेरी समझ में नहीं आता, पैसा इन्होंने खर्च किया नहीं, बरसात है नहीं, मौसम अनुकूल नहीं और आपने सारे के सारे लक्ष्य अर्जित कर लिये? क्यों धोखा देना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि वन जैसा विषय जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है, इसके अन्दर हमें सच्चाई से सामने आना चाहिए।

वृक्षारोपण के नाम पर जब से यह सरकार आई है, इन्होंने एक व्यवसाय बना लिया जूली फ्लोरा लगाओ, जूली फ्लोरा को काटो और पैसा खूब कमाओ। अभी झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात रखी, मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इससे गम्भीर कोई बात नहीं। 1999–2000 में एक वर्ष का ठेका हुआ जालौर और पाली के अन्दर, 38 लाख और 61 लाख का। उस एक वर्ष के ठेके में जिसमें शर्त थी कि ठेका इस तारीख से लेकर इस तारीख तक एक वर्ष का है, ढाई साल तक, मंत्री महोदया, आपने उस ठेकेदार को इजाजत दे दी। उस ठेकेदार ने किया क्या है? जब उस ठेकेदार के खिलाफ आपके अधिकारी ने टी.पी. जारी करने से मना कर दिया तब उसने शिकायत की। आपने दूरभाष पर जिस तरह के निर्देश दिये, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि आपने जानबूझकर ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, दो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लाख चवालीस हजार टन उसने कोयला बनाया है, उसकी बाजार की कीमत आप देखें तो बाजार की कीमत आती है 27 करोड़ रुपये। ठेका लिया उसने 38 करोड़ में, दूसरे ठेकेदार ने लिया पाली का 61 करोड़ में। उसको ठेका दिया एक साल का, ठेके का काम कर रहा है ढाई साल। और तो और, वन मंत्रीजी...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप गलत कह रहे हो, 61 लाख में दिया था, करोड़ नहीं। आप करोड़ बोल गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लाख है, मैं क्षमा चाहूंगा। मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि इस ठेकेदार ने जूली फ्लोरा को जड़ से निकालकर, इसलिए ठेका लिया था कि वहां घास वगैरह नहीं हो रही थी? और इसने किया क्या है? आपके पास शिकायत आई, लिखित में शिकायत आई, कालू लम्बिया गांव में बबूल के नाम पर तीन हजार खेजड़ी इसने काट दी। आप शिकायत दबा कर बैठ गईं। मेरी समझ में नहीं आता, आप करना क्या चाहते हैं?

एक हो तो बताएं। इस विभाग में जब से आपने कार्यभार सम्भाला है तब से, वन मंत्रीजी, आपने वन बढ़ाएं इसमें रूचि नहीं ली। पर आपके विभाग में व्यापार क्या हो रहा है, किस तरह से इस विभाग में भ्रष्टाचार किसके संरक्षण में पनप रहा है, आपने उस पर निगाह जरूर डाली है। पर आपने निगाह डालकर भी उनके किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, यह न जाने कौन-सी मिलीभगत है। समाचार-पत्रों में, उपाध्यक्ष महोदय, सुर्खियों में एक मामला छपा। उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो लकड़ी है, आप उधर से पधारते हैं, वन लगाने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका तो वन जो पहले प्रकृति ने लगा दिया उसको काट कर बेचने में इंटरेस्ट है। आपके स्टेट ट्रेडिंग का काम, मंत्री महोदया, कहां होता है? आपके स्टेट ट्रेडिंग का काम होता है मुख्य वन संरक्षक (विकास), जयपुर के पास। आपने किस तरह दूरभाष पर आदेश देकर यह सारा काम सी.सी.एफ. बीकानेर को ट्रांसफर कर दिया? उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, सी.सी.एफ., बीकानेर ने उदयपुर में उप वन संरक्षक तेमाणी थे, उनको यह आदेश दे दिया, इन्होंने पहले भी निविदाएं आमंत्रित कर रखी थीं और निविदाएं आमंत्रित करके एक चण्डीगढ़ की फर्म का उस निविदा में सबसे ज्यादा आया तो उसको उन्होंने पहले ठेका दे रखा था। उसके बाद सैंक्चुरी पेपर मिल्स, कलकत्ता को आपकी निविदा में आपके सलैक्ट कर रखा था। उसके बाद तेमाणी को टेलीफोन करके आपके पी.सी.सी.एफ. साहब सूद, जिसकी खुद की फैक्ट्री है, जो खुद अपनी कह दें, चण्डीगढ़ में है, उन्होंने कहा, नहीं, उनको नहीं, न्यूकेन को दो। पहले वजन के आधार पर आपने निविदा आमंत्रित की, फिर आपने कहा वोल्यूम के आधार पर है। मैंने विधान सभा में एक सवाल लगाया, उपाध्यक्ष महोदय, जवाब मुझे मिला है। आपके उप वन संरक्षक, उदयपुर ने जो पत्र मुख्य सचिव को लिखा, मैं टेबल करना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहता हूं। आपने पढ़ा होगा भरत तेमाणी का यह पत्र, इसकी मैं दो-चार लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। महोदय, यह चीफ सैक्रेटरी को लिख रहा हूं, मुझे कब तक और ऐसी प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। यदि सोलह वर्ष के भारतीय वन सेवाकाल के बाद भी मुझे एक अय्याश एवं निरंकुश अधिकारी की सेवा में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ उपस्थित रहना पड़ा तो मैं इस दासतापूर्ण जीवन से मुक्त होना चाहता हूं। कृपया इस अधिकारी श्री चौबे के कार्यकलापों की विस्तृत जांच कराने का कष्ट करें। यदि इन्हें अनुशासन में नहीं रखा तो इनके द्वारा राजकीय संसाधनों का जो वर्तमान में दुरुपयोग किया जा रहा है और जिस तरह के भ्रष्टाचार करके वन प्रशासन को पंगु बनाकर यह वन की सम्पदा से अपने खुद का घर भरना चाहते हैं, वह बदस्तूर जारी रहेगा। यह मैं नहीं कह रहा, यह पत्र आज ही आपने मेरे एक सवाल के जवाब में दिया है। मैं पूछना चाहता हूं जब आप जवाब दें, यह सारा काम क्या है? आपको मालूम है, जब यह मामला चला, कि उदयपुर के अन्दर जो लकड़ी आप बेचा करते थे वजन के हिसाब से, उसको वोल्यूम के हिसाब से बेचे। तब एक कमेटी बनी। विभागीय कमेटी ने कहा, रिपोर्ट दी उसने लिखित में साढ़े छह सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हानि होगी, बेचना उचित नहीं। पहले निविदाएं जिन शर्तों पर आमंत्रित की गई थीं वे निविदाएं अभी हैं, नई निविदाएं आमंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आपने यह सारा काम किया। जिसको आपने दिया, आपके एम.डी. सूद जो पी.सी.सी.एफ. सूद के शायद भाई हैं या खुद हैं, उन्होंने आज तक वह माल उठाया भी नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, हालात क्या हैं आज।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने कितने पैसे खर्च किये? मैं जिस जिले से आता हूं वह जिला भी डी.डी.पी. में है। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि आज लाखों रुपये, करोड़ों रुपये खर्च करने के पश्चात् भी मेरे जिले में 4.6 प्रतिशत वन है। बीकानेर जिले में 3.9 प्रतिशत, हनुमानगढ़ जिले में 1.85 प्रतिशत, जैसलमेर जिला 1.21 प्रतिशत और नागौर जिला 1.33 प्रतिशत, जोधपुर जिला 1.48 प्रतिशत, ये हालात हैं। अब आपने प्रगति प्रतिवेदन में बहुत लम्बी-चौड़ी डींग हांकी है कि जे.बी.आई.सी. जापान से आप 442 करोड़ रुपये ले रहे हैं और एक लाख चौबीस हजार हैक्टेयर वृक्षारोपण करेंगे। पहले भी आपने कितनी बार कितने करोड़ रुपये इस राजस्थान की गरीब जनता को कर्ज में लादने के लिए इन विदेशी एजेंसियों से लिये, आपने कभी मूल्यांकन किया क्या? आप पैसे लेते रहे परन्तु उस पैसे से आपके प्रोजेक्ट के अन्दर जो टारगेट तय किये गये थे उन टारगेट्स के आधार पर आपने कुछ किया हो तो बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो केन्द्र प्रवर्तित योजना है उसकी उपलब्धि की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपके द्वारा दिया गया यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रगति प्रतिवेदन जिसमें प्रगति एक तो जरूर होगी कि आप जहां जाती हैं, प्रगति प्रतिवेदन में फोटुएं ही फोटुएं छपाकर उसको तो खूबसूरत बना देती हैं। परन्तु योजनावार वित्तीय प्रावधान–केन्द्र प्रवर्तित योजना–राशि लाखों में, उपाध्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा फर्माएं 33.37 करोड़ का इनके बजट में प्रोविजन था, आर.ई. में जब गये 29.2 कर दिया और अब तक आपने खर्चा किया है 9 करोड़ रुपये। यह पैसा जो भारत सरकार से आता है, मेरी समझ में नहीं आता कि इस पैसे को आप तीन महीने में कैसे उपयोग कर देंगी? वैसे तो आप माहिर हैं, आप कुछ न कुछ कर जरूर दोगी, परन्तु कम से कम यह सोचो, वन के नाम पर इस तरह की लूट–खसोट तो बंद करो। आपके इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर जो वृक्षारोपण की परियोजना थी, उपाध्यक्ष महोदय, 1990 से 1998, 138 करोड़ रुपये से आई.जी.एन.पी. क्षेत्र के अन्दर वृक्षारोपण करना था, आपको इस योजना को बढ़ाना पड़ा 2004–05 तक ले जा रहे हैं, क्योंकि आपके यहां तो मामला इस तरह चलता है कि पेड़ लगाओ कम और काटो ज्यादा। मैं, मंत्री महोदया, आपसे पूछना चाहता हूं, आपके यहां जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्षेत्र है–गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके अन्दर आप पेड़ काटने का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। वहां 90 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लकड़ी बेची जा रही है और शर्त आपने खुद से लगाई है कि जो खरीददार आएगा वह 200 क्विंटल से ज्यादा लकड़ी नहीं खरीदेगा। तो क्या कारण है कि पिछले दो वर्षों में जहां बाजार के अन्दर 120 रुपये और 150 रुपये क्विंटल रुपये लकड़ी बिक रही है, एक ही आदमी को आपने लगातार, एक आदमी नाम बदलकर प्रति दिन, आप वहां से मालूम कर ले, मेरा आरोप है आप पर, अगर मैं बात झूठी कहूं तो आप किसी उच्चाधिकारियों को भेज कर मालूम कर ले कि वहां किस तरह का काम हो रहा है। मैं समझता हूं कि थोड़ा–बहुत आपको सोचना चाहिए। आपको, मंत्री महोदया, मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में यह कहा था कि अप्रैल से सितम्बर के बीच में वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए। परन्तु आप कोई भी महीना ऐसा बता दें जहां आपके वनों की कटाई पूरे बारह महीने नहीं चलती हो। और दूसरा, आपके नहरी क्षेत्र में तो आप जिस लकड़ी को जलाऊ लकड़ी मानते हैं, उसकी डेफिनिशन में आपने लगा रखा है कि वह चालीस सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए, पर आपके उदयपुर में क्या कर रहे हैं आप? उदयपुर में साठ सेंटीमीटर है, मतलब दोहरे मापदण्ड आप क्यों और कैसे कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1998 में, मंत्री महोदया, साबी परियोजना की बात तो आपको मालूम होगी, वाटर हारवेस्टिंग के अन्दर जो काम साबी परियोजना में होना चाहिए था, इसके अन्दर भी भारत सरकार का पैसा था। प्रोजेक्ट पूरा हो गया, सारा काम होने के बाद सारा पेमेंट हो गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लेकिन मार्च, 1999 में फर्जी बिलों से डी.एफ.ओ. और ए.सी.सी.एफ. ने 22 लाख रुपये उठा लिये। वन विभाग ने रेंजर, फोरेस्ट गार्ड को सस्पैंड कर दिया–छोटे कर्मचारी अधिकारी हैं न, जिन लोगों के आदेश से यह परियोजना पूरी होने के बाद बिना कोई कारण से आपके 22 लाख रुपये फर्जी बिलों से उठे, आपने उसमें कोई कार्यवाही नहीं की। मेरी समझ में नहीं आता कि आप करना क्या चाहते हैं।

अभी आपको मालूम होगा, मैंने विधान सभा में एक सवाल किया था, जवाहर नगर के अन्दर एक गैस्ट हाउस बना रखा है। अपने सवाल में मैंने पूछा था कि आपके अधिकारी यहां कितने दिन रुके। आपने कहा, नहीं, सिर्फ पांच दिन रुके। अब मैं टेबल करना चाहता हूं यह, उपाध्यक्ष महोदय, खुद सरकार ने स्पेशल आडिट करवायी थी, कि अधिकारी वहां एक दो-दिन नहीं, कुल मिलाकर तीन सौ से ज्यादा दिन रुका तीन साल में। यह मेरे पास है, 120 दिन रुका वो 1998 में, 1999 में रुका 72 दिन। यह सारा मिला कर उनके खिलाफ रिकवरी का मामला आपके सामने है। आप राजस्थान की विधान सभा में कहती हो कि वो अधिकारी रुका नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही सम्भावित नहीं है। ये सारे कागजात यह कहते हैं कि आपने खुद ने जांच करवायी, आपके फाइनेंस सैक्रेटरी ने जांच की। स्पेशल आडिट हुई और आडिट के अन्दर उसी अधिकारी के विरुद्ध क्योंकि उसने मनमर्जी से, दफ्तर था उनका कोटा के अन्दर, यहां कैम्प कार्यालय बनाया। कैम्प कार्यालय बनाकर एक गैस्ट हाउस किराया का लिया। दो-दो, तीन-तीन ए.सी. लगा लिये, 5-5, 4-4 नौकर लगा दिये। सरकार को एक-दो नहीं, पूरे 18 लाख का जिस आदमी ने चूना लगाया, वो राजस्थान की विधान सभा में जब, उपाध्यक्ष महोदय, हम सवाल खड़ा करें तब-यह मैं सवाल लेकर आया हूं, तब वन मंत्रीजी खड़े होकर कह दें कि नहीं, इस तरह कोई नहीं। मैंने पूछा था, क्या यह सही है कि उक्त गैस्ट हाउस में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर 1999-2000 में 126 दिन, 2000-01 में 13 दिन और 2001-02 में 83 दिन रुके? इन्होंने कहा, जी नहीं, मात्र पांच दिन रुके। आप अपना जवाब दो। जब आप ट्यूरिज्म में थीं तब तो काम ठीक-ठाक था, अब मेरी समझ में नहीं आया कि जब से आप इस विभाग में आयी हैं, न जाने क्या हो गया। जितने भी कारनामे में आपके विभाग के उजागर होते हैं, उन सबकी पत्रावलियां आप मंगाती हो और...

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को गलत ढंग से ये डांट रहे हैं। इनकी चलती नहीं है इस विभाग में, मुख्य मंत्रीजी ने सारे अधिकार छीन रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आप विराजिये न प्लीज।

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन किया जाए, कोई माननीय विधायक किसी माननीय मंत्री को डांट नहीं सकता। आप संशोधन करें इस बात को।

श्री सांवर लाल : डांट नहीं सकता तो क्या कर सकता है, फिर यह बता दो? जो कर सकते हैं वो बता दो, वो कर देंगे। (व्यवधान)...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : डांटने पर, पूछने पर क्या कर लेंगे?

डा. महेश जोशी : नहीं, डांट फिर भी नहीं सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वन मंत्रीजी, आपको सवाईमाधोपुर-रणथम्भौर से बड़ा प्यार है, वर्षों से आप वहां जाती हो। कभी आप वहां गये, कई बार आपने वहां टाइगर भी देखे, परन्तु आपने कभी सोचा कि यह रणथम्भौर जो विश्व में प्रसिद्ध है, उस रणथम्भौर के लिए केन्द्रीय सरकार से पैसा मिले या किसी फारेन एडेड प्रोजेक्ट से पैसा आये, उसका उपयोग कितना हो रहा है? अभी ग्लोबल एनवायर्नमेंट फेसिलिटीज योजना की चर्चा झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या कर रही थीं, 38 करोड़ रुपये मिले। उपाध्यक्ष महोदय, 38 करोड़ रुपये इसलिए मिले कि जिस बात की चर्चा डा. किरोड़ी लालजी कर रहे थे, प्रति दिन विवाद होता है वहां के पास में रहने वाले 20-22 गांवों का, इस रणथम्भौर के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में। गांव वालों का कहना है कि जब इनको आपने राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर किया, इससे पहले वो वहां रहते थे, आपने राष्ट्रीय उद्यान बाद में डिक्लेयर किया। वो अपने मवेशियों को कहां लेकर जाएं, पशुओं को कहां लेकर जाएं? इस योजना में 38 करोड़ रुपये ग्लोबल एनवायर्नमेंट फेसिलिटीज प्रोजेक्ट में मंजूर हुए, और वो इसलिए हुए कि इन लोगों को वहां जो आसपास के गांवों के हैं, उनको विश्वास में लेकर उस रणथम्भौर के पार्क पर चराई का दबाव नहीं आए, जलाऊ लकड़ी का दबाव नहीं आए। दूसरी कोई इस तरह की फेसिलिटीज क्रियेट की जाएं, किसानों को विश्वास में लेकर की जाएं ताकि उनकी चराई की और जलाऊ लकड़ी की समस्या का समाधान हो जाए। परन्तु किया क्या है आपने? वहां पैसा खर्च जरूर किया है 10 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। एक तो शानदार आफिस बना दिया आपने वहां, और आपके खुद के आने के बाद भी वहां एक गाड़ी और खरीदी गयी, 9 गाड़ियां पहले खरीदी गयीं। मतलब जिस परपज के लिए पैसे लिये, उस परपज को भूल गये आप। आपने यह सोचा कि यह पैसा है। यह पैसा जिस भी प्रोजेक्ट से आया, 10 साल बाद जब वापस इसकी अदायगी प्रारम्भ हो जाएगी, तब आप क्या समझते हैं कि राजस्थान का गरीब व्यक्ति जो आज कर देता है उस पर बोझ नहीं आएगा? जो पैसा आपके पास आता है उस रूप में आप वो अदा नहीं करेंगे इसलिए, मंत्री महोदया, आप जवाब दें तब वह बताएं। बाघ संरक्षण पर प्रति वर्ष...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हो गये 20 मिनट आपके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रति वर्ष आपको 15 करोड़ रुपये मिलते हैं–11 करोड़ रुपये केन्द्र के और चार करोड़ रुपये राज्य के।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप क्या कर रही हैं वहां पर? आपने कितना रुपया खर्च किया? जिस तरह इण्डिया ईको डवपलपमेंट प्रोजेक्ट की बात उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, पांच वर्ष में तीन सौ करोड़ रुपये मिले परन्तु आप फुट प्रिन्ट मैथड से आज बाघों की गणना भी नहीं करा सकीं। इसलिए, मंत्री महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि इन सारी चीजों को आप देखें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी, बहुत लम्बी हो गयी, और क्या रह गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पर्यटन मंत्रीजी से मात्र 2–3 बातें कहूं, इससे पहले मैं एक निवेदन करके मेरी बात पूरी करूंगा एक मिनट। मंत्री महोदय, आज के अखबार में एक विज्ञापन छपा है–भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार के समीप न्यास की स्वर्ण जयंती नगर योजना में पैट्रोल पंप हेतु भू–आबंटन। नीलामी की तारीख है 21.3.03 जबकि 1500 मीटर दूर तक पर्यावरण अधिनियम, 1986 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कोई भी उसमें काम या कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां वहां नहीं हो सकतीं। लेकिन आपकी सरकार खुद एडवरटाइजमेंट कर रही है, मैं सोचता हूं कि इस बारे में आपको सोचना चाहिए।

मैं, पर्यटन मंत्रीजी आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, निश्चित तौर पर राजस्थान के पास अगर सबसे गर्व के लायक कोई बात है तो हमारा शानदार इतिहास है। आपने राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन बना दिया, बहुत अच्छा काम किया। और लम्बी–चौड़ी घोषणाएं कर दीं–पर्यटन को मुख्य रोजगार योजनाओं का आधार बनाएंगे। परन्तु आपने सोचा कि आपका पर्यटन विभाग जा कहा रहा है? यह, उपाध्यक्ष महोदय, इस बार का प्रगति प्रतिवेदन है, इसमें लिखा है–कार्यकारी आय और व्यय। पर्यटन जिसको उद्योग बनाना चाहते हो, मंत्री महोदय...मंत्री महोदय, जरा मेरी तरफ देखे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बहुत फुर्सत में है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फुर्सत में हो तो थोड़ा सुन ले मेरी बात। यह आप अपने प्रगति प्रतिवेदन को देखे जो आपने हमें दिया। इस प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ 30 पर आपने लिखा है आय व व्यय। अब इसमें आपकी आय है 3826 लाख और व्यय है 4025 लाख। आप कहते हो कि इसको आप उद्योग बनाओगे। आपके सामने किस तरफ से हालात हैं? कम से कम जब आप अपना उत्तर दें तब आपको जरूर बताना चाहिए। इसके अलावा मुख्य मंत्रीजी ने एक लम्बा–चौड़ा बयान दिया कि प्रदेश की सांस्कृतिक नीति बनेगी। नीति तो, उपाध्यक्ष महोदय, किसी चीज की बनवा लो, हमारे मुख्य मंत्रीजी और मंत्री महोदय बड़े प्रसिद्ध हैं। सांस्कृतिक नीति, यह नीति कौन सी है? हमारी संस्कृति है, संस्कृति की भी ये नीति बनाएंगे? मेरी समझ में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने जिस तरह की दुर्गति इस मेवाड़ काम्प्लेक्स की की...(व्यवधान)...

श्री सांवर लाल : राजीव गांधी सांस्कृतिक नीति बनेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने जो दुर्गति मेवाड़ काम्प्लेक्स की, की है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर जिस चीज की चर्चा पूरे विश्व में है, जिस इतिहास के बारे में लोग यह कहते हैं कि ऐसा इतिहास न कभी हुआ और न कभी होगा, कर्नल टाड को भी यह कहना पड़ा था, आज आप कर क्या रहे हैं? मुझे मालूम है, उपाध्यक्ष महादेय, परन्तु दो-चार मिनट बात करके अपनी बात खतम करूंगा। मंत्री महोदय, क्या आपकी जानकारी में है या नहीं कि 2000 से लेकर 2002 तक...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या-9 एवं 47 के पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या अनुदान की मांग पारित होने तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

आपके लिए बढ़ाया है यह समय, ध्यान रखना।

मांग संख्या-9 व 47 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आपने अपने प्रगति प्रतिवेदन में लिखा है कि वर्ष 2000-01 और 2002, 6 लाख 23 हजार 100 विदेशी पर्यटक आते थे, सन् 2000 में कम होते-होते 4 लाख 28 हजार हो गये। यह क्यों हुआ, आप उत्तर देंगे तब कहेंगे। जिस तरह का विश्व का वातावरण बना, भय और आतंक के वातावरण से वो कम आये, आप इसको ढकने के लिए कुछ भी कह दो, पर आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप आधारभूत सुविधाएं जो पर्यटकों को मिलनी चाहिए, वो दिला नहीं पाये।

और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर हमारी जो पुरातत्व विरासतें हैं, भगवान के लिए उन पुरातत्व विरासतों का और कुछ कर सको, नहीं कर सको, उनका हुलिया तो मत बिगाड़ो। राजस्थान की विधान सभा में पहले चर्चा हो चुकी है, आपके अधिकारियों ने सिर्फ कमीशन और पैसा कमाने के चक्कर में हवामहल और अल्बर्ट हाल का हाल क्या कर दिया। 14 लाख रुपये खर्च किये और, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जो आर्च लगी हुई है उस आर्च की शैली बदल दी। इसी तरह नाहरगढ़ के अन्दर 40 लाख रुपये खर्च किये और वहां जिस तरह का पुरातत्व विभाग का डिजाइन था उस डिजाइन के रूप ही बदल दिया।

(17.00 बजे)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपके यहां विज्ञापन एजेंसी को एडवरटाइजमेंट देने की बात चली थी। पहले तो इसी सदन में मामला चला था तब तो आप सहित आपके मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि हमने एक नीति बना दी और हमारी सरकार की खुद की एक विज्ञापन एजेंसी बना दी "संवाद"। हम जो विज्ञापन देंगे वह उसकी मार्फत देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो नहीं, 10 करोड़ का घोटाला है। इन्होंने खुद ने दिसम्बर, 2001 में विज्ञापन जारी किया और अपने विज्ञापनों अपने पोस्टरों और दूसरे सब प्रचार-प्रसार के लिये आपने एक निविदा आमंत्रित की। 30 एडवरटाइजमेंट एजेंसियों ने निविदा में भाग लिया। उसमें कोई फैसला करते इसके पहले आपने उन निविदाओं को निरस्त कर एक दूसरी निविदा आमंत्रित की और उसमे शर्त यह लगा दी कि इस बार वही मल्टीनेशनल कम्पनी इसमें भाग ले–यहां हिन्दुस्तान की नहीं बात राजस्थान के पर्यटन की हो रही है–जिसको विदेश में पर्यटन, विकास और उन सारे मामलों में विशेष अनुभव हो। 10 लाख की धरोहर राशि कर दी। आपने इस सारे मामले में एक कम्पनी को लाभ पहुंचाने के लिये ऐसी नीतियां बनाईं, उस एक कम्पनी को लाभ देने के लिये आपने यह सारा काम किया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरुण सिंह। हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, पर्यटन मंत्री जी, अभी आप देहली पधारे थे, देहली में बहरोड़ का जो आर.टी.डी.सी. का बंगला है उसके मैनेजर कुम्भाराम को गम्भीर वित्तीय अनियमितता के कारण आपके अधिकारियों ने सस्पैंड किया था। आप देहली गये और जब उस मिड-वे बंगले में गये, उस वी.आई.पी. रूम में गये, उसके बाद न जाने उसने आपकी क्या सेवा की कि आप उस कुम्भाराम को वहीं निर्देश दे आये कि दुबारा इसको बहाल कर दें। आपने कोई अवलोकन तो किया होगा। आपके अधिकारियों ने उसको सस्पैंड किया और आपने उसको रीइंस्टेट किया। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरुण सिंह।

श्री अरुण सिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, वन एवं पर्यटन की मांग संख्या-9 व 47 पर आज चर्चा हो रही है। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क हैं, तीनों नेशनल पार्क विश्व में प्रसिद्ध हैं। They are pride of Rajasthan आज इन नेशनल पार्कों की बदौलत विदेशी पर्यटक आते हैं, स्थानीय पर्यटक आते हैं। मेरा सुझाव सरकार को है कि पर्यटन और फोरेस्ट के नेशनल पार्क, ये एक स्ट्रक्चर या एक विभाग में आएं और मैं चाहूंगा श्रीमती बीना काक जो वन विभाग की मंत्री हैं, इसमें रुचि लें. ये दोनों अंटर कनैक्टेड हैं फोरेस्ट एण्ड ट्यूरिज्म।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए डिमाण्ड्स साथ रखी हैं।

श्री अरुण सिंह : वह तो अच्छा है, पर एडमिनिस्ट्रेटिवली भी एक विभाग में आएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री कौन रहे, यह भी बता दो।

श्री अरुण सिंह : श्रीमती बीना काक।

श्री रोहिताश्व कुमार : दोस्ती निभा रहे हैं।

श्री अरुण सिंह : अब यह हैं तो भरतपुर की ही, तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी।

भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क है, पर आज की तारीख में वह नेशनल पार्क एक गौशाला बन गया। 15 हजार गायें उस नेशनल पार्क में चर रही हैं। इसमें वन विभाग और राज्य सरकार को मैं दोषी मानता हूं। अकाल था, बारिश की कमी थी, प्रशासन ने ट्यूबवैल, बोरिंग के लिये पैसा भी दिया, पर टेण्डर के रिगमेरोल में अब उन ट्यूब वैलों की बोरिंग अब हुई। जो 2-4 पंछी भरतपुर में आये वे भी उड़ गये। मेरा वन मंत्रीजी को सुझाव है कि 175 करोड़ रुपये जो जमुना वाटर के लिये केन्द्रीय सरकार ने सैंक्शन किये हैं, इस नेशनल पार्क के लिये आपका विभाग और सिंचाई विभाग एक योजना बनाए, ताकि घना भी इन परिस्थितियों में जैसा प्यासा रहा, आइंदा से ऐसी परिस्थिति नहीं आए। नेशनल पार्क में जो नियम और कानून हैं, बिल्डिंग नहीं बननी चाहिये। इस नेशनल पार्क में एक तो फोरेस्ट लाज गलत बन गई। आई.टी.डी.सी. केन्द्र सरकार का है और एक-दो और कांकरीट की बिल्डिंग बन रही हैं आपके वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से। यह एक बहुत गलत परम्परा है। गर्मियों में केवलादेव नेशनल पार्क में लगातार आग लगती है। इसके लिये ज्यादा तो मैं आपके विभाग को दोषी मानता हूं। आपके विभाग ने चारों और दीवार के लिये पैसा सैंक्शन किया है, पर वह पैसा सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जून की भीषण गर्मी में कम से कम 4 या 5 घटना फोरेस्ट फायर की होती हैं। मेरा अनुरोध है कि वन विभाग में गार्डों की बढ़ोतरी और 22 स्क्वायर किलोमीटर का यह नेशनल पार्क है इसमें साधन की बढ़ोतरी भी होनी चाहिये।

रणथम्भौर के ऊपर यहां बहुत जिक्र हुआ, रणथम्भौर भी विश्व में एक प्रसिद्ध टाइगर नेशनल पार्क है। राजनेता और टाउट्स पोचिंग करते हैं, शेरों को जहर खिलवाकर मरवाते हैं। राजनेता शेरों को मारते भी हैं। ओनेस्ट फोरेस्ट आफिसर को प्रयास करके काला मुंह करते हैं। एक आई.एफ.एस. आफिसर मिस्टर रेड्डी जो एक डैडीकेटेड आफ़िसर है, यहां कई माननीय सदस्य उनके ऊपर लांछन एवं आरोप लगाते हैं। मैं विधान सभा से अपना इस्तीफा दे दूंगा यदि मिस्टर रेड्डी भ्रष्ट होवे, या ईमानदार न होवे।

सरिस्का में भी स्याफ की कमी है, पोचिंग हो रही है। अकाल की वजह से गांव वाले अपने पशु भी छोड़ देते हैं। इन नेशनल पार्कों के इधर-उधर सरकार को

(श्री अरुण सिंह)

चारे का प्रबन्ध करना चाहिये। वन विभाग में आज की तारीख में अच्छे–अच्छे डैडीकेटेड आफिसर हैं, पर मेरे ख्याल में, वन मंत्री महोदय, आपके विभाग में फोरेस्ट सैक्रेटरी ही नहीं है। है या नहीं है, यह मुझे तो पता नहीं है। मंत्री तो काबिल हैं और अकेली काम कर रही हैं। सैक्रेटरी नहीं मानता या सैक्रेटरी ही नहीं है, यह तो मुझे पता नहीं है।

श्री रोहिताश्व कुमार : इनकी परवाह ही नहीं करता है।

श्री अरुण सिंह : यह तो अशोक गहलोत के राज में हो ही रहा है।

दूसरा, मैं पर्यटन मंत्री का भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और मांग कर रहा हूं। इतने काबिल मंत्री थे पर अब इनकी रूचि नहीं है। लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के मंत्री थे, अब डिमोट होकर इसमें आ गये, तो उनको कोई खास रुचि तो है नहीं। पर, धारीवाल साहब, 10 करोड़ से 13 करोड़ आपकी सरकार ने बजट बढ़ाया है, उसके लिए शायद आप धन्यवाद के पात्र हैं।

ब्रज सर्किट एरिया, इसमें धौलपुर भी शामिल होवे, करौली भी शामिल होवे, अलवर भी शामिल होवे, हमारा डीग भी शामिल होवे, पूरा पूर्वी राजस्थान भी शामिल होवे फिर हम आपको पूर्वी राजस्थान का डैपुटेशन पर मुख्य मंत्री बना देंगे, क्योंकि कोटा वाले तो अब नहीं चाह रहे हैं। आपको (व्यवधान) ब्रज विश्व ट्यूरिस्ट मैप पर है, भरतपुर ट्यूरिस्ट मैप पर है, डीग के जलमहल विश्व ट्यूरिस्ट मैप पर हैं और अलवर का टाइगर डैन अलवर के महल, करौली के महल और धौलपुर का तालाबशाही ये सब मशहूर जगह है, तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि एक बृज ट्यूरिस्ट पैकेज बनाएं। ब्रज इत्तिफाक से राजस्थान में है, मारवाड फैस्टिवल कर रहे हैं, मेवाड़ फैस्टिवल कर रहे हैं, हाड़ौती फैस्टिवल कर रहे हैं, आप होली पर ब्रज फैस्टिवल नहीं कर सकते? राजस्थान ट्यूरिज्म कैलेण्डर पर क्यों घोषणा नहीं है? जितेन्द्र सिंहजी, आपका ससुराल भी डीग में है, आप भी मेरा समर्थन कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं, वन और पर्यटन दोनों पर, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले चार साल से हमारे साउथ वैस्ट राजस्थान में वर्षा की काफी कमी है। इस क्षेत्र में ज्यादातर जनजाति के लोग और दूसरे लोग रहते हैं, उनका ज्यादातर काम जंगल से पड़ता है।

हमने हमारे इस एरिया में पिछले 2–3 साल से पाया कि 50–60 लोग, नानावतबंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वर्षों से फोरेस्ट के कब्जे में था, उस पर अतिक्रमण करके वहां पर खेती–बाड़ी कर रहे हैं। वहां के स्थानीय लोग, जनजाति के लोग इसके खिलाफ हैं कि खाली 50–60 आदमियों के लिए कम से कम 1000–2000 बीघा जमीन जा रही है जो सबके काम आ

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

सकती है। ज्यादातर लोग पशुपालक हैं लेकिन ये 50-60 लोग जंगल पर खड़ाई करके अपनी फसल फसल बोकर धीरे-धीरे उस पर अपनी टी.पी. दर्ज कराकर बहुत जल्दी अपने आबंटन की तरफ बढ़ा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फोरेस्ट की भूमि में टी.पी. की कार्यवाही होती है, इसको रोका जाए। अभी तक इसके प्रति लोगों का झुकाव कम है, अगर एक-दो जनों का इसमें अलाटमेंट होने लग गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जंगल नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आबादी बढ़ रही है, बढ़ती आबादी में लोग जंगलों में जाकर अपने छोटे-छोटे 10-10, 15-15 बीघा के खेत निकालकर अपने नाम अलाट कर लेंगे। गत वर्ष भी इसके खिलाफ हमने जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया था। मुझे मालूम नहीं है आज दिन तक वह जमीन फोरेस्ट की है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। पर मैं यह बता सकता हूं कि वह अरावली क्षेत्र की है और इसमें फोरेस्ट पर कई बार वृक्षारोपण हो चुका है। मैं चाहता हूं कि अगर फोरेस्ट के नाम पर नहीं है तो इस पर कार्यवाही करके इसको फोरेस्ट दर्ज कराया जाए, क्योंकि यह वहां के स्थानीय लोगों की भावना है, वहां के आदिवासियों की भावना है, वहां के पशुपालकों की भावना है।

दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से अकाल पड़ रहा है और हमारे अरावली पहाड़ में पशुओं के लिए पीने का कोई साधन नहीं है। पहले भी किसी माननीय सदस्य ने बताया कि अगर इस बजट के अन्दर एनिकट का निर्माण या छोटी-मोटी नाड़ियां खुदाई जाएं पहाड़ों में, तो भविष्य में जानवरों के पीने का साधन हो जाएगा। आज इनकी बुरी हालत है कि जानवर ठेठ गांव तक पहुंच रहे हैं, खेतों तक पहुंच रहे हैं। लोगों में इतनी दहशत फैल गई कि वे खेती भी नहीं कर पा रहे हैं कि किसी भी समय जानवर आ सकता है।

तीसरा मेरा पाइंट यह है कि जालौर, सिरोही, पाली इन तीनों जिले के पशुपालक देवासी समाज से हैं जो लगातार मालवा जाते हैं। चार महीने तो वे हमारे एरिया में निकालते हैं और 8 महीने बाहर निकालते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यही निवेदन करता हूं कि आपके वन विभाग वाले जब वे आते हैं उनसे पशु शुल्क लेते हैं इस अकाल को देखते हुए उनको राहत पहुंचाने के लिए आप शुल्क माफ कीजिए। चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। उनको चार रुपये किलो चारा खरीदना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी देवासी समाज के लोग हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट में भूमिहीन हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इनके पक्ष में कोई विशेष पैकेज रखना चाहिए। यह ऐसी जाति है जिसमें प्रति व्यक्ति लगभग 200-300 भेड़ रखता है। गाएं, भैंसे सब वह पालता है, लेकिन वह भूमिहीन है, उसके पास कोई भूमि नहीं है। अकाल में वह चरा रहा है, मैं समझता हूं कि जो शुल्क आप लगा रहे हैं इसको अगर माफ करेंगे तो उनके लिए अकाल की दिक्कत दूर हो जाएगी।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

वन को बचाना, मैं तो समझता हूं कि यह खाली कर्मचारियों के बस की बात नहीं है। आपने इसमें बताया कि लगभग साढ़े तीन हजार स्थाई इकाई समितियां बना रखी हैं। अगर आप इनको ज्यादा पावर देंगे, मैं तो यह कहता हूं कि आम सभा में, ग्राम सभा में अगर यह स्थाई समिति बन जाए, ग्रामवाइज बन जाए और अगर स्थाई समिति रजिस्टर हो जाए और उनको यह निर्देश दिया जाए कि यह जंगल आपका है और आपको ही इसे बचाना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब तक स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं होगी, ये जंगल नहीं बचेंगे। फोरेस्ट डिपार्टमेंट अगल काम कर रहा है, वहां के स्थानीय लोग अलग काम रहे हैं। उनको यह मालूम ही नहीं है कि फोरेस्ट क्या काम कर रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसकी रजिस्टर्ड कमेटी बनाएं और उनको यह पावर दिया जाए कि जो भी फोरेस्ट से लकड़ी काट ले, गीली लकड़ी काट ले उसके खिलाफ जो पेनेलाइज करना है वह करे। आधी रकम फोरेस्ट में जमा हो, आधी रकम रजिस्टर्ड ट्रस्ट में जमा हो। वह रजिस्टर्ड ट्रस्ट वहां के असहाय लोग जो फोरेस्ट पर डिपेंड हैं, उनके ऊपर काम करें, उनके लिए छोटी-मोटी इण्डस्ट्री लगाए।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रहेगी। मैं इसलिये कह रहा हूं कि मैं एक जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र से आया हूं और इस अकाल के टाइम में उनको खाली लकड़ी काटकर बेचने के अलावा और कोई काम नहीं है। उनके पास कोई छोटी-मोटी काटेज इण्डस्ट्री नहीं है। अगर बरसात होगी तो खेती के अलावा कोई काम नहीं है। यही पैसा अगर वहां कोई कमेटी के द्वारा, कोई काटेज इण्डस्ट्रीज के द्वारा उसको खर्च किया जाए तो मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि फोरेस्ट यही लोग बचाएंगे।

दूसरा, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा जिला डी.डी.पी. में आता है और सरकार के अभी आदेश हैं कि डी.डी.पी. में जो भी वृक्षारोपण होगा वह पंचायतों के द्वारा होगा। सैंक्शंस मैंने देखी हैं, ये सैंक्शंस लगभग 6-7 महीने पहले हो गयीं। क्योंकि यह फोरेस्ट से पंचायतों में आ गया इसलिये फोरेस्ट के अधिकारियों की इसमें ज्यादा रुचि नहीं है। लेकिन इस अकाल के टाइम में लोगों को रोजगार दिलाना है, बरसात 4 महीने के बाद आने वाली है, उस पर अभी से खड्डे अगर लगे। पंचायत काम कराएगी, सुपरविजन फोरेस्ट करेगा, यह अभी सरकार का आदेश है। मैं समझता हूं कि पंचायत और फोरेस्ट दोनों के काम देखेंगे कि कौनसा बैटर काम है, पंचायतों का काम बैटर है कि फोरेस्ट काम बैटर करता है, यह कम्पेरिजन से ही पता चलेगा। आज की तारीख में हमारे जिले में करीब 40 डी.डी.पी. की योजनाएं सैंक्शंन हुई होंगी, एक भी अभी तक चल नहीं रही है। मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं कि आपके अफसर जो भी जिला लेवल पर बैठे हैं, उनको निर्देश दें, इससे अकाल में लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

एक मैं बताना चाहता हूं कि 2 महीने पहले एक पैंथर का शिकार हमारे इस एरिये में बताया गया है, गोरिया में हुआ। उसमें हमारे यहां के 2 स्थानीय लोगों को पकड़ा गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसके पीछे गोगुन्दा का थानेदार है उसी ने उन 2 आदिवासियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु के लिये मुझे इसकी खाल चाहिए, उसने उनको प्रोत्साहन दिया। उसके बाद में उन्होंने उसका शिकार किया और फिर उसी आदमी ने उनको पकड़ाया। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उसकी पूरी जांच कीजिए, ये तथ्य आपके सामने आएंगे कि उसी ने उनको शिकार के लिये कहा था और उसी ने उनको फंसाया है। जो निर्दोष गरीब आदमी को फंसाया गया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी प्रकार उनको इससे बाहर निकालें और जो हकीकत में इसने प्रोत्साहन दिया है उसके खिलाफ आप एक्शन लें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। राजस्थान के आर्थिक विकास में वन और पर्यटन का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यवर, जैसे आंकड़े प्रस्तुत किये गये, वन घटता गया राजस्थान में। अभी जो प्रगति पत्र दिया गया, उसमें 9 से 10 प्रतिशत बन रह गये। मेरा पहला सुझाव है मंत्री महोदया को कि हमने कोई वन नीति बनायी स्टेट की, यदि बनायी है तो आप इस प्रगति पत्र में देतीं। मुझे लगता है कि कोई वन नीति बनी नहीं है राजस्थान में। अच्छा होगा कि जिस तरह से हमने कई मिशन बनाये हैं राजस्थान में राजस्थान की प्रगति के लिये, यदि कोई वन मिशन भी बनाएं तो जो इम्पोर्टेंट इश्यू हैं, जिनके ऊपर हमारे पूरे स्टेट का पर्यावरण ही नहीं, सारे विकास का आधार है, उसमें हम चिन्तन कर पाएंगे उस मिशन के माध्यम से। मैं बजट के आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, कई हमारे साथियों ने दिये हैं, परन्तु जो आगामी वर्ष की हमारी योजनाएं हैं–जापान से एडेड 447 करोड़ की योजना है, केन्द्र सरकार ने सौ करोड़ रुपये हमें दिये हैं और 50 करोड़ आगामी वर्ष में हमें मिलने वाले हैं, किस तरह का हम आयोजन करें, किस तरह से प्लानिंग करें मरु विकास के लिए मरु क्षेत्र में वनीकरण के माध्यम से, कृपया गम्भीरता से इस विषय को लें।

अब मैं अपने जिले की बात करता हूं। मेरे जिले में प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये खर्च होते हैं वन विभाग के माध्यम से। सिविल एजेंसीज काम करती हैं। वर्क फार फूड प्रोग्राम हो, डी.डी.पी. के प्रोजेक्ट्स हों, डी.एन.पी. के प्रोजेक्ट्स हों, 20 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद जैसलमेर में कितना वनीकरण किया गया, वे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, आंकड़े हमारे सामने हैं। महोदय, मैं विशेषकर जैसलमेर का ही जिक्र करूंगा क्योंकि वह 38 हजार स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, थार रेगिस्तान है, वनीकरण की बड़ी गुंजायश है

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

वहां पर। क्योंकि इन्दिरा गांधी नहर में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स उस क्षेत्र में आ चुके हैं, पानी की कमी नहीं है। प्राब्लम्स वन की जो मुझे समझ में आती हैं कि आपने पौध लगा दी और आपके निर्देश हैं कि वर्ष में 2 बार पानी दिया जाए। उस 45 डिग्री सेल्शियस टैम्परेचर में, आंधियों में जो 3-4 महीने चलती हैं हमारे क्षेत्र में, क्या वर्ष में 2 पानी देने से जो वृक्ष लगाये हैं, वे पनप पाएंगे? इस ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। वर्ष में कम से कम 5 बार उन वनों को हम पानी देंगे तो जो हमने पौधारोपण किया है, वह आगे बढ़ पाएगा।

मेरे जिले में तीन डी.एफ.ओ. लगे हुए हैं और एक डी.एन.पी. का बहुत बड़ा एरिया हमने अभयारण्य के नाम से घोषित कर रखा है। वह अब नेशनल पार्क बनने वाला है। वह कौनसा क्षेत्र है? हमने हड़बड़ी में ऐसा क्षेत्र ले लिया–कुछ बाड़मेर जिले का, कुछ जैसलमेर जिले का, जहां घनी आबादी है। जैसलमेर जिले में ऐसे क्षेत्र थे–हमारा सहागढ़ बल्ज था, किशनगढ़ बल्ज था, जहां कम से कम आबादी है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बन्दिश कर रखी है। प्रतिबन्ध लगा रखे हैं तो कृपया यदि सुप्रीम कोर्ट में जाइये, हम उतना का उतना एरिया जैसलमेर जिले में देने को तैयार हैं। फिर वह भी सीमान्त क्षेत्र है और वर्तमान में नेशनल डैजर्ट पार्क भी सीमान्त क्षेत्र है। प्राब्लम्स क्या हैं? हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, वहां गांव आबाद हैं, कृषि कर रहे हैं। पुश्तैनी लोग बैठे हुए हैं वहां पर, उनकी खेती है। उन्होंने जो अतिक्रमण कर रखे हैं या जो जमीन बढ़ा रखी है, नये जवान आये हैं वे अपनी जमीन में खेती कर रहे हैं। हम अलाटमेंट करके उनका नियमन नहीं कर सकते हैं, यह हमारी बहुत बड़ी समस्या है। उसी के साथ सैंड ड्यून्स जो पर्यटन से भी सम्बन्धित हैं, वे डी.एन.पी. एरियाज में आ गये। हमेशा हम देखते हैं कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट वाले दादागिरी करके बैठे हैं, एक जागीर बनाकर बैठे हैं वहां पर और अवैध वसूली करते रहे हैं। बीच में हमने कहा कि आपका समय खतम हो गया, एक्सपीरियंस बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी। वे फिर परमिशन लेकर आ गये और एक तरीके से आतंक फैला रखा है। इस डी.एन.पी. के एरिया में कृपया इस ओर आप ध्यान करें।

हमने आखेट निषेध क्षेत्र घोषित कर रखा है, आपने जैसे फिगर्स दिये, 14864 वर्ग किलोमीटर में। जब आपकी बंदिश थी, सारे स्टेट में आप शिकार नहीं कर सकते, फिर क्लोज एरिया बनाकर, फैंस एरिया बनाकर आपने क्यों बाधाएं पैदा कर रखी हैं? मेरे जिले में ऐसे 3-4 एनक्लोजेज आपने बना रखे हैं। इसका कोई परपज नहीं। आपने मुझे विधान सभा के प्रश्न में जवाब दिया कि हम हिरण को बढ़ाने के लिये कर रहे हैं। हिरण तो हमारी समस्या बन गयी। तिगुने-चौगुने, दस गुनी पापुलेशन हिरण की बढ़ गयी और हमारे काश्तकार के लिए वे समस्याएं क्रियेट कर रहे हैं। कृपया ऐसे उत्तर देकर हैं हमें अनुत्तर नहीं करें। जो आपने एनक्लोजेज बना रखे हैं रामदेवरा, पोकरण सैक्टर में, जिसमें लेना-देना कुछ नहीं, डी.एन.पी. एरिये के अन्दर, कृपया उसको तुरन्त हटाएं। फेंसिंग

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

करके रखी है, आपने कुछ कर्मचारी लगा रखे हैं। इस विधान सभा में मैंने सेवण घास के लिये प्रश्न उठाया था, फोडर बैंक के लिये। मेहरबानी करके विचार करे इस बारे में। 11 हजार हैक्टेयर जमीन फैंस की हुई आपके पास पड़ी है। आपने जवाब दिया है कि धोरा स्थिरीकरण करना चाहते हैं, कहां है धोरा? कहां है वानिकीकरण? मेरे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उपाध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में पर्यटन पर बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा निवेदन है कि उस सेवण घास की 11 हजार हैक्टेयर जमीन जो आपके पास पड़ी है, करोड़ों रुपये की जमीन है, कृपया इस फोडर बैंक की स्कीम को रिवाइव करिये। जो पहले स्टेट ने चालू की थी, आपने एडमिट किया कि हमने उसको बंद किया। गत वर्ष 2 करोड़ की केन्द्र सरकार की योजना आयी गोल्डन घास की, आपके अधिकारियों ने लिख दिया कि हम सक्षम नहीं हैं गोल्डन घास की योजना में दो करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी। आपके अधिकारी लिखते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं। मुझे शर्म आती है यह कहते हुए। कृपया आप अपने उनसे पूछिये कि किसने लिखा, क्यों लिखा। दो करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से गोल्डन घास, सेवण घास को डवलप करने के लिए आया था, यह स्कीम क्यों बंद कर दी गई, कृपया इसकी जांच करवाइये।

वहां पर रिसर्च की बात करते हैं, हमने काजरी (CAZRI) को छह हजार बीघा जमीन दे रखी है। वहां पर रिसर्च हो रही है, उनके एक्सपेरिमेंट्स किये हैं। खेजड़ी के क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं? खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान का मुख्य वृक्ष है, कितने वर्षों में वह डवलप होता है? क्या उनकी रिसर्च लेकर फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने कभी प्रयास किया कि उस ओर हम जाएं? कि काजरी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किये थे वर्षों में, वह सब अमल करें?

मैं अधिक नहीं करकर, माननीय पर्यटन मंत्रीजी यहां पर बिराजे हुए हैं, एक निवेदन करना चाहूंगा। जैसलमेर एक पर्यटन केन्द्र है, राजस्थान का ही नहीं अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र बन गया हैं। मिशन है, जैसलमेर के लिए विकास समिति माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में बनाई है। मैं उन सबका स्वागत करता हूं, परन्तु कुछ समस्याएं हमारी हैं। जैसलमेर दुनिया का एक अजीब शहर है, स्थापत्य कला का एक नमूना है। दुनिया में दो ऐसे शहर है, एक जैसलमेर है हिन्दुस्तान में जो पत्थर का बना हुआ है। विदेश में एक ऐसा शहर था जो लकड़ी का बना हुआ था। यू.एन.ओ. चाहता था जैसलमेर को लेना, हमने उसको रोका। हम चाहते थे कि यह स्टेट का प्रोजेक्ट बना हुआ है, एक बहुत बडा पर्यटन केन्द्र बने। कई आपके प्रस्ताव हैं, उस ओर मैं नहीं जाऊंगा। आपने पर्यटन नीति बनाई, आपने पर्यटन को उद्योग की सुविधाएं दी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर को एक बनाया। होटल, पर्यटन संस्थान, जोधपुर में आप बना रहे हैं 330 करोड़ रुपये का तो सब...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलना है?

श्री गोवर्द्धन कल्ला : जैसलमेर में एक लाख देशी और पचास हजार विदेशी पर्यटक आते हैं। यह इतना बड़ा पर्यटन का केन्द्र है तो मैं चाहूंगा कि इस ओर आप विशेष ध्यान दें। ए.डी.बी. लोन के अन्दर जैसलमेर को आपने घोषणा तो कर दी, पर केवल एक माउंट आबू को लेकर छोड़ दिया। कृपया डिवीजनल हैडक्वार्टर के साथ में जैसलमेर को भी लें।

मेरा एक निवेदन और है कि जैसलमेर का मास्टर प्लान समाप्त हो गया है। यदि ट्यूरिज्म को वहां पर डवलप करना है, जैसलमेर नगर को डवलप करना है तो उसका मास्टर प्लान आप स्वायत्त शासन विभाग से बनवाएं। मैं हमेशा प्रश्न करता हूं, जैसलमेर किला, ताजमहल के बाद में एक धरोहर है। इतनी बड़ी धरोहर है, उसके विकास के बारे में आपको अलग से सोचना पड़ेगा, अलग से वाई लाज बनाने पडेंगे। पर्यटन विभाग से वाई लाज बनवाएं। अभी मरु मेले के अन्दर आप पधारे थे, आपके अधिकारी पधारे थे। उन्होंने कहा कि सब लोगों को बाहर निकाल दो, खाली कर दो। विरासत का किला खाली नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा विवाद रहता है, दो-तीन हजार की आबादी किले में रहती है। कैसे करना चाहिए, उस किले के संरक्षण के लिए क्या योजना बननी चाहिए? ढाई करोड़ रुपये इंग्लैण्ड ने चन्दा किया, वहां की किसी संस्था ने, सवा करोड़ रुपया राज्य सरकार देगी और सवा करोड़ रुपया केन्द्र सरकार देगी, केन्द्रीय पर्यटन मंत्री वहां पर आ गये, पांच करोड़ की हमने योजना बना दी, पर कंट्रोल किसका है, यह आज भी हमें पता नहीं है। कुछ पैसा ब्रिटेन से आ रहा है और वहां किले में लग भी रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और, एक मिनट में मैं कनक्लूड करुंगा। मेरा ऐसा निवेदन है जैसलमेर किले के लिए कि पटवों की हवेली में पांच हवेलियों में से साढ़े तीन हवेली आपने एक्वायर कर ली। डेढ़ हवेली का क्या हुआ? क्यों आपने एक्वायर की साढ़े तीन हवेली, जो आज वे खण्डहर बन रही है? कृपया इसके बारे में विचार करें। यदि कोई काम करना है तो होल हार्टेडली करिये। साढ़े तीन हवेलियां एक्वायर कर ली डेढ़ हवेली में लोग रह रहे है, ऐसा चलेगा नहीं। वहां उन्होंने ड्रेनेज का क्या सिस्टम बना रखा है? वह गन्दगी हो रही है। मुझे याद है जोशीजी जब मुख्य मंत्री थे यहां पर, माननीय राजस्व मंत्री पर्यटन मंत्री थीं, हमने चाहा था कि जैसलमेर में होटल कैम्पस अलग से बनें। दुनिया के लोग आएं, उस होटल कैम्पस को देखें। आज जैसलमेर शहर में गली-कूचे में होटल्स बना दिये, चारों तरफ कामर्शियल योजनाएं खतम कर दी। मैं पुनः पूर्व सरकार को उलाहना नहीं दूंगा, परन्तु किस तरह होटल व्यवसाय को विकसित करना चाहिए, उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया। मैंने यहां सभा में भी उस दिन कहा था कि यह पेइंग गेस्ट स्कीम हमारी सारी लोकल संस्कृति को प्रदूषित कर रही है। इस पेइंग गेस्ट स्कीम को जो पूर्ववर्ती सरकार ने चालू की है, कृपया बन्द करें। हमारे घर, हमारे परिवार इससे बिखर रहे हैं, कृपया इस पर गम्भीरता

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

से विचार करें। आप देखे इसको। (व्यवधान) एक मिनट।

आपने कुछ किलों को पर्यटन में लिया है, देवी कोड, लाठी, जो आम सड़क पर हैं। शायद दस, बीस और भी किलें है जैसलमेर विरासत में। सिंधु घाटी सभ्यता जैसलमेर में है, सिन्धु घाटी की सभ्यता के अराउंड जो किले बने हुए हैं बार्डर में, कृपया कभी उस ओर भी निगाह दौड़ाएं। विरासत में हमें मिले हुए हैं, उस ओर भी ध्यान दें।

एक मेरा अन्त में निवेदन है कि जो गाइड्स वहां पर बैठे हुए हैं, अच्छे लड़के है फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन, सब भाषाएं बोलते है पर वे क्वालिफाइड नहीं है। उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। बीच में आपने कुछ राहत दी है, मेरा निवेदन है कि जो फोरेन लेंग्वेज़ के एक्सपर्ट हैं, अच्छी से अच्छी भाषाएं बोल सकते हैं उन गाइड्स का रजिस्ट्रेशन करके उनको प्रोत्साहन दें। पर्यटन के लिये जैसलमेर के अराउंडर जो स्थल हैं, वह पर्सनल प्रोपर्टी एक्स रूलर्स की हो, भले ही किसी की हो, उन स्थानों को विकसित करें। नेशनल डैजर्ट पार्क इसीलिए बनाया था माननीय इन्दिरा गांधीजी ने, कि जो ट्यूरिस्ट आएं, तीन साल तक इस डैजर्ट को देखे, वहां पर रिटेन करे तो नेशनल डैजर्ट पार्क, जैसलमेर टाउन और उसके अराउंड सारे रमणीक स्थानों को डवलप करके अच्छा ट्यूरिस्ट स्थल बनाएं, मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 9–वन और मांग संख्या 47–पर्यटन पर चर्चा हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक का सवाल है, निश्चित रूप से वन बढ़े हैं इससे सब सहमत हैं। वन के नाम से केन्द्र सरकार ने पूरे न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में आदेश पिछले सितम्बर में निकाला है कि वन से तमाम लोगों को बेदखल किया जाए। राजस्थान में यह आदेश फोरेस्ट विभाग के माध्यम से लागू किया जा रहा है। राजस्थान की 12 प्रतिशत से ज्यादा आबादी आदिवासी है जो आदिम काल से फोरेस्ट में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हजारों की संख्या में परिवार हैं जो वन में बसे हुए हैं, वहीं खेती करते हैं, जिनको आज तक रैगुलराइज नहीं किया गया है। उनको बेदखल करने के लिए इस आदेश के तहत उनको नोटिस सर्व किये जा रहे हैं। राजस्थान का सबसे गरीबतम, आखिरी लाइन पर कोई है तो वह आदिवासी है जो हजारों की संख्या में हैं, जिनके घर बने हुए हैं। वे आदिमकाल से चल रहे हैं। आदिवासी के पूरे के पूरे गांव फोरेस्ट में बसे हुए हैं। वहां कोई फोरेस्ट भी नहीं है। उस जंगल में जहां कोई फोरेस्ट नहीं है साल दर साल से वह खेती करता आ रहा है। खेती से पहले वन औषधियों से, वन की उपज से उसका काम चलता था। लेकिन वन की उपज से उसका अब काम नहीं चलता। आज भी बहुत बड़ा आदिवासी वर्ग वह गरीब जंगल में लकड़ियां बीनकर, बाजार में लकड़ियां

(श्री अमराराम)

बेचकर अपना गुजारा करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि महिलाएं पूरे दिन लकड़ियां बीनती है और सुबह उस लकड़ी को बाजार में बेचकर वहां से केवल छाछ लेकर, उस लकड़ी को बेचने के बदले बड़े गांव से, आबादी के क्षेत्र से छाछ लेकर अपना जीवनयापन करते हैं। बहुत–सी राज्य सरकारों ने इस आदेश को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया है। वहां के आदिवासी समाज ने एकजुट होकर इस बिलकुल अमानवीय आदेश के खिलाफ संघर्ष किया और महाराष्ट्र की सरकार ने इस ओदश को लागू करने से मना कर दिया। त्रिपुरा की सरकार ने मना कर दिया। उन्होंने कहा यह बात हो सकती है कि आज तक जितने भी काबिज हैं, विशेष तौर से आदिवासी जो काबिज हैं उनको किसी भी शर्त पर नहीं हटाया जाए। जंगलात की जमीन पर आदिवासी के अलावा अन्य कोई भी समाज कब्जा करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसे जंगलात से बेदखल किया जाना चाहिए, इसमें सब सहमत हैं। लेकिन आदिवासी जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उससे आयी है, उनको किसी भी रूप में नहीं। राजस्थान की सरकार अगर गरीब की हमदर्द है तो राजस्थान में भी इस आदेश को लागू करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। किसी भी शर्त पर राजस्थान के आदिवासी को उसके घर से, उसके खेत से जो उसकी आजीविका का आधार है, हटाया नहीं जाए, उससे किसी भी रूप में छेड़छाड़ नहीं की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न केवल आदिवासियों पर यह बात है, बल्कि राजस्थान में फोरेस्ट विभाग और भी अपनी मनमर्जियां कर रहा है। मैंने मंत्रीजी से पहले भी कहा है कि राजस्थान सरकार में एक मात्र पंचायत समिति धोद है 237 में से, जिसका कोई भवन नहीं है। गोचर भूमि खसरा नम्बर 1713 सीकर में अवस्थित है, वहां के रेवेन्यू विभाग ने जिला कलक्टर से परस्यू किया, अखबारों में विज्ञप्ति छपवाई कि किसी को भी 1713 खसरा नम्बर पर कोई आब्जेक्शन हो, जो कभी भी फोरेस्ट विभाग के खाते में नहीं रहा।

इस सैटलमैंट के पहले 28 बीघा का खसरा था, उसमें से 18 बीघा फोरेस्ट को दी गयी। 10 बीघा बाकी जमीन बची हुई है, उसका 1713 नम्बर खसरा है। विज्ञप्ति छपाई गई। राजस्थान सरकार के पास आया। राजस्थान सरकार ने वह 1713 नम्बर गोचर भूमि अलाट कर दी। इसके बाद लैण्ड यूज चेंज करने के लिये दुबारा विज्ञप्ति छपाई गई। इस छह महीने की प्रक्रिया में फोरेस्ट विभाग ने कहीं आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। जब राजस्थान सरकार द्वारा लैण्ड यूज चेंज कर दिया गया, कब्जा सम्भला दिया गया, उसके बाद में फोरेस्ट विभाग ने अपनी दादागिरी के अनुसार उस जमीन पर, जिस पर पंचायत समिति धोद का भवन बनना था, एक मात्र पंचायत समिति राजस्थान में है, जिसका भवन नहीं है, 236 का है, लेकिन उस भवन में अड़ंगा लगाने के लिये न्यायालय में पेश कर दिया। मंत्रीजी, आप तो बता दें, यह 1713 नम्बर सीकर का खसरा कभी भी फोरेस्ट के रहा हो तो मैं

(श्री अमराराम)

बात मान सकता हूं एक तरफ पंचायत समिति जो सरकार का विभाग है, दूसरी तरफ फोरेस्ट का विभाग वाहियात न्यायालय में मुकदमा दायर कर रहा है। सरकार ने छह महीने तक अखबार के माध्यम से पूरी विज्ञप्ति निकाली, लेकिन फोरेस्ट विभाग अपनी मनमर्जी कर रहा है। आज पूरे राजस्थान में अकाल है, कहीं मटीरियल की व्यवस्था नहीं है। अकाल में पैसा लग रहा है उसमें ऊंटगाड़ें से मोरम डालकर कुछ रास्ता ठीक बने, ग्रेवल सड़क बन जाएं तो फोरेस्ट विभाग को कहां परेशानी है? फोरेस्ट में कौनसा पेड़ कट रहा है? फोरेस्ट से ग्रेवल ऊंटगाड़े से लाकर रास्ते में डाल दे। लेकिन आपके विभाग के जो भी अधिकारी जाते हैं उनको अरेस्ट करके उनका चालान कर देते हैं। किसी पेड़ को काटें तो बात समझ में आती है, लेकिन उस पहाड़ से जो फोरेस्ट में है, उससे ग्रेवल उठाकर रास्ता ठीक करता है तो कहां परेशानी है? लेकिन फोरेस्ट विभाग दादागिरी करता है। किसी पेड़ को काटें तो बात समझ में आती है। मेरा तो यह दावा हैं कि राजस्थान में जितना फोरेस्ट पर पैसा खर्च किया गया है, सीकर, नागौर और झुंझुनूं में किसानों के अपने खेतों में उससे ज्यादा पेड़ है। बहुत भारी संख्या में किसान के खेत में खेजड़ी के वृक्ष है उनके खेजड़ी सूखती है, सूखने के बाद उसको काटकर लाता है, कोई दूसरा पेड़ उसके साथ मिल जाएगा तो आपके फोरेस्ट के अधिकारी उसको ले-जाकर बन्द कर देंगे। उस पर कितना भारी जुर्माना करते हैं। उसने पचास साल तक पेड़ पैदा किया है, उसकी लकड़ी को लेकर आ रहा है। खेजड़ी की परमिशन है, लेकिन उसके साथ दूसरा कोई पेड़ होगा तो निश्चित रूप से उसको बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि फोरेस्ट के नाम से आपका विभाग चौथ वसूली करता है। यह छूट है फोरेस्ट में, कि पत्थर चुनकर, बिक्री के लिये नहीं, अपने यूज के लिये, अपने मकान के लिये ला सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को भी फोरेस्ट विभाग जिस तरह से परेशान करता है, मैं समझता हूं, ऐसी बातों पर निश्चित रूप से आम जनता में फोरेस्ट के बारे में जिस तरह की सोच है, उसको मिटाने के लिये फोरेस्ट के अधिकारियों को सही काम करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात माननीय पर्यटन मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि मेरे सीकर में हर्ष पर्वत माउंट आबू के बाद में अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। पर्यटन विभाग ने हर्ष पर पानी पहुंचाने के लिये एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की। पानी पहुंच भी गया। आज पर्यटन विभाग को वहां ट्यूरिस्म का सोर्स डवलप करना है, लेकिन वहां एक भी पेड़ नहीं है। वह स्थान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो, वहां रेस्टोरेंट हो, रुकने की जगह हो, उसे इस तरह का बनाएं, पर इसके लिये फोरेस्ट विभाग आड़े आ गया। मैं कह सकता हूं कि शेखावाटी में जहां मण्डावा, सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और नवलगढ़ की हवेलियां ट्यूरिस्ट मैप पर है, माउंट आबू के बाद में हर्ष नैक्स्ट हाइएस्ट चोटी है, इसलिए यह विकसित हो सकता

(श्री अमराराम)

है। आप फोरेस्ट विभाग को कहकर उसे भी विकसित करावें तो निश्चित रूप से शेखावटी में एक और नाम जुड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल गुर्जर।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वन विभाग की मांग संख्या की चर्चा 47 में भाग ले रहा हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा सन् 1986 में जो एनीकटों का निर्माण कराया गया था, 25–25, 30–30 लाख की लागत उनमें जा चुकी है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इन एनीकटों का पूरा निर्माण करने नहीं दिया गया और इन पर रोक लगा दी गयी। ग्राम पंचायत डावेटा विस्तारी गांव में 25–30 लाख रुपये खर्च हो चुके दरा का नया गांव का एनीकट भी अधूरा है, ग्राम पंचायत पगारा का पगारा बांध भी अधूरा पड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत सतूर का छोटा बांध, वन विभाग द्वारा उस पर भी रोक लगा दी। किशनपुरा बांध बनने जा रहा है जिसका सर्वे चार बार हो चुका, उसमें थोड़ी–सी जमीन वन विभाग की आती है। यदि यह किशनपुरा का बांध बन जाता है और इसमें वन विभाग कार्य करवाने की स्वीकृति दे देता है तो इस बांध के निर्माण से कम से कम 25 पंचायतों को राहत मिलेगी, 25 ग्राम पंचायतों के खेतों में पानी मिलेगा। अभी–अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना की स्वीकृति हुई। 63 लाख रुपये की स्वीकृति आ गयी, कार्य चालू हो गया। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस प्रधानमंत्री सड़क योजना से जो रोड बनाया जा रहा था, उस पर रोक लगवा दी गयी। ग्राम पंचायत पगारा का हुवाला रोड है, नेशनल हाइवे हुवाला तक पांच–छह किलोमीटर का रोड है, वहां पर पहले अकाल राहत के तहत भी रास्ते का निर्माण कराया गया है। अभी भी ट्रैक्टर ट्रोलियां, बैलगाड़ी उसी रोड से जाती है, लेकिन कार्य चालू करवाने के बाद में वन विभाग द्वारा इस पर रोक लगा दी गयी। ऐसे ही आकोदा पंचायत आतरी भैंरूपुरा रोड आठ किलोमीटर है। वन विभाग की जमीन में वे गांव नहीं आते, लेकिन वन विभाग से होकर वहां के ग्रामवासियों को गुजरना पड़ता है। आज भी वहां पर रास्ते की ऐसी स्थिति है कि लोग पैदल जा सकते हैं।

इसी प्रकार बूंदी जिले का रामेश्वर महादेव स्थान ऐसा है जहां बूंदी जिले के ही नहीं वरन राजस्थान के लोग रामेश्वर महादेव के दर्शन करने जाते हैं। वह बूंदी जिले का प्रथम तीर्थ स्थान है। वहां पर आठ–दस धर्मशालाओं का निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन अभी कुमावत समाज द्वारा वहां पर एक धर्मशाला का निर्माण कराया जा रहा था, वन विभाग के अधिकारी वहां पर आये और वहां से गार्डर और पट्टियां उठाकर ले गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वहां पर बरसों पुराना मन्दिर है और बीस धर्मशालाएं वहां पर बन् चुकी हैं, आज यदि एक धर्मशाला वहां पर और बनाई जाती है तो क्या हर्ज है? सभी समाजों की धर्मशालाएं वहां बनी हुई हैं, माननीय मंत्री महोदय, कभी आपको बूंदी जाने का मौका मिले तो रामेश्वर महादेव के जरूर दर्शन करने आना। आप

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

एक दफा दर्शन करेंगी तो मानेगी कि आपके वन अधिकारी कैसा-कैसा व्यवहार जनता के साथ में कर रहे हैं। आपका वन विभाग अभी डण्डे के जोर से किसानों और मजदूरों को परेशान कर रहा है, लेकिन यदि जनता जिस रोज सावधान हो जाएगी और सावचेत हो जाएगी तो आपके अधिकारी आगे-आगे रहेंगे और वहां की जनता लट्ठ लेकर पीछे रहेगी यदि आपकी यही स्थिति रहीं तो।

आज खीड़ा ग्राम पंचायत का जगाती सूरजमल चौथ वसूली कर रहा है, ग्रामवासियों को परेशान कर रहा है। मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूं इन सब समस्याओं के मामले में। आज बूंदी जिले के अन्दर सबसे ज्यादा फोरेस्ट की जमीन है, यदि फोरेस्ट की जमीन में आपके विभाग द्वारा एनीकटों का निर्माण करवाया जाए तो वहां पर पशुधन और जंगली जानवरों के लिये सबसे बड़ा फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वन मंत्रीजी। बोलने दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में कोई भाषण होता ही नहीं है। दो मिनट में कोई भाषण होता है क्या?

श्री परसादी लाल : आदिवासियों की तरफ से कोई नहीं बोला, साहब दो मिनट बोलने दो।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो। इनको पहले आवाज दी, यह तो थे ही नहीं, इसका मैं क्या करुं? बोलो।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वन और पर्यावरण के बारे में चर्चा हो रही है, मैं भी उसमें अपने विचार व्यक्त करूंगा। खास तौर पर काश्तकारों के लिये वन ही आधार है। वन के बिना पानी नहीं बरसता है और पानी के बिना हमारे जीवन का आधार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी कोई समस्या हो तो बता दो, सब जानते है पानी के बिना आधार नहीं है।

श्री शंकर लाल अहारी : समस्या है, साहब, बहुत समस्या है।

श्री नाथूराम अहारी : समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिवीजन में इतने आदिवासी काश्तकार जंगल में बसे हुए हैं, उनसे पैनल्टी लेकर जो जमीन नियमानुसार खाते पड़नी चाहिए वह नहीं पड़ रही है और हजारों-हजार काश्तकार परेशान हो रहे हैं। पैनल्टी इस हिसाब से लेते हैं कि कोई भी लकड़ी लेकर गया, या कोई पाला लेकर गया तो उसके ऊपर पैनल्टी लिख देते है। उसको यह नहीं बताते हैं कि उसका कब्जा है, जबकि उसमें कब्जा है। पक्के मकान बने हुए है, सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है, स्कूल बने हुए हैं। इनकी जमीन आबाद की हुई है, उस जमीन पर कुए हैं और फलदार पेड़ फल देने लग गये हैं। इस तरह से वे काफी परेशान है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, वैसे तो वो कब्जा बताएंगे तभी जाकर होगा, लेकिन मौके पर जाकर कि

(श्री नाथूराम अहारी)

कहां–कहां फलदार पेड़ हैं, कहां–कहां पुराने मकान हैं, कहां–कहां बावड़ियां हैं, कहां–कहां स्कूल हैं, यह देख कर उनकी जमीन का खातेदारी हक देना चाहिए, तभी जाकर यह सम्भव है।

इसके अलावा लोग कहते हैं कि वन नहीं हो रहा है, वन कम पड़ता जा रहा है। श्रीमान, मनुष्य बगीचा लगा सकता है, जंगल नहीं लगा सकता है। इसके लिए मेरी मांग है कि जहां–जहां भी वन हैं, एक साथ नहीं, उनके ऊपर पक्के कोट कर दिये जाएं जिससे कोई उसके अन्दर जा नहीं पाए। अगर कोई नहीं जाएगा तो पांच साल में स्वंत: ही भगवान की दया से उसमें जंगल पैदा हो जाएगा। इसकी रुकावट करना बहुत ही जरुरी है।

इसके अलावा मेरे यहां जो लोग जंगल में बसे हुए हैं, अभी कल–परसों उदयपुर डिवीजन के सारे काश्तकार आये थे, माननीय एम.एल.ए. से भी मिले हैं और वन मंत्रीजी से भी मिले हैं, हमने उनको आश्वस्त किया है कि मंत्रीजी से, सरकार से बात करके आपका खातेदारी हक दिलाएंगे। मेरी मांग है कि इस बात को ध्यान में रख कर उन्हें खातेदारी हक दिलाना बहुत जरुरी है।

अभी सड़कों के लिए भी बात आयी थी, उसमें इमारती कोई लकड़ी नहीं है, कोई जंगल नहीं है लेकिन उस पर घूम कर 15 किलोमीटर जाना पड़ता है और दो किलोमीटर के लिए जंगलात वाले रोकते है। मेरी मांग है कि आप दोनों तरफ कोट कर दीजिये, लेकिन 15 किलोमीटर चल कर जाता है, अगर बीच में से जाएगा तो 3 किलोमीटर जाएगा तो ऐसी जो भी रोड जंगल के अन्दर है तो भी रोड निकाल देना चाहिए। इसके अलावा जंगलात में जहां–जहां भी नाले है वहां पर एनीकट बनाए जाएं जिससे पर्यावरण भी ठीक रहेगा, जंगल ठीक रहेगा और जंगल में जो पशु रहने वाले हैं उनको पानी पीने की सुविधा मिलेगी।

श्रीमान्, अभी जंगलात में जो पेड़ उगाये जाते हैं वे बिना काम के हैं, जो नहीं लग सकते है ऐसे पेड़ उगाये जाते है। इसलिए मेरी मांग है कि जन उपयोगी, जो पशुओं के खाद के काम आएं ऐसे पेड़ भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए लगाने चाहिए। बेकार के पेड़ लगाने से, जैसे विलायती बंबूल है उससे, जलाने का काम तो पूरा हुआ है लेकिन उससे ना तो घास उगती है, ना दूसरे कोई पेड़ लग सकते हैं और जमीन बिलकुल बरबाद हो जाती है। इसलिए मेरी मांग है कि जमीन के अनुकूल जहां जैसा पेड़ पैदा हो सके, ऐसे पेड़ लगाने चाहिए। तभी जाकर हमारे जंगल का सुधार हो सकता है। ...(व्यवधान)... जैसे सागवान है, नीम है, फलदार पेड़ हैं, आम है, बांस है, इस तरह के जो भी पेड़ उपयोगी हैं उनको लगाना चाहिए। जो काम नहीं आएं ऐसे पेड़ लगाना उपयोगी नहीं होगा।

इसके अलावा मैं एक बात कहना भूल गया, राजा महाराजा के समय में कुछ जमीन लोगों को काश्त के लिए दी गयी थी, अभी तक न तो सरकार उसके खातेदारी हक कराती है न कुछ है। पालीछोड़ा है, डूंगरपुर के आसपास में चिंदावाड़ा है,

(श्री नाथूराम अहारी)

मांडवा, खापेड़ा ऐसे कई गांव हैं, दरबार ने उनको जमीन दान दी हुई थी, उसका खातेदारी हक मिले, नहीं तो तबाह हो रहे हैं। काश्तकार को कोई कर्जा लेना पड़ता हो, कोई काम हो तो बिना खातेदारी के मिलता नहीं है। इसलिए ऐसी जो जमीन है उनको खातेदारी हक देना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वन मंत्रीजी।

श्री कन्हैया लाल : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज। आप बोलिये, बोलिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, आरा मशीनों को इस समय बन्द करके आपने जो हजारों लोगों का रोजगार छीना है, आपसे निवेदन है कि जो 750-750 रुपये पांच साल पहले आपके यहां जमा करा रखे हैं, ऐसे को तो तुरन्त लाइसेन्स दे दिये जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। क्या मतलब है?

श्री कन्हैया लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बोलिये।

श्रीमती बीना काक (वन राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या-9 पर आज कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि मेरी उम्मीद के विपरीत वनों के संरक्षण के लिए, वनों के प्रोटेक्शन के लिए आज जो संबल वन विभाग का किया, वनों के बारे में सभी माननीय सदस्य जो राजस्थान की जनता को रिप्रजेंट करते हैं, उन्होंने जिस पुरजोर शब्दों में आज इसकी पैरवी की है, वे धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं।

जो चिंता और जो अहमियत वनों की है, वह मुझ से ज्यादा आप सब समझते हैं। सभी ने बहुत इमोशनल तरीके से, फिलोसोफिकल तरीके से और आंकड़े रखते हुए सच्चाई को जाहिर किया है, इससे निश्चय ही लोगों में अवेयरनैस तो आएगी ही आपकी बात को सुन कर, पढ़ कर, बल्कि हमारे वन विभाग के जो अधिकारी/कर्मचारी हैं और हमारी जो योजनाएं है उनका भी बहुत सम्बल बढ़ेगा। जो प्रबल इच्छा और इच्छा शक्ति हमारी है उसमें अगर आपका योगदान रहा तो निश्चय ही इजाफा वनों में होगा और जिस सीरियसनैस से आपने बात की है, आपकी बात को मूर्त रूप मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लगातार चार वर्षों से पड़ रहे अकाल से जूझ रहे है। राज्य में कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है और ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालन को जीवनयापन का प्रमुख स्रोत लोगों ने बनाया हुआ है। इसके नतीजतन राज्य में पशुओं की संख्या अधिक होने से वन क्षेत्रों

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती बीना काक)

पर चराई का बहुत अधिक दबाव रहता है। चराई के प्रैशर और पानी की कमी के कारण वृक्षों को जीवित रख पाना बहुत चुनौती का कार्य है जिसको कि हमारे वन के कर्मचारी/अधिकारी बखूबी निभा रहे हैं। राज्य के अधिकांश नदी–नाले जिन पर कृषि उत्पादन निर्भर करता है, वे भी वन क्षेत्रों से ही निकलते हैं। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के साथ–साथ, जब बारिश नहीं आयी है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला गया है तो सरफेस वाटर को इकट्ठा करने का भी हमें काम करना है। साथ ही जो लुप्त होती हुई प्रजातियां है, जीव हैं उनकी सुरक्षा और लिविंग हैरिटेज को बचाने का दायित्व भी हम सभी का है।

अक्सर हमारे वनकर्मी कोपभाजन का शिकार होते है। हमें ज़लालत भी मिली, उपाध्यक्ष महोदय, कि पेड़ काट कर रखा गये, पैसे खा कर इल्लीमल माइनिंग करवा दी। आज ही बात उठी कि जानवरों की तस्करी करवा गये, खालों को इन्टरनेशनल गिरोहों को बेच दिया, एक्सट्रा, एक्सट्रा।

"शैले शैले न माणिक्यम्, मोक्तिकम न गजे गजे,

चन्दनम न वने वने, सज्जनम न जने जने"।

उपाध्यक्ष महोदय, अपवाद हर जगह होते हैं, सभी एक जैसे वनकर्मी नहीं होते हैं। 33 प्रतिशत जो ट्री कवर होना चाहिए, वह अभी 9 प्रतिशत है, लेकिन आप शुक्र करिये कि उस 9 प्रतिशत को भी इन्होंने बखूबी बचा कर रखा है। अपनी जान पर खेल कर बचा रखा है सिर्फ आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए।

वनों की सुरक्षा के साथ–साथ 3768 वन रक्षकों को अपने अधीन आ रहे करीब 9 स्क्वायर किलोमीटर में विकास कार्यों का निष्पादन करना होता है। फोरेस्ट गार्ड विषम परिस्थितियों में अपने घर–परिवारों से दूर रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्य मेरे पास आते हैं कि सीकर का वनकर्मी है और माउंट आबू में लगा हुआ है। माउंट आबू का वनकर्मी है और बाड़मेर में लगा हुआ है, इनको घर के नजदीक लाइये, इनको परिवारों के नजदीक लाइये। ये अपने परिवारों से दूर रह कर आपकी धरोहर की रक्षा करते हैं। 15 वर्षों से वन

(18.00 बजे)

रक्षकों की भर्ती नहीं होने के कारण इनकी एवरेज एज भी करीब 45 वर्ष हो गयी है। 45–50 वर्ष के ऊपर के जो वनकर्मी हैं उनको किस तरह से इन वनों की रक्षा में मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, यह आप समझ सकते हैं। चाहे सर्दी हो या बरसात हो, रात हो या दिन हो, घने जंगलों में, हमारी तो आधी रात में जान निकलती है, उपाध्यक्ष महोदय, बिना बिजली के, बिना वर्दी के, बिना हथियार के उन ग्रेजियर्स से मुकाबला करना, पोचर्स से मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। खूंखार जानवरों के बीच में जाकर गणना करना, उनका सर्वे करना–उनकी देखरेख करना और ट्रैकिंग करना आप लोगों के लिए कितना आसान है यह पूछ लेना कि कितने जानवर वन अभयारण्यों में हैं, कितने

(श्रीमती बीना काक)

हिरण हैं, कितने टाइगर्स हैं। यह भम्भू राम जिन्दा है या मर गया। पिछली बार इस भम्भू राम को किसने देखा। लेकिन उस भम्भू राम को देखने के लिए, टाइगर्स की गणना करने के लिए पैदल ट्रैकिंग करना, हमारे कर्मचारी जाते हैं उनसे पूछिए, उपाध्यक्ष महोदय, जिनके पति को, पिता को या भाई को किसी रीछ ने झंझोड़ दिया हो।

गफ्फार नाम का एक फोरेस्ट गार्ड था, जिसके शरीर के ऊपर आज भी रीछ द्वारा झंझोड़े हुए के निशान नजर आते हैं। गांव में पैंथर आ जाए तो फोन जाता है वन विभाग में कि हमें बचाइये? इसी गैलेरी में बैठे है तेजवीर जैसे अधिकारी, जाकर पैंथर को निकालते है और खुद झंझोड़े जाते है।

गोविन्द भारद्वाज, ए.सी.एफ. जिनको टाइगर ने मौल किया, टाइगर ने अटैक किया। उपाध्यक्ष महोदय, हरिसिंह, फोरेस्ट he was killed in an attack by a Grazzer.

श्री हनुमान सिंह, ड्राइवर, शिकारियों का पीछा करते हुए एक्सीडेंट उसका हुआ, उसे रौंद दिया गया, उसे कुचल दिया गया। शिव सिंह फोरेस्ट गार्ड, यह भी कुचल दिया गया। बशीर खान, भादूलाल, शिवलाल गूजर, रेत की ट्राली ले जा रहे थे उसको रोकने की कोशिश की, उसे कुचल दिया गया। ट्राली चढ़ा दी गयी, शिकारियों की गोलियों के शिकार हुए। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई वनकर्मी हैं जो अपनी जान पर खेलकर अपनी सर्विस के साथ जस्टिस कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को मैं सैल्यूट करती हूं, उनको सलाम करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर की कृपा है कि आप सुरक्षित हो।

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे वनकर्मी होंगे तो सारी दुनिया सुरक्षित रहेगी। साथ ही साथ सर्विस के बाहर भी अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस विरासत को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जानें दी हैं। अमृता देवीजी से लेकर कई हैं। जिसमें श्री छैलू सिंह का नाम भी आया जिसे हम इस वर्ष कैलाश सांखला पुरस्कार देने जा रहे हैं। करीब पचास हजार रुपये की राशि दी जाएगी। ऐसे कमिटेड जो भी..

श्री रामनारायण विश्नोई : मंत्री महोदय, एक लाख रुपये कम से कम।

श्रीमती बीना काक : यह तय किया हुआ है इसके लिए। दूसरे भी अगर अवार्ड होंगे उसकी मैं कहूंगी, लेकिन आज मैं इस स्थिति में हूं।

डा. किरोड़ी लाल : अपनी जेब से दे दो।

श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री) : मैडम, विश्नोई समाज से एक लाख रुपये हम दे चुके हैं, लेकिन छैलू सिंह ही नहीं है, हमारे एक साल के अन्दर कम से कम पांच-दस आदमियों का शिकारियों द्वारा शिकार हुआ है। हिरणों का वन्य जीवों का शिकार रोकने पर आपने अभी जो भक्ति बतायी थी, आपके विभाग के आदमी मारे गये उनका जो जिक्र किया वह तो बहुत

(श्री रामसिंह विश्नोई)

अच्छी बात है, लेकिन जिन ग्रामीण लोगों ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्राण दिये, वृक्षों के लिए प्राण दिए, आप भूल गयीं, मैडम?

श्रीमती बीना काक : निहाल चन्द विश्नोई, भियाराम, चूनाराम, गोदारा, अनुर्जन राम, प्रताप राम...

श्री रामसिंह विश्नोई : एक नहीं है। आप केवल छैलू सिंह का नाम लेकर ही इतिश्री नहीं कर सकती।

श्रीमती बीना काक : आप आगे बोलने तो दें। मेरे पास कागज है, बोलने का मौका तो दें।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, आपको जानकारी करनी चाहिए।

श्रीमती बीना काक : मैंने कहा अनगिंनत हैं ऐसे लोग। लिस्ट तो मेरे पास हैं, मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खाई न डांट अब? पड़ी न डांट?

श्री रामसिंह विश्नोई : मैडम, आप जांनती हैं, सड़कों पर हजारों आदमी मरते हैं, सीमाओं पर मरते हैं यह बात सही है आप जानती है लेकिन जिन लोगों ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए, प्राकृतिक सौन्दर्य को कायम रखने के लिए कुछ किया है उनके लिए आपको करना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यस।

श्रीमती बीना काक : मेरी जानकारी में है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बाकी का जवाब उनसे दिलवा दो क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। इनके सीनियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्रीमती बीना काक : मैंने ऐसे अनगिनत लोगों का योगदान कहा था, उपाध्यक्ष महोदय। श्री चिमना राम, श्री प्रताप राम..

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे समाज ने एक लाख रुपये दिये है छैलू सिंह को। वह जाति से राजपूत है, शिकारी जब हिरणों का शिकार कर रहे थे तो उनके सामने आ गया और पुलिस के आदमी नीचें रह गये। हालांकि हमारी सरकार है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन पुलिस के आदमी नीचे चले गये। वह आदमी जो ड्राइवर था हमारे समाज का, वह शिकारियों से जाकर भिड़ा, वह गिर गया और वह आदमी गोली का शिकार हो गया। इस तरह के आदमी की आपको जानकारी लेनी चाहिए। छैलू सिंह से पहले कम से कम आठ-दस आदमी शिकार हुए हैं।

श्री अमराराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ये लाख की कह रहे हैं, इसके लिए तो दो लाख भी कम हैं। अगर जान चली जाती तो? दो लाख भी कम हैं, क्यों नहीं देते हैं?

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं दो लाख की नहीं कहता हूं। चाहे आप लाख पचास

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हजार ही दें, लेकिन उन आदमियों को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए, उनके नाम आने चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनकी शहादत के लिए हम भी नमन हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह मैं कह रहा हूं। बाकी लाख-दो लाख की बात नहीं हैं। आपकी जो श्रद्धा हो वह दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में बहुत गम्भीर बात इन्होंने उठायी है।

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीर है। (व्यवधान) बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वास्तव में ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होगा, इस सर्वोच्च सदन से अगर उनकी बात नहीं जाएगी। इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से पूरे राजस्थान में बात जाती है इसलिए उनका नाम भी लेना चाहिए। हम लोग भी उनको सम्मान देते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं।

श्रीमती बीना काक : तो क्यों नहीं आज सदन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करे, उन सभी वन कर्मियों को और ऐसे लोगों को जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है या कोई अन्य तरह से योगदान दिया है?

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जन साधारण के सक्रिय सहयोग से वृक्षारोपण के फलस्वरूप राज्य में वन क्षेत्र में अभिवृद्धि हो रही है। जैसाकि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें करीब एक हजार वर्ग किलोमीटर पेड़ों की वृद्धि होना, जो कि ग्रीन कवर है, सम्भावित है।

भूमि जल के गिरते हुए स्तर को बढ़ाने के लिए हमने बरसात के पानी के संरक्षण के अधिक से अधिक प्रयास किये हैं। अकाल में इस वर्ष वन विभाग ने विभिन्न जिलों में करीब 65 करोड़ रुपये की लागत के 2270 कार्य प्रस्तावित किये जिनमें से 26 करोड़ रुपये की लागत के 997 कार्य स्वीकृत हुए और जिनमें करीब तीस हजार लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।

श्री रोहिताश्व कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया दस, जनपथ की तर्ज पर बोल रही हैं या अपने विवेक से बोल रही हैं?

श्रीमती बीना काक : मैं दस, जनपथ की तर्ज पर ताजिन्दगी बोलूंगी। कहिए, आपको क्या तकलीफ है?

श्री रोहिताश्व कुमार : तो फिर पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्रीमती बीना काक : दस, जनपथ अगर सात रेसकोर्स की ओर चला जाए तब नहीं बोलूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो जवाब दीजिए।

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय उन कार्यों में जल और सोइल कंजरवेशन के काम भी करवाये गये और हमारे सभी कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं।

(श्रीमती बीना काक)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि कई माननीय सदस्यों ने बाहरी सहायता की परियोजनाओं का जिक्र किया, करीब दस जिलों में वृक्षारोपण करवाया गया था। अरावली वृक्षारोपण परियोजना के तहत इन्दिरा गांधी वृक्षारोपण नहर परियोजना के अन्तर्गत भी करीब 67270 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो कार्य वन विभाग ने किया था उसकी जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने भी तारीफ की थी। उन्होंने उसको आकर देखा था और एप्रीशियेट किया था और यही कारण था कि वे उस काम को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन हमारे सामने जो बैठे हुए है तब से इस तरफ थे और तब दिल्ली की इनकी सरकार ने, परमाणु परीक्षण का विवादास्पद कार्य किया उससे जापानी परेशान थे, सताये हुए थे हिरोशिमा से, इसलिए उन्होंने उस आने वाली मदद को विथड्रा कर लिया। विध्वंसकारी आपकी सरकार की नीतियां है परमाणु और हिंसा फैलाना... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने सरकार में आने के बाद जापान बैंक के..

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या आप कांग्रेस की आफिशियल पॉलिसी के अनुसार बोल रही हैं? देश में जो परमाणु परीक्षण हुए, उनका कांग्रेस ने भी समर्थन किया है और आप उसके विपरीत बोल रही है।

श्रीमती बीना काक : आप क्यों भूलते हैं कि कांग्रेस जो यहां पर है वही सत्ता में है और हम अहिंसा की बात करते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपकी दिल्ली की नेता अहिंसा की बात नहीं करती हैं?

श्रीमती बीना काक : बिलकुल करती हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : देश की रक्षा के लिए परमाणु परीक्षण आवश्यक नहीं है? आप अपनी बुद्धि को देखिये जरा, क्या हो गया है आपको?

श्रीमती बीना काक : बिलकुल करती हैं। क्या नुकसान हुए हैं जो आप जाकर देखिए जैसलमेर में, जो नुकसान हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस 442 करोड़ की परियोजना में भू–संरक्षण के काम करवाये जाएंगे और करीब जैसा कि बताया गया, 18 जिलों में ये काम करवाये जाएंगे। निरन्तर पड़ते हुए सूखे और बढ़ती आबादी के कारण जल संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है और इसके लिए पहली बार सात वन विकास अभिकरण केन्द्र (एफ.डी.एब.) की राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करवा दी गयी है जो करीब पांच करोड़ प्रति वर्ष खर्च की जाएगी। ये एफ.डी.एज. गैर वानिकी कार्यों का भी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करेंगे। ये वन विकास अभिकरण जो सात जिलों के अन्दर किये गये हैं, कृषि मंत्रालय की जो योजनाएं हैं...

एक माननीय सदस्य : पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्रीमती बीना काक : जो योजनाएं हैं वे तो बतानी पड़ेंगी। कृषि मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से विभाग द्वारा नदी घाटी परियोजना, चम्बल, कडाना, दातीवाड़ा के लिए बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में भू एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य करवाये जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने आज यहां चिन्ता व्यक्त की कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो लोग काबिज हैं। 1980 के पहले, धोद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, डूंगरपुर से आने वाले सदस्य ने जो शायद अब चले गये हैं, यह चिन्ता व्यक्त की थी, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि हमारी इस सरकार द्वारा 1991 में जो कमेटी बनायी गयी थी, ट्राइबल एरियाज के 1980 के पहले के जो काबिज थे, उन्हें रैगुलराइज करने के उद्देश्य से करीब 5466 प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे जा चुके हैं। इनको रैगुलराइज करने के लिए...

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री महोदया, इनका भौतिक सत्यापन मौके पर नहीं हो रहा।

श्रीमती बीना काक : जी, मैं आगे आ रही हूं।

डा. किरोड़ी लाल : जब तक भौतिक सत्यापन नहीं होगा तब तक वन विभाग वाले उनको बेदखल कैसे कर रहे हैं, उनको उजाड़ रहे हैं।

श्रीमती बीना काक : आगे आ ही रही हूं। एक कमेटी इसकी बनी हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें विधायक, प्रधान, ए.सी.एफ., तहसीलदार, सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरपंच ये भौतिक सत्यापन करेंगे। कई ऐसे प्रकरण हैं जो इन 5466 के अलावा हैं, और उसकी संख्या भी काफी है। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहती हूं कि शीघ्र ही यह कमेटी जिसका कन्वीनर ए.सी.एफ. है, उसकी मीटिंग बुलाकर इनके भौतिक सत्यापन करेगी। जो बाकी के भी काबिज हुए हुए हैं उनके गवर्नमेंट आफ इण्डिया को हम प्रस्ताव भेज देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : आप हटाओगे तो नहीं? जब तक केन्द्र सरकार से नहीं आती है जब तक उनको घर से और खेत से बेदखल तो नहीं करेंगे?

डा. किरोड़ी लाल : यह आश्वासन दे दो आप तो।

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदया, फोरेस्ट पालिसी के ऊपर भी तो कोई बात करिए।

श्रीमती बीना काक : अभी मैंने खतम तो नहीं किया ना, अभी तो शुरूआत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक–एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा।

श्रीमती बीना काक : अभी तो शुरूआत है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक–एक सवाल का जवाब लेंगे।

श्रीमती बीना काक : एक–एक सवाल का जवाब। जलाऊ लकड़ी एवं चारे के लिए वन क्षेत्रों पर बढ़ते दबाव को दृष्टिगत रखकर वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा में, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों

(श्रीमती बीना काक)

ने कहा है कि सक्रिय रूप से जनता को भी भागीदार बनाया जाए, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि करीब 3446 ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां गठित कर दी गयी हैं। ये समितियां करीब 3.24 लाख हैक्टेयर वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्र में सुरक्षा एवं उनके प्रोटेक्शन का दायित्व निभा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सब सुनना भी चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आराम से, आराम से।

श्री उपाध्यक्ष : तसल्ली से।

श्रीमती बीना काक : महिलाओं की सहभागिता प्राप्त करने की दृष्टि से 1798 ग्राम स्तरीय महिला उप समितियों का गठन किया जा चुका है।

एक माननीय सदस्य : पानी पी लीजिए।

श्रीमती बीना काक : आपको प्यास लग रही है क्या?

डा. किरोड़ी लाल : आपकी कोकिल वाणी मेंटेन रहनी चाहिए।

श्रीमती बीना काक : कार्यों का मूल्यांकन भी उपाध्यक्ष महोदय, किया जाता है। कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता की है कि फिजिकल वैरीफिकेशन नहीं होता, भौतिक सत्यापन नहीं होता। मौके पर कुछ और होता है। विभाग सजग है, स्वयं तो हम करते ही हैं, साथ में बाहरी कंसलटेंट्स को भी बुलाते हैं और अन्य विभाग और अन्य संस्थाओं से भी परियोजना का सत्यापन किया जाता है। जैसाकि उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड के लिए कहा था, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि यह वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, वह आएं जब बता देना।

श्रीमती बीना काक : फिर भी बता देते हैं सदन को। गठित हो गया था लेकिन भारत सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें चीफ मिनिस्टर को इसका अध्यक्ष बनाया है। यह भी शीघ्र अब चीफ मिनिस्टर की चेयरपर्सनशिप में गठित कर दिया जाएगा।

वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पर्यटन से प्राप्त होने वाली आय जो वर्ष 1996 में, उपाध्यक्ष महोदय, साठ लाख रुपये थी, वह बढ़कर अब 255 लाख हो गयी है। वन्य जीव संरक्षण में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, माननीय धारीवालजी, वन विभाग कार्यरत है। सज्जनगढ़, भरतपुर, सवाईमाधोपुर में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसमें प्राइवेट सैक्टर की भागीदारी भी हम चाहते हैं अगर कोई स्पांसर करना चाहे। भरतपुर के अन्दर सरोस्की की मदद से तीन करोड़ का इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि गलत है। वह बिलकुल सही है क्योंकि फोरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटी के लिए कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। कुम्भलगढ़ अभयारण्य में तीर्थंकर नैचर ट्रेन भी बनायी गयी है। नाहरगढ़, जयपुर माचिया, जोधपुर,

(श्रीमती बीना काक)

सुजानगढ़ एवं उदयपुर में बायोलोजिकल पार्क बनाये जा रहे हैं।

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान की काफी माननीय सदस्यों ने चिन्ता की, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, भारतवर्ष के अन्दर और यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की हिम्मत है, सरकार की इच्छाशक्ति है कि हमने यह तय कर लिया है सैद्धांतिक रूप से, नीतिगत रूप से कि अभयारण्य के आस पास ईको सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पांच सौ मीटर की दूरी तक ईको सेंसिटिव जोन बनाकर किसी भी प्रकार ईको सेंसिटिव जोन के खिलाफ कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, उसे किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी प्रकार के बिना परमिशन...

डा. किरोड़ी लाल : अब तक जो निर्माण हो गया है?

श्री धर्मपाल चौधरी : सवा चार साल में क्या किया आपने?

डा. किरोड़ी लाल : अब तक जो निर्माण हो गया है, आधा किलोमीटर की परिधि में घुसकर जो बना हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो?

श्रीमती बीना काक : दिखवा लूंगी उसको। अगर 500 में आता है तो...

डा. किरोड़ी लाल : अगर है तो ध्वस्त करवाएंगी न उनको?

श्रीमती बीना काक : दिखवाएंगे।

डा. किरोड़ी लाल : दिखवाएंगे नहीं।

श्रीमती बीना काक : किसी भी तरह से इल्लीगल...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भरतपुर के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़ साहब, माननीय सदस्य, प्लीज उनको समाप्त करने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भरतपुर के अन्दर पैट्रोल पम्प के लिए जमीन के विज्ञापन का एक मामला उठाया था, भरतपुर के कैला देवी...

श्रीमती बीना काक : यह अभी आपने बताया है, मैं इसकी जानकारी करके आपको सूचित कर दूंगी। किसी भी प्रकार का इल्लीगल, बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया जाएगा। जो हो रहे थे उन्हें, आप सभी को जो वहां से आते हैं उनको यह आभास है कि रोक दिया गया है।

जाइंट सर्वे भी करवाया जा रहा है। कहीं डिस्प्यूट है कि फोरेस्ट कहां से शुरू हो रहा है, या बफर जोन कहां से शुरू हो रहा है, तो वह एक जोइंट सर्वे करवाया जा रहा है।

डा. किरोड़ी लाल : मैं एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे कि...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज आप इनको समाप्त करने दीजिए, फिर पूछ लेना।

डा. किरोड़ी लाल : समाप्त क्या, भगना है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : इनका भाषण समाप्त हो जाने दीजिए फिर पूछ लेना आप।

डा. किरोड़ी लाल : ईको डवलपमेंट के नाम से जो पैसा मिला बजट का...

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए। समाप्त हो जाए, फिर पूछ लेना।

डा. किरोड़ी लाल : आप भाग लोगे, जवाब नहीं दोगे।

श्री उपाध्यक्ष : कहां भाग जाएंगे? ऐसे कैसे भाग जाएंगे? ऐसे कभी भागते हैं क्या? ऐसे कैसे भाग जाएंगे?

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने काफी संवेदनशील विषय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के सम्बन्ध में वन क्षेत्रों में स्वीकृत खनन लीजों पर खनन कार्य बंद कराने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है राज्य सरकार ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजकर 476 मामलों के लिए वन क्षेत्रों में खनन कार्य कराने की स्थाई कार्य अनुमति तथा 1189 में अस्थाई अनुमति प्राप्त कर ली है। खनन कार्यों के अतिरिक्त भारत सरकार से 181 अन्य विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं तथा सड़क निर्माण बांध निर्माण, नहरों का निर्माण, विद्युत एवं पानी की लाइनें बिछाने सम्बन्धी भी प्रकरणों में स्वीकृति प्राप्त की गयी है और बाकी के जो बचे हैं उनको आगे भेज दिया गया है।

एक और चिन्ता आरा मशीनों की थी। 217 ऐसे मामले जिनमें फीस पूर्व में जमा करवा दी गयी थी तथा हैण्डी क्राफ्ट्स यूनिट्स को लाइसेंस से छूट देने के लिए राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित की गयी एम्पावर्ड कमेटी को प्रस्ताव भेज दिये हैं और जो बाकी भी हैं उनको भेज दिया जाएगा।

वन क्षेत्र से निकलने वाली सड़कों के बारे में भी चिन्ता की, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने अभी जो आरा मशीनों के बारे में चर्चा की है, कुछ आरा मशीनें...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। आप बिराजिये प्लीज। यह क्या बात है? आप पूछ लेना बाद में। समाप्त होने दीजिये। कैसे बोलेंगे? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सड़कों का जो मसला है, 1980 के वन संरक्षण अधिनियम से हम बंधे हुए हैं। लेकिन कहीं पर भी अगर कोई पुरानी सड़क है, उसमें प्रस्ताव भेज दिये जाते हैं। और अगर कोई इस तरह के होंगे तो उन्हें दुबारा से भेज दिया जाएगा, जो भी उनकी शर्तें हैं वे पूरी करवा कर।

कुछ माननीय सदस्यों ने जो भी अपने सजेशंस दिये हैं, प्राब्लम्स बतायी हैं, चाहे वह तेंदू पत्ते की है, स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रखने के लिए हम स्काउट्स के माध्यम से करीब सौ स्कूलों में नेशनल ग्रीन काक की मदद से पेड़ों को लगाने का अभियान करेंगे।

(श्रीमती बीना काक)

झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या को मैं बहुत धन्यवाद देती हूं कि बहुत फिलोसोफिकल तरीके से बात कही थी। बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने गोरिया भीमाणा में पैंथर के शिकार के बारे में मुझे सूचना दी है, मैं उसकी जानकारी करवा लूंगी। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने फोरेस्ट नीति बनाने की बात की है, हम 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के एकार्डिंग अभी चल रहे हैं, यह आपका बहुत अच्छा सुझाव है, इसके बारे में विचार किया जा सकता है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने पाली जिले में अंग्रेजी बबूल के पेड़ों को जड़ से उखाड़ने के ठेके की बात की और झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने भी इसे उठाया, इसकी प्रारम्भिक जांच पूर्व में श्री वीरेन्द्र सिंह, वन संरक्षक को करने के आदेश दिये गये थे, लेकिन इनसे चूंकि सीनियर अधिकारी के खिलाफ था तो उन्होंने इसको करने से मना कर दिया था। श्री आर.पी. कपूर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रारम्भिक जांच के लिये 3 फरवरी को आलरेडी आदेश दिये जा चुके हैं। मैं खास तौर से चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूं कि कोई भी अगर दोषी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही अशोक गहलोतजी की सरकार की नीति है कि पारदर्शी और ईमानदार सरकार हम देना चाहते हैं। अगर साहबी परियोजना में भी कोई अनियमितता हुइ है, उसे भी मैं दिखवा लूंगी।

अंत में माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच कराएंगी?

श्रीमती बीना काक : बाकायदा जांच करेंगे और एक्शन लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन जांच करेगा? उपाध्यक्षजी तो खड़े नहीं होने देंगे, हम तो नीचे बैठे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अब कंटीन्यू हुआ, अब आपको खड़ा करेंगे। मना थोड़े ही किया है? समाप्त कर दें फिर खड़े हो जाना, कौन रोकता है?

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी-सी कहानी बस कहना चाहती हूं मैं आपकी अनुमति से। एक बार करीब दस-बारह साल से छोटे-से गौतम बुद्ध अपने बगीचे में खेल रहे थे, उसी वक्त एक परिन्दा जिसके सीने में तीर लगा हुआ था, नीचे आकर गिरा। उन्होंने परिन्दे को उठाया, अपने घर के अन्दर ले गये और उसकी सेवा सुश्रुषा की। जब उसको सम्भाल रहे थे तभी उनका भाई दौड़ा-दौड़ा आया और उसने कहा कि तुमने मेरे परिन्दे को देखा क्या? तो उन्होंने कहा, तुम्हारा परिन्दा? हां, यह मेरा परिन्दा है क्योंकि मैंने इसे अपने तीर से मारा है। उन्होंने कहा, तुमने तो इसे मारा है, यह परिन्दा मेरा है क्योंकि मैंने इसे बचाया है। गौतम को यह लॉजिक समझ में नहीं आया और उसने कहा, मैं उससे प्यार करता हूं, स्नेह करता हूं, इसे बचाना चाहता हूं। मेरी नजर में यह परिन्दा वह नेमत है, रिसोर्सेज हैं जो हमारे हैं–चाहे वह नदी है, पहाड़ है पानी, दरिया है, हमें इसे बचाना है। गौतम बुद्ध, जैसे विश्नोई हैं,

(श्रीमती बीना काक)

रामसिंहजी हैं और अन्य जो माननीय सदस्य हैं जिन्होंने इसकी संवेदनशीलता से वनों की पैरवी की है, उनको बढ़ावा देना है। किलर बेस एटीट्यूड वाला है जो तीर है उसे रोकना होगा, तभी हम आगे अपनी पीढ़ियों को बचा पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करती हूं कि मांग संख्या-9 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : और कुछ पूछना है आपको?

डा. किरोड़ी लाल : माननीय मंत्रीजी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसी साल मई, 2001 तक जो निर्माण हो गये रणथम्भौर के बफर एरिया में, फोरेस्ट एरिया में, उनको तुड़वाने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो अब तक आपने क्या कार्यवाही की?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी, आप भी पूछ लें।

डा. किरोड़ी लाल : दूसरा, ईको डवलपमेंट के नाम से कितनी राशि केन्द्र से मिली? उसमें कितनी खर्च हुई? बाकी की राशि लैप्स कैसे हो गयी?

तीसरा, पी.के.गोयल जो कलक्टर है, जिसने फोरेस्ट के एरिया में निर्माण करवा दिया, परमीशन दे दी, उसको आरोप पत्र थमा दिया, उसको बचाने का क्या कारण है? वन विभाग के अधिकारियों से कोई एन.ओ.सी. नहीं ली गयी–न केन्द्र सरकार से ली, न पर्यावरण वालों से ली, फिर आरोप पत्र को ड्राप करने का क्या कारण है?

श्री उपाध्यक्ष : आप भी पूछ लें। एक साथ पूछ लो। (व्यवधान) सब दे देंगी, होशियार हैं वह तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया, मैं जानना चाहूंगा, उदयपुर के अन्दर जो लकड़ियों का बेचान हुआ, उदयपुर राष्ट्रीय मार्ग से जो लकड़ियां खरीदी गयी, निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् दूसरे किसी अधिकारी दबाव में आकर एक ऐसी फर्म को दे दी गयी जिसने लकड़ियां खरीदी नहीं और लाखों-करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

इसके अलावा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो लकड़ियां बेचने का काम चल रहा है और जिसकी शिकायत भी आपने पास पहुंची है, क्या आप उसकी जांच कराएंगी?

तीसरा, आपके जवाहर नगर स्थित गैस्ट हाउस में जो अधिकारी रुका, जो स्पेशल आडिट आपके विभाग के सैक्रेटरी के कहने पर हुई और आडिट में उनके खिलाफ जो राशि निकाली है 6,82,000 रुपये, क्या आप वसूल करेंगी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई : मैं आपकी अनुमति से... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और क्या रह गया?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय छैलू सिंहजी को आपने पचास हजार का अनाउंसमेंट किया है इनाम देने का, सहायता देने का, उसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। पर इसके अलावा तीन नाम जो हैं– सांवतसर का निहालचन्द, लोहागढ़ का वीरवानराम और चेराई का गंगाराम, ये तीन आदमी और शहीद हुए हैं, उनके बारे में भी आप कार्यवाही कराएं; आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद तो दे दिया आपने।

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है, कंस्ट्रक्शंस जो भी हुए थे, उन्हें रोक दिया गया है। मैं पता करके लिखित के अन्दर जानकारी आपको भिजवा दूंगी।

डा. किरोड़ी लाल : ध्वस्त कराने के निर्देश थे।

श्रीमती बीना काक : ध्वस्त कराने का कोई निर्देश मेरी जानकारी में नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : मैं आपको दे दूंगा।

श्रीमती बीना काक : यदि होगा तो मैं आपको बता दूंगी।

जैसा कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, मैं आपको आलरेडी वाब दे चुकी हूं कि फरवरी के अन्दर प्रारम्भिक जांच...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसकी? फिर आप कंफ्यूज कर रही हैं।

श्रीमती बीना काक : यही वाली तो थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पाली–जालौर की बात कर रही हैं, मैं उदयपुर वाले मामले की बात कर रहा हूं।

श्रीमती बीना काक : यह वही है सारा। सब रिलेटेड है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं साबी नदी की बात कर हूं, यह रिलेटेड कहां है? वह तो उदयपुर के अन्दर घपला हुआ है।

श्रीमती बीना काक : मैं दोनों की जांच करवा दूंगी। खास तौर से इस मामले के अन्दर मैं आपको बिलकुल आश्वस्त करती हूं कि 15 दिन के अन्दर–अन्दर जो भी जांच आएगी, उससे आपको अवगत करा दूंगी। बाकी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पर्यटन मंत्रीजी। बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साबी नदी वाले मामले में?

श्रीमती बीना काक : साबी नदी का भी तो कहा मैंने कि कोई अधिकारी नहीं बख्शा जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाहर नगर गैस्ट हाउस में आपके पी.सी. गोयल साहब ने जो कवाड़ा किया है, पैसे लेकर उन्होंने जांच की है...

श्रीमती बीना काक : आपका सवाल क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। माननीय पर्यटन मंत्रीजी। (व्यवधान) बिराजिये, माननीय सदस्य। हो गया बस

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाहर नगर गैस्ट हाउस...

डा. किरोड़ी लाल : हमारा सवाल यह है कि पी.के.गोयल का जो आरोप पत्र ड्राप किया है, उसमें बताओ, क्या किया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किरोड़ी लाल साहब, बिराजिये प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : जब कलक्टर लोग अवहेलना करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कलक्टर ने खुद किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कलक्टर ने खुद ने किया है, उसको कोई चार्जशीट दी उपाध्यक्ष महोदय, तो ड्राप कैसे की? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब। (व्यवधान) कह दिया ना उन्होंने जांच कराने का। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनको सस्पैण्ड नहीं करो आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कहा जांच करा देंगे, आप सैटिस्फाई हो गये, फिर वापस क्यों खड़े हो गये? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आपने व्यवस्था दी है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कहा, आप बैठ गये। इन्होंने कहा कि हम जांच करा देंगे। ध्वस्त की ही तो जांच करा कर ध्वस्त करा देंगे, कह दिया और क्या चाहिये आपको?

डा. किरोड़ी लाल : दो प्रश्न और किये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना उन्होंने। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : दो क्वेश्चन और हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : उनके बारे में नहीं बताया। जो इन्होंने क्वेश्चन किये हैं उनको जवाब आ जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कलक्टर ने जो कुछ किया और जवाहर नगर वाले मामले में, आप क्यों बचाना चाहते हो? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : कलक्टर के खिलाफ कुछ थोड़े ही कर सकता है वन विभाग? (व्यवधान) थोड़ी अक्ल है? यह भी आप नहीं जानते कि कलक्टर का सम्बन्ध वन विभाग से कहां है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल : क्यों, वन विभाग ने यह बनाया है, आपने बनाया है और किसने बनाया है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब, पास कर दें? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : एक्ट की अवहेलना का कोई विशेष अधिकार है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लगता यही है।

श्री मानिक चन्द सुराना : जब पी.के. गोयल ने फोरेस्ट एक्ट की अवहेलना करके निर्माण करवा दिया, इसको आपने रोका नहीं, उसको ध्वस्त करने में क्या तकलीफ

(श्री मानिक चन्द सुराना)

है? कलक्टर जिसको चार्ज शीट मिली थी, वह विथड्रा किस आधार पर हुई, आप बताएंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब। बिराजिये। माननीय धारीवालजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : जवाहर नगर के रैस्ट हाउस में 6 लाख रुपये की वसूली स्पेशल आडिट कह रहा है, आप उसको मंजूर क्यों नहीं कर रही हैं? आप अधिकारियों को क्यों बचा रही हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों बचाना चाहती हैं आप कपूर को? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप इसका जवाब दीजिये।

श्री रोहिताश्व कुमार : आप इसका जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या राज्य सरकार अधिकारियों को बचाने का ही काम करेगी?

श्री रोहिताश्व कुमार : आप मंत्री महोदया हैं, आपको कलक्टर से... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इससे काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप अधिकारियों को इस तरह से नहीं बचा पाएंगी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : गोयल जैसे कलक्टर को बचाकर वनों को उजाड़ रही हैं।

मांग संख्या–9 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,02,91,81,000/– (दो अरब दो करोड़ इक्यानवे लाख इक्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय धारीवालजी।

मांग संख्या–47 पर विचार

श्री शांतिकुमार धारीवाल (पर्यटन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 47 के बाबत आज विभिन्न सदस्यों ने कट मोशन के माध्यम से अपने–अपने क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए और पर्यटन स्थल घोषित करने की बात यहां पर कही, और भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। परन्तु यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पर्यटन विभाग किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करता है। फर्क है पिकनिक स्पाट में और पर्यटन स्थल में देखा जाए तो केन्द्र सरकार की भी नीति यह रही है। पहले जितने भी पर्यटन स्थल थे, उनमें राज्य सरकार के द्वारा, केन्द्र सरकार

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

के द्वारा केन्द्र की प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से काफी कुछ पैसा खर्च किया जाता था, लेकिन अकाल की भीषण विभीषिका की वजह से और वित्तीय साधनों की कमी के कारण पर्यटन स्थलों पर जितना पैसा खर्च होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है, न ही कोई नये सर्किट की पहले घोषणा में केन्द्र सरकार के द्वारा मंजूर किया गया है। राज्य सरकार के भारी प्रयत्नों के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद में एक सर्किट की सिद्धांततः स्वीकृति अभी भारत सरकार ने दी है, जिस पर 170 करोड़ रुपये कुछ वर्षों में खर्च होंगे। यह सर्किट जयपुर, शेखावाटी, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर को मिलाकर होगा। प्रयास यह भी रहेगा कि हाड़ौती का भी एक सर्किट केन्द्र सरकार के समक्ष हम रखें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हाड़ौती का तो करेंगे ही।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें शेखावाटी का भी आ गया है। ऐसा नहीं है कि शेखावाटी को छोड़ दिया हो।

श्री रोहिताश्व कुमार : इसमें अलवर भी शामिल है क्या? हाड़ौती के साथ अलवर भी करिए, हम आपके पुराने दोस्त हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा निवेदन यह है कि पर्यटन विकास से लाभ होता है। जितने भी माननीय सदस्यों ने आज इस चर्चा में भाग लिया, इन सभी ने स्वीकारा है कि पर्यटन विकास से लाभ होता है। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय सदस्यों से कि एम.एल.ए. हैड का अगर कुछ फण्ड उपलब्ध करवा दिया जाए पर्यटन विभास को तो आपने अपने भाषण में जिन स्थलों का जिक्र किया है, उनके विकास के कामों को हाथ में लेने में हम सक्षम हो सकेंगे।

श्री देवीलाल : एम.एल.ए. का दे दिया। जो है उनका भी करा देंगे।

(18:34 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति-पदासीन)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या सुमित्रा सिंहजी ने अपने भाषण में कहा है कि राजस्थान विदेशी और देशी पर्यटकों का पसंदीदा राज्य है, और यहां बर्फ और समुद्र ही नहीं है, बाकी सब कुछ मौजूद है–सांस्कृतिक विरासत है, लोक नृत्य हैं, लोक संगीत है, रंग-बिरंगे परिधान हैं, यह है, वह है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन जिस प्रकार से एक पर्यटक सुविधाएं चाहता है, वे सुविधाएं हम उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं हो पाये हैं। वह भी एक कारण रहा कि हम पर्यटन की दृष्टि से नीचे चले गये, केरल ऊंचा चला गया। पर्यटक जिस प्रकार का माहौल राज्य में चाहता है वह माहौल बनाने का जिम्मा हम लोगों का है। अगर गुजरात के जैसे दंगे करवाते रहे तो पर्यटक आएगा कहां से? 11 सितम्बर होता रहा, 13 दिसम्बर होता रहा, राजस्थान की सीमा में सेना तैनाती होती रही तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या में कमी आएगी। आपने जो बात उठायी कि देशी पर्यटक बढ़ गये और विदेशी कम हो

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

गये, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि 29 परसेंट का फर्क एक ही वर्ष में आया है। विदेशी पर्यटक चार लाख समथिंग रह गये जो कि 6 लाख के आस पास थे। लेकिन देशी पर्यटक बढ़े हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : अगर ये त्रिशल यूं ही बंटते रहे तो ये चार लाख से एक लाख पर आ जाएंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि राजस्थान ही सिर्फ एक प्रदेश था जहां न जाने के लिए विभिन्न देशों द्वारा अपने नागरिकों को एडवर्स एडवाइजरी के जरिये प्रचार किया गया। बल्कि यहां तक कि विदेशों में काम करने वाली बीमा कम्पनियों ने उनका बीमा करने से मना कर दिया कि अगर आप राजस्थान जाते हैं तो हम आपका बीमा नहीं करते। निश्चित तौर पर इस बात का फर्क पड़ेगा, राजस्थान के बाबत जो भ्रांतियां जगह-जगह पैदा की गयीं। डा. साहब आप तसल्ली रखे, आपने तो कोई भी बात पर्यटक के लिए कही नहीं है, वन ही वन में आप घूमते रहे–मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन भ्रांतियों को दूर करने का काम आज सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर हम पर्यटन की महत्ता समझते हैं, यह समझते हैं कि आर्थिक विकास में पर्यटन का विकास कितना आवश्यक है तो हमें इस प्रकार की भ्रांतियां जो वक्त-वक्त पर पैदा होती रहती हैं, उनको दूर करने के लिए सामूहिक प्रयत्न करना होगा। विभाग के द्वारा एक ठोस रणनीति तैयार की गयी है, विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए कारपोरेट घरानों प्रमुख टूर आपरेटर्स और ट्रैवलिंग एजेंसियों से टाई-अप किया गया है। पर्यटन से सम्बन्धित जितने भी प्रतिष्ठान हैं, मीडिया जगत में प्रेस कांफ्रेंस की गयी हैं, प्रयास चल रहे हैं और उसके सुखद परिणाम भी आये हैं। देशी पर्यटक तो सात परसेंट बढ़ा ही है, विदेशी कम हुए हैं इसमें तो दो राय नहीं है।

एक माननीय सदस्य : भ्रांतियां क्या हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भ्रांतियां यही होती हैं। कि उधर मत जाना, इधर मत जाना, इधर मत देखना, उधर मत देखना। उससे पर्यटक डरता है। आप तो जानते हो, आप खुद पर्यटक हो।

जो प्रयास किये हैं उनके बारे में मैं संक्षिप्त तौर पर आपको बताना चाहता हूं। विभाग द्वारा विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय मेलों में भाग लिया जाता है, वहां पर टूर एजेंट्स को, टूर आपरेटर्स की और जो ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं उनको भरोसा दिलाया जाता है। हमारे कई अधिकारी बर्लिन भी गये, दुबई भी गये, कई और भी जगह मेलों में भाग लिया गया, विभाग के द्वारा कई जगह रोड शो वगैरह करवाये गये। सबसे बड़ी बाधा यही आती है कि प्रचार-प्रसार की कमी है। इसी वजह से आज केरल हमसे ऊंचा चला गया है। प्रचार-प्रसार में उनका बजट था 60 करोड़ रुपया...

श्री राजेन्द्र पारीक : यह काम तो इन बी.जे.पी. वालों के जिम्मे सौंप दो। एक मिनट में पूरे हिन्दुस्तान में नहीं दुनिया में गणेशजी को दूध पिला दिया, यह प्रचार-प्रसार का काम इनके जिम्मे सौंप दो।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको भी पिला दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अन्तरराष्ट्रीय स्तर के जितने भी मेले हैं, कांफ्रेंस हैं और जितने भी आयोजन होते हैं उनमें भाग लेना आज बहुत आवश्यक हो गया है। जो मुख्य गतिविधियां विभाग के द्वारा की गयीं, वह मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। इस चालू वित्तीय वर्ष में पर्यटन मेलों त्यौहारों का आयोजन आकर्षक रूप से किया गया। स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैंगलोर, चैन्नई, कोलकता में राजस्थानी उत्सव और रोड शो का आयोजन किया गया। मुम्बई और नई दिल्ली में टी.टी.एफ. में पार्टनरशिप स्टेट्स के रूप में राजस्थान ने भाग लिया। अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां, व्यापार मेले, कांफ्रेंस आदि में भी भाग लिया गया। दुबई अन्तरराष्ट्रीय शापिंग फैस्टिवल जो 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में हुआ था, उसमें भी भाग लिया गया।

इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ए.डी.बी. के प्रोजेक्ट के जरिये डिवीजनल हैडक्वाटर्स के अलावा पुष्कर का प्लान स्वीकार होकर आया है, वहां पर काम भी चल रहा है। ठीक इसी तरह से माउंट आबू, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, नाथद्वारा ये सब चीजें शामिल की गयी हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 19 उन सड़कों को बनाया जा रहा है जो धार्मिक स्थलों पर जाने वाली हों, पर्यटन स्थल को जाने वाली हों। हस्त शिल्प को पर्यटन से जोड़ने के लिए शिल्प ग्राम इन दिनों आबूसर में है, संवाईमाधोपुर में और अजमेर में पुष्कर में स्थापित किए गए हैं। पुष्कर का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है। इस वर्ष 10 जिलों में और अगले वर्ष बाकी सारे जिलों में ग्रामीण हाट बनाए जा रहे हैं। हर ग्रामीण हाट पर करीब-करीब 70 से 75 लाख रुपए खर्च होंगे। पर्यटन उद्योग को समान सुविधाएं देने के लिए जो अधिसूचना जारी किए जाने की आवश्यकता थी, उसको 7.11.2002 की अधिसूचना के द्वारा समाप्त कर प्रदेश में पर्यटन इकाइयों को अब उद्योग के समान सुविधाएं उपलब्ध कराना भी तय किया गया है।

पर्यटक जिन डबल डेकर बसेज में चलते हैं, उनको कर मुक्त किया गया है। पर्यटन की नवीन इकाइयां स्थापित करने हेतु विभिन्न करों में विशेष रियायतें दी गई हैं। आमेर में एक नया हाथी गांव, जिस पर 15 या 16 करोड़ रुपये कुछ खर्च होंगे, उसमें केन्द्रीय मदद भी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : दो साल से कह रहे हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप जाकर काम देख लेना, कल मैं गाड़ी का इन्तजाम करवा दूंगा आपके लिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है काम और कब खतम होने वाला है, यह भी आपको दिख जाएगा। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक अनोखा प्रयास है, यह हाथी गांव। कई पर्यटक इसका सिर्फ इसी वजह से देखने जाएंगे कि हाथी गांव कैसा होता है। आप देखेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। देखकर आप खुश होंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय विदेशी पर्यटकों को यहां पर आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और हाथी गांव और कई तरह के गांव कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार विदेशी बहिष्कार, विदेशी बहिष्कार के नाम से जिस तरह का प्रचार कर रही है, इससे यह साफ जाहिर होता कि विदेशी पर्यटक इसीलिए कम हो गये, इन्होंने स्वदेशी के नाम पर जो दुष्प्रचार शुरू किया है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री रोहिताश्व कुमार : यह पर्यटकों का मामला है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके मेवाड़ काम्प्लेक्स के लिए कहा था, राठौड़ साहब, आपको शायद सूचना गलत है। कुम्भलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के विकास के लिए विशेष कार्य स्वीकृत कराए गए हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कितना बजट स्वीकृत हुआ है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कुम्भलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के लिए मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है। मैं आपको दे दूंगा फिगर, भिजवा दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सामान्यतया इन चार वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त तीन करोड़ रुपये उपलब्ध थे, इन वर्षों में अपनी जेब से छोड़ें आप, कर भी नहीं सकते, लेकिन जो तीन करोड़ रुपये आपको केन्द्र से मिले मेवाड़ काम्प्लेक्स का विकास करने के लिए, उसमें से कितना खर्च कर दिया?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास अभी जानकारी नहीं है, जानकारी आते ही आपको सूचना दे दूंगा। आ जाएगी तो बता दूंगा।

श्री रोहिताश्व कुमार : पर्ची आ गई।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आ जाएगी तो बता दूंगा। माउंट आबू की तर्ज पर जैसलमेर के विकास के लिए भी उच्च स्तरीय एक समिति का गठन किया गया है। मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में जिस प्रकार माउंट आबू में एक कमेटी बनी हुई है, उसी प्रकार से जैसलमेर को प्रायोरिटी देने के लिए सी.एम. के चेयरपर्सन के बतौर एक समिति का गठन किया गया है।

एक बात उठाई जैलसमेर से आने वाले माननीय कल्ला साहब ने, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 686 गाइडों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो चुका है और द्वितीय बैच की ट्रेनिंग अगले एक माह में आयोजित की जा रही है। इसमें आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता में एक बार के लिए छूट भी दी गई है। जो आपने कहा था कि फोरेन लैंग्वेजेज, जर्मन और पता नहीं कहां-कहां की, उसका इन्तजाम किया जाएगा।

100 हाथी महावतों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से उदयपुर में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

और होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन जोधपुर में चल रहा है और उसके लिए 85 लाख रुपये राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत हुए हैं।

22 करोड़ रुपये के 16 प्रोजेक्ट अनुमोदित कराए गए हैं। जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू, पुष्कर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर में पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटक सहायता बल का भी गठन किया गया है, कार्यरत है और महत्वपूर्ण किलों और स्मारकों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रोशनी की भी व्यवस्था की गई है।

एक आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण बात है वह आई.टी. है। सूचना प्रौद्योगिकी इसका लाभ विभाग को मिले, इसको दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पर्यटन विभाग ने...(व्यवधान) ...लिखकर भिजवा दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके पास रेकार्ड में रहेगा। मैं बोल दूंगा।

राजस्थान पयर्टन विभाग ने देश में अपनी तरह का पहला वैब पोर्टल तैयार किया है, इसके माध्यम से इन्टरनेट के जरिये सारे पर्यटन कार्यालयों को जोड़ा जाएगा और देशी और विदेशी पर्यटकों को समस्त सुविधाएं इन्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यह देश में पहला होगा, वैब पोर्टल करीब-करीब तैयार-सा है।

राज्य के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों जैसे जयपुर, आबू पर्वत, उदयपुर में पर्यटकों की सुविधा के लिए रोप-वे को भी स्थापित किया जा रहा है। आबू पर्वत और उदयपुर में रोप-वे की स्थापना अगले छह महीने में निजी भागीदारी से कर दी जाएगी। कोई शक है आपको कुछ? आप हंस रहे हैं तो मैं शायद कुछ गलती पर हूं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह पिछली बार भी था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पिछली बार नहीं था। (व्यवधान) मैंने छह ही महीने का टाइम दिया है, छह ही महीने में अपना दूसरा सैशन आएगा। (व्यवधान) आएगा, आएगा।

इसी के साथ-साथ जो नजूल सम्पत्तियां पर्यटन विभाग को स्थानांतरित की गई हैं, उसके लिए भूमि विकास बैंक की योजना पर कार्यवाही शुरू की गई है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सबसे पहले तिजारा का किला आइडेंटीफाई किया गया है। तिजारा के किले के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी, अगले छह महीने में यह भी कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसको वह मत समझिए। जिस प्रकार से गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने अपनी प्रोपर्टीज बेची हैं, लक्ष्मी विलास होटल, जो अरबों रुपये की सम्पत्ति थी, करीब सात या आठ करोड़ रुपये में बेच खायी, हम बेचेंगे नहीं हमारी प्रोपर्टीज को। 30 वर्ष के लिए लोंग लीज पर इन प्रोपर्टीज को दिया जाएगा जिसमें कुछ होटल्स भी होंगे, मोटल्स भी होंगे, नजूल प्रोपेर्टीज भी होंगी, किले वगैरह-वगैरह ये सब चीजें होंगी।

श्री रोहिताश्व कुमार : हैरिटेज का जिक्र नहीं किया आपने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हैरिटेज?

श्री रोहिताश्व कुमार : पिछले चार सालों में आपकी सरकार हैरिटेज और ग्रामीण ट्यूरिज्म को डवलप करने की बात करती रही और अब की बार आपके भाषण से हैरिटेज शब्द ही आउट है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी मेरा भाषण समाप्त नहीं हुआ, डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, हैरिटेज की बाबत आपकी रूचि है, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, और हैरिटेज को आप समझते हैं, यह और भी ज्यादा खुशी की बात है। मैं आपके हैरिटेज के बारे में भी बोलूंगा, आपको नाराज नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप भी हैरिटेज होने वाले हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लोंग टर्म लीज पर देने की नीति बनाई गई है। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मार्ग जितने भी हैं उन पर हर 100 किलोमीटर पर हाइवे फैसिलिटीज पर्यटकों को सुविधा देने के लिए विकसित किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत योजना बन रही है, जिसकी घोषणा...

श्री रोहिताश्व कुमार : हमने भी योजना बनाई थी, बनाई हुई को तो आप चालू करिए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी योजनाएं तो रद्दी की टोकरी में डाल दीं मैंने।

श्री रोहिताश्व कुमार : वह सरकारी प्रोपर्टी है, सरकारी धन है, आप कैसे डाल देंगे रद्दी की टोकरी में? जवाब देना पड़ेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह रद्दी भी सरकारी होती है, माननीय सदस्य। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र के व्यापक प्रचार–प्रसार और सम्बन्धित विपणन के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी एडवाइजर की नियुक्ति की जाएगी और उनके माध्यम से एक रणनीति तैयार की जाएगी जिस प्रकार से केरल में हुआ। जिस सर्किट के लिए मैं बता चुका हूं आपको, भारत सरकार के सहयोग से, आपको खुशी होगी...

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रमुग्ध कर दिया आपने, मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भारत सरकार के दूसरे विभागों का सहयोग मिले कि नहीं मिले, लेकिन इस विभाग को केन्द्र सरकार का सहयोग बिलकुल मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप लोगों के प्रयास भी ठीक हैं।

जयपुर, शेखावाटी, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर सर्किट का विकास किया जाएगा। इस सर्किट में शेखावाटी, नागौर, जौधपुर, पुष्कर, नागौर, जोधपुर को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए 170 करोड़ रुपए...

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) **:** कोटा को भी जोड़ो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोटा को जोड़ेंगे, कोटा नीचे आ गया, साहब। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पूर्वी राजस्थान का क्या होगा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डाक्टर साहब, ट्यूरिज्म कई प्रकार के होते हैं, एकाध नहीं होते। ट्यूरिज्म के कई प्रकार हैं, 10–12 प्रकार हैं, जैसे आपके ईको ट्यूरिज्म, रूरल ट्यूरिज्म, आर्ट एण्ड कल्चर का, एडवेंचर ट्यूरिज्म। अभी आप पूछेंगे कि एडवेंचर ट्यूरिज्म कैसा है, मैं आपको कोटा बुलवाऊंगा, चम्बल बुलवाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि एडवेंचर ट्यूरिज्म क्या होता है। फार्म ट्यूरिज्म...

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, रूरल ट्यूरिज्म में आपने क्या किया, यह बड़ा डे? रूरल ट्यूरिज्म में आपकी उपलब्धि क्या हुई, जरा यह बताओ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मण्डावा पास में ही है आपके।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप मण्डावा तक ही सीमित कर रहे हैं ना? आप विस्तार से कोई नीतिगत बात क्या करेंगे? रूरल ट्यूरिज्म में क्या कंसैप्ट है सरकार का? खाली मण्डावा ही है तब तो ठीक है, समझ गये। खाली मण्डावा का जिक्र है तो समझ गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको पहले निवेदन कर चुका हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मण्डावा में आपका क्या है? मण्डावा में सरकार का क्या है?

श्री रोहिताश्व कुमार : रूरल ट्यूरिज्म तो बीना काकजी का शब्द था। (व्यवधान) अब बीना काकजी के साथ रूरल ट्यूरिज्म भी गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मण्डावा में सरकार का क्या योगदान है? वह तो प्राइवेट है।

श्री सभापति : दोनों में से एक बोले तो ठीक रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपने देखा है वह तो किसी निजी व्यक्ति ने अपना विकसित किया है। उसमें सरकार का क्या योगदान है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब कल से हम इन तीनों को... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापतिजी, सरकार सिर्फ नारों से न चले, रूरल ट्यूरिज्म, ईको ट्यूरिज्म, कोई ठोस बात तो बताएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ठोस बात तो मैं आपको पहले कह चुका हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : काबीना मंत्री हो, रूरल ट्यूरिज्म पर कोई सारगर्भित बात तो कहिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने सवाल नहीं पूछा यह, आपने न कट मोशन दिया। अगर आप कट मोशन देते तो मैं तैयारी करके आता कि स्थिति क्या है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आपको इतना योग्य समझता हूं कि डिबेट में जो महत्वपूर्ण बिन्दु हैं उस पर तो आप कुछ कहेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उस पर मैं बताता हूं, आप बिराजो।

श्री मानिक चन्द सुराना : आइंदा फिर कट मोशन भी आ जाएंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय, अभी आपने राजस्थान का जिक्र करते हुए अपनी एक पीड़ा की अभिव्यक्ति की थी।

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान में ट्यूरिज्म के और तो सारे साधन हैं, लेकिन एक तो बर्फ नहीं है और एक समुद्र नहीं है। आपसे मेरी यह विनती है कि भारत सरकार से कह कर ये दोनों व्यवस्था आप करवा लो ताकि उनकी भी समस्या का समाधान हो जाए और राजस्थान का भी भला हो जाए।

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब, बिराजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब एक-एक आप फर्माएं तो मैं ईको ट्यूरिज्म पर भी बोल लूं, आप फर्माएं तो रूरल पर भी बोल लूं, आप कहो तो एडवेंचर ट्यूरिज्म पर भी बोल लूं, फार्म ट्यूरिज्म पर भी बोल लूं, फार्म ट्यूरिज्म पर भी बोल लूं, वाइल्ड लाइफ पर भी बोल लूं, पिलग्रिम ट्यूरिज्म पर भी बोल लूं, फेयर एण्ड फैस्टिवल पर बोल लूं। आप तय कर दो उसी पर बोल लेता हूं।

श्री सभापति : इतना अन्याय मत कीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा निवेदन यह है कि...(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या... (व्यवधान) नहीं किया क्या?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट।

श्री सभापति : करो ना। आप बैठ कैसे गये?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक ही मिनट चाहिए, साहब। मेरा आपसे निवेदन है मैं आपका सहयोग चाहता हूं। जैसे हाड़ौती सर्किट विकास योजना की बात बतायी गई, एक नया प्रोजेक्ट बना है जो प्रोजेक्ट विभाग द्वारा बनाया जा रहा है सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ सर्किट का विकास करने के लिए। यह केन्द्र सरकार के पास पेश किया जाएगा और केन्द्र सरकार से हमें संतोषजनक उत्तर भी मिला है कि वो इस सर्किट के लिए कुछ प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अलवर में क्या कर रहे हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरीके से स्काटलैंड में एडिनबर्ग के हैरिटेज का फैस्टिवल भरता है, 10 लाख लोग उसमें आया करते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका जाना जरूरी है उसमें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो हो ही आये। यह करीब चार हफ्ते चलता है और 800 मिलियन पौंड का वहां पर व्यापार होता है। उसी की तर्ज पर... (व्यवधान) मैं सहयोग चाहता हूं आपका, डाक्टर साहब। आप तो होशियार आदमी हो, आप समझते हो इस बात को।

भारत के पहले अन्तरराष्ट्रीय विरासत उत्सव की स्थापना जयपुर में जनवरी, 2004 में करना चाहते हैं और इसे प्रति वर्ष आयोजित करना चाहते हैं। इस विरासत उत्सव को इस तरह का दर्जा देने चाहते हैं कि उस दर्जे पर दूर-दूर पहुंचे। तो उसके लिए पूरे सदन का, आपका सहयोग चाहते हैं। (व्यवधान) 2004 तक कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, यह तो भगवान ही जानता है। आप तो सचिन तेंदुलकर हो जो हर बार आप ही सैंचुरी बनाते हो। इस बार सैंचुरी आपकी बनती है या नहीं बनती है, यह देखेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से यह आखिरी निवेदन है कि अन्तरराष्ट्रीय...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आखिरी है तो मेवाड़ काम्प्लैक्स का बता दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेवाड़ काम्प्लैक्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, कुल राशि स्वीकृत हुई है 685 लाख जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार अब तक कुल 300 लाख खर्च कर चुके हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बाकी?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बाकी कामों पर केन्द्र सरकार द्वारा फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। आपसे दरखास्त है कि आप केन्द्र सरकार को कहें।

श्री रोहिताश्व कुमार : जवाब गलत है, दूसरी पर्ची आ रही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने फर्माया? (व्यवधान) बीयर के लिए आपने यह फर्माया था कि बीयर में नुकसान कैसे हुआ।

श्री धर्मपाल चौधरी : बीयर में तो फायदा हुआ। बीयर से कमाकर खा रहे हो, यह कहा था आपने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 1999 से तुलना करो आप, 2001-02 से नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 1999 से कर लेंगे। मैडम, एक बात है, एक तो निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। 1997, 1999 में कुल मिलाकर प्राइवेट शाप्स थीं 334 और उस वक्त में...(व्यवधान) 334 अंकित हो चुका, इसको देख लेना आप। अगर मैं गलती पर होऊंगा तो कल दुरुस्त कर लूंगा। दुरुस्त कर लूंगा अपने आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कैसे देखूंगी?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यहां दिखा दिया न मैंने, कैसे देखोगी आप। दिखा तो दिया, फिर कैसे देखोगी?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दिखाऊंगी मैं आपको, अभी दिखाती हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 334 थीं और आर.टी.डी.सी. की 59 शाप्स थीं। 2001–2002 तक के फिगर मेरे पास हैं जिसमें प्राइवेट शाप्स 506 थीं और आर.टी.डी.सी. की 59 ही रह गईं। प्रतिस्पर्धा हुई उसमें हमें दाम कम करना पड़ा। सन् 2000 में पांच रुपये कम करने पड़े। बिक्री तो बढ़ी, लेकिन उससे प्राफिट नहीं आया। इस प्रकार 2000–2001 में जाकर फिर पांच रुपया दाम बढ़ाया। तो यह प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि एक्साइज पोलिसी के माध्यम से वो दुकानें स्थापित की जाती हैं। 59 से ज्यादा एक्साइज...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह देखिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 1999–2000 के अन्दर 457.38 और 59 दुकानें हैं।

श्री शांतिकुमार धारवील : कौनसे साल में?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 1999–2000 में 457.38, यह है आपका।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जैसा वह छपा हुआ है मैडम, मेरे पास भी यह छपा हुआ है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं क्या जानूं, आपका दिया हुआ है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह मेरा आपका लिखा हुआ नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गवर्नमेंट का दिया हुआ है यह। यह सरकार का दिया हुआ है। सरकार भी इस तरह के आंकड़े देगी तो आप इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान) आप हमको गुमराह कर रहे हैं।

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए।

श्री रोहिताश्व कुमार : छपा हुआ कह कर आप बच नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति : धोद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बता दो कौनसा सही है? देखिए आप इसको।

श्री अमराराम (धोद) : कौनसा सही है? आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन को गुमराह करते हो आप इस तरह से। हमको बेवकूफ बनाते हो।

श्री सभापति : विराजिए, विराजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह पुरानी किताब है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए। माननीय सदस्य।

श्रीमती बीना काक : नम्बर आफ शाप्स हैं। वो अमाउंट हैं जो आप कह रही हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : वो भी अमाउंट के लिए कह रही हैं।

श्रीमती बीना काक : वह राशि है और यह नम्बर आफ शाप्स है।

श्री धर्मपाल चौधरी : वह भी राशि के लिए बोल रही हैं, 457 और 357 में फर्क है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री रोहिताश्व कुमार : यह छपा हुआ है, वह टाइप्ड है मंत्रीजी के पास।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह देख लो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या देखें?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो देखो, क्या नम्बर है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह अफसरों ने आपको लिखकर दे दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैडम, यह तो है आपका लाभ और हानि का। मैं बता रहा हूं दुकानें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कहां है? मैं कह रहा हूं न, मेरी बात तो सुनिए आप।

श्रीमती बीना काक : यह राशि है और वह दुकानों का नम्बर है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में न करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको शाप्स के नम्बर बता रहा हूं। आप उनको लाखों में रकम समझ रही हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने 357 बोला न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी अर्ज सुनें आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने 357 बोला, वो 457 बोल रही हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी अर्ज सुनें, मैडम।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपका लिखा हुआ देखें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बिलकुल ठीक है।

श्रीमती बीना काक : वो भी ठीक है, यह भी ठीक है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी अर्ज सुनें। 1997, 1999 में बीयर बेचने वाली प्राइवेट शाप्स 300...(व्यवधान) कहां ध्यान है आपका? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 1997, 1999 में बीयर बेचने वाली जो प्राइवेट शाप्स थीं उनकी संख्या 334 थी और आर.टी.डी.सी. की शाप्स उस वक्त 59 थीं। 2001–2002 में प्राइवेट शाप्स बढ़कर 506 हो गई, लेकिन आर.टी.डी.सी. की शाप्स 59 ही रह गई। क्योंकि एक्साइज पालिसी के तहत शाप्स बढ़ाने के लिए उन्होंने मना कर दिया और प्रतिस्पर्धा में...

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, जो आप बता रहे हो, मैं उसे गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं समझ रही हो और आप उसको लाखों में ले गई। मैं नम्बर आफ शाप्स बता रहा हूं, आप उसको लाखों में ले जा रही हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने आपसे यह कहा था...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं इसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपका नफा कम क्यों हुआ, मेरी तो यह समझ में नहीं आया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सुन लें, मैं इसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आपस में यह अंकों का मुकाबला बाद में कर लेना, आप अपनी बात कहो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ठीक है। 1999–2000 में जो लाभ अर्जित हुआ बीयर शाप्स से वह 4 करोड़ 57 लाख 38 हजार रुपये हुआ। यह बात सही है कि 2002–03 में यह लाभ 291 लाख 71 हजार का रह गया, लेकिन इसके पहले के सालों का आप देखेंगे तो उसमें लाभ बढ़ा है। यह उम्मीद करते हैं कि इस साल लाभ बढ़ेगा।

(19.00 बजे)

राठौड़ साहब ने यहां पर दो बातें उठायी थीं। एक तो उन्होंने यह पूछा था कि किस प्रकार से विदेशी पर्यटकों की संख्या कम हुई। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि 11 सितम्बर हुआ, 13 दिसम्बर हुआ, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव पैदा हुआ और फिर खास तौर से आपकी दया से गुजरात के दंगे हुए। तो इन सब चीजों से गिरावट तो आनी ही थी। फोरेन ट्रैवलर्स की हालत यह थी कि जो रिजर्वेशंस हो गये थे वो रिजर्वेशंस ऐन वक्त पर धड़ाधड़ कैंसिल हुए। जितने होटल्स के रिजर्वेशंस थे, सारे के सारे कैंसिल हुए। बीमा कम्पनियों ने बीमा करने से मना कर दिया, जैसा मैं आपको बता चुका हूं।

दो बातें आपने उठाई एक तो विज्ञापन एजेंसी के बाबत। आपने यह आरोप लगाया कि एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए विज्ञापन की निविदाएं बनाई गईं और उसको काम दे दिया गया। आप जैसे जिम्मेदार आदमी अगर इस तरीके की वाहियात बात करें तो समझ में नहीं आता। देखिये, राजस्थान में अगर विदेशी पर्यटकों को लाना है तो राजस्थान में प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें माहौल बनाना पड़ेगा विदेशों में और विदेशों में माहौल बनाने के लिए अगर हम किसी को नियुक्त करना चाहते हैं तो विदेशों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अन्तरराष्ट्रीय एक्सपीरियंस होना चाहिए। (व्यवधान) मुझे कम्प्लीट कर लेने दीजिये आप, फिर बोलियेगा आप। मैं बैठ जाऊंगा, आराम से जब आप बोलियेगा। अन्तरराष्ट्रीय स्तर की ऐसी एजेंसी को नियुक्त करना पड़ेगा। अब मैं आपसे फिर यह निवेदन करता हूं कि यह जो नियुक्ति होगी यह नियमों के तहत होगी और अभी तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, न किसी की नियुक्ति हुई है, आपको गलतफहमी है।

कुम्भाराम के बाबत आपने कहा, मैं इस मामले को दिखवा लूंगा कि कौनसे कुम्भाराम हैं। मैंने तो कभी शक्ल देखी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

नहीं है। आप कहते हो कि उसने आपकी सेवा नहीं की तो उसको आपने सस्पेंड कर दिया और जब उसने सेवा की तो आपने उसको बहाल कर दिया। पता नहीं कौन कुम्भाराम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहरोड़ मिड-वे में, वो ही कुम्भाराम।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं देख लूंगा, मेरी जानकारी में आप लाये हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वो ही कुम्भाराम।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पता नहीं, कौनसा कुम्भाराम। यह तो ये ही जानते हैं कि कैसे जानते हैं। पर मेरी जानकारी में पहली बार आया है, मैं इसका दिखवा लूंगा, आपको एश्योर करता हूं। मेरा आपसे यही निवेदन है, माननीय सदस्यों ने जो खास-खास बिन्दु उठाये हैं, मैं उन सब को पुनः धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, आपसे अनुरोध है कि सदन इस मांग को पारित करे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय कुछ कह रहे हैं। आप कुछ सुनो तो सही।

मांग संख्या-47 का पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,08,08,000/- (सत्रह करोड़ आठ लाख आठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 2003 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.03 बजे गुरुवार; 20 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या–313 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

दिनांक 31.1.2003 तक उप निरीक्षक एवं इससे ऊपर के निम्न अधिकारी निलम्बित चल रहे हैं जिनका विवरण इस प्रकार है

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	निर्वाह भत्ता	जांच अधिकारी व जांच का स्तर	जांच पूर्ण करने में कठिनाई	चार्जशीट देने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री उमराव सिंह उप निरीक्षक जिला अजमेर	75 प्रतिशत	ए.सी.बी. द्वारा न्यायालयों में प्रस्तुत वादों का निर्णय विचाराधीन होने तक जांच कार्यवाही नहीं की जा रही है।	–	चार्जशीट नहीं दी गई।
2.	श्री हस्तीमल, उ.नि. जिला अजमेर	–"–	–"–	–	–"–
3.	श्री रामगोपाल उ.नि. जिला भीलवाड़ा	–"–	–"–	–	–"–
4.	श्री हीरालाल उ.नि. जिला भीलवाड़ा	–"–	–"–	–	–"–
5.	श्री गणेशलाल उ.नि. जिला नागौर	–"–	–"–	–	–"–
6.	श्री राजेश कुमार उ.नि. जिला टौंक	–"–	–"–	–	–"–
7.	श्री माधोसिंह उ.नि. जिला टौंक	75 प्रतिशत	ए.सी.बी. द्वारा न्यायालयों में प्रस्तुत वादों का निर्णय विचाराधीन होने तक जांच कार्यवाही नहीं की जा रही है।		चार्जशीट नहीं दी गई।

1	2	3	4	5	6
8.	श्री महावीर सिंह उ.नि. जिला जयपुर शहर (उत्तर)	–"–	–"–	–	–"–
9.	श्री श्रीराम उ.नि. जिला जयपुर शहर उत्तर	–"–	–"–	–	–"–
10.	श्री मुकेश कुमार उ.नि. जिला जयपुर शहर उत्तर	–"–	–"–	–	–"–
11.	श्री दयाराम उ.नि. जिला–जयपुर शहर दक्षिण	–"–	–"–	–	–"–
12.	श्री हरजीराम उ.नि. जिला–जयपुर ग्रामीण	–"–	–"–	–	–"–
13.	श्री प्रभूदयाल उ.नि. जिला–जयपुर ग्रामीण	–"–	–"–	–	–"–
14.	श्री बनवारीलाल उ.नि. जिला–भरतपुर	–"–	–"–	–	–"–
15.	श्री आनन्द प्रकाश उ.नि. जिला–भरतपुर	–"–	–"–	–	–"–

1	2	3	4	5	6
16.	श्री जमीलुउर रहमान उ.नि. जिला–सवाईमाधोपुर	–"–	–"–	–	–"–
17.	श्री राजेश विश्नोई पु.नि. जिला सवाईमाधोपुर	75 प्रतिशत	ए.सी.बी. द्वारा न्यायालयों में प्रस्तुत वादों का निर्णय विचाराधीन होने तक जांच कार्यवाही नहीं की जा रही है।		चार्जशीट नहीं दी गई है।
18.	श्री राजेन्द्र सिंह उ.नि. जिला–पाली	–"–	–"–	–	–"–
19.	श्री लालूराम उ.नि. जिला–कोटा ग्रामीण	–"–	–"–	–	–"–
20.	श्री रूपसिंह उ.नि. जिला–बारां	–"–	–"–	–	–"–
21.	श्री शम्भूदयाल पु.नि. जिला–बांसवाड़ा	–"–	–"–	–	–"–
22.	श्री नूरमोहम्मद उ.नि. जिला–जी.आर.पी. अजमेर	–"–	–"–	–	–"–

1	2	3	4	5	6
23.	श्री भीखसिंह आर.पी.एस. अति. पुलिस अधीक्षक	–"–	–"–	–	–"–
24.	श्री फूलचन्द उ.नि. जिला–झुंझूनूं	–"–	ए.सी.बी. द्वारा दर्ज प्रकरण का अनुसंधान विचाराधीन होने तक जांच कार्यवाही नहीं की जा रही है।	–	–"–
25.	श्री करण सिंह पु.नि. जिला–झुंझूनूं	75 प्रतिशत	ए.सी.बी. द्वारा दर्ज प्रकरण का अनुसंधान विचाराधीन होने तक जांच कार्यवाही नहीं की जा रही है।	–	चार्जशीट नही दी गई है।
26.	श्री हरीसिंह उ.नि. जिला–पाली	–"–	–"–	–	–"–
27.	श्री मोतीलाल पु.नि. जिला–कोटा शहर	–"–	–"–	–	–"–
28.	श्री रामप्रसाद उ.नि. जिला–कोटा शहर	–"–	–"–	–	–"–
29.	श्री सुभाष त्रिपाठी उ.नि. जिला–उदयपुर	–"–	–"–	–	–"–

1	2	3	4	5	6
30.	श्री मदनलाल उ.नि. जिला–चित्तौड़गढ़	–"–	–"–	–	–"–
31.	मनीराम उ.नि. जिला–गंगानगर।	–"–	–"–	–	दिनांक 25.5.2002
32.	श्री कान्तासिंह उ.नि. जिला–गंगानगर	–"–	–"–	–	–"–
33.	अजीत सिंह उ.नि. जिला–उदयपुर	–"–	ए.सी.बी. द्वारा न्यायालयों में प्रस्तुत वादों का निर्णय होने तक जांच रोकी गई है।	–	दिनांक 11.10.2002 चार्जशीट दी गई है।
34.	श्री बद्रीलाल उ.नि. जिला–उदयपुर	75 प्रतिशत	ए.सी.बी. द्वारा न्यायालयों में प्रस्तुत वादों का निर्णय होने तक जांच रोकी गई है।	–	दिनांक 9.05.2002 चार्जशीट दी गई है।
35.	श्री सतीश कुमार उ.नि. जिला–चित्तौड़गढ़				
36.	श्री सतपाल मिढ्ढा आर.पी.एस., उ.पु.अ.	–"–	विभागीय जांच कार्मिक विभाग के विचाराधीन है।	–	चार्जशीट नहीं दी गई है।
37.	श्री भैरूसिंह आर.पी.एस. पुलिस उप अधीक्षक	–"–	विभागीय जांच कार्मिक विभाग के विचाराधीन है।	–	दिनांक 4.06.2002 को चार्जशीट दी गई है।

1	2	3	4	5	6
38.	श्री कुशाल सिंह उ.नि. जिला–झुंझुनूं	75 प्रतिशत	मु.नं. 352/2000 धारा 376, 511, 354 भादस व 3(11) एससी/एसटी एक्ट थाना मालवीय नगर जयपुर का अनुसं. सी.आई.डी. (सीबी) द्वारा किया जा रहा है। प्राथमिक जांच की जा रही है।		चार्जशीट नहीं दी गई है।
39.	श्री राजेश गिरी पु.नि. जिला–भरतपुर	–''–	न्यायालय द्वारा अ.सं. 51/99 धारा 498ए में न्याया. द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है जो विचाराधीन है।	–	–''–
40.	श्री भंवरलाल उप निरीक्षक जिला–उदयपुर	50 प्रतिशत	मु.नं. 296/2000 धारा 420, 467,468,471 भादस थाना सिविल लाइंस अजमेर। न्यायालय में विचाराधीन है।	आरोपी का जवाब प्राप्त होने पर जांच अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी	दिनांक 22.1.2003 को चार्जशीट दी गई है।

1	2	3	4	5	6
41.	श्री संतलाल उप निरीक्षक जिला–उदयपुर	75 प्रतिशत	मु.नं. 26/00 धारा 420,467, 465,470,471,420 भादस थाना सादुल–शहर के अनुसंधान में लापरवाही जांच अति. पुलिस अधिक्षक गंगानगर द्वारा की जा रही है।		दिनांक 27.12.2001 को चार्जशीट दी गई।
42.	श्री भंवरलाल उप निरीक्षक जिला–गंगानगर	–''–	पुलिस हिरासत में अमित की मृत्यु का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। मु.नं. 124/02 थाना पुरानी आबादी, गंगानगर।	–	चार्जशीट नहीं दी गई है।
43.	श्री ओमप्रकाश उप निरीक्षक जिला–जयपुर शहर (उत्तर)	50 प्रतिशत	प्राथमिक जांच सी.ओ. वृत्त महिला (उत्तर) द्वारा की जा रही है।	–	–''–

परिशिष्ट–2

परिशिष्ट "क"

(तारांकित प्रश्न संख्या–316 का विवरण)

सिद्धमुख नोहर परियोजना में सेवावृत्त कार्यों की सूची

क्र.सं.	चक का नाम	कार्य की राशि
1	2	3
1.	1 आर.एस.एल. (रसलाना वितरिका)	16.24 लाख
2.	5 आर.एस.एल. –(डू)–	29.89 लाख
3.	1 एम.ए.एम. (मलवानी माइनर)	18.99 लाख
4.	2 एम.ए.एम. –(डू)–	16.44 लाख
5.	3 एम.ए.एम. –(डू)–	12.73 लाख
6.	4 एम.ए.एम. –(डू)–	13.82 लाख
7.	1 एम.एस.एम. (मलवानी सब माइनर)	17.97 लाख
8.	2 एम.ए.एम. –(डू)–	15.64 लाख
9.	1 डी.डी.एम. (येइदास माइनर)	19.80 लाख
10.	2 डी.डी.एम.–(डू)–	16.55 लाख
11.	3 डी.डी.एम. –(डू)–	15.32 लाख
12.	4 डी.डी.एम. –(डू)–	10.65 लाख
13.	2 ए.पी.एम. (अमरपुरा माइनर)	14.34 लाख
14.	3 ए.पी.एम. –(डू)–	7.92 लाख
15.	4 ए.पी.एम. –(डू)–	13.80 लाख
16.	5 ए.पी.एम. –(डू)–	15.37 लाख
17.	1 डी.बी.एम. (डोबी माइनर)	17.52 लाख
18.	2 डी.बी.एम.	11.54 लाख
19.	3 डी.बी.एम.	19.27 लाख
20.	4 डी.बी.एम.	10.39 लाख
21.	5. डी.बी.एम.	15.25 लाख
22.	6 डी.बी.एम.	12.34 लाख

1	2	3
23.	डी.बी.एम.	11.74 लाख
24.	1 डी.एन.एल. (ढंढेला माइनर)	12.35 लाख
25.	2 डी.एन.एल.	20.53 लाख
26.	3 डी.एन.एल.	18.27 लाख
27.	4 डी.एन.एल.	18.04 लाख
28.	5 डी.एन.एल.	19.45 लाख
29.	6 डी.एन.एल.	18.42 लाख
30.	7 डी.एन.एल.	14.99 लाख
31.	8 डी.एन.एल.	25.46 लाख
	योग	497.23 लाख

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

ग्राम बाघोडी (अलवर) में स्वीकृत खनन में मिनरल जांच

317. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बाघोर्डी तहसील रामगढ़ (अलवर) के खसरा नम्बर 4/126 ग्राम नीमली तहसील तिजारा के खसरा नं. 479 मिन, ग्राम कुलावट तहसील तिजारा खसरा नं. 232, 234, एवं 235 क्रमशः सर्वश्री जब्बार खां, आसीन मेव ज्ञानेन्द्र यादव एवं रहमत मेव के नाम अलवर एम ई कार्यालय द्वारा खान का खनन पट्टा दिया गया है? क्या उक्त पट्टा क्षेत्र मिनरल होने बाबत कोई जांच हुई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खानों में कोई मिनरल नहीं है? यदि हां, तो खान देने में कौन अधिकारी दोषी है?

(3) क्या यह भी सही है कि तीन वर्ष पूर्व उक्त बाबत संयुक्त जांच ए.डी.एम. II अलवर, खान विभाग, अलवर राजस्व एवं वन विभाग द्वारा की गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खनन पट्टा स्वीकृत करने से पूर्व आवेदित क्षेत्रों में मिनरल होने बाबत जांच की गई थी, जांच रिपोर्ट परिशिष्ट–अ, ब, स, द, पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त क्षेत्रों में स्वीकृत खनिज उपलब्ध है इस कारण खान देने में कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट–ई पर संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

आसींद (भीलवाड़ा) पशु चिकित्सालय में चिकित्सक/ कम्पाउण्डर के रिक्त पद

318. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार तहसील आसीन्द (भीलवाड़ा) के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

तहसील आसीन्द (भीलवाड़ा) के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। पशुधन सहायक के रिक्त पदों को 3000/- रुपये मासिक समेकित वेतन के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अन्य राज्यों से विद्युत क्रय समझौते का लाभ

319. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार अन्य राज्यों से विद्युत क्रय करने हेतु पूर्व अपनी निर्धारित मांग देती है? यदि हां, तो वर्ष 2001–02 व 2002–03 में किस–किस राज्य में कितनी–कितनी विद्युत क्रय करने का समझौता हुआ?

(2) क्या उक्त समझौते के अनुसार प्रत्येक माह में पूर्ण विद्युत का उपयोग किया गया? यदि नहीं, तो क्यों और इससे सरकार को कितनी राशि का लाभ हुआ?

(3) क्या अन्य राज्यों के समझौतानुसार विद्युत उपलब्ध कराने के बाद भी किसानों को बिजली सप्लाई 8 घंटे नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 के दौरान दिल्ली विद्युत बोर्ड से दिनांक 15 अक्टूबर से दिनांक 31 अक्टूबर, 2001 तक 136 मेगावाट एवं दिनांक 1 नवम्बर, 2001 से दिनांक 31 मार्च 2002 तक 408 मेगावाट विद्युत (रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक) देने का समझौता किया गया।

राज्य को पंजाब विद्युत बोर्ड ने माह नवम्बर, 2001 से दिसम्बर, 2002 तक 100 मेगावाट बिजली प्रतिदिन देने की सहमति दी।

वर्ष 2002-2003 के दौरान पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन से माह अक्टूबर से 15 अप्रैल, 2003 तक 50 से 100 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौते किये गये।

(2) उक्त समझौते के अनुसरण में जो बिजली उपलब्ध हुई उसका उपयोग कर लिया गया और भुगतान भी उक्त अनुसार ही किया गया है अतः लाभ–हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(3) राज्य में इस वर्ष मानसून में वर्षा की कमी के कारण पन–बिजली का उत्पादन रबी फसल के दौरान प्रायः

(ऊर्जा मंत्री)

नगण्य रहा। इसके अलावा भाखड़ा-व्यास सिस्टम से मिलने वाली पन बिजली में भी कमी आयी। पिछले वर्ष भी पन बिजली की उपलब्धि सामान्य वर्ष से कम रही। पन-बिजली में कमी के कारण जहां एक ओर बिजली उपलब्धि प्रभावित हुई वहीं इस का विपरीत वित्तीय प्रभाव भी पड़ा। बिजली की उपलब्धि एवं वित्तिय स्थिति को देखते हुए आठ घंटे विद्युत आपूर्ति सम्भव नहीं हो सकी।

मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

320. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जलाऊ लकड़ी बेचने (स्टेट ट्रेडिंग) के बारे में उदयपुर उप वन संरक्षक कार्यालय की कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से कट कर आई सफेदे की लकड़ी जिसे पहले विभाग ने वजन के आधार पर विक्रय करने की निविदा आमंत्रित कर विक्रय आदेश दिया था को अचानक बदलकर आयतन के आधार पर विक्रय करने का संशोधित आदेश जारी किया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उदयपुर के उप वन संरक्षक ने लकड़ी के विक्रय में अपने उच्च अधिकारी मुख्य वन संरक्षक (इन्दिरा गांधी परियोजना) द्वारा की जा रही अनियमितता के विरुद्ध मुख्य सचिव को कोई पत्र लिखा? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त शिकायत की प्रारम्भिक जांच करवाई गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला नागौर के नगरपालिका क्षेत्र में गरीब व्यक्तियों को आबंटित पट्टा

321. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत गरीब व अनुसूचित जाति के लोगों को रियायती दर पर

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

नगरपालिका क्षेत्रों का पट्टा दिया जाता है? यदि हां, तो उसके लिये पट्टा धारक से कितनी राशि वसूल की जाती है?

(2) उक्त पट्टे किस-किस पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को किस-किस मानदण्ड के अनुसार दिये जा सकते है? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान ऐसे पट्टे दिये जाने के निर्देश दिये हुये थे? यदि हां, तो नागौर जिले की किन-किन नगरपालिका क्षेत्रों में कितने लोगों को ऐसे पट्टे जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ऐसे पट्टा धारकों से ग्राउंड रेंट वसूल करने के निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त पट्टा धारकों से ग्राउंड रेंट का वार्षिक शुल्क प्रति वर्ष कितना वसूल किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। पांच रुपये की राशि वसूल कर पट्टे दिये जाने का प्रावधान है।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 300 वर्गमीटर तक के जनवरी, 2000 से 20 वर्ष पूर्व के कब्जे वाले निर्मित मकान एवं 300 वर्गमीटर तक के ही सामान्य जाति के 40 वर्ष पूर्व निर्मित मकान होने पर पट्टा दिये जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। नागौर जिले की नगरपालिका क्षेत्रों में जितने लोगों को ऐसे पट्टे जारी किए गये हैं, उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां। आदेशों की प्रति संलग्न है।

(5) राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 7 के अनुसार लीज की राशि आवासीय भूखण्डों पर 2½% आरक्षित मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

नागौर से जयपुर वाया पुष्कर संचालित बसें

322. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अन्तरराज्यीय अनुबन्ध के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जिला नागौर मुख्यालय से कितनी

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

बसों का संचालन प्रतिदिन अन्य राज्यों के लिये वर्तमान में किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बड़ी संख्या पर विभिन्न राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध निजी बसों के संचालन से परिवहन निगम की बसों पर यात्रीभार में निरन्तर गिरावट आ रही है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में प्राइवेट अवैध बसों के संचालन पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि नागौर से जयपुर वाया पुष्कर अजमेर केवल दो बसों का संचालन ही किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में सरकार और अधिक बसों के संचालन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जिला मुख्यालय नागौर से वर्तमान में अन्तरराज्यीय पारस्परिक करार के अन्तर्गत निम्नांकित सेवाओं का अन्य राज्यों के लिए प्रतिदिन संचालन किया जा रहा है :–

क्र.सं.	मार्ग	एकल परिचक्र
1.	नागौर–दिल्ली (वाया नीमकाथाना)	2
2.	नागौर–हरिद्वार (वाया सीकर–दिल्ली)	2

(2) यह सही नहीं है कि परिवहन निगम में यात्रीभार में कमी का एक मात्र कारण निजी बस/जीपों का सामानान्तर संचालन है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) एवं 88(9) के तहत पर्यटक अनुज्ञापत्र जारी किए जाते है। इस अनुज्ञापत्र से कवर्ड वाहन अपने वाहनों को राष्ट्रीयकृत मार्ग पर संचालित कर सकते है। वहीं मोटर कैब के रूप में जिन जीप/कार इत्यादि वाहनों को संविदा वाहन का अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है वे भी राष्ट्रीयकृत मार्ग पर संचालित किए जाते हैं इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्टैज कैरिज वाहनों को अधिकतम 10 किलोमीटर तक के प्रतिच्छाद की छूट का प्रावधान इस भाग पर सवारियां नहीं उठाने व छोड़ने की शर्त पर है। चूंकि उक्त शर्त के आधार पर वाहन नियमानुसार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित हो सकते हैं। अत: इस प्रकार के समानान्तर संचालन को अवैध संचालन नहीं माना जा सकता है जब तक कि वे उन्हें जारी

(यातायात मंत्री)

अनुज्ञापत्रों की शर्तों के तहत अपने वाहनों को संचालित करते हैं।

(3) विभाग इस सम्बन्ध में सतत प्रयत्नशील है। नागौर जिले में माह अप्रैल, 2002 फरवरी, 2003 तक की अवधि में 279 बसों के चालान बनाये जा कर 7.64 लाख रुपये की राशि शास्ति एवं संधान शुल्क के रूप में वसूल की गयी। इसी अवधि में 125 जीपों के चालान बनाये जाकर 7.77 लाख रुपये शास्ति राशि वसूल की गयी।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध संचालन करने पर 30 वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ही धारा 86 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र निरस्त किए गए।

(4) जी नहीं। वर्तमान में नागौर से जयपुर वाया पुष्कर अजमेर होकर संचालित एक बस (दो एकल परिचक्र-एक अप/एक डाउन) को उपलब्ध हो रहे यात्रीभार एवं आय प्रति किलोमीटर को देखते हुए ये सेवाएं ही पर्याप्त है तथा और अधिक बसों के संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 26 फरवरी, 2003

ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित तालाबों का रख-रखाव

134. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने 200 एकड़ तक के तालाब ग्राम पंचायत को हस्तान्तरण कर दिये हैं? यदि हां, तो जिला अजमेर में उक्त तरह के कुल कितने तालाब ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किये गये? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हस्तान्तरण किये गये तालाबों से अब तक ग्राम पंचायत को कुल कितनी आय हुई? विगतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त हस्तान्तरित किये गये तालाबों के रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को अब तक कुल कितनी राशि आबंटित की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अब उक्त तालाबों के रख-रखाव के लिये सरकार ग्राम पंचायतों को राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला अजमेर के अन्तर्गत 255 तालाब सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित कर दिये हैं। विधान सभा क्षेत्रवार संख्या निम्नप्रकार है :

(पंचायती राज मंत्री)

वि.सं. क्षेत्र		तालाबों की संख्या
1.	पुष्कर	9
2.	नसीराबाद	17
3.	किशनगढ़	10
4.	ब्यावर	24
5.	भिनाय	87
6.	केकड़ी	79
7.	मसूदा	29
	योग	**255**

(2) उक्त हस्तान्तरित तालाबों से ग्राम पंचायतों को अब तक कुछ भी आय नहीं हुई है।

(3) उक्त हस्तान्तरित किये गये तालाबों के रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को अब तक कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

जी हां। उक्त तालाब पंचायत को हाल ही में हस्तान्तरित किये गये हैं। रख-रखाव हेतु राशि उपलब्ध होने की स्थिति में क्षतिग्रस्त तालाबों की मरम्मत के प्रयास किये जावेंगे।

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर स्थित गोवलिया गौशाला में गायों के चारे हेतु अनुदान

323. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम किशनपुरा गोवलिया में गौशाला का निर्माण हुआ है? यदि हां, तो उक्त में कितनी गायें वर्तमान में रखी गई हैं?

(2) क्या गौशाला में रहने वाली गायों के लिये अनुदान दिया गया है? यदि हां, तो कितना?

(3) क्या यह सही है कि शहरों के अन्दर अधिक मात्रा में पॉलिथिन की थैलियां खा जाने के कारण गायों की अकाल मौतें हो रही हैं? यदि हां, तो उक्त की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। बड़े पशुओं के लिए 12/- रुपये तथा तीन वर्ष से छोटे पशुओं के लिए 6/- रुपये प्रति पशु प्रतिदिन अनुदान दिया गया है।

(3) राज्य सरकार द्वारा पालिथिन बैग्स के बढ़ते प्रचलन और उनके दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959

(यातायात मंत्री)

में नई धारा 288(ए) को जोड़ा जाकर 20 माइक्रोन से कम मोटाई के पुनःचक्रित प्लास्टिक/पालिथिन के बैग्स व कंटेनर के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग को दिनांक 1.1.2001 से प्रतिबन्धित कर दिया गया है तथा इसके उल्लंघन पर न्यूनतम 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के आर्थिक दण्ड अथवा तीन माह तक के कारावास या दोनों प्रकार के दण्ड का प्रावधान किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में विधायक कोष से स्वीकृत हैण्डपम्प

324. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 1999 से अब तक केशोरायपाटन नगरपालिका क्षेत्र व कापरेन नगरपालिका क्षेत्र में कहां-कहां विधायक कोष से हैण्ड पम्प/पाइप लाइन हेतु राशि स्वीकृत की गई है? क्या उक्त पालिकाओं द्वारा विधायक कोष की राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधायक कोष द्वारा स्वीकृत हैण्डपम्प सभी चालू हालत में है? यदि हां, तो किस-किस वार्ड में और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका केशोरायपाटन द्वारा विधायक कोष द्वारा स्वीकृत पाइप लाइंस को डलवा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार द्वारा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) **हैण्डपम्प**–सन्दर्भित काल में सन्दर्भित क्षेत्र में विधायक कोष से ऐसा कोई हैण्डपम्प स्वीकृत नहीं हुआ जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यकारी एजेंसी हो। सम्बन्धित नगरपालिका को कार्यकारी एजेंसी बनाकर स्वीकृत किए गए हैण्डपम्पों का विवरण निम्नप्रकार है :

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत दिनांक	हैण्ड पम्प स्वीकृत सं.	स्वीकृत राशि (लाख रु.)	व्यय की गई राशि (लाख रु.)	कार्य स्थिति	वर्तमान स्थिति
नगरपालिका केशोरायपाटन	20.9.01 व 30.1.02	7	2.10	2.72	पूर्ण	चालू
नगरपालिका कापरेन	9.5.02 व 8.8.02	2	0.65	0.62	पूर्ण	चालू

पाइप लाइन–(अ) ऐसी स्वीकृति जिसमें नगरपालिका केशोरायपाटन कार्यकारी एजेंसी है, की स्थिति/विवरण निम्नप्रकार है :

स्वीकृति दिनांक	**13.05.02 व 30.08.01**
कार्य स्थल	मेघवाल बस्ती (वार्ड 10) व प्रताप कालोनी (वार्ड 1)
स्वीकृत राशि	1.10 लाख रु.
उपलब्ध की गई राशि	0.55 लाख रु.
व्यय राशि	0.33 लाख रु.
वर्तमान स्थिति	कार्य प्रगति में

(ब) ऐसी स्वीकृति जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यकारी एजेन्सी है, का विवरण निम्नप्रकार है :

स्वीकृति दिनांक (डी.आर.डी.ए. द्वारा कार्य स्थल)	9.10.02 मेघवाल बस्ती (वार्ड 10) 0.33 लाख रु., प्रताप कालोनी (वार्ड 1) 0.75 लाख रु. सेठजी का चोक (वार्ड 9) 0.20 लाख रु.
तकनीकी स्वीकृति जन स्वा.अभि. विभाग द्वारा जारी	हां
डीआरडीए द्वारा जन स्वा.अभि. विभाग को स्थानान्तरित राशि	शून्य
वर्तमान स्थिति	राशि प्राप्त होने के बाद ही कार्य सम्भव

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

मेघवाल बस्ती व प्रताप कालोनी के कार्य पूर्व कार्यकारी संस्था नगरपालिका केशोरायपाटन से हटाकर आदेश दिनांक 9.10.02 द्वारा जन स्वा.अभि. विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाया। कार्य वर्तमान में नगरपालिका के पास प्रगति में है।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में वर्णित हैण्डपम्प निम्न वार्डों में लगे हैं एवं वर्तमान में चालू हालत में है।

शहर	संख्या	वार्ड नम्बर
केशोरायपाटन	7	1, 2, 3, 14, 17, 18, 19
कापरेन	2	3, 6

(3) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के अनुसार।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग का विलिनीकरण

325. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर के सिंचित क्षेत्र विकास हेतु ''काडा'' प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सहायता दी जाती है? उक्त में गत पांच वर्षों में कितनी राशि प्राप्त हुई तथा खाला निर्माण पर कितनी तथा अन्य कार्यों पर कितनी व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नहर की माइनर तथा खालों का निर्माण एक ही एजेंसी से करवाने से राजकीय कोष की बचत होगी तथा कार्य सुचारू रूप से होगा?

(3) क्या यह सही है कि सिंचित क्षेत्र में सड़क निर्माण, आवास तथा अन्य जनसुविधाओं का कार्य विभिन्न विभागों को करना पड़ता है?

(4) क्या यह भी सही है कि इन्दिरा गांधी नगर तथा सिंचित क्षेत्र विकास विभाग में वार्षिक स्वीकृत बजट का 50 प्रतिशत से अधिक राशि अधिकारी/कर्मचारी के वेतन आदि पर व्यय होती है?

(5) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर तथा सिंचित क्षेत्र विकास विभाग का एकीकरण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सिंचित क्षेत्र विकास के अधीन खाला निर्माण पर 5000 रुपये प्रति हैक्टेयर या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, केन्द्रीय अंशदान के रूप में प्राप्त होता है एवं स्थापना पर 20 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत दी जाती है। गत पांच वर्षों में उक्त मदों में व्यय की सूचना वर्षवार परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्र विकास)

(2) जी नहीं। नहर निर्माण एवं खाला निर्माण का कार्य अपने आप में अलग–अलग प्रवृति के कार्य हैं। काडा के मार्फत खाला निर्माण पर उपरोक्तानुसार अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होता है। अन्य एर्जेसी से खाला निर्माण करवाने पर यह राशि मिलना सम्भव नहीं हो पायेगा। अत: माइनर एवं खाला का कार्य एक ही एर्जेसी से करवाने से राजकीय कोष में बचत नहीं होगी।

(3) सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत खाला निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य यथा कृषि विस्तार, कृषि अनुसन्धान, काश्तकारों को कृषि सेवा केन्द्र, मण्डी विकास कार्य, आबादी प्लानिंग एवं तकनीकी की जानकारी तथा सिंचाई प्रबन्धन, जल प्रबन्धन कमेटियों की स्थापना, वाटर लोगिंग जैसी समस्याओं से सम्बन्धित अन्य कार्य इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर के बजट मद से करवाये जा रहे हैं। सड़कों का निर्माण कार्य वर्तमान में सीएडी के अन्तर्गत नहीं करवाया जाता लेकिन सीएडी संगठन के अधीन मण्डी विकास समिति के क्षेत्र में विभिन्न मण्डियों की आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य सिंचित क्षेत्र विकास के अधीन सम्पन्न करवाया जा रहा है।

(4) यह सही नहीं है। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि पर स्वीकृत बजट का लगभग 26.4 प्रतिशत ही व्यय होता है।

(5) जी नहीं। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार सी.एस.एस. (केन्द्रीय प्रवर्तित योजना) के अन्तर्गत उन्हीं योजनाओं पर केन्द्रीय अंशदान स्वीकृत की जाती है जिन परियोजनाओं में सिंचित क्षेत्र विकास कार्य हेतु काडा का गठन किया जा चुका है। इस कारण वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत खालों का निर्माण सीएडी के माध्यम से करवाया जाना ही उपयुक्त है। फलत: इन्दिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास के एकीकरण का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

इंगानप-सीएडी हेतु केन्द्रीय प्रवृर्तित योजना के तहत व्यय/प्राप्त राशि

(राशि रुपये करोड़ में)

वर्ष	खालों के निर्माण पर व्यय	अन्य कार्यों पर व्यय	योग	भारत सरकार से प्राप्त राशि
1997-1998	21.57	6.83	28.40	29.67
1998-1999	24.99	6.02	31.01	30.84
1999-2000	23.50	8.05	31.55	29.16
2000-2001	20.74	7.11	27.85	29.61
2001-2002	19.86	6.53	26.39	24.82

नोट : भारत सरकार से "काडा" योजना में सिंचित क्षेत्र विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजन, बीकानेर एवं सीएडी चम्बल, कोटा हेतु सहायता राशि सम्मिलित रूप से प्राप्त होती है।

ग्राम आऊवा (पाली) पशु चिकित्सालय में पूर्णकालिक डाक्टर व्यवस्था

326. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम आऊवा (पाली) में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कब एवं किसके द्वारा करवाया गया?

(2) क्या यह सही है कि पशु चिकित्सालय में सरकार द्वारा सप्ताह में तीन दिन के लिए किसी डाक्टर की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सरकार पूर्णकालिक डाक्टर की व्यवस्था कब तक कर देगी?

उत्तर

(1) ग्राम आऊवा (पाली) में पशु चिकित्सा संस्था हेतु भवन का निर्माण श्री चुन्नी लाल पुखराज वेद मूथा द्वारा वर्ष 1998 में करवाया गया था।

(2) जी नहीं। पशु चिकित्सालय धनला में कार्यरत पशु चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह तीन दिन अन्तरिम व्यवस्था अन्तर्गत पशु चिकित्सा कार्य हेतु व्यवस्था की गई है। ग्राम आऊवा में उपकेन्द्र स्वीकृत होने से चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है। वर्ष 2002-2003 में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम गिरल (बाड़मेर) में लिग्नाइट आधारित ग्रिड सब स्टेशन

327. श्री अमीन खान (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की तहसील शिव के गिरल ग्राम में 125 मेगावाट का लिग्नाइट आधार पर ग्रिड सब स्टेशन बनाया जा रहा है?

(2) गिरल में लिग्नाइट आधार पर ग्रिड सब स्टेशन में पानी कहां से लाया जायेगा तथा उक्त पर कुल लागत कितनी आयेगी और तैयार कब तक होगा।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा बाड़मेर जिले के गिरल खदानों पर 1 × 125 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन लगाना प्रस्तावित है।

(2) उपरोक्त परियोजना हेतु पानी इन्दिरा गांधी नहर से 120 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाकर लाया जायेगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 83 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है तथा इसके तैयार होने में लगभग 3 वर्ष का समय लगना सम्भावित है।

रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में इको डवलपमेंट योजना की प्राप्त शिकायतों की जांच

328. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत एक वर्ष में रणथम्भौर टाइगर प्राजेक्ट क्षेत्र में इको डवलपमेंट योजना के तहत क्या-क्या कार्य कराये गये तथा उक्त में कितनी राशि शेष है? उक्त योजना में अब तक कुल कितनी राशि आई तथा कितनी व्यय हुई?

(2) उक्त अवधि में उक्त स्कीम में किये गये किन-किन कार्यों की अब तक शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या उक्त की जांच कराई गई? यदि हां, तो क्या उक्त में कोई दोषी पाया गया?

उत्तर

(1) गत वर्ष 2001–2002 में रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में इण्डिया इको डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स में) 41, एवं ग्रामीण विकास कार्यों के अन्तर्गत 174 कार्य करवाये। वर्ष 2001–2002 में स्वीकृत राशि 380.45 लाख रुपये के विरुद्ध राशि 329.36 लाख रुपये व्यय की गई। इस प्रकार राशि 51.09 लाख रुपये शेष रही।

उक्त योजना में अब तक प्राप्त हुई राशि व व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है।

(2) वर्ष 2001–2002 में इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत किये गये कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण सम्बन्धी विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' पर दर्शाया गया है।

परिशिष्ट "क"

विश्व बैंक की सहायता से रणथम्भौर बाघ परियोजना को इण्डिया ईको डवलपमेंट प्रोजेक्ट (जैफ प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय की गयी राशि का मदवार विवरण

क्र.सं.	परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि (लाखों रुपयों में)	मिड टर्म रिव्यू के आधार पर संशोधित स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	भारत सरकार द्वारा आबंटित राशि (लाख रुपयों में)	राज्य सरकार द्वारा आबंटित राशि (लाख रुपयों में)
1	3838.10	2285.00	2205.56	2152.82

मदवार व्यय राशि का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	टेबल संख्या	व्यय राशि (लाख रुपयों में)
1	107–इम्प्रूव्ड पी.ए. मैनेजमेंट	484.78
2	207–विलेज इको डवलपमेंट प्रोग्राम	917.2
3	307–एनवायरमेंटल एजुकेशन एण्ड अवेयरनेस केम्पेन	9.63
4	407–इम्पेक्ट मानिटरिंग एवं रिसर्च	13.33
5	501–इंफोरमेशन टेक्नोलोजी इक्यूपमेंट	5.75
	योग	1430.69

वर्ष 2001-2002 में इण्डिया इको डवलपमेंट कार्यों के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतें एवं उनके निस्तारण का विवरण

परिशिष्ट "ख"

क्र.सं.	प्राप्त शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	श्री जी.वी.रेड्डी, उप वन संरक्षक, टाइगर प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर द्वारा की जा रही अनियमितताओं के क्रम में।	मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान के द्वारा जांच की जा रही है।	–
2.	जिला सवाईमाधोपुर के खिलचीपुर के ईडीसी के अध्यक्ष द्वारा एनीकट निर्माण में धांधली करने व मनमाने तरीके से कार्य करने।	वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर के द्वारा जांच की जा रही है।	–
3.	ग्राम उलियाना में वन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों में घोटाले की जांच।	वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, उदयपुर के द्वारा जांच कर ली गई है।	श्री एम.एल. मीणा, वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, उदयपुर द्वारा जांच करने पर शिकायत निराधार पाई गई है।
4.	बाघ परियोजना रणथम्भौर सवाई माधोपुर के उप वन संरक्षक श्री जी.वी. रेड्डी द्वारा ईडीसी ग्राम हिन्दवाड़ द्वारा	वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर के द्वारा जांच की जा रही है।	–

1	2	3	4
	किये गये कार्यों की जांच के सम्बन्ध में।		
5.	बाघ परियोजना रणथम्भौर सवाई माधोपुर के उप वन संरक्षक श्री जी.वी. रेड्डी द्वारा इको डवलपमेंट कमेटी ग्राम खिलचीपुर द्वारा किये गये कार्यों की जांच।	वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर के द्वारा जांच की जा रही है।	–
6.	बाघ परियोजना रणथम्भौर सवाई माधोपुर के उप वन संरक्षक श्री जी.वी. रेड्डी द्वारा ईडीसी द्वारा किये गये घपलों की जांच के सम्बन्ध में।	वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर के द्वारा जांच की जा रही है।	–
7.	बाघ परियोजना रणथम्भौर सवाई माधोपुर के उप वन संरक्षक श्री जी.वी. रेड्डी द्वारा इको डवलपमेंट कमेटी द्वारा किये गये कार्यों की जांच।	वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर के द्वारा जांच की जा रही है।	
8.	ग्राम बहरावंडा खुर्द की ईडीसी का गठन व पूर्व में किये गये पुरानी कमेटी के कार्यों की जांच।	वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर के द्वारा जांच की जा रही है।	
9.	रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र कोर सवाईमाधोपुर	लोकायुक्त सचिवालय के द्वारा जांच की	–

1	2	3	4
	तथा बफर करौली में इण्डिया इको डवलपमेंट कार्यों में भारी भ्रष्टाचार एवं फर्जीवाड़े के क्रम में।	जा रही है।	
10.	शिकायत विरुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य केलादेवी बाघ परियोजना करौली में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच बाबत।	वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ, परियोजना सवाईमाधोपुर द्वारा जांच की जा रही है।	शिकायतकर्त्ता श्री ऋषिकेश मीना को शिकायत से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु लिखा है लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। शिकायतकर्त्ता से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निर्धारण किया जा सकेगा।
11.	बाघ परियोजना में लाखों रुपये की अनियमितता दैनिक नवज्योति 18.12.2001	सहायक वन संरक्षक, जैफ कोर के द्वारा जांच की जा रही है।	उप वन संरक्षक, कोर के यहां जांच रिपोर्ट चाही जा रही है।
12.	ग्राम नई बस्ती खटुपुरा एवं रामसिंहपुरा के बीच नाले में जिस जगह भू-संरक्षण ने कार्य करवाया उसी निर्माण कार्य के ऊपर ईडीसी द्वारा कार्य कराया गया।	सहायक वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर जैफ कोर के द्वारा जांच कर ली गयी है।	सहायक वन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर आगामी कार्यवाही जारी है।
13.	ईडीसी द्वारा गैस कनेक्शन में अनियमितता।	सहायक वन संरक्षक, जैफ कोर के द्वारा जांच की जा रही है।	कोर डिवीजन से शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन की जांच करायी जा रही है। भौतिक सत्यापन की पूर्ण रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

1	2	3	4
14.	सरकारी कार्यों में भारी घोटाला एवं अनियमितताएं बरतने के सम्बन्ध में।	सहायक वन संरक्षक, जैफ कोर के द्वारा जांच कर ली गयी है।	कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक के पत्र दिनांक 18.8.2000 से जांच रिपोर्ट मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान को भेजी गयी है। शिकायत तथ्यहीन पाई गई।
15.	श्री जगदीश जैन, वनपाल एवं रेंजर जेदी द्वारा खाली चैकों पर हस्ताक्षर करके फर्जी तरीके से रुपये उठाकर मजदूरों का पेमेंट हड़पने बाबत।	कार्य आयोजन अधि., वन्य जीव, जयपुर द्वारा प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर ली गई है।	जांच अधिकारी द्वारा उनके पत्र दिनांक 27.11.2001 द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। जांच रिपोर्ट टिप्पणी हेतु मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के पत्र दिनांक 22.12.2001 से उप वन संरक्षक, कोर को भेजी हुई है। जांच रिपोर्ट में ईडीसी अध्यक्ष, सचिव एवं क्षेत्रीय फलौदी को दोषी पाया गया है। आगामी कार्यवाही की जा रही है।
16.	ग्राम डूंगरी में ईडीसी कमेटी के गठन में भारी अनियमितता करने के सम्बन्ध में।	सहायक वन संरक्षक, जैफ कोर के द्वारा जांच कर ली गयी है।	जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है जिसमें शिकायत तथ्यहीन पाई गई।

1	2	3	4
17.	ग्राम पंचायत अमरगढ़ तहसील सपोटरा करौली में वाटर टेंक एवं गैस कनेक्शन सम्बन्धी।	उप वन संरक्षक, बफर, करौली के द्वारा जांच की जा रही है।	–
18.	ग्राम मेई कला तहसील खण्डार की ईडीसी कमेटी द्वारा गैस कनेक्शन में भारी अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में	उप वन संरक्षक, कोर सवाईमाधोपुर के द्वारा जांच की जा रही है।	–
19.	वन विभाग द्वारा शासकीय गैस कनेक्शन वितरण में घोटाला करने।	उप वन संरक्षक, बफर, करौली के द्वारा जांच की जा रही है।	
20.	क्षेत्रीय वन अधिकारी, खण्डार श्री जगदीश प्रसाद द्वारा ईडीसी गठन में मनमानी/ भेदभाव पूर्ण तरीके से व राजनीतिक दबाव से अनैतिक राजकार्य करने व झूठे मुकदमें दायर करने के क्रम में।	वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर के द्वारा जांच कर ली गई है।	वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर द्वारा सम्पादित जांच में शिकायत निराधार/तथ्यहीन पाई गई है।

मालपुरा (टौंक) की पंचायत/ नगरपालिका क्षेत्र से वंचित आबादी

329. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक के राजस्व ग्राम मालपुरा का कुल क्षेत्रफल 17923 बीघा 14 बिस्वा व आबादी 29608 है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्णित क्षेत्रफल में से 2332 बीघा 10 बिस्वा भूमि नगरपालिका में आती है व अवशेष भूमि 15691 बीघा 4 बिस्वा भूमि नगरपालिका क्षेत्र से बाहर राजस्व ग्राम मालपुरा में आती है, जिसमें 2242 व्यक्ति निवास करते हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त 15691 बीघा 4 बिस्वा भूमि व 2242 व्यक्ति न तो कोई पंचायत में हैं व न ही नगरपालिका में जिससे इनके विकास व सुविधाओं का प्रशासनिक दृष्टि से कोई भी नियंत्रण नहीं है?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की अलग से पंचायत समिति गठित करने अथवा अन्य किसी वर्तमान पंचायत में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मालपुरा का कुल क्षेत्रफल 17923 बीघा 17 बिस्वा है व आबादी 29608 है।

(2) यह सही है कि उक्त वर्णित क्षेत्रफल में से 2232 बीघा 12 बिस्वा भूमि नगरपालिका सीमा क्षेत्र में आती है व अवशेष 15691 बीघा 5 बिस्वा भूमि नगरपालिका सीमा क्षेत्र से बाहर है। जिसमें 2242 व्यक्ति निवास करते हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि 15691 बीघा 5 बिस्वा भूमि में निवास करने वाले 2242 व्यक्ति किसी पंचायत/ नगरपालिका क्षेत्र में नहीं है।

(4) जी हां। जिला कलक्टर, टौंक द्वारा 29/11/2002 को राजस्व, ग्रुप–3 को यह प्रस्ताव भिजवाया है कि नगरपालिका क्षेत्र से बाहर के रकबे को समीप की ग्राम पंचायत, टोडी, रिण्डल्या, चांदसेन में सम्मिलित किया जा सकता है या पास की पंचायत की कुछ राजस्व गांव मिलाकर अलग से एक पंचायत का गठन किया जा सकता है जिस पर राजस्व विभाग द्वारा पुनः जिला कलक्टर से स्पष्ट प्रस्ताव व नक्शा मांगे गये हैं जो उप खण्ड अधिकारी, मालपुरा से प्राप्त किये जा रहे हैं। स्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर तद्नुसार निर्णय शीघ्र लिया जायेगा।

जिला चित्तौड़गढ़ में गरीबी उन्मूलन हेतु संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना

330. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु चलाई जा रही योजनाओं हेतु स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय स्लम डवलपमेंट कार्यक्रम, बालिका समृद्धि योजना तथा ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत स्लम इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम के लिये विभाग ने केन्द्र/राज्य सरकार से वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 तक कितनी राशि उक्त वर्णित योजनाओं के लिये प्राप्त कर चित्तौड़गढ़ जिले की विभिन्न नगरपालिकाओं को आवंटित की है? उक्त आबंटित की गई राशि से किन व्यक्तियों को गरीबी उन्मूलन में राहत मिली? नगरपालिकानुसार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

यह सही है कि शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु चलाई जा रही स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय स्लम डवलपमेंट कार्यक्रम, बालिका समृद्धि योजना तथा ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत स्लम इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम के लिये विभाग ने केन्द्र/राज्य सरकार से वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 तक जितनी राशि उक्त वर्णित योजनाओं के लिए प्राप्त कर चित्तौड़गढ़ जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं को आबंटित की है, उसका विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है तथा उक्त आबंटित की गई राशि से लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है जिसमें नगरपालिकानुसार वांछित विवरण अंकित है।

परिशिष्ट "अ"

जिला चित्तौड़गढ़ में गरीबी उन्मूलन की संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत वर्षवार आबंटन राशि का विवरण

(Rs. in Lacs)

		SJSRY			NSDP			Balika Samridhi			EFC Slum Improvement	
	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001
Total Release	566.74	226.52	281.89	1479.00		1971.62	125.99			1200.00		
Name of ULB												
M. BADISADRI	0.89	1.10	1.40	2.46	—	0.96	0.28	—	—	—	3.00	—
M. BEGU	1.57	1.10	1.40	2.40	—	1.12	0.36	—	—	—	3.00	—
M. CHITTORGARH	6.55	0.80	1.15	8.67	—	5.14	1.29	—	—	—	3.40	—
M. CHOTISADRI	1.71	1.10	4.01	1.79	—	1.05	0.53	—	—	—	4.30	—
M. KAPASAN	1.67	1.10	1.10	2.44	—	1.15	0.42	—	—	—	3.30	—
M. NIMBAHEDA	3.50	1.10	5.71	5.09	—	3.02	0.99	—	—	—	11.60	—
M. PRATAPGARH	1.41	1.10	2.31	8.49	—	2.11	0.38	—	—	—	6.40	—
M. RAWATBHATA	1.08	0.90	1.65	3.54	—	2.09	0.08	—	—	—	12.50	—

ह०/-
परियोजना निदेशक
एस.जे.एस.आर.वाई.
स्थानीय निकाय विभाग
राज., जयपुर

परिशिष्ट "ब"

तारांकित प्रश्न संख्या-371 द्वारा श्री नन्दलाल मीणा स.रा.वि.स. के अन्तर्गत जिला चित्तौड़गढ़ में गरीबी उन्मूलन की संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत वर्षवार लाभान्वितों की संख्या

क्र. सं.	नाम नगरपालिका	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना				राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम				बालिका समृद्धि योजना				ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत स्लम सुधार कार्यक्रम			
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	योग	1999–2000	2000–2001	2001–2002	योग	1999–2000	2000–2001	2001–2002	योग	1999–2000	2000–2001	2001–2002	योग
1.	चित्तौड़गढ़	102	129	142	373	756	941	575	2272	–	–	86	86	–	–	540	540
2.	छोटी सादड़ी	67	63	57	187	6500	6500	6500	19500	–	69	29	98	–	–	6500	6500
3.	प्रतापगढ़	29	15	30	74	830	1695	2805	5330	–	–	8	8	875	1125	398	2398
4.	बड़ी सादड़ी	539	1129	238	1906	541	–	273	814	18	12	11	41	–	1950	–	1950
5.	रावतभाटा	–	–	–	250	–	–	–	502	–	–	3	3	–	–	–	485
6.	कपासन	72	33	54	159	700	200	–	900	11	12	–	23	–	–	1225	1225
7.	निम्बाहेड़ा	64	138	56	231, 1631 मानव दिवस	2330	–	35	2365 परिवार	–	62	44	106	–	–	1016	1016 परिवार
8.	बैगू	6	17	17	40	526	1300	733	2559	36	8	–	44	–	–	1833	1833

ह०/-
परियोजना निदेशक
एस.जे.एस.आर.वाई.
स्थानीय निकाय विकास, राज., जयपुर

अकाल प्रभावित किसानों को ऋण राहत

331. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए सहकारी बैंकों को क्या दिशा–निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं? उक्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला पाली, अजमेर व राजसमन्द में उक्त आदेशों की पालना में कितने किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को दिए गए हैं और उक्त पर कितना ऋण स्वीकृत किया गया है?

(3) क्या इस वर्ष के अकाल में राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के द्वारा दिये गए किसानों के ऋण को माफ किया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए सहकारी विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जिला पाली, अजमेर व राजसमन्द में उक्त आदेशों की पालना में योजना के प्रारम्भ में किसानों को दिये गये क्रेडिट कार्ड तथा उन पर वर्ष 2002–2003 तक स्वीकृत साख सीमा का विवरण निम्नानुसार है :–

नाम जिला	प्रारम्भ से जारी किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या	स्वीकृत साख सीमा (राशि लाख रु. में)
अजमेर	400964	11824.68
पाली	100901	26914.70
राजसमन्द	386451	6400.30

किसान क्रेडिट कार्ड पर अंकित साख सीमा का उपयोग कृषक अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित समयावधि में कभी भी कर सकता है।

(3) जी नहीं। सहायता विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.7.2002 एवं 28.11.2002 तथा भू–राजस्व विभाग ग्रुप–2 की आज्ञा दिनांक 8.8.2002 एवं 17.12.2002 के क्रम में खरीफ, 2002 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में तथा पूर्व परिवर्तित ऋणों को पुनः परिवर्तित/पुनः चरणीकरण के आदेश दिनांक 17.8.2002 एवं 7.1.2003 को सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दिये गये हैं, जिससे पात्र किसानों के ऐसे ऋणों की वसूली स्वतः स्थगित हो जाती है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-332

(स्थगित)

राज्य में पशु गणना के अनुपात में चारा डिपो

333. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सूखे के कारण राज्य में अन्न एवं चारे के उत्पादन में कमी आई है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या सूखे के कारण चारे के अभाव की पूर्ति सरकार कर पा रही है? राज्य में इस समय चारे के कुल कितने डिपो संचालित हैं? राज्य में कुल पशुओं की संख्या के अनुपात में क्या चारा डिपोज की संख्या नगण्य है?

(3) वर्तमान में किस-किस जिले से चारे की मांग आ रही है और सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। सामान्य बुआई क्षेत्र 129 लाख हैक्टेयर के मुकाबले केवल 82.96 लाख हैक्टेयर में ही खरीफ की बुआई की जा सकी। जुलाई, 2002 में काफी लम्बी अवधि के अन्तराल में वर्षा नहीं होने के कारण 71.97 लाख हैक्टेयर की फसल भी नष्ट हो गई तथा चारे का उत्पादन भी नगण्य रहा।

(2) जी हां। राज्य में 4451 चारा डिपो विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। राज्य में समुचित संख्या में चारा डिपो संचालित किये जा रहे हैं तथा आवश्यकतानुसार इसमें समय-समय पर वृद्धि की जायेगी।

(3) जिला बांसवाड़ा व कोटा को छोड़कर शेष सभी जिलों में चारे की मांग है। जिलों से चारा डिपो खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा अविलम्ब स्वीकृति दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा बिना लाभ बिना हानि के आधार पर चारा व्यवस्था करने हेतु जिले की पंचायतों, दुग्ध सहकारी समितियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चारा डिपो का संचालन किया जा रहा है तथा डिपो चलाने वाली संस्थाएं आवश्यकतानुसार चारे का आयात कर वितरण कर रही है।

राजगढ़ (चूरू) में नलकूप से पेयजल आपूर्ति

334. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजगढ़ (चूरू) में गत तीन वर्षों में कितने नलकूप खोदे गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त के खोंदने से पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है? यदि हां, तो गांवों में पानी की पूरी पूर्ति क्यों नहीं होती है?

उत्तर

(1) राजगढ़ चूरू में वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में नलकूप नहीं खोदे गये। वर्ष 2002-2003 में 9 नलकूप खोदे गये। सूची संलग्न प्रपत्र 'अ' में है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) गत तीन वर्षों में खोदे गये 9 नलकूपों में से 4 नलकूप चालू कर दिये जाने से तहसील राजगढ़ के 3 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं के 9 गांवों में पानी की सप्लाई में सुधार हुआ है। इससे पूर्व विभाग द्वारा इन 9 गांवों में पीने का पानी टैंकरों द्वारा सप्लाई किया जाता था। शेष 5 नलकूपों, पर विद्युत सम्बन्ध अतिशीघ्र होना अपेक्षित है। तत्पश्चात् चालू होने पर इन नलकूपों से सम्बन्धित योजनाओं के गांवों में पीने के पानी का सुधार होगा। सूची संलग्न प्रपत्र 'ब' में है।

तहसील राजगढ़ के क्षेत्रीय जल योजनाओं के मूल जल स्रोत वाले गांवों में विद्युत विभाग द्वारा लगातार छह घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी जाती है। विभाग द्वारा स्वतंत्र विद्युत लाइन (डेडीकेटेड फीडर) की स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 31.01.03 का 7.50 लाख रुपये जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सादुलपुर कार्यालय में जमा करवा दिये गये हैं।

तहसील राजगढ़ की दो अन्य क्षेत्रीय जल योजनाओं पर विभाग द्वारा 10 नये नलकूप बनाने की स्वीकृति पी.पी.सी. के 149 वीं मीटिंग दिनांक 13.1.03 को दी है। स्वीकृत नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत नलकूपों का निर्माण कर चालू करने व स्वतंत्र विद्युत लाइन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सभी ग्रामों को विभागीय मापदण्ड के अनुरूप पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

प्रपत्र 'अ'

वर्ष 2000–01 शून्य

वर्ष 2001–02 शून्य

वर्ष 2002–03

क्र.सं.	योजना का नाम	स्थान	नग	विवरण
1.	क्षे. जल योजना किरतान खेरू बड़ी	किरतान	01	चालू
2.	क्षे. जल योजना चांदगोठी राजगढ़	चांदगोठी	01	चालू
3.	टी.एस.एस. रामपुरा	रामपुरा	01	–
4.	टी.एस.एस. ठिमाऊ छोटी	ठिमाऊ छोटी	01	–
5.	टी.एस.एस. ढिंगली	ढिंगली	01	–
6.	कंटिजेंसी योजना चांदगोठी	चांदगोठी	01	चालू
7.	कंटिजेंसी योजना किरतान खेरू बड़ी	किरतान	01	–
8.	कंटिजेंसी योजना चांद गोठी सुलखनीया	जनाऊ	01	–
9.	कंटिजेंसी योजना बुधावास कालोड़ी	नौरंगपुरा	01	चालू

प्रपत्र 'ब'

क्र.सं.	तहसील	ग्राम का नाम	कोड नं.	जनसंख्या	पूर्व में जन वितरण की मात्रा (एल.पी. सी.डी.)	वर्तमान में जल वितरण की मात्रा (एल.पी. सी.डी.)
1.	राजगढ़	कामाण	153	905	10	55
2.	राजगढ़	भोजाण	152	1880	10	60
3.	राजगढ़	जीराम का बास	154	461	10	60
4.	राजगढ़	दन्देउ मोहनसिंह	173	993	10	65
5.	राजगढ़	लम्बोर बड़ी	105	2080	10	65
6.	राजगढ़	रावतसर 'कुंजला'	191	1761	10	60
7.	राजगढ़	बारा कुंजला	192	241	10	60
8.	राजगढ़	मघाउ	133	347	10	65
9.	राजगढ़	मलाना बास	136	433	10	60

विधान सभा डीग के प्रस्तावित पशु चिकित्सालय

335. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 2002-03 में विधान सभा क्षेत्र डीग में कितने पशु चिकित्सालय खोले? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2003-04 में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने?

उत्तर

(1) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्ष 2002-03 में विधान सभा क्षेत्र डीग में नवीन पशु चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं।

(2) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्ष 2003-04 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

हाड़ौती क्षेत्र में बिजली के बिल वितरण में अनियमितता

336. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विद्युत वितरण निगम द्वारा यथासमय पर बिजली के बिल पहुंचाये जा रहे हैं? यदि हां, तो बिजली के बिल पहुंचाने के लिए हाड़ौती में किस-किस प्राइवेट संस्था या सरकारी कर्मचारियों को लगाया है?

(2) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2001 से दिसम्बर, 2002 तक बिजली के बिलों के पुलंदे सड़कों पर पड़े मिले थे? यदि हां, तो क्या उक्त सम्बन्ध में जिला कलक्टर द्वारा बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखे गये थे? उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत वितरण निगमों द्वारा यथासमय बिजली के बिल उपभोक्ताओं को पहुंचाये जाते हैं। हाड़ौती क्षेत्र के अन्तर्गत कोटा व झालावाड़ वृत में विद्युत बिलों का वितरण जिन क्षेत्रों में प्राइवेट संस्थाओं एवं विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, उसका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) बारां खण्ड के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) बारां के बिल वितरण करने वाले कर्मचारियों द्वारा बिलों को होटल पर छोड़ने का प्रकरण प्रकाश में आया था एवं इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, बारां द्वारा पत्र भी प्राप्त हुए थे। इस प्रकरण में निम्नलिखित दोषी कर्मचारियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है जिसका विवरण निम्नप्रकार है :

1. श्री भवानी शंकर पुत्र श्री जगन्नाथ, सहायक-द्वितीय को निलम्बित किया गया तथा वेतन वृद्धि रोकी गई।

2. श्री भैंरूलाल पुत्र श्री परसुराम, सहायक प्रथम को निलम्बित किया गया।

3. श्री जमना लाल सहायक प्रथम को आरोप पत्र दिया गया।

परिशिष्ठ "अ"

हाड़ौती के उपभोक्ताओं को विद्युत बिल पहुंचाने हेतु लगायी गई प्राइवेट संस्था अथवा सरकारी कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्राइवेट संस्थान	सरकारी कर्मचारी द्वारा
1	2	3	4
1.	कोटा शहर	1. भारतीय जन कल्याण सेवा समिति, कोटा	–
		2. इन्दिरा गांधी नगर प्राथमिक सह. उपभोक्ता भण्डार, कोटा	–
2.	**कोटा जिला (ग्रामीण क्षेत्र)**		
	सांगोद, सुल्तानपुर, कनवास	मैं. मन भावन प्रशिक्षण एवं विकास समिति, कोटा	–
	इटावा	श्री मदन लाल परेता ठेकेदार, इटावा	–
	लाडपुरा	–	निगम कर्मचारियों द्वारा
	रामगंजमण्डी	श्री मुस्कीन अंसारी विज्ञान नगर, कोटा	–
	चेचट	–	निगम कर्मचारियों द्वारा
3.	**जिला बूंदी**		
	बूंदी शहर	श्री राजेन्द्र सोनी व सिराजअली ठेकेदार	–
	तालेड़ा क्षेत्र	श्री जोधराज सिंह	–
	हिण्डौली	मैं. शक्ति इलैक्ट्रीकल्स	–
	लाखेरी	मै. सुमन इलै. इन्द्रगढ़	–
	नैनवा, केशोरायपाटन	–	निगम कर्मचारियों द्वारा
4.	**भवानी मण्डी-खण्ड**		
	1. उप खण्ड-भवानी मण्डी	श्री रामजी लाल शर्मा (रिटायर्ड)	–
	2. उप खण्ड-सुनेल	नागर इलैक्ट्रिकल्स, भवानी मण्डी	–
	3. उप खण्ड-डग	वर्मा इलैक्ट्रिकल्स, डग	–

1	2	3	4
5.	झालावाड़-खण्ड		
	1. उप खण्ड-झालावाड़	मै. रफीक बेग झालावाड़	निगम कर्मचारियों द्वारा
	2. उप खण्ड-झा.पाटन	मै. बनवारी लाल झा.पाटन	–
	3. उप खण्ड-बकानी	मै. शमीम बेग झालावाड़	–
	4. उप खण्ड-अकलेरा	मै. दुलीचन्द, अकलेरा	–
6.	अटरू-खण्ड		
	1. उप खण्ड-अटरू	–	निगम कर्मचारियों द्वारा
	2. उप खण्ड-छबड़ा	टिपटाप इलैक्ट्रिकल्स, छबड़ा	–
7.	बारां-खण्ड		
	1. बारां उप खण्ड (शहर)	मै. दिनेश कुमार सुमन	निगम कर्मचारियों द्वारा
	2. उप खण्ड-बारां (ग्रामीण)	–	–
	3. उप खण्ड-मांगरोल	मै. गजेन्द्र कुमार मालव	निगम कर्मचारियों द्वारा
	4. उप खण्ड-अन्ता	–	–
	5. उप खण्ड-किशनगंज		
	6. उप खण्ड-शाहबाद		

नगरपालिका लाखेरी द्वारा निर्मित दुकानों की किराया वसूली

337. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरु) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर पालिका लाखेरी द्वारा निर्मित दुकानें किराये पर दी गई है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि किरायेदारों में लाखों रुपये किराये के बाकी हैं? यदि हां, तो किरायेदारों में कितनी राशि कब से बकाया है?

(3) क्या यह सही है कि पालिका बोर्ड के निर्णय/निर्देशों के बावजूद भी ना तो किराया वसूल किया जा रहा है और ना ही दुकानें खाली करवाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक किराये की राशि वसूल कर ली जावेगी? क्या राशि वसूल नहीं हो पाती है तो दुकानें खाली करा ली जावेंगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। संलग्न सूची में वांछित विवरण अंकित है।

(3) जी हां। बोर्ड के निर्णयानुसार सभी दुकानदारों को बकाया किराया जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। दुकानों की भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद होने के तथ्य सरकार के ध्यान में आये है, इसलिये इस विवाद का निपटारा होने पर बेदखली बाबत समुचित कार्यवाही की जावेगी।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल लाखेरी-जिला-बून्दी (राज.)

नगरपालिका द्वारा निर्मित दुकानों की सूची

क्र.सं.	किराया देने का वर्ष	नाम किरायादार	बकाया राशि	कब से	कब तक
1	2	3	4	5	6
1.	1974	श्री पांचू लाल अजमेरा	2696/-	अगस्त 01	मार्च 03
2.	1974	श्री रमेश चन्द यादव	2596/-	अगस्त 01	मार्च 03
3.	1974	श्री नेमी चन्द महाजन	नील		
4.	1974	श्री माधोलाल/भैंरू लाल	नील		
5.	1984	श्री ब्रज नारायण शर्मा	नील		
6.	1974	श्री रामस्वरूप टेलर	210/-	जनवरी 03	मार्च 03
7.	1974	श्री रामकल्याण/भंवर लाल नाई	नील		
8.	1987	श्री बजरंग लाल/रुपा कोली	4367/-	फरवरी 02	मार्च 03
9.	1985	श्री नन्द किशोर मोदी	3456/-	अप्रैल 02	मार्च 03
10.	1988	श्री जेठानन्द/परसराम	5642/-	जनवरी 02	मार्च 03
11.	1984	श्री अब्दुल शकूर/अलीबहादुर	27405/-	अप्रैल 85	मार्च 03
12.	1996	श्री किशन लाल धोबी	45166/-	अक्टू. 87	मार्च 03
13.	1984	श्री अब्दुल लतीफ/अ. सत्तार	24411/-	वर्ष 96	मार्च 03
14.	1984	श्री मो. मोबीन/फकीर मो.	55814/-	वर्ष 97	मार्च 03
15.	1985	श्री देवी लाल/मदन लाल	27457/-	नव. 88	मार्च 03
16.	1979	श्री कमरुदछीन रेडियो वाला	36715/-	नव. 83	मार्च 03
17.	1985	श्री बाबू लाल/रामाजी	7155/-	फर. 01	मार्च 03

1	2	3	4	5	6
18.	1992	श्री अकबर/कल्लू खां	33389/–	वर्ष 99	मार्च 03
19.	1984	श्री अ. सत्तार/इसूफ लुहार	34790/–	वर्ष 84	मार्च 03
20.	1983	श्री सम्पत/कल्याण तेली	26332/–	अप्रैल 86	मार्च 03
21.	1985	श्री अ. सलीम/अमीर खां	6400/–	फर. 02	मार्च 03
22.	1995	श्री अरविन्द गर्ग/नाथूलाल	14887/–	फर. 01	मार्च 03
23.	1972	श्री अ. अजीज/नन्हे खां	24072/–	वर्ष 86	मार्च 03
24.	1999	श्री अशोक राजावत	नील		
25.	1971	श्री दुर्गाशंकर नाई	12765/–	अप्रैल 2000	मार्च 03
26.	1974	श्री तेजमल टेलर	28938/–	वर्ष 84	मार्च 03
27.	1986	श्री मुरतजा खां/मुस्तफा खां	20876/–	वर्ष 86	मार्च 03
28.	1974	श्री मो. मुनीर/मो. नसीर खां	20231/–	वर्ष 93	मार्च 03
29.	1974	श्री बिसमिल्ला/मो. ख्वाजू खां	31869/–	वर्ष 84	मार्च 03
30.	1974	श्री हिम्मतराज/नाथूलाल	39368/–	वर्ष 84	मार्च 03
31.	1974	श्री नसरूद्दीन/करीमबक्स	23210/–	वर्ष 84	मार्च 03
32.	1974	श्री मथरा लाल सैनी	9166/–	मार्च 02	मार्च 03
33.	1974	श्री कपूर चन्द महाजन	2876/–	फरवरी 02	मार्च 03
34.	1974	श्री पीर मोहम्मद	2400/–	अप्रैल 02	मार्च 03
		योग	**5,74,659/–**		

ह०/–
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, लाखेरी

जिला भरतपुर के पुलिस थाना क्षेत्रों में बढ़ते अपराधों की रोकथाम

338. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला भरतपुर में पुलिस थाना क्षेत्र नगर, सीकरी, गोपालगढ़, पहाड़ी, कामां, जुरहरा व डीग में अपराधों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो क्यों तथा रोकथाम हेतु क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) क्या पहाड़ी में कुछ कुख्यात लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल करने वाले पुलिस कर्मियों को सरकार इनाम स्वरूप पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर के पुलिस थाना सीकरी, पहाड़ी, जुरहरा व गोपालगढ़ में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2002 में दर्ज अभियोगों में कमी आई है, जब कि थाना डीग, नगर व कामां में आंशिक वृद्धि हुई है। सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

उपरोक्त पुलिस थानों के क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने व अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए इलाके में प्रभावी गस्त, नाकाबन्दी व चैक पोस्ट स्थापित कर निरोधात्मक कार्यवाही द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाया जा रहा है।

(2) जी हां। साहसिक कार्य के फलस्वरूप कांस्टेबल महेन्द्र सिंह नं. 1350, कांस्टेबल राधेश्याम नं. 1120, कांस्टेबल ड्राइवर देवेन्द्र सिंह नं. 067 व हैड कांस्टेबल शिव गणेश नं. 912 को दिनांक 30.7.2002 को पदोन्नत कर दिया गया है।

परिशिष्ट ''अ''

जिला भरतपुर के पुलिस थाना डीग, नगर, सीकरी, कामां, पहाड़ी, जुरहरा व गोपालगढ़ में वर्ष 2000–2001 व 2002 में पंजीबद्ध अभियोगों की सूचना

क्र.सं.	नाम थाना	दर्ज प्रकरण वर्ष 2000	दर्ज प्रकरण वर्ष 2001	दर्ज प्रकरण वर्ष 2002	प्रतिशत वृद्धि 2000 से 2002	2001 से 2002	प्रतिशत 2000 से 2002	2001 से 2002
1.	डीग	607	650	779	+172	+129	+28.33	19.84
2.	नगर	360	343	380	+20	+37	+5.55	10.78
3.	सीकरी	238	228	201	−37	−27	−15.54	11.84
4.	कामां	438	512	551	+113	+39	+25.79	+7.61
5.	पहाड़ी	292	257	224	−68	−33	−23.28	−12.84
6.	जुरहरा	187	245	198	+11	−47	+5.88	−19.18
7.	गोपालगढ़	123	118	81	−42	−37	−34.14	−31.35

विधान सभा क्षेत्र चूरू व बानसूर की अपूर्ण पेयजल योजनाएं

339. श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विगत वर्षों में चूरू शहर व चूरू ग्रामीण क्षेत्र में कितने उच्च जलाशय व जी.एल.आर. क्षतिग्रस्त हुए तथा टंकियों के गिरने के क्या कारण रहे और गिरी हुई टंकियों के पुनर्निर्माण हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(2) विधान सभा क्षेत्र चूरू व बानसूर में विगत चार वर्षों में कुल कितनी जलप्रदाय योजना स्वीकृत हुई व कितनी योजनाएं पूर्ण हुई तथा योजनाओं के अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्रों में कनिष्ठ व सहायक अभियन्ताओं के कितने पद कब से रिक्त हैं और रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) विगत वर्षों में चूरू शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नानुसार उच्च जलाशय व जी.एल.आर. क्षतिग्रस्त हुए है :–

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र चूरू के अन्तर्गत	क्षतिग्रस्त उच्च जलाशयों की सं.		क्षतिग्रस्त जी.एल.आर. की सं.
		टंकियां गिरी	क्षतिग्रस्त	
1.	चूरू शहर	शून्य	1	1 स्वच्छ जलाशय
2.	रतननगर शहर	शून्य	1	शून्य
3.	चूरू ग्रामीण	1	2	30

जसरासर गांव में एक उच्च जलाशय गिरा। गिरने के कारणों की जांच इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के द्वारा कराई गई, उनकी रिपोर्ट के अनुसार उच्च जलाशय के गिरने का मुख्य कारण कालम की स्टील में अत्यधिक जंग लगना है। उक्त गिरी हुई उच्च जलाशय के स्थान पर गांव रामदेवरा (जसरासर से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित) में पी.एम.सी. (चूरू-बिसाऊ) योजनान्तर्गत नई टंकी का निर्माण कराया जा रहा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चूरू व बानसूर में विगत 4 वर्षों में स्वीकृत योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

विधान सभा क्षेत्र	योजनाएं		
	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगति में
विधान सभा क्षेत्र, चूरू	75	57	18
विधान सभा क्षेत्र, बानसूर	171	171	0
योग	**246**	**228**	**18**

विधान सभा क्षेत्र चूरू की 18 योजनाओं का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर दर्शाया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बानसूर की जलयोजनाओं हेतु एक सहायक अभियन्ता व दो कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में तीनों ही पद भरे हुए हैं।

विधान सभा क्षेत्र चूरू में सहायक अभियन्ता के दो एवं कनिष्ठ अभियन्ता के दो पद निम्नानुसार रिक्त है।

1. तकनीकी सहायक एवं सहायक अभियन्ता 25.9.2002 से रिक्त
2. सहायक अभियन्ता (डीपीएफ), 30.11.2002 से रिक्त
3. कनिष्ठ अभियन्ता, दूधवाखारा, 26.4.2002 से रिक्त
4. कनिष्ठ अभियन्ता, राजस्व उपखण्ड, चूरू 23.2.2003 से रिक्त।

परिशिष्ट 'अ'

खण्ड चूरू में वर्ष 1998-99 से 2002-03 (1/2003) तक स्वीकृत योजनाएं जो अपूर्ण हैं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम एवं प्रकार	स्वीकृत राशि	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक	स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी	वर्तमान स्थिति	अपूर्ण रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ष 2001-2002 (शहरी)							
1.	समर कंटिजेंसी, चूरू	42.37	एफ.सी. 142 पी.पी.सी. 144	14.3.02 16.3.02	एफ.सी./पी.पी.सी.	अपूर्ण	कार्य पूर्ण हो चुका है फाइनल भुगतान शेष।
2.	समर कंटिजेंसी, रतननगर	10.66	एफ.सी. 435 पी.पी.सी. 143	23.1.02 6.2.02	एफ.सी/पी.पी.सी.	अपूर्ण	कार्य पूर्ण हो चुका है फाइनल भुगतान शेष।
वर्ष 2000-2001 (ग्रामीण) ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.							
3.	सुधार कार्य लोहसना	0.55	245	26.2.01	मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण जयपुर	अपूर्ण	बौरिंग कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ष 2001-2002 (ग्रामीण) ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.							
4.	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की योजना इन्द्रपुरा	0.04	286	24.3.02	अति.अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	पाइप लगाने का कार्य प्रगति पर है।
5.	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की योजना टी.एस.एस. बालरासर तंवरान	0.24	287	24.3.02	अति. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	पाइप लगाने का कार्य प्रगति पर है।
6.	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की योजना ढाढर	0.05	288	24.3.02	अति.मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	पाइप लगाने का कार्य प्रगति पर है।
7.	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की योजना टी.एस.टी. बूटिया	0.11	289	24.3.02	अति.मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	पाइप लगाने का कार्य प्रगति पर है।
8.	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की योजना बरडादास	0.08	290	24.3.02	अति. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	पाइप लगाने का कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की योजना बनी का बास (लाखाऊ)	0.21	291	24.3.02	अति. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	पाइप लगाने का कार्य प्रगति पर है।
10.	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की योजना ढाणी लक्ष्मण सिंह	0.03	292	24.3.02	अति. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	पाइप लगाने का कार्य प्रगति पर है।
11.	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की योजना पी.एण्ड टी. बास जेसेका	0.11	293	24.3.02	अति. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	पाइप लगाने का कार्य प्रगति पर है।
12.	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की योजना बाढकी	0.11	294	24.3.02	अति. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	पाइप लगाने का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ष 2000–2001 (ग्रामीण) पी.एम.जी.वाई.							
13.	पी.एण्ड टी. पाइप्ड घाघू	3.91	7	20.2.01	मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण जयपुर	अपूर्ण	बौरिंग कार्य प्रगति पर है
14.	पी.एण्ड टी. ढाढरिया बनीरोतान	0.55	244	26.2.01	अति मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	बौरिंग कार्य प्रगति पर है
15.	एक्सटेंशन दान्दू	0.88	246	26.2.01	अति. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	बौरिंग कार्य प्रगति पर है
16.	सिरसला	0.55	247	26.2.01	अति. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	बौरिंग कार्य प्रगति पर है
17.	पी.एण्ड टी. लोहसना छोटा	0.55	248	26.2.01	अति. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	बौरिंग कार्य प्रगति पर है
18.	पी.एण्ड टी. जासासर	0.55	249	26.2.01	अति. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र बीकानेर	अपूर्ण	बौरिंग कार्य प्रगति पर है

विद्युत उपभोक्ताओं के इलैक्ट्रोनिक मीटरों की प्राप्त शिकायतों की जांच

340. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विद्युत उपभोक्ताओं के लिये नए इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाया जाना कानूनी तौर पर अनिवार्य किया गया है? यदि हां, तो कब से? अब तक पुराने मीटरों के स्थान पर कितने नए इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाये गये है?

(2) क्या नये इलैक्ट्रोनिक मीटरों के तेज चलने तथा वास्तविकता से अधिक रीडिंग देने की शिकायतें प्राप्त हुई है? क्या प्राप्त शिकायतों के आधार पर विद्युत वितरण कम्पनियों ने तकनीकी की जांच करवाई है? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शनों पर इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाना कानूनन अनिवार्य नहीं है। विद्युत उपभोक्ताओं के द्वारा की गई विद्युत खपत का सही आंकलन करने के लिये ही इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है। उक्त मीटर लगाने का कार्य वर्ष 2000–01 से शुरू हुआ है तथा अब तक लगाये गये मीटरों का निगमवार विवरण निम्नप्रकार है :–

1. जयपुर डिस्काम - 529453
2. अजमेर डिस्काम - 408871
3. जोधुपर डिस्काम - 398083

(2) इलैक्ट्रोनिक मीटर मुख्यतया शहरी क्षेत्रों में लगाये गये हैं। शुरूआत में मीटर तेज चलने की कुछ क्षेत्रों में शिकायतें प्राप्त हुई थी। ऐसे मीटर्स की सहायक अभियन्ता कार्यालयों में शिविर लगाकर जांच की गई जिसमें एक प्रतिशत से भी कम मीटर खराब पाये गये। खराब पाये गये सभी मीटरों को तुरन्त बदल दिया गया। वर्तमान में इस तरह की शिकायत प्रायः नगण्य है।

नगर विकास न्यास अलवर के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

341. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नगर विकास न्यास अलवर की शहरी क्षेत्र में योजना की राशि गैर योजना में लगाई जा सकती है?

(2) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास अलवर के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध पूर्व में भी आरोप लगते रहे हैं?

(3) क्या उक्त राशि का हिसाब रखा गया है? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवायेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(1) नविवि/1/2001 जयपुर दिनांक 15 जनवरी, 2002 द्वारा प्रदत्त छूट के तहत गैर योजना में राशि लगाई जा सकती है।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(2) पूर्व में शिकायतें हुई हैं।

(3) हां। समस्त राशि का मदवार हिसाब रखा जाता है। न्यास से शिकायतों का विवरण प्राप्त कर जांच बाबत शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

जोधपुर सम्भाग में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम में दर्ज प्रकरण

342. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर रेंज में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2001 व 2002 में दर्ज मामलों में से कितने मामलों में जांच प्रथम जांच अधिकारी से बदल कर अन्य अधिकारी को दी गई है? उक्त जांच बदलने के आदेश किस स्तर से हुए हैं?

(2) उक्त में से कितने मामलों में जांच नतीजा प्रथम जांच अधिकारी के अनुसंधान के विपरीत पाया गया है? उक्त वर्षों से सम्बन्धित कितने मामलों में जांच लम्बित है और किस अधिकारी के पास लम्बित है?

उत्तर

(1) जोधपुर रेंज में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2001 में 67 व वर्ष 2002 में 72 दर्ज मामलों में जांच प्रथम जांच अधिकारी से बदल कर अन्य अधिकारी को दी गई है। उक्त जांच बदलने के आदेश 2001 में उप महानिरीक्षक पुलिस–19, अति महानिदेशक पुलिस, सी.बी., जयपुर–1 सहायक महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी (सीबी) जयपुर–1, पुलिस अधीक्षक–44, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सीबी) जयपुर–2 तथा 2002 में अति. महानिदेशक पुलिस, सी.बी., जयपुर–3, सहायक महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी (सीबी) जयपुर–1, महानिरीक्षक पुलिस सीमा जोधपुर–1, महानिरीक्षक पुलिस (विजिलेंस) जयपुर–1, उप महानिरीक्षक पुलिस रेंजेज–28, पुलिस अधीक्षक–37, पुलिस अधीक्षक (म.अ.) (सीआईडी) (सीबी) जयपुर–1 द्वारा दिये गये हैं।

(2) वर्ष 2001 में 7 तथा वर्ष 2002 में 18 मामलों में जांच नतीजा प्रथम जांच अधिकारी के अनुसंधान के विपरीत पाया गया है। वर्ष 2001 से सम्बन्धित मामलों में 2 तथा वर्ष 2002 से सम्बन्धित 15 मामलों में जांच लम्बित है।

वर्ष 2001 से सम्बन्धित मामले पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सीबी) जयपुर–1, तथा अति. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सीबी) जोधपुर के पास 1 मामला लम्बित है तथा वर्ष 2002 से सम्बन्धित 8 अति.पुलिस अधीक्षक (अपराध एवं सतर्कता) रेंज जोधपुर, 1 अति. पुलिस अधीक्षक (सीबी) जोधपुर, 1 उप अधीक्षक पुलिस रिजर्व, 1 वृताधिकारी बाड़मेर, 1 वृताधिकारी जालोर, 1 अनु. जाति/जनजाति प्रकोष्ठ सिरोही, 1 अनु. जाति/जनजाति प्रकोष्ठ जालौर, 1 उप अधीक्षक पुलिस,

(गृह मंत्री)

सीआईडी (सीबी) जयपुर के पास जांच लम्बित है।

ग्राम मुण्डारा व भंदर (बाली) की स्वीकृत पेयजल योजना पर व्यय राशि

343. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम मुण्डारा व भंदर की पेयजल योजनाएं कब स्वीकृत की गई और उक्त योजनाओं पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं के तहत कितने हजार फुट पाइप लाइन डालने का प्रावधान था तथा कितने फुट पाइप लाइन डाली गई और उक्त पर कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र बाली के ग्राम मुण्डारा एवं भंदर की स्वीकृत संवर्धन पेयजल योजनाओं एवं इन योजनाओं पर हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृत माह एवं वर्ष	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	योजनाओं पर हुआ व्यय (रु. लाख में) (2/2003 तक)	विवरण
1.	संवर्धन ग्रामीण जल प्रदाय योजना, मुण्डारा	नवम्बर, 1998	67.28	68.12	योजना पूर्ण
2.	संवर्धन ग्रामीण जल प्रदाय योजना, भन्दर	नवम्बर, 1998	43.40	24.21	विवरण पाइप लाइन के कुछ भाग एवं जलकल गृह से सम्बन्धित कार्य अपूर्ण तथा अतिरिक्त अन्य कार्य पूर्ण।

(2) उक्त दोनों पेयजल योजनाओं के प्रावधानों में स्वीकृत राइजिंग एवं विवरण पाइप लाइन डालने एवं इन पर हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य का नाम	प्रस्तावित कार्य की मात्रा	प्रस्तावित कार्य हेतु स्वीकृत राशि का प्रावधान (रु. लाख में)	किये गये कार्य की मात्रा	व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	विवरण
जल योजना मुण्डारा राइजिंग मैन (विभिन्न साइज की)	8630 मी. (लगभग 28,306 फुट)	26.34	7924 मी. (लगभग 25,991 फुट)	27.07	योजना में स्वीकृत समस्त क्षेत्रों में पाइप लाइन कार्य पूर्ण।
विवरण लाइन (विभिन्न साइज की)	9200 मी. (लगभग 30,176 फुट)	9.77	9170 मी. (लगभग 30,078 फुट)	9.14	योजना में स्वीकृत समस्त क्षेत्रों में पाइप लाइन का कार्य पूर्ण।
जल योजना भन्दर राइजिंग मैन (विभिन्न साइज की)	2650 मी. (लगभग 8692 फुट)	4.33	657 मी. (लगभग 2057 फुट)	4.08	योजना में स्वीकृत समस्त क्षेत्रों में पाइप लाइन का कार्य पूर्ण। स्रोत के स्थान परिवर्तन के कारण पाइप की लम्बाई में बचत।
वितरण लाइन (विभिन्न साइज की)	4865 मी. (लगभग 15,957 फुट)	4.38	3371 मी. (लगभग 11,057 फुट)	4.05	शेष विवरण पाइप लाइन डालने का कार्य इसी ग्रीष्म काल में पूर्ण करना लक्षित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) **मुण्डारा :** वर्ष 1998 में उक्त स्वीकृति से पूर्व ही उक्त योजना ग्राम पंचायत द्वारा जनता जलयोजना के अन्तर्गत संचालित एवं संधारित की जा रही थी। योजना में जलस्तर 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम हो जाने के कारण संवर्धन प्रस्ताव स्वीकृत किये गये तथा तत्पश्चात् योजना का संचालन व संधारण वर्तमान में भी ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजना के पूर्ण होने पर जल स्तर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिय गया था परन्तु अल्पवृष्टि के कारण जल स्रोत में पेयजल आवक कम होने से वर्तमान जलसेवा स्तर 30 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रह गया है जो कि पेयजल हेतु आवश्यक न्यूनतम सेवा स्तर 10 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के सन्दर्भ में पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त गांव में वर्तमान में 21 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं।

भंदर : वर्ष 1998 में उक्त स्वीकृति से पूर्व ही उक्त योजना ग्राम पंचायत द्वारा जनता जलयोजना के अन्तर्गत संचालित एवं संधारित की जा रही थी। योजना में जलस्तर 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम होने के कारण संवर्धन प्रस्ताव स्वीकृत किये गये तथा तत्पश्चात् योजना का संचालन व संधारण वर्तमान में भी ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजना के पूर्ण होने पर जल स्तर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया गया था परन्तु अल्पवृष्टि के कारण जल स्रोत में पेयजल आवक कम होने से वर्तमान जलसेवा स्तर 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रह गया है जो कि पेयजल हेतु आवश्यक न्यूनतम सेवा स्तर 10 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के सन्दर्भ में पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त गांव में वर्तमान में 8 हैण्ड पम्प भी कार्यरत है।

ग्राम खराडी (जैतारण) का स्वीकृत ग्रिड सब स्टेशन

344. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) **:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम खराडी में 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या वर्ष 2003–04 में उक्त ग्रिड सब स्टेशन बनाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक पूर्ण करने का विचार है?

(3) क्या इस वर्ष बनना प्रस्तावित नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम खारडी में 33/11 के.वी. सब–स्टेशन बनाना तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त ग्राम में 33/11 के.वी. सब–स्टेशन निर्माण तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं पाया गया है। इस

(ऊर्जा मंत्री)

क्षेत्र के विद्युत तंत्र में वोल्टेज समस्या के निवारण हेतु 33/11 के.वी. सब–स्टेशन कालका से 5.5 कि.मी. 11 के.वी. लाइन जिसमें डाग कंडक्टर काम लिया जावेगा, खींचना प्रस्तावित है।

ख्वाजा साहब अजमेर के मेले व मोहर्रम पर विकास कार्यों पर व्यय राशि

345. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर के प्रतिवर्ष मेले व मोहर्रम के अवसर पर दरगाह क्षेत्र की सड़क का पेच वर्क नगर परिषद् अजमेर व नगर सुधार न्यास द्वारा कराया जाता है?

(2) क्या उक्त के लिये राज्य सरकार अलग से राशि स्वीकृत करती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) पूर्व में राज्य सरकार पुष्कर व अजमेर के मेले पर कितनी राशि आबंटित करती थी और अब राशि आबंटित क्यों नहीं की जा रही है?

(4) क्या सरकार दरगाह क्षेत्र में मेले के अवसर पर 15 दिवस पूर्व कार्य करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त कार्य हेतु अलग से कोई राशि स्वीकृत नहीं की जाती है।

(3) केवल 786वें उर्स के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद्, अजमेर व नगर सुधार न्यास, अजमेर को कुल 472 लाख रुपये का विशेष अनुदान स्वीकृत किया गया था।

(4) जी हां।

परिशिष्ट–4

परिशिष्ट "ए"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–469 की सूची)

किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में विकसित पार्कों की सूची
मार्च, 1999 से जनवरी, 2003 तक

1. साबू स्कूल के पास पार्क वार्ड सं. 67 सुभाष नगर नाले के ऊपर
2. लवकुश पार्क वार्ड संख्या 68 अम्बाबाड़ी
3. भगत सिंह पार्क निर्माण मार्ग पावर हाउस चांदपोल
4. माधोसिंह सर्कल राम मन्दिर के सामने बनीपार्क
5. शिव पार्क
6. स्वर्णकार कालोनी पार्क आर.पी.ए. के सामने पानीपेच
7. हनुमान पार्क अम्बाबाड़ी
8. लायन्स क्लब पार्क, अम्बाबाड़ी
9. सीकर हाउस कालोनी पार्क पावर हाउस चांदपोल के पास

ह०/–
उद्यानविज्ञ
नगर निगम, जयपुर

परिशिष्ट ''बी''

विधान सभा किशनपोल में नगर निगम जयपुर द्वारा मार्च, 1999 से जनवरी, 2003 तक बनाई गई सड़कों व नालियों की सूची

क्र.सं.	कालोनी का नाम
1	2
1.	इन्दिरा वर्मा कालोनी
2.	टाटा नगर
3.	बन्धा बस्ती
4.	व्यास कालोनी
5.	सेक्टर 1 व 2 वार्ड 64
6.	पटेल नगर
7.	चन्द्र शेखर की बगीची
8.	संजय नगर भट्टा बस्ती ब्लाक एं, बी, सी, डी
9.	बस्सी सीतारामपुरा
10.	शिवाजी नगर
11.	महात्मा गांधी कालोनी
12.	स्वर्णकार कालोनी
13.	शिव मार्ग बनीपार्क
14.	ढेर का बालाजी वार्ड 68
15.	कृष्णा कालोनी
16.	नेहरू नगर
17.	पुलिस लाइन के पास वार्ड 37
18.	रतन नगर
19.	हाथी बाबू मार्ग वार्ड 37
20.	भवानी नगर
21.	सिंधी कालोनी
22.	विजय बाड़ी

1	2
23.	जगदम्बा कालोनी
24.	कृष्णा नगर
25.	कुरेशी कालोनी
26.	जे.पी. कालोनी, सेक्टर 3
27.	परसराम नगर
28.	सैन कालोनी
29.	सेक्टर नं. 2 हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर, जयपुर
30.	सिंधु नगर
31.	बड़ोदिया बस्ती
32.	सुभाष कालोनी
33.	शिव शक्ति कालोनी, विश्वकर्मा कालोनी
34.	स्वामी कच्ची बस्ती
35.	राणा कालोनी
36.	बजरंग कालोनी व राजीव नगर
37.	न्यू जालूपुरा
38.	पंचमुखी हनुमान बस्ती
39.	कृष्णा नगर
40.	बलाई बस्ती (सती कालोनी)
41.	विकास नगर
42.	पर्वतीय कालोनी
43.	लंकापुरी
44.	विवेक नगर
45.	बैरीया बस्ती
46.	विवेकानन्द कालोनी
47.	प्रेम नगर कच्ची बस्ती
48.	मेजर शैतान सिंह कालोनी

1	2
49.	जगदम्बा कालोनी
50.	विजय बाड़ी
51.	काना राम नगर
52.	न्यू संजय नगर विजय नगर
53.	जालूपुरा
54.	गोपीनाथ मार्ग की गली
55.	मोतीलाल अटल रोड के पास
56.	हमीद नगर
57.	हरिजन बस्ती (पोलोविक्ट्री)
58.	कल्याणजी का रास्ता
59.	खजाने वालों का रास्ता
60.	भिण्डों का रास्ता
61.	नीदड़राव का रास्ता
62.	झालानियों का रास्ता
63.	टिक्कड़मल का रास्ता
64.	खुंटेटों का रास्ता
65.	खेजड़ों का रास्ता
66.	बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग

ह०/–

अधिशासी अभियन्ता (II)

जयपुर नगर निगम

परिशिष्ट 'स'

किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में मार्च, 1999 से जनवरी, 2003 तक डाली गई सीवर लाइन के कार्यों की सूची

क्र.सं.	कालोनी का नाम
1	2
1.	संजय कालोनी
2.	नेहरू नगर
3.	बस्सी सीतारामपुरा
4.	स्वर्णकार कालोनी
5.	शैतान सिंह कालोनी
6.	जे.पी. कालोनी
7.	रामनगर
8.	सुभाष नगर
9.	सैन कालोनी
10.	बड़ोदिया बस्ती
11.	जगदम्बा कालोनी
12.	लक्ष्मी कालोनी
13.	मदनबाड़ी राजीव नगर
14.	जमना कालोनी
15.	राधागोविन्द कालोनी
16.	नया खेड़ा
17.	कुरैशी कालोनी
18.	शंकर कालोनी
19.	तेलीपाड़ा व्यास कालोनी
20.	भट्टा बस्ती
21.	पी एण्ड टी क्वाटर्स
22.	इन्द्रा वर्मा कालोनी

1	2
23.	पटेल नगर
24.	राणा कालोनी
25.	मदीना मस्जिद कालोनी
26.	चन्द्रशेखर की बगीची
27.	कृष्णा कालोनी
28.	स्वामी कालोनी
29.	सुदामापुरी
30.	आजाद कालोनी
31.	हरिजन बस्ती
32.	सीकर हाउस
33.	कल्याण कालोनी
34.	सिन्धी कालोनी
35.	रामदेव कालोनी
36.	हाजी कालोनी
37.	माली कालोनी
38.	64 हरिजन क्वाटर
39.	दांता हाउस
40.	खेतड़ी हाउस
41.	ब्रह्मपुरी
42.	पंचमुखी हनुमान कालोनी
43.	कल्याणजी का रास्ता
44.	वनस्थली मार्ग
45.	पारीक कालेज रोड
46.	जगदीश मार्ग (सिन्धी कैम्प)
47.	भृगु मार्ग आदि

निम्नांकित कालोनियों में सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है :

1. महात्मा गांधी कालोनी
2. एल.एस. नगर
3. पृथ्वी नगर
4. मदनबाड़ी
5. जे.पी. कालोनी
6. नया खेड़ा आदि

निम्नांकित कालोनियों में सीवर लाइन नहीं डाली गई है :

1. तुलसी नगर
2. हरिनगर
3. प्रताप नगर

इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जिनका भूतल काफी नीचा है तथा मुख्य सीवर लाइनों से जोड़ा जाना सम्भव नहीं है इनमें सीवर लाइन नहीं डाली गई है।

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–474 का विवरण)

परिशिष्ट–1

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर।

योजना क्षेत्रों में भू–उपयोग परिवर्तन

क्रम संख्या	योजना	ख.नम्बर	भू. उपयोग परिवर्तन		क्षेत्रफल	निर्णय	दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चन्द्रबरदाई नगर	प्लान के अनुसार	वाणिज्यिक से	आवासीय	23 एकड़	सम्भागीय समिति द्वारा	31.12.1993	
2.	जे.पी.नगर योजना	प्लान के अनुसार	वाणिज्यिक से	आवासीय	3 एकड़	सम्भागीय समिति द्वारा	03.06.1998	
3.	अर्जुन लाल सेठी नगर	प्लान के अनुसार	वाणिज्यिक से	आवासीय	14 एकड़	सम्भागीय समिति द्वारा	03.06.1998	
4.	संयोगिता नगर बहुउद्देशय योजना (प्रस्तावित) राजस्व ग्राम लोहागल	148 से 157, 1359,1363, 1483,1404 से 1496 एवं 1505	ओ.सी.एफ	आवासीय	पी.टी.सर्वे के अनुसार	राज्य स्तरीय समिति द्वारा	15.03.2001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	पंचशील	1728	आवासीय	वाणिज्यिक	83.33 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
6.	पंचशील	1728	आवा.	वाणिज्यिक	83.33 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
7.	पंचशील	1734	आवा.	वाणिज्यिक	66.66 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
8.	पंचशील	1644	आवा.	वाणिज्यिक	119.35 व.मी.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
9.	पंचशील	1716	आवा.	वाणिज्यिक	140.00	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
10.	पंचशील	1628	आवा.	वाणिज्यिक	67.83 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
11.	पंचशील	1644	आवा.	वाणिज्यिक	120.51 व.मी.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
12.	पंचशील	1715	आवा.	वाणिज्यिक	275.00 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
13.	पंचशील	1657	आवा.	वाणिज्यिक	137.00 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
14.	पंचशील	1707	आवा.	वाणिज्यिक	228.95 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	11.10.2002	
15.	पंचशील	1709	आवा.	वाणिज्यिक	134.44 व.ग.		11.10.2002	
16.	पृथ्वीराज नगर	1630	आवा.	वाणिज्यिक	33.33 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	11.10.2002	
17.	पृथ्वीराज नगर	1575	आवा.	वाणिज्यिक	131.4 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	11.10.2002	
18.	पंचशील	1604	आवा.	वाणिज्यिक	213.88 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	14.11.2002	
19.	पंचशील	1767	आवा.	वाणिज्यिक	12.00 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	14.11.2002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	चन्द्रबरदाई	भू.सं. सी–212	आवा.	वाणिज्यिक	50.00 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	14.11.2002	
21.	चन्द्रबरदाई	सी–213	आवा.	वाणिज्यिक	50.00 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	14.11.2002	
22.	चन्द्रबरदाई	सी–214	आवा.	वाणिज्यिक	50.00 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	14.11.2002	
23.	चन्द्रबरदाई	सी–215	आवा.	वाणिज्यिक	50.00 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	14.11.2002	
24.	चन्द्रबरदाई	सी–216	आवा.	वाणिज्यिक	50.00 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	14.11.2002	
25.	पंचशील	ख.न. 1605	आवा.	वाणिज्यिक	264.44 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	14.11.2002	
26.	पृथ्वीराजनगर (चौरसियाबास)	909	आवासीय	वाणिज्यिक	190.55 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	

परिशिष्ट-2

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

कृषि भूमि नियमन/गैर योजना क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन

क्रम संख्या	कृषि भूमि नियमन/गैर योजना क्षेत्र	खसरा नम्बर	भू-उपयोग परिवर्तन		क्षेत्रफल	निर्णय	दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आनासागर से उत्तर का क्षेत्र	–	आवासीय से	खुला क्षेत्र	–	राज्य सरकार द्वारा	27.07.1989	
2.	राजस्व ग्राम घूघर	1319	हरित पट्टी	से राजकीय कार्यालय	8 बीघा	सम्भागीय समिति द्वारा	19.12.1996	
3.	भगवाना	2019,2020	हरित पट्टी	से वाणिज्यिक	2000 वर्गगज	सम्भागीय समिति द्वारा	19.12.1996	
4.	लोहागल	176	हरित पट्टी	से अन्य सामुदायिक सुविधा	4.2.10 बीघा	सम्भागीय समिति द्वारा	19.12.1996	
5.	कायड़ घूघरा	3020,3021, 3035, 427,	हरित पट्टी	से आवासीय अन्य	4000 बीघा	सम्भागीय समिति द्वारा	19.12.1996	उक्त 4000 बीघा भूमि का भू-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424		सामुदायिक सुविधाओं, राजकीय कार्या. व शैक्षणिक				उपयोग परिवर्तन आवेदित भूमि को सम्मिलित करते हुए सैक्टर के रूप में किया गया है।
6.	भगवाना	2084, 2085, 2087, 2088	हरित पट्टी	से औद्योगिक	18.03.00 बीघा	सम्भागीय समिति द्वारा	31.12.1997	
7.	थोक तेलियान	2090 से 2095, 2100 से 2106, 2109/9755 एवं 2088/9756	खुला क्षेत्र	से आवासीय	29114 व.ग.	राज्य सरकार द्वारा	06.06.1998	
8.	1. राजीव कालोनी कच्ची बस्ती	पी.टी. सर्वे अनुसार	गैर आवा.	आवासीय	पी.टी. सर्वे अनुसार	सम्भागीय समिति द्वारा	21.2.2000	
	2. इन्दिरा कालोनी	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	
	3. गणेशगण क.ब.	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. हरि नगर क.ब.	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	
	5. बाबूगढ़, क.ब.	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	
	6. चमार घाटी, कच्ची बस्ती	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	
	7. आतेड़ कच्ची बस्ती	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	
	8. जटिया हिल्स कच्ची बस्ती	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	
	9. बालूपुरा कच्ची बस्ती	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	
	10. घूघरा, कच्ची बस्ती	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	
	11. नागफनी, कच्ची बस्ती	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	
	12. बोराज काजीपुरा	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	–"–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	दौराई	395	हरित पट्टी	से वाणिज्यिक	4444.44 व.ग.	राज्य स्तरीय समिति	16.10.2000	
10.	थोक तेलियान, नौसर कीटड़ा, व चौरसियावास	सर्वे के अनुसार	शैक्षणिक, खुला क्षेत्र एवं हरित पट्टी	आवासीय	पी.टी.सर्वे के अनुसार	राज्य स. स्तरीय समिति	16.11.2000	
11.	बड्ल्या	233, 254	हरित पट्टी	से शैक्षणिक		राज्य स्तरीय समिति	16.11.00	
12.	थोक मालियान	3397,3409, 3411,3412	हरित पट्टी से	वाणिज्यिक	1974–48 व.ग.	राज्य स्तरीय समिति	16.11.2000	
13.	थोक मालियान	4624,1538 मि. 1886 मि., 1896	ग्रीन बैल्ट एवं रीजनल पार्क	से आवासीय	पी.टी. सर्वे अनुसार	–	15.01.2001	
14.	किरानीपुरा	पी.टी.सर्वे के अनुसार	रेलवे यार्ड एवं औद्योगिक से	आवासीय	पी.टी.सर्वे अनुसार	–	15.3.2001	
15.	किरानीपुरा	75 से 77, 80 से 98, 101 से 104	रेलवे यार्ड से.	आवासीय	46.06 बीघा	–	15.06.2001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	किरानीपुरा	275 से 277, 279 से 302, 313, 327, 328	परिसंचरण एवं शैक्षणिक से	आवासीय	53–14–10 बीघा	–	15.6.2001	
17.	चौरसियावास	मौके के अनुसार	शैक्षणिक एवं हरित पट्टी	आवासीय	12–18–0 बीघा	–	18.10.2001	
18.	नौसर	मौके के अनुसार	शैक्षणिक एवं हरित पट्टी	आवासीय	49 बीघा, 05 बिस्वा	–	18.10.2001	
19.	किरानीपुरा	1488 से, 1555, 1785, 1786, 1791 से 1799, 1801 से 1803, 1805 से 1815, 1817 से 1826	परिसंचरण एवं शैक्षणिक	आवासीय	96–10–00 बीघा	–	18.10.2001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	दौराई	1608	आवासीय	वाणिज्यिक	40.00 वर्गगज	स्थानीय समिति		
21.	दौराई	1616	आवासीय	वाणिज्यिक	40.00 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
22.	थोक तेलियान	2187	आवासीय	वाणिज्यिक	465.56 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
23.	दौराई	1607	आवासीय	वाणिज्यिक	40 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
24.	दौराई	1607	आवासीय	वाणिज्यिक	499 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
25.	बड़ल्या	182,183	हरित पट्टी	वाणिज्यिक	499 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
26.	नौसर	502	शैक्षणिक	आवासीय	227.16 व.ग.	आवासीय समिति द्वारा	25.5.2002	
27.	नौसर	528	शैक्षणिक	आवासीय	183.33 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
28.	नौसर	527	शैक्षणिक	आवासीय	222 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
29.	नौसर	526	शैक्षणिक	आवासीय	206.11 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
30.	नौसर	526	शैक्षणिक	आवासीय	202.22 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
31.	नौसर	565	शैक्षणिक	आवासीय	283.15 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
32.	चौरसियावास	1365	शैक्षणिक	आवासीय	266.66 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
33.	चौरसियावास	1365	शैक्षणिक	आवासीय	200 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
34.	चौरसियावास	1365	शैक्षणिक	आवासीय	193.33 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	चौरसियावास	1361	शैक्षणिक	आवासीय	455 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
36.	चौरसियावास	1588	आवासीय	वाणिज्यिक	445.47 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
37.	कांकरदाभोणाबाय	216	ओ.सी.एफ.	आवासीय	400 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
38.	कारदाभोणाबाय	216	ओ.सी.एफ.	आवासीय	400 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
39.	कांकरदाभोणाबाय	216	ओ.सी.एफ.	आवासीय	400 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
40.	नौसर	527	शैक्षणिक से	आवासीय	222.22 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
41.	धोक मालियान	3857	गवर्नमेंट रिजर्वड	आवासीय	140 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
42.	धोक मालियान	6818	व्यवसायिक	आवासीय	181.33 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
43.	धोक मालियान	6818	व्यवसायिक	आवासीय	181.33 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
44.	धोक मालियान	9121	खुला क्षेत्र	आवासीय	211.52 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
45.	नौसर	843	शैक्षणिक	आवासीय	200 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	27.5.2002	
46.	नौसर	527,528	शैक्षणिक	आवासीय	200 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	27.5.2002	
47.	नौसर	527,528	शैक्षणिक	आवासीय	180 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
48.	चौरसियावास	1416	शैक्षणिक	आवासीय	200 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
49.	नौसर	528	शैक्षणिक	आवासीय	295.82 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
50.	नौसर	528	शैक्षणिक	आवासीय	288.29 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	नौसर	527	शैक्षणिक	आवासीय	182.77 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
52.	धोकमालियान	6817	वाणिज्यिक	आवासीय	231.84 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
53.	नौसर	502	शैक्षणिक	आवासीय	210 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
54.	चौरसियावास	1415	शैक्षणिक	आवासीय	200 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	30.5.2002	
55.	चौरसियावास	1415	शैक्षणिक	आवासीय	200 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
56.	नौसर	526	शैक्षणिक	आवासीय	207.47 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
57.	नौसर	528	शैक्षणिक	आवासीय	280.95 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
58.	नौसर	528	शैक्षणिक	आवासीय	182.77 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
59	चौरसियावास	1415	शैक्षणिक	आवासीय	90.00 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
60.	अजमेर धोकमालियान	5835	वाणिज्यिक	आवासीय	151.66 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
61.	अजमेर धोकमालियान	5831	वाणिज्यिक	आवासीय	261.55 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
62.	नौसर	527	शैक्षणिक	आवासीय	222.22 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.	नौसर	528	शैक्षणिक	आवासीय	163.83 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	25.5.2002	
64.	बड्ल्या	35	ओ.सी.एफ.	वाणिज्यिक	255.55 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	11.5.2002	
65.	दौराई	1616	आवासीय	वाणिज्यिक	86.66 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	11.5.2002	
66.	धोकमालियान	316	आवासीय	वाणिज्यिक	211.92 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	11.10.2002	
67.	धोकमालियान	8185	खुला क्षेत्र	आवासीय	112.15 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	11.10.2002	
68.	धोकमालियान	8185	खुला क्षेत्र	आवासीय	150.00 व.ग.	स्थानीय समिति द्वारा	11.10.2002	
69.	नौसर	444,445, 561 से 581, 603,606,609, से 636,668 से 688,843 से 845,850, से 860, 865 से 871,876, 883, एवं 884	शैक्षणिक	से आवासीय	120 बीघा 3.5 बिस्वा	राज्य स्तरीय समिति द्वारा	18.10.2002	

परिशिष्ट -6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–478 की प्रति)

OFFICE OF ..... (JAIPUR CIRCLE -II
RAJASTHAN HOUSING BOARD, JAIPUR

MODE OF PAYMENT : HIRE PURCHASE
MONTHLY PAYABLE INSTALMENT 1100.00

REF : VIDE DISPOSAL OF PROPERTY REGULATION 1970.

Madam,

With the above referance we are pleased to inform you that you have been ALLOTTED house of following particulars under : HIRE- PURCHASE :

Name of scheme : Mansarovar GRS. No : / 2639 - Category
of allotment : 29.06.91 House no: 120/19 MIG-B

DETAILS OF COST OF HOUSE & OTHER EXPENSES

Cost	
1. Plot Cost 105.000 s.o.m.	Rs. 29925.00
2. Construction Cost	Rs. 87525.00
3. Extra Chanrges for DC/SDC House	Rs. 00.00
4. GRS amot & Seed Money adj. In Cost	Rs. 35000.00
5. Balance Cost of House (al +a2 +a3 - a4)	Rs. 82450.00
Other Payable Charges :	
1. A.S.C. Charges	Rs. 3330.00
2. Lease Charges (for 1 year)	Rs. 697.75
3. Hire Purchase Charges	Rs. 5872.50
4. Fire Insurance Charges	Rs. 61.60
5. Misc. Expenses	Rs. 1100.00
6. Interest Accured On GRS & Seed Money	Rs. 1426.00
7. Total (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 – B6)	Rs. 9844.85
1. Balance Amount Towards House Cost (A + B)	Rs. 92294.85
2. Amt Defered In 156 Monthly Instalments (Rate of Interest :- 16.00%)	Rs. 72051.00
1. GRS & Seed Money Not Deposites	Rs. 32700.00
2. Penalty on Seed Money	Rs. 7968.00
3. Total (D1 + D2)	Rs. 40668.00
1. Amount Payable At Possession Time	Rs. 60912.00

Sd/-
ESTATE MANAGER
RAJ. HOUSING BOARD
JC-II, JAIPUR

CC. 1. RESIDENT ENGINEER DIV. VI, RAJASTHAN HOUSING BOARD, JAIPUR

2. RECOVERY CELL, JAIPUR

1. PLEASE SUBMIT ALL THE DOCUMENTS ALONGWITH B.D. FOR : Rs.60912.00 FAVOURING TO RAJASTHAN HOUSING BOARD, JAIPUR WITHIN 30 DAYS OF ISSUE OF THE LETTER AND TAKE POSSESSION FROM RESIDENT ENGINEER DIV- VI..., JAIPUR BEFORE 14.5.1992 AND DEPOSITE THE NEXT INSTALMENT BEFORE 15.5.1992
2. IF YOU HAVE ALREADY REDEPOSITED AMOUNT MENTIONED IN D-1 IN TIME MAKE ADJUSTMENT OF SAME IN AMOUNT TO BE DEPOSITED.
3. THE LEASE MONEY SHALL BE DEPOSITED.... TWICE A YEAR HALF IN THE MONTH OF JAN. & HALF IN MONTH OF JULY FOR 99 YEARS.
4. PLEASE FURNISH THE CERTIFECATE OF YOUR SIGNATURE IN TRIPLICATE AS ENCLOSED PERFORMA DULY ATTESTED BY GAZATTED OFFICER.
5. THE ALLOTED HOUSE WILL BE AUTOMATICALY CANCELLED WITHOUT ANY NOTICE IF YOU ARE NOT DEPOSITED THE REQUIRED AMOUNT WITH IN TIME.

परिशिष्ट -7

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 484 का विवरण)

राजस्थान सरकार

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग

जयपुर बीसलपुर परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय कक्ष में आज दिनांक 16.11.2002 को हुई, बैठक का कार्यवाही वृतान्त

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कक्ष में जयपुर बीसलपुर परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आज दिनांक 16.11.2002 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित मंत्रीगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे :

1. माननीय मंत्री महोदय, वित्त विभाग
2. माननीय मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
3. माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग
4. माननीय मुख्य सचिव महोदय
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
6. सचिव (प्रथम/द्वितीय) माननीय मुख्य मंत्री महोदय
7. सचिव, नगरीय विकास विभाग
8. सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
9. सचिव, आयोजना विभाग

सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सचिव नगरीय विकास विभाग से जानना चाहा कि ए.डी.बी. प्रोजेक्ट में कितनी बचत है तथा वह बीसलपुर परियोजना में कितनी राशि उपलब्ध करा सकते है। सचिव, नगरीय विकास ने बताया कि ए.डी.बी. प्रोजेक्ट की कुल 615 करोड़ बचत की राशि है। उसमें से फिलहाल 480 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा सकते है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जानना चाहा कि बाकी की राशि की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी। सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने दो विकल्प प्रस्तुत किये जो निम्नप्रकार से है :

वित्तीय स्रोत	राशि (करोड़ रुपये में)	
	प्रथम विकल्प	द्वितीय विकल्प
आर.यु.आई.डी.पी.	480.00	480.00
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	25.00	25.00
जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम	30.00	30.00
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	45.00	45.00
आर.यू.आई.डी.पी. की सम्भावित अतिरिक्त बचत	70.00	
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त सम्भावित प्रावधान	40.00	
अतिरिक्त वित्तीय संसाधन, हुड्को, जीवन बीमा निगम आदि		110.00
	690	**690**

सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि परियोजना के लिए वर्षवार निम्नप्रकार से आंकी गई है:

विभाग	वर्ष				कुल योग
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	
आर.यू.आई.डी.पी.	–	50.00	290.00	140.00	480.00
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	–	5.00	15.00	5.00	25.00
जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम	–	5.00	15.00	10.00	30.00
जन स्वास्थ्य अभि. विभाग	10.00	10.00	10.00	15.00	45.00
अन्य वित्तीय संसाधन	–	–	–	110.00	110.00
कुल योग	**10.00**	**70.00**	**330.00**	**280.00**	**690.00**

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग ने इस परियोजना को ए.डी.बी. के अन्तर्गत लेने की पूर्व शर्तों के बारे में जानना चाहा। सचिव, नगरीय विकास विभाग ने बताया कि जल शुल्क (Water tarrif) में बढ़ोतरी के बारे में ए.डी.बी. की पूर्व आवश्यकताएं है। उन्होंने यह भी बताया कि भूमि अवाप्ति (land acquisition) एवं अधिग्रहण का कार्य निर्माण के शुरू हो जाने से पूर्व ही हो जाना चाहिये। इसके साथ ही साथ पुनर्वास योजना (Re-settlement action plan) एवं अन्य अध्ययन जैसे Socio-economic Environment Impact Study तथा Water Tarrif Plan भी बन जाने चाहिये।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि बहुत कम जमीन ही निजी खातेदारों से अधिग्रहीत की जायेगी तथा अधिकांश जमीन रेलवे से प्राप्त की जा चुकी है, जिसके विरुद्ध पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कोई आवश्यकता नहीं है।

जल शुल्क (Water tarrif) की योजना के बारे में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि जब परियोजना से पानी जयपुर की जनता को उपलब्ध होना शुरू हो जायेगा, उस समय इस बारे में विचार कर लिया जायेगा।

सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि भूमि अवाप्ति की काफी कार्यवाही की जा चुकी है तथा माह दिसम्बर तक पूरी कर ली जायेगी। जो भी सूचनाएं विभाग को RUIDP को देनी है उसे विभाग शीघ्र उपलब्ध करा देगा तथा वर्तमान में जो स्टाफ बीसलपुर परियोजना का कार्य देख रहा है, उसको भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये कि इस योजना को ADB की वित्तीय सहायता के अन्तर्गत लेना उचित रहेगा। माननीय वित्त मंत्रीजी ने निवेदन किया कि इस योजना को ADB में लेने हेतु औपचारिक प्रस्ताव पत्रावली पर परीक्षण पश्चात् अनुमोदन आवश्यक होगा। अतः विभाग आगामी कार्यवाही करने से पूर्व पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत करें।

अन्त में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने निर्देश दिये कि इस योजना को RUIDP के माध्यम से तुरन्त शुरू किया जाये तथा स्वीकृति के साथ-साथ टैण्डर पैकेज बनाने एवं पूर्व योग्यता (Pre-qualification) इत्यादि की कार्यवाही साथ ही कर ली जावे जिससे सम्पूर्ण व्यवस्था माह जनवरी तक पूर्ण कर भौतिक रूप से कार्य मई तक चालू हो जावे।

उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण वित्त विभाग के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह०/-

(आर.के.मीणा)

परिशिष्ट –8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-485 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	नाम थाना	मुकदमा नम्बर/ दिनांक/धारा	अपराधियों के नाम	नतीजा पुलिस	जप्त जाली नोटों का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सदर बीकानेर	216/4.6.1999 धारा 489 ए., 489बी.-सी, 420, 120 बी., भादस	1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगलचन्द जाट उम्र 43 साल नि. कोलिड़ा हाल जाट कालोनी सीकर।	चार्जशीट नं. 164/25.8.1999	137 × 500 = 68500/-
			2. राजेन्द्र पुत्र श्री भागीरथमल जाट उम्र 19 साल नि. पिपराली जिला सीकर।	चालान 25.8.1999	
			3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल दर्जी उम्र 20 साल नि. जगमालपुर, सीकर।		
			4. मनोज कुमार उर्फ सुभाष चन्द्र पुत्र गणपत सिंह जाट उम्र 22 साल नि. कोलिडा हाल जाट कॉलोनी सीकर।		
			5. नमीचन्द कुमावत नि. धायल फोटो स्टूडियो नवलगढ़।		

1	2	3	4	5	6
			6. ओमप्रकाश जाट नि. श्याला हाल जाट कालोनी सीकर। 7. धमेन्द्र जाट नि. जाट कॉलोनी सीकर। 8. पूर्ण मल ब्राह्मण नि. गुगारा, सीकर। 9. भरत सिंह जाट नि. फतेहपुरा, थाना फतेहपुर।		
2.	देशनोक, बीकानेर	93/12.12.1999 धारा 489ए., 489 बी, 420 भादस	श्री प्रभुराम जाट पुत्र श्री मेघाराम उम्र 30 साल नि. पिपासर थाना श्रीबालाजी, नागौर।	चार्जशीट नं. 81/31.12.1999 चालान 4.1.2000	4 × 100 = 400/-
3.	नोखा/ बीकानेर	419/12.12.1999 489 ए., बी भादस	प्रभुराम जाट पुत्र श्री मघाराम उम्र 30 सालनि, पिपासर थाना श्री बालाजी, नागौर।	चार्जशीट नं. 342/31.12.1999	3 × 100 = 300/-
4.	नोखा/ बीकानेर	423/16.12.1999, 489 ए,बी. व 420 भादस	प्रभुराम जाट पुत्र श्री मघाराम उम्र 20 सालनि. पिपासर थाना श्रीबालाजी, नागौर।	चार्जशीट नं. 343/31.12.1999 चालान 4.1.2000	3 × 100 = 300/-
5.	सदर/बीकानेर	89/18.4.2002, धारा 489ए. भा.द.स.	प्रदीप कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाट उम्र 18 साल नि. ई–26। खतूरिया कालोनी थाना जे.एन.बी. कालोनी बीकानेर।	चार्जशीट नं. 80/30.6.2002 चालान– 29.7.2002	1×100 = 100/-

1	2	3	4	5	6
6.	रतनगढ़/चूरू	80/3.10.2001, धारा 489 ए,बी. 120 भा.द.स.	1. नवाब अलि पुत्र हसनखां उम्र 40 साल। 2. सरीफ पुत्र रसूल बक्स उम्र 23 साल। 3. कालू उर्फ रहीम पुत्र उम्मेद उम्र 24 साल, व्यापारियान सकनाये मण्डावा। 4. अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल रजाक व्यापारी उम्र 30 साल नि. डाबड़ी, झुंझुनूं।	चार्जशीट नं. 64/16.12.2001 चालान 21.12.2001	14×500 = 7000/-
7.	कोतवाली/चूरू	373/25.11.2002 धारा 489 ए. भा.द.स.	1. नरेश कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाट उम्र 20 साल नि. खिंवासर पुलिस थाना भालेरी, जिला चूरू।	एफ.आर. 22/28.2.2003 नरेश कुमार के लिए 169 द.प्र. संहिता की कार्यवाही की जा रही है।	22×500 = 11000/-

परिशिष्ट -9

परिशिष्ट ''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-489 का विवरण)

तथ्यात्मक रिपोर्ट अभियोग सं. 300/2000 दिनांक 28.10.2000 धारा 342,323,504,34 भा.द.स. पुलिस थाना नया शहर, जिला बीकानेर

अन्वेषण के आधार पर श्री विकास कुमार, उप निरीक्षक एवं कांस्टेबल दयानन्द व सुरेश कुमार के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323,341,504 भा.द.सं. प्रमाणित माने गये। तत्पश्चात् अभियोग की पत्रावली उप महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर ने तलभ फरमाई व आदेश दिये कि अभियोग में आरोपीगण से तफतीश कर मुकदमे का शीघ्र निस्तारण करने हेतु पत्रावली श्री लियाकत अली खां, पुलिस निरीक्षक के सुपुर्द की गई। श्री लियाकत खां, पुलिस निरीक्षक ने आरोपीगण के विरुद्ध जुर्म धारा 323 भा.द.सं. अप्रलेक्ष्य अपराध घटित होना मानते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की जिस पर पत्रावली महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ने तलब फरमाई व मुकदमे का अन्वेषण अपराध शाखा से कराने के आदेश दिये। अपराध शाखा ने पत्रावली का परीक्षण कर उप निरीक्षक व अन्य दो कांस्टेबलों के विरुद्ध जुर्म धारा 342,323,504 भा.द.सं. में चालान पेश न्यायालय करने के आदेश दिये व पत्रावली थानाधिकारी नया शहर को भेजी गई। अपराध शाखा द्वारा केवल पत्रावली के परीक्षण के आधार पर यह निर्णय लिया गया था।

माननीय गृह मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाया गया कि कुछ निर्दोष लोगों का इस मामले में चालान किया जा रहा है। अतः न्यायालय में इस मामले की पुनः अपराध शाखा से तस्दीक करवाई जा रही है। निर्णय शीघ्र लिया जाकर उचित कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट –10

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–490 की सूची)

पुलिस निरीक्षक स्तर के थानों की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	पु.नि. के थानों के नाम	
1	2	3	
(1)	जयपुर शहर	1.	लाल कोठी
		2.	मुरलीपुरा
		3.	वैशाली नगर
		4.	नाहरगढ़
		5.	माणक चौक
		6.	विद्याधर नगर
		7.	विधायक नगर
		8.	विधायकपुरी
		9.	सदर
		10.	गांधी नगर
		11.	आदर्श नगर
		12.	आमेर
		13.	मालवीय नगर
		14.	सिन्धी कैम्प
		15.	सांगानेर सदर
		16.	मानसरोवर
		17.	कोतवाली
		18.	शास्त्री नगर
		19.	महिला थाना
		20.	हरमाड़ा
		21.	झोटवाड़ा
		22.	बनीपार्क

1	2	3
		23. विश्वकर्मा
		24. संजय सर्कल
		25. श्याम नगर
		26. शिप्रा पथ
		27. बजाज नगर
		28. ब्रह्मपुरी
		29. सोडाला
		30. महिला थाना –II
		31. मोती डूंगरी
		32. ट्रांसपोर्ट नगर
		33. अशोक नगर
		34. रामगंज
		35. महेश नगर
		36. भट्टा बस्ती
		37. जवाहर नगर
		38. सांगानेर
		39. सुभाष चौक
		40. जालूपुरा
		41. गलता गेट
(2)	जयपुर ग्रामीण	42. शाहपुरा
		43. फागी
		44. चन्दवाजी
		45. चौमूं
		46. बगरू
		47. कोटपूतली

1	2	3
		48. बस्सी
		49. दूदू
		50. साम्भर
(3)	सीकर	51. नीमकाथाना
		52. फतेहपुर शहर
		53. रींगस
		54. फतेहपुर सदर
		55. कोतवाली
		56. सदर
(4)	झुंझुनूं	57. खेतड़ी
		58. चिड़ावा
		59. सदर
		60. नवलगढ़
		61. झुंझुनूं
		62. पिलानी
(5)	दौसा	63. बांदीकुई
		64. दौसा
		65. लालसोट
(6)	भरतपुर	66. कुम्हेर
		67 बयाना
		68. सेवर
		69. मथूरा गेट

1	2	3
		70. कोतवाली
		71. उद्योग नगर
		72. डीग
		73. रूपवाढ़
		74. अटल–बन्ध
(7)	अलवर	75. भिवाड़ी
		76. सदर
		77. कोतवाली
		78. शिवाजी पार्क
		79. अरावली विहार
		80. राजगढ़
		81. तिजारा
		82. बहरोड़
(8)	सवाईमाधोपुर	83. कोतवाली
		84. गंगापुर सिटी
(9)	धौलपुर	85. निहाल गंज
		86. बाड़ी
		87. सदर
		88. कोतवाली
(10)	करौली	89. हिण्डौन
		90. करौली

1	2	3
(11)	अजमेर	91. सिविल लाइन
		92. गंज
		93. क्रिश्चयनगंज
		94. क्लार्क टावर
		95. आदर्श नगर
		96. कोतवाली
		97. ब्यावर सिटी
		98. नसीराबाद केंट
		99. अलवर गेट
		100. नसीराबाद
		101. नसीराबाद सदर
		102. रूपनगढ़
		103. रामगंज
		104. मदनगंज
		105. किशनगढ़
		106. केकड़ी
		107. ब्यावर सदर
		108. दरगाह
(12)	भीलवाड़ा	109. गंगपुर
		110. प्रतापनगर
		111. गुलाबपुरा
		112. कोतवाली
		113. सदर
		114. माण्डलगढ़

1	2	3
		115. शोंहपुरा
		116. सुभाष नगर
(13)	नागौर	117. मकराना
		118. डीडवाना
		119. मेड़ता सिटी
		120. कोतवाली
		121. परबतसर
(14)	टौंक	122. मालपुरा
		123. कोतवाली
		124. सदर
		125. पुरानी टौंक
		126. निवाई
		127. देवली
(15)	बीकानेर	128. खाजूवाला
		129. नोखा
		130. पूगल
		131. बज्जू
		132. नया शहर
		133. कोट गेट
		134. कोतवाली
		135. डूंगरगढ़
(16)	चूरू	136. कोतवाली

1	2	3
		137. राजगढ़
		138. रतनगढ़
		139. सरदारशहर
(17)	गंगानगर	140. करणपुर
		141. केसरीसिंहपुर
		142. कोतवाली
		143. हिन्दूमल–कोट
		144. अनूपगढ़
		145. घड़साना
		146. जवाहर नगर
		147. सार्दूल शहर
		148. रावला
		149. सदर आबादी
		150. रायसिंहनगर
		151. सूरतगढ़
(18)	हनुमानगढ़	152. भादरा
		153. नोहर
		154. सांगरिया
		155. हनुमानगढ़ टाउन
		156. हनुमानगढ़ जंक्शन
(19)	उदयपुर	157. गोरधन विलास
		158. डबोक
		159. रिखबदेव

1	2	3
		160. वल्लभ नगर
		161. झाडौल
		162. हिरण-मगरी
		163. अम्बा माता
		164. धान मण्डी
		165. घंटाघर
		166. सलूम्बर
		167. हाथी पोल
		168. प्रताप नगर
		169. भोपालपुरा
		170. सूरजपोल
(20)	चित्तौड़गढ़	171. आकोला
		172. चन्देरिया
		173. चित्तौड़गढ़
		174. कपासन
		175. बैगूं
		176. रावतभाटा
		177. छोटी सादड़ी
		178. प्रतापगढ़
(21)	बांसवाड़ा	179. बांसवाड़ा
		180. कुशलगढ़
		181. सदर
		182. गढ़ी
		183. खमेरा

1	2	3
		184. आनन्दपुरी
		185. लौहारिया
		186. कांलीजरा
		187. पीपलखूंट
(22)	डूंगरपुर	188. सागवाड़ा
		189. सदर
		190. डूंगरपुर
(23)	राजसमन्द	191. भीम
		192. नाथद्वारा
		193. राजनगर
(24)	जोधपुर शहर	194. शास्त्री नगर
		195. सरदारपुरा
		196. खाण्डा–फालसा
		197. प्रताप नगर
		198. ओद्यौगिक क्षेत्र
		199. सूर–सागर
		200. सदर बाजार
		201. उदय मंदीर
		202. कोतवाली
		203. महामन्दिर
(25)	जोधपुर ग्रामीण	204. फलौदी
		205. बिलाड़ा

1	2	3
(26)	बाड़मेर	206. गिराब
		207. बाखासर
		208. सदर
		209. बाड़मेर
		210. बालोतरा
		211. गढ़रारोड
		212. बीजराड़
		213. रामसर
		214. सेडवा
(27)	जैसलमेर	215. सम
		216. रामगढ़
		217. मोहनगढ़
		218. पोकरण
		219. जैसलमेर
		220. नाचना
		221. शाहगढ़
(28)	जालौर	222. सरवाना
		223. मोडरान
		224. जालौर
		225. भीनमाल
		226. सांचौर
(29)	पाली	227. तखतगढ़
		228. जैतारण

1	2	3
		229. बाली
		230. सुमेरपुर
		231. ओद्यौगिक क्षेत्र
		232. सोजत
		233. सदर
		234. कोतवाली
(30)	सिरोही	235. आबूरोड़ सदर
		236. शिवगंज
		237. सिरोही
		238. पिण्डवाड़ा
		239. माऊन्ट आबू
		240. आबूरोड़
(31)	कोटा शहर	241. कुन्हाड़ी
		242. रेल्वे स्टेशन
		243. उद्योग नगर
		244. किशोर पुरा
		245. मकबरा
		246. कोतवाली
		247. महावीर नगर
		248. कैथूनपोल
		249. गुमानपुरा
		250. दादाबाड़ी
		251. विज्ञान नगर

1	2	3
		252. नयापुरा
		253. भीमगंज
(32)	कोटा ग्रामीण	254. सुल्तानपुरा
		255. कैथून
		256. इटावा
		257. रामगंज मण्डी
(33)	बूंदी	258. सदर
		259. नैनवां
		260. कोतवाली
		261. देई
		262. हिण्डौली
		263. डबलाना
(34)	बारां	264. छबड़ा
		265. शाहबाद
		266. अन्ता
		267. अटरू
		268. सदर
		269. बारां
(35)	झालावाड़	270. अकलेरा
		271. भवानी मण्डी

1	2	3
		272. झालरा पाटन
		273. कोतवाली
(36)	रेलवे जोधपुर	274. जोधपुर
(37)	रेलवे अजमेर	275. कोटा
		276. अजमेर
		277. जयपुर

परिशिष्ट ''ब''

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के थानाधिकारियों की सूची

क्र.सं.	नाम थानाधिकारी	थाना	जिला
1	2	3	4
1.	श्री भगवान सहाय मीणा	मासलपुर	करौली
2.	श्री महेश चन्द्र मीणा	श्री महावीरजी	करौली
3.	श्री सोनाराम	सांगड़	जैसलमेर
4.	श्री रामनिवास मीणा	तख्तगढ़	पाली
5.	श्री राजीव परिहार	सादड़ी	पाली
6.	श्री दूढ़ाराम	साण्डेराव	पाली
7.	श्री दिनेश कुमार मीणा	कन्हाड़ी	कोटा नगर कोटा
8.	श्री निहाल सिंह मीणा	मकबरा	कोटा नगर कोटा
9.	श्री रामकिशन	परबतसर	नागौर
10.	श्री शुभकरण	जायल	नागौर
11.	श्री राजाराम मीणा	सांगोद	कोटा ग्रामीण
12.	श्री रामस्वरूप मीणा	कनवास	कोटा ग्रामीण
13.	श्री रामनारायण मीणा	चेचट	कोटा ग्रामीण
14.	श्री भैंरुलाल मीणा	अयाना	कोटा ग्रामीण
15.	श्री मेघचन्द मीणा	मनियां	धौलपुर
16.	श्री बाबूलाल मीणा	राजाखेड़ा	धौलपुर
17.	श्री हवा सिंह	कोलारी	धौलपुर
18.	श्री देवीसहाय मीणा	दिहोली	धौलपुर
19.	श्री रामेश्वर प्रसाद	अटलबन्द	भरतपुर
20.	श्री गिरधारी लाल	डीग	भरतपुर
21.	श्री सीताराम बैरवा	चिकसाना	भरतपुर
22.	श्री छीतर लाल	गोपालगढ़	भरतपुर
23.	श्री बृजेश मीणा	गढ़ी बाजना	भरतपुर

1	2	3	4
24.	श्री प्रेमशंकर मीणा	उद्योग नगर	भरतपुर
25.	श्री ओमप्रकाश किलानिया	बज्जू	बीकानेर
26.	श्री जगन्नाथ वर्मा	बनेठा	टौंक
27.	श्री ओमप्रकाश वर्मा	पीपलू	टौंक
28.	श्री भंवरलाल सिसोदिया	सरदारशहर	चूरू
29.	श्री जगदीश प्रसाद बोहरा	सुजानगढ़	चूरू
30.	श्री नाथूलाल मीणा	साण्डवा	चूरू
31.	श्री सीताराम मीणा	गंगधार	झालावाड़
32.	श्री नरेश चीता	झालावाड़	झालावाड़
33.	श्री तेजसिंह	असनावर	झालावाड़
34.	श्री नरसा मीणा	माण्डलगढ़	भीलवाड़ा
35.	श्री खेमराज	जहाजपुर	भीलवाड़ा
36.	श्री चन्द्राराम राठी	खेतड़ी नगर	झुंझुनूं
37.	श्री सुरेश कुमार महरानियां	क्रिश्चनगंज	अजमेर
38.	श्री बृजेश सिंह भाटी	मांगलियावास	अजमेर
39.	श्री सीताराम	नसीराबाद सिटी	अजमेर
40.	श्री मोहन लाल	नसीराबाद सदर	अजमेर
41.	श्री रामकरण	टाटगढ़	अजमेर
42.	श्री बंशीलाल चाणिया	बान्दरन्दिरी	अजमेर
43.	श्री दामोदर लाल मीणा	रायसिंहनगर	श्रीगंगानगर
44.	श्री त्रिलोक चन्द परमार	सूरतगढ़	श्रीगंगानगर
45.	श्री दिनेश कुमार राजौरा	राजियासर	श्रीगंगानगर
46.	श्री भैंरुलाल	रेलमगरा	राजसमन्द
47.	श्री लादूराम	दिवेर	राजसमन्द
48.	श्री उगमचन्द	लक्ष्मणगढ़	सीकर
49.	श्री बृजमोहन	रामगढ़सेठान	सीकर

1	2	3	4
50.	श्री जयलाल वर्मा	बारां सदर	बारां
51.	श्री सरजीत सिंह मीणा	छबड़ा	बारां
52.	श्री रोहित कुमार	कस्बा थाना	बारां
53.	श्री गुलाबचन्द मीणा	राजगढ़	अलवर
54.	श्री बलवान सिंह जाटव	प्रतापगढ़	अलवर
55.	श्री ओमप्रकाश मीणा	टहला	अलवर
56.	श्री कालूराम मीणा	गोविन्दगढ़	अलवर
57.	श्री ओमकार मीणा	शांहजापुर	अलवर
58.	श्री राकेश राजौरा	विजयपुर	चित्तौड़गढ़
59.	श्री सूरजमल	अरनौद	चित्तौड़गढ़
60.	श्री मुंशी लाल	संजय सर्किल	जयपुर शहर (उत्तर)
61.	श्री गोवर्द्धन लाल	घंटाघर	उदयपुर
62.	श्री शिवलाल	धान मण्डी	उदयपुर
63.	श्री हीरालाल	झाडौल	उदयपुर
64.	श्री छोगालाल	पानरवा	उदयपुर
65.	श्री हेमाराम	कोटड़ा	उदयपुर
66.	श्री रतन लाल	मावली	उदयपुर
67.	श्री रामलाल	सागवाड़ा	डूंगरपुर
68.	श्री शांतिलाल	गणेशपुर	डूंगरपुर
69.	श्री गोपाल लाल	गढ़ी	बांसवाड़ा
70.	श्री श्याम लाल मीणा	कुशलगढ़	बांसवाड़ा
71.	श्री गोपीचन्द मीणा	दानपुर	बांसवाड़ा
72.	श्री शिवसिंह मीणा	हिण्डौली	बून्दी
73.	श्री जगदीश प्रसाद मीणा	तालेड़ा	बून्दी
74.	श्री रामेश्वर परिहार	केशोरायपाटन	बून्दी
75.	श्री गोपाल लाल मीणा	दबलाना	बून्दी

1	2	3	4
76.	श्री मोती लाल मीणा	गेन्डोली	बून्दी
77.	श्री नवलाराम मेघवाल	मण्डली	बाड़मेर
78.	श्री बीजाराम मीणा	शिवगंज	सिरोही
79.	श्री कैलाश चन्द बोहरा	गोविन्दगढ़	जयपुर ग्रामीण
80.	श्री भंवर लाल मीणा	दौसा	दौसा
81.	श्री मोहन लाल कालवा	लालसोट	दौसा
82.	श्री बंशीधर	सैंथल	दौसा
83.	श्री इन्द्रजीत सिंह	मानपुर	दौसा
84.	श्री रामप्रताप	मण्डोर	जोधपुर शहर
85.	श्री सत्यनारायण	सोडाला	जयपुर शहर (दक्षिण)
86.	श्री रामनिवास	बहरामडाकला	सवाईमाधोपुर
87.	श्री दुलाराम	रवाजनाडंगर	सवाईमाधोपुर
88.	श्री राजकुमार	मानटाउन	सवाईमाधोपुर
89.	श्री गोपाल लाल	जीआरपी कोटा	जीआरपी अजमेर
90.	श्री अशोक कुमार	जीआरपी बांदीकुई	जीआरपी अजमेर
91.	श्री मंगल सैन	जीआरपी सीकर	जीआरपी अजमेर
92.	श्री महेश कुमार	जीआरपी डूंगरपुर	जीआरपी अजमेर
93.	श्री मुलाराम	जसवन्तपुरा	जालौर

परिशिष्ट –11

(अतारांकित प्रश्न संख्या–492 का विवरण)

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(अजमेर)

सांसद/विधायक कोष योजना/विधायक क्षेत्रीय विकास योजना द्वारा स्वीकृत कार्यों का विवरण (विधान सभा क्षेत्र भिनाय)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक/ दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख रु.)	कार्य पर व्यय (लाख रु.)	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
(अ) सांसद कोष के तहत						
1.	ढाणी एवं आव मजरा का विद्युतीकरण	आव माजरा	812/833/24.11.1997	3.50	3.50	कार्य पूर्ण
2.	शिव मन्दिर खिरिया	खिरिया	812/833/24.11.1997	2.40	2.40	कार्य पूर्ण
3.	पाडोलाई मजरा गुढ़ाखुर्द	गुढाखुर्द	912/24.11.1997	1.80	1.80	कार्य पूर्ण
4.	श्यालाभाटा मजरा धातोल	धातोल	912/24.11.1997	1.80	1.80	कार्य पूर्ण
5.	बालाजी एकलसिंगा	भिनाय	912/24.11.1997	1.50	1.50	कार्य पूर्ण
6.	केरिया मंडावरिया	केरिया	912/24.11.1997	1.50	1.50	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
7.	सूरजपुरा धातोल	धातोल	812/833/24.11.1997	1.00	1.00	कार्य पूर्ण
8.	खटाणा का खेड़ा	सिंगावल	1944/52/15.2.1999	1.56	1.72	कार्य पूर्ण
9.	शोलिया में विद्युतीकरण (शेरगढ़)	शोलिया	1059/66/9.7.1999	1.39	1.39	कार्य पूर्ण
10.	दंड की ढाणी में विद्युतीकरण	दादिया	4059/66/9.7.1999	0.86	0.86	कार्य पूर्ण
11.	मोतीपुरा केबानियों में विद्युतीकरण	केबानिया	1059/66/9.7.1999	2.30	2.30	कार्य पूर्ण
12.	रामपुरा छाटा लाला में विद्युतीकरण	रामपुरा	80/31.3.1999	1.80	1.80	कार्य पूर्ण
13.	मजरा सांगानेर	सांगानेर	1137/46/30.6.2000	2.58	2.58	कार्य पूर्ण
14.	मदनपुरा ललाई	ललाई	1135/56/2.3.2000	3.25	2.99	कार्य पूर्ण
15.	गणेयापुरा धातोल	धातोल	4056/65/23.3.2001	0.34	0.34	कार्य पूर्ण
16.	भाटोलाव में बालाजी के स्थान के पास भाटोलाव विद्युतीकरण		75/1.102.2002	0.72	0.72	कार्य पूर्ण
विधायक कोष/विधायक क्षेत्रीय विकास योजना :–						
1.	जानियों की ढाणी में विद्युतीकरण	जानियों की ढाणी	321/25/15.6.1998	0.92	0.92	कार्य पूर्ण
2.	नई धानमा बस्ती में विद्युतीकरण	धानमाबस्ती	505/8/10.7.1998	1.45	1.42	कार्य पूर्ण
3.	मजरा महादेवपुरा में विद्युतीकरण	कचोलिया	20/19.11.1999	0.46	0.46	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
4.	ग्राम बांटी में विद्युतीकरण	बांटी	20/19.11.1999	1.16	1.16	कार्य पूर्ण
5.	ग्राम जोताया में ट्रांसफार्मर हटाना	जोताया	186/8.12.2001	0.44	0.44	कार्य पूर्ण
6.	रा.मा. विद्यालय सिंगावल में विद्युत कनेक्शन	सिंगावल	143/26.3.2002	0.08	0.08	कार्य पूर्ण
7.	जाटों का मोहल्ला स्कूल के पास विद्युतीकरण	बोराड़ा	124/7.3.2002	0.42	–	कार्य प्रगति पर
8.	बलदेवपुरा रामसिंह पुरा में विद्युतीकरण	–	175/13.5.2002	6.66	–	कार्य प्रगति पर
9.	मजरा केसरपुरा में विद्युतीकरण	केसरपुरा	324/24.8.2002	1.10	–	कार्य प्रगति पर
10.	मांगीलाल कुम्हार के मकान के पास विद्युत पोल हटाना	देवरिया	324/24.8.2002	0.09	0.09	कार्य पूर्ण
11.	खारवड़ काशीर में विद्युतीकरण	खारवड़	427/7.11.2002	0.42	0.42	पोल खड़े, कार्य प्रगति पर
12.	बिजली की डी.पी. हटाने का कार्य	बड़ली	4617/25/27.9.2002	0.46	0.46	कार्य पूर्ण

सूची "क"

परिशिष्ट –12

(अतारांकित प्रश्न संख्या–499 की सूची)

संविदा के आधार पर नियुक्त सईसों का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	नाम	पदस्थापन स्थान (प.चि.)	नियुक्ति दिनांक	वेतन प्रतिमाह	वेतन कि माह का बकाया है
1	2	3	4	5	6	7
1.	चूरू	1. श्री मुन्नाराम	ईयारा	4.1.1997	2550/-	नहीं
		2. श्री यशवन्त सिंह	सेहला	4.1.1997	2550/-	नहीं
		3. श्री रामसिंह	शिमला	4.1.1997	2550/-	नहीं
		4. श्री सरोज सिंह	भालेरी	5.1.1997	2550/-	नहीं
		5. श्री शिशुपाल	बूचावास	7.1.1997	2550/-	नहीं
		6. श्री पृथ्वी सिंह	झारिया	3.1.1997	2550/-	नहीं
		7. श्री दुर्जन सिंह	अजीतसर	3.1.1997	2550/-	नहीं
2.	गंगानगर	8. श्री जोगेन्द्र सिंह	59 एन.पी.	30.12.1996	2550/-	6/02
		9. श्री असगर खां	5 एन.पी.	23.2.1996	2550/-	5/02
3.	बारां	10. श्री महावीर सुमन	समरानिया	15.10.1997	2550/-	1/03

1	2	3	4	5	6	7
		11. श्री कौशल किशोर सैन	बामला	15.10.1997	2550/-	1/03
		12. श्री कृष्णानन्द मोरवाल	माधना	15.10.1997	2550/-	1/03
		13. श्री ईसराइल पठान	जैपला	15.10.1997	2550/-	1/03
		14. श्री रमेशचन्द मेहर	नाहरगढ़	15.10.1997	2550/-	1/03
4.	अजमेर	15. श्री चांदमल	सापला	1.4.1997	2550/-	2/03
5.	भीलवाड़ा	16. श्री सुरेन्द्र सिंह	लुहारिया	10.3.1997	2550/-	12/02 से 2/03 तक
		17. श्री सोनाराम	रुपाहेली	17.3.1997	2550/-	12/02 से 2/03 तक
		18. श्री भीमसिंह	खाखरमाला	10.3.1997	2550/-	12/02 से 2/03 तक
6.	टौंक	19. श्री जगदीश सिंह	लांबाहरिसिंह	12.3.1997	2550/-	1/03 से 2/03 तक
		20. श्री गिरधारी लाल	पंवालिया	14.3.1997	2550/-	1/03 से 2/03 तक
		21. श्री बलवन्त सिंह मेहरा	मोर	12.3.1997	2550/-	1/03 से 2/03 तक
		22. श्री गोपाल मंडल	सिरस	14.3.1997	2550/-	1/03 से 2/03 तक
7.	नागौर	23. श्री दीपक कुमार	गगराना	7.10.1997	2550/-	10/02 से 2/03 तक
		24. श्री वीरेन्द्र कुमार	काडलू	3.4.1997	2550/-	10/02 से 2/03 तक
		25. श्री राजेन्द्र सिंह	साजूं	30.7.1997	2550/-	10/02 से 2/03 तक

1	2	3	4	5	6	7
8.	भरतपुर	26. श्री नवीन कुमार	खेडली गरासिया	4.8.1997	2550/-	12/02
9.	धौलपुर	27. श्री रामवीर सिंह	बसइडांग	4.3.1997	2550/-	1/03 से 2/03 तक
		28. श्री मान सिंह	बोरोली	5.3.1997	2550/-	1/03 से 2/03 तक
10.	अनूपगढ़	29. श्री सूरजाराम	राववाला	13.6.2002	2550/-	6/02 से 2/03 तक
11.	सवाईमाधोपुर	30. श्री राजेन्द्र सैन	पीपल्दा	29.3.1997	2550/-	नहीं
		31. श्री रोशन लाल	अमरगढ़	29.3.1997	2550/-	नहीं
12.	करौली	32. श्री रामप्रसाद मीणा	लांगरा	29.3.1997	2550/-	नहीं
		33. श्री अनिल शर्मा	कोटरी	29.3.1997	2550/-	नहीं
		34. श्री लक्ष्मीचन्द मीणा	करसाई	29.3.1997	2550/-	नहीं
		35. श्री सुलेमान	केमला	29.3.1997	2550/-	नहीं
13.	झालावाड़	36. श्री जगदीश रावल	कनवाड़ा	3.5.1997	2550/-	नहीं
		37. श्री मधुसूदन गुप्ता	चुरेलिया	3.5.1997	2550/-	नहीं
		38. श्री रामप्रसाद मेघवाल	जावर	3.5.1997	2550/-	नहीं
14.	बून्दी	39. श्री महेन्द्र पारीक	बांसी	26.5.1997	2550/-	12/02 से 2/03 तक
		40. श्री राजेन्द्र माथुर	जयथल	26.5.1997	2550/-	12/02 से 2/03 तक

1	2	3	4	5	6	7
15.	बीकानेर	41. श्री बालकृष्ण	कल्याणसर	3.4.2002	255200/-	12/02 से 2/03 तक
		42. श्री भगवान सिंह	गरबादेसर	2.5.2002	2550/-	12/02 से 2/03 तक
		43. श्री प्रताप सिंह	जांगलू	2.5.2002	2550/-	12/02 से 2/03 तक
		44. श्री खेत सिंह	काकड़ा	2.5.2002	2550/-	12/02 से 2/03 तक
16.	झुंझुनूं	45. श्री भवानी सिंह	लिखवा	28.12.1996	2550/-	1/03 से 2/03 तक
17.	दौसा	46. श्री सुमेरचन्द पाराशर	लवाण	28.4.1997	2550/-	नहीं
		47. श्री जयनारायण मीणा	उदयपुरा	6.3.1997	2550/-	नहीं
		48. श्री राजेश शर्मा	टोरड़ा	1.3.1997	2550/-	नहीं
18.	सीकर	49. श्री जयपाल सिंह	मुण्डवाड़ा	21.2.1997	2550/-	नहीं
		50. श्री जितेन्द्र सिंह	बेसवा	21.2.1997	2550/-	नहीं
		51. श्री बाबूलाल	बठोड़	21.2.1997	2550/-	नहीं
19.	जालौर	52. श्री घेवर सिंह	सेवड़ी	1.4.1997	2550/-	11/02 से 2/03 तक
		53. श्री सूराराम	डूंगरी	1.4.1997	2550/-	11/02 से 2/03 तक
		54. श्री सोहनदान	तवाब	1.4.1997	2550/-	11/02 से 2/03 तक
20.	बाड़मेर	55. श्री हरीराम	हीरा की ढाणी	1.4.1997	2550/-	1/03 से 2/03 तक

1	2	3	4	5	6	7
		56. श्री रामेश्वर लाल	इन्द्राणा	1.4.1997	2550/-	1/03 से 2/03 तक
		57. श्री नूर. मोहम्मद	मीठड़ा	1.4.1997	2550/-	1/03 से 2/03 तक
		58. श्री छत्तर सिंह	गीड़ा	1.4.1997	2550/-	1/03 से 2/03 तक
		59. श्री दुर्जन सिंह	आलमसर	1.4.1997	2550/-	1/03 से 2/03 तक
		60. श्री कन्हैया लाल	पायलाकला	1.4.1997	2550/-	1/03 से 2/03 तक
		61. श्री प्रवीण भोजक	कनाना	1.4.1997	2550/-	12/02 से 2/03 तक
		62. श्री हिन्दू सिंह	ईसरोल	1.4.1997	2550/-	12/02 से 2/03 तक
		63. श्री रिडमल सिंह	अरनियाली	1.4.1997	2550/-	12/02 से 2/03 तक
		64. श्री दुर्जन सिंह	नवातोला जेठमल	1.4.1997	2550/-	11/02 से 2/03 तक

परिशिष्ट -13

परिशिष्ट-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-502 का विवरण)

गंगापुर यूनिट में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	नियुक्ति दिनांक	सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत
1.	श्री सुरेश खटीक	सुरक्षा गार्ड	23.10.1983	नियुक्ति दिनांक से
2.	श्री देवीलाल जाट	सुरक्षा गार्ड	27.3.1984	नियुक्ति दिनांक से
3.	श्री पूखराज चौधरी	सुरक्षा गार्ड	7.9.1987	नियुक्ति दिनांक से
4.	श्री दूदसिंह	सुरक्षा गार्ड	10.7.1990	नियुक्ति दिनांक से
5.	श्री रामावतार मीणा	सुरक्षा गार्ड	8.8.1987	नियुक्ति दिनांक से
6.	श्री कृष्णगोपाल सिंह	सुरक्षा गार्ड	7.5.1984	नियुक्ति दिनांक से
7.	श्री कल्याण सिंह	सुरक्षा गार्ड	6.3.1990	नियुक्ति दिनांक से
8.	श्री मदनलाल सैन	सुरक्षा गार्ड	15.10.1985	नियुक्ति दिनांक से
9.	श्री दुर्गालाल कीर	सुरक्षा गार्ड	20.2.1985	नियुक्ति दिनांक से
10.	श्री पीर मोहम्मद	सुरक्षा गार्ड	20.2.1985	नियुक्ति दिनांक से
11.	श्री पोखर राम ढाका	स्टोर बॉय	3.10.1985	6.10.2001
12.	श्री विनोद शर्मा	च.क्षे. कर्मचारी	19.4.1994	6.6.2001
13.	श्री इकबालुद्दीन शेख	वाहन चालक	7.4.1984	12.6.2002
14.	श्री मांगीलाल दरोगा	वाहन चालक	1.9.1983	1.5.2001
15.	श्री देवीलाल सैन	वाहन चालक	1.4.1983	14.2.1998
16.	श्री ईश्वर सिंह	रीलर	17.6.1995	21.2.2003
17.	श्री गोपाल लाल माली	एचडीए हैल्पर	17.8.1998	21.2.2003
18.	श्री राम निवास जोशी	रिंग साइडर	1.7.1995	21.2.2003

परिशिष्ट –14

परिशिष्ट-''क''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-503 की प्रति)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड
नेहरु सहकार भवन, जयपुर

कार्यालय आदेश

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड. आफ ट्रस्टी राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना की बैठक दिनांक 16.2.2000 एवं 18.8.2000 एवं सब कमेटी बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक दिनांक 30.9.2000 में हुए निर्णयों की क्रियान्विती एवं संघ के प्रशासकीय प्रस्ताव संख्या 96 दिनांक 24.10.2000 की पालना में दिनांक 1.11.2000 में पेंशनर्स को एन.ए.सी. जारी करने एवं इसके आधार पर क्रय की गई दवाइयों के पुनर्भरण संघ की चुनी हुई दुकानों के माध्यम से करने के क्रम में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है :

1. जयपुर शहर में स्थित संघ की समस्त एलोपैथिक दवाइयों की दुकाने।
   जे.के. लोन अस्पताल स्थित शाखा को छोड़कर। पेंशनर्स को राज्य कर्मचारियों की भांति पुनर्भरण योग्य अनुपलब्ध दवाइयों की एन.ए.सी. जारी करेगी।
2. एन.ए.सी. के आधार पर पेंशनर्स उक्त दवाइयां बाजार से क्रय कर इनके पुनर्भरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में अपना क्लेम फार्म पुर्नभरण हेतु निम्न 11 दुकानों में किसी पर भी प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करेंगे :–

1. एस.एम.एस. दुकान नं. 8	2. बिहारी बाजार
3. पुरानी बस्ती, द्वितीय	4. गांधी नगर, प्रथम
5. कांवटीया अस्पताल	6. जवाहर नगर
7. सिरह ड्योढ़ी	8. अग्रवाल फार्म
9. सांगानेर	10. झोटवाड़ा
11. राजभवन	

3. पेंशनर्स को स्वीकृत निर्धारित सीमा के भीतर ही भुगतान किया जावेगा
4. एस.एम.एस. कॉटेज (TT) पेंशन शाखा एवं बिहारी बाजार पेंशन शाखा दिनांक 1.11.2000 से पेंशनर्स के साथ नकद बिक्री भी करेगी
5. वर्तमान में एस.एम.एस. पर गैर अनुमानित कम्पनियों की दवा क्रय कर पेंशनर्स को उपलब्ध कराने की व्यवस्था यथावत जारी रखी जायेगी।
6. दिनांक 1.11.2000 से एस.एम.एस. 6 शाखा का कार्य समय प्रात: 11.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक एवं साप्ताहिक अवकाश रविवार होगा।

उक्त योजना दिनांक 1.11.2000 से प्रभावी होगी।

ह०/–

प्रबन्धक संचालक

परिशिष्ट -15

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-511 की सूची)

ग्राम सेवकों के रिक्त पदों की जिलेवार सूची

1.	अजमेर	56
2.	बारां	30
3.	बांसवाड़ा	51
4.	बाडमेर	37
5.	भीलवाड़ा	91
6.	बीकानेर	47
7.	बून्दी	14
8.	चित्तौड़गढ़	45
9.	चूरू	23
10.	डूंगरपुर	19
11.	गंगानगर	10
12.	हनुमानगढ़	12
13.	जैसलमेर	20
14.	जालौर	63
15.	झालावाड़	53
16.	झुंझुनूं	19
17.	जोधपुर	83
18.	करौली	7
19.	नागौर	73
20.	पाली	60
21.	राजसमन्द	60
22.	सवाईमाधोपुर	5
23.	सीकर	18
24.	सिरोही	23
25.	टौंक	7
26.	उदयपुर	52
	योग	978

परिशिष्ट –16

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-513 का विवरण)

प्रथम चरण के एस्केप से छोड़े गये पानी की मात्रा का विवरण

माह	आर.डी. 629 इ.गा. फीडर	आर.डी. 165 इ. गा. मुख्य नहर	आर.डी. 507.290 इ.गा. मुख्य नहर	आर.डी. 186.500 सूरतगढ़ शाखा	आर.डी. 96.400 पूगल शाखा
अप्रैल-02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मई-02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जून-02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जुलाई-02	शून्य	शून्य	शून्य	187 क्यूसेक डेज (औसत 6 क्यूसेक)	शून्य
अगस्त-02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर-02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अक्टूबर-02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नवम्बर-02	शून्य	शून्य	शून्य	137 क्यूसेक डेज (औसत 4.6 क्यूसेक)	शून्य
दिसम्बर-02	शून्य	शून्य	शून्य	52 क्यूसेक डेज (औसत 1.7 क्यूसेक)	शून्य
जनवरी-02	शून्य	शून्य	शून्य	5 क्यूसेक डेज (औसत 0.2 क्यूसेक)	शून्य

परिशिष्ट "2"

एस्केप आर.डी. 750 मुख्य नहर के 1.4.03 से 31.1.03 तक के गैजेज

क्र.सं.	दिनांक	गेज
1	2	3
1.	1.4.02 से 25.4.02	शून्य
2.	26.4.02	290 क्यूसेक
3.	27.4.02 से 27.5.02	शून्य
4.	28.5.02	105 क्यूसेक
5.	29.5.02	444 क्यूसेक
6.	30.5.02	71 क्यूसेक
7.	31.5.02	277 क्यूसेक
8.	1:6.02	323 क्यूसेक
9.	2.6.02	147 क्यूसेक
10.	3.6.02	64 क्यूसेक
11.	4.6.02	340 क्यूसेक
12.	5.6.02	293 क्यूसेक
13.	6.6.02 से 8.6.02	शून्य
14.	9.6.02	21 क्यूसेक
15.	10.6.02	21 क्यूसेक
16.	11.6.02	शून्य
17.	12.6.02	106 क्यूसेक
18.	13.6.02	76 क्यूसेक
19.	14.6.02 से 20.6.02	शून्य
20.	21.6.02	249 क्यूसेक
21.	22.6.02 से 27.6.02	शून्य
22.	28.6.02	62 क्यूसेक
23.	29.6.02	174 क्यूसेक

1	2	3
24.	30.6.02	273 क्यूसेक
25.	1.7.02	336 क्यूसेक
26.	2.7.02	212 क्यूसेक
27.	3.7.02	76 क्यूसेक
28.	4.7.02	शून्य
29.	5.7.02	51 क्यूसेक
30.	6.7.02	184 क्यूसेक
31.	7.7.02	206 क्यूसेक
32.	8.7.02	91 क्यूसेक
33.	9.7.02	84 क्यूसेक
34.	10.7.02	38 क्यूसेक
35.	11.7.02	32 क्यूसेक
36.	12.7.02 से 21.1.03	शून्य
37.	22.1.03	37 क्यूसेक
38.	23.1.03 से 31.1.03	शून्य

ESCAPE R.D. 112.200

परिशिष्ट "3"

S.NO.	PERIOD		TIME	DISCHARGE IN CUSEC
1	2		3	4
1.	1.4.02 to 17.4.02		—	Nil
2.		17.4.02	12.00 Night	100 Cusec
3.		18.4.02	3.00 A.M.	400 Cusec
4.		18.4.02	6.00 A.M.	600 Cusec
5.	18.4.02 to 21.4.02		—	Nil
6.		22.4.02	9.00 A.M.	140 Cusec
7.		22.4.02	12.00 Noon	150 Cusec
8.		22.4.02	3.00 P.M.	150 Cusec
9.	23.4.02 to 11.5.02	Nil		Nil
10.		12.5.02	12.00 Noon	325 Cusec
11.		12.5.02	3.00 P.M.	325 Cusec
12.		12.5.02	6.00 P.M.	325 Cusec
13.		12.5.02	9.00 P.M.	325 Cusec
14.		12.5.02	12.00 Night	325 Cusec
15.		13.5.02	3.00 A.M.	325 Cusec
16.		13.5.02	6.00 A.M.	325 Cusec
17.	14.5.02 to 27.5.02		—	Nil
18.		28.5.02	12.00 Night	420 Cusec
19.		29.5.02	3.00 A.M.	650 Cusec
20.		29.5.02	6.00 A.M.	650 Cusec
21.		29.5.02	9.00 A.M.	400 Cusec
22.		29.5.02	12.00 Noon	300 Cusec
23.		29.5.02	3.00 P.M.	250 Cusec
24.		30.5.02	3.00 A.M.	25 Cusec
25.		30.5.02	6.00 P.M.	30 Cusec
26.		30.5.02	9.00 P.M.	30 Cusec
27.		30.5.02	12.00 Night	30 Cusec
28.		31.5.02	3.00 A.M.	30 Cusec
29.		31.5.02	6.00 A.M.	30 Cusec

1	2	3	4	5
30.	1.6.02 to 12.6.02		—	Nil
31.		13.6.02	12.00 Noon	100 Cusec
32.		13.6.02	3.00 P.M.	140 Cusec
33.		13.6.02	6.00 P.M.	140 Cusec
34.		13.6.02	9.00 P.M.	70 Cusec
35.		13.6.02	12.00 Night	70 Cusec
36.		14.6.02	3.00 A.M.	70 Cusec
37.		14.6.02	6.00 A.M.	70 Cusec
38.		15.6.02	12.00 Night	100 Cusec
39.		16.6.02	3.00 A.M.	100 Cusec
40.		16.6.02	6.00 A.M.	100 Cusec
41.	17.6.02 to 20.6.02		—	Nil
42.		21.6.02	12.00 Noon	300 Cusec
43.		21.6.02	3.00 P.M.	200 Cusec
44.	22.6.02 to 31.1.03		—	Nil

परिशिष्ट "4"

DETAILS OF WATER REIFASIDTHROGHISCAPIS OF IGNPSTAGE-II JAISALMER ZONL-JAISALMER

DAP	April 02		May 02		June 02		July 02		Aug. 02	
	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0	0	0	0	121	36	15	0	10	0
2	0	0	0	0	25	0	15	0	10	0
3	8	0	0	0	25	0	15	0	10	0
4	60	0	0	0	38	0	13	0	10	0
5	60	0	19	0	25	0	19	0	10	0
6	45	25	13	0	25	0	20	0	10	0
7	60	68	0	0	25	0	64	0	10	0
8	339	18	0	0	25	0	19	0	10	0
9	1012	0	16	0	25	0	10	0	10	0
10	581	0	25	0	25	0	10	0	10	0
11	115	0	25	0	25	0	10	0	10	0
12	0	0	19	0	25	0	10	0	10	0
13	0	0	0	0	25	0	10	0	10	0
14	0	0	0	0	21	0	10	0	10	0
15	0	0	0	0	15	0	10	0	10	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	0	0	0	0	15	0	10	0	10	0
17	0	0	31	0	15	0	10	0	10	0
18	29	0	63	0	42	38	10	0	10	0
19	20	0	50	0	163	57	10	0	9	0
20	10	0	31	0	93	0	10	0	0	0
21	20	30	43	20	40	0	10	0	6	0
22	46	0	124	69	40	0	10	0	10	0
23	68	0	249	97	25	0	10	0	10	0
24	8	0	157	59	25	0	10	0	10	0
25	0	0	178	30	25	0	10	0	10	0
26	156	0	16	11	25	0	10	0	10	0
27	133	58	0	0	15	0	10	0	10	0
28	20	0	19	0	15	0	10	0	10	0
29	8	0	57	0	15	0	10	0	10	0
30	0	0	154	0	15	0	10	0	10	0
31	0	0	194	119	0	0	10	0	10	0
Total	**2798**	**199**	**1483**	**305**	**1038**	**131**	**401**	**0**	**295**	**0**
Average	**93**	**7**	**48**	**10**	**35**	**4**	**13**	**0**	**10**	**0**

DETAILS OF WATER REL

DATE	April 02		May 02		June 02		July 02		Aug. 02	
	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	0	0	0	4	0	26	0	—	0
2	10	0	0	0	31	0	33	0	—	0
3	10	0	0	0	0	0	23	0	—	0
4	10	0	0	0	0	0	0	0	—	0
5	10	0	0	0	0	0	0	0	—	0
6	0	0	0	0	0	24	0	—	0	
7	10	0	0	0	0	0	40	0	—	0
8	10	0	0	0	0	0	65	0	—	0
9	10	0	0	0	0	0	90	0	—	0
10	14	0	0	0	0	0	49	—	0	
11	10	0	3	0	0	0	45	0	—	0
12	10	0	10	0	0	0	0	0	—	0
13	10	0	10	0	0	0	0	0	—	0
14	5	0	13	0	0	0	0	0	—	0
15	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	0	0	20	0	0	0	0	0	50	0
17	0	0	20	0	0	0	0	0	100	0
18	0	0	20	0	0	0	5	0	100	0
19	0	0	20	0	0	0	0	0	—	0
20	0	0	20	0	0	0	0	0	100	0
21	0	0	20	0	0	0	0	0	—	0
22	0	0	10	0	0	0	0	0	—	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Total	**139**	**0**	**199**	**0**	**35**	**0**	**---**	**0**	**---**	**0**
Average	**5**	**0**	**6**	**0**	**1**	**0**	**23**	**0**	**23**	**0**

परिशिष्ट -17

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-517 का विवरण)

पशु शिविरों हेतु जिलेवार स्वीकृत पशु सीमा एवं जिलों में लाभान्वित पशु संख्या

क्र.सं.	नाम जिला	स्वीकृत शिविरों की संख्या	चालू शिविरों की संख्या	लाभान्वित पशु संख्या 28.02.03	प्रतिमाह व्यय की जा रही राशि
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	7	7	2194	658200
2.	अलवर	–	–	–	–
3.	बांसवाड़ा	–	–	–	–
4.	बारां	13	13	1554	466200
5.	बाड़मेर	384	303	125120	37536000
6.	भरतपुर	6	6	4942	1482600
7.	भीलवाड़ा	–	–	–	–
8.	बीकानेर	150	150	102535	30760500
9.	बून्दी	–	–	–	–
10.	चित्तौड़गढ़	–	–	–	–
11.	चूरू	61	60	14944	4483200
12.	दौसा	10	10	2454	736200
13.	धौलपुर	4	4	2300	690000
14.	डूंगरपुर	–	–	–	–
15.	श्रीगंगानगर	20	20	4590	1377000
16.	हनुमानगढ़	24	24	3612	1083600
17.	जयपुर	35	33	3782	1134600
18.	जैसलमेर	576	532	95000	28500000
19.	जालौर	14	14	2772	831600
20.	झालावाड़	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
21.	झुंझुनूं	11	11	2999	899700
22.	जोधपुर	110	109	27005	8101500
23.	करौली	23	15	4445	1333500
24.	कोटा	–	–	–	–
25.	नागौर	96	96	14000	4200000
26.	पाली	107	100	24887	7466100
27.	राजसमन्द	–	–	–	–
28.	सवाईमाधोपुर	21	21	5250	1575000
29.	सीकर	46	46	6165	1849500
30.	सिरोही	3	1	245	73500
31.	टौंक	–	–	–	–
32.	उदयपुर	–	–	–	–
	योग	**1721**	**1575**	**450795**	**135238500**

परिशिष्ट –18

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–519 की सूचना)

कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति रायपुर

माह	ग्राम पंचायत चांग में नियोजित श्रमिक संख्या	ग्राम पंचायत चिताड़ में नियोजित श्रमिक संख्या
अगस्त, 2002	–	–
सितम्बर, 2002	–	–
अक्टूबर, 2002	–	–
21.11.02 से 31.11.02	–	40
1.12.02 से 10.12.02	20	40
11.12.02 से 20.12.02	80	80
21.12.02 से 31.12.02	80	80
1.1.03 से 10.1.03	80	80
11.1.03 से 20.1.03	80	80
21.1.03 से 31.1.03	80	80

कार्यकारी एजेंसी सा.नि. विभाग, सोजत

अगस्त, 2002	–	–
सितम्बर, 2002	–	–
20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 02	40	–
1 नवम्बर, 02 से 10 नवम्बर, 02	40	–
11 नवम्बर, 02 से 20 नवम्बर, 02	80	–
21 नवम्बर, 02 से 30 नवम्बर, 02	140	80
1 दिसम्बर, 02 से 10 दिसम्बर, 02	160	140
11 दिसम्बर, 02 से 20 दिसम्बर, 02	160	140
21 दिसम्बर, 02 से 31 दिसम्बर, 02	160	180
1 जनवरी, 03 से 10 जनवरी, 03	160	180
11 जनवरी, 03 से 20 जनवरी, 03	290	150
21 जनवरी, 03 से 31 जनवरी, 03	290	180

परिशिष्ट -19

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-45 का ब्यौरा)

तहसीलदार बस्सी से प्राप्त सूचना के अनुसार पृथ्वीपुरा बांध ग्राम पंचायत का गवाई तालाब है। जिसके खसरा नं. 17 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा गैर मुमकीन नला एवं खसरा नं. 16 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा गैर मुमकीन नला व खसरा नं. 1 रकबा 67 बीघा 7 बिस्वा चरागाह आंशिक रकबा 10 बीघा जो रामसर में आती है। उक्त खसरा नं. 17 में घीस्या, रामसुखा पुत्र जूथा गूर्जर निवासी रामसर द्वारा 2 बीघा में अतिक्रमण कर रखा है। इसके अतिरिक्त खसरा नं. 1 में श्रवण, रामसहाय, रामकिशोर, गंगासहाय पिता ग्यारसा जाति गूर्जर निवासी रामसर द्वारा 1 बीघा अराजी पर कब्जा किया गया। तहसीलदार बस्सी द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त बाड़े वगैराह बनाते हुए अतिक्रमण नहीं किया गया है।

परिशिष्ट -20

(नियम 295 के-तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयी)

विद्युत विभाग द्वारा नर्सरी कनेक्शन को सामान्य श्रेणी में परिवर्तन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति

[श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)]

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं आपका ध्यान जयपुर, विद्युत वितरण निगम द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे भेदभावपूर्ण नीति की ओर दिलाना चाहता हूं। जिन किसानों ने नर्सरी श्रेणी में कृषि कनेक्शन लिए थे, उन नर्सरी कनेक्शनों को 2 वर्ष उपरान्त सामान्य श्रेणी में परिवर्तन करने का प्रावधान था, लेकिन 31 मार्च, 2000 के बाद हुए नर्सरी कनेक्शनों को आज तक सामान्य श्रेणी में नहीं बदला गया है, अनेक नर्सरी कनेक्शनों का डिमाण्ड नोटिस भी 31 मार्च, 2000 पूर्व जमा हो गए थे, लेकिन वे कनेक्शन भी सामान्य में न बदलकर नर्सरी में ही चल रहे हैं। अकाल का समय है, नर्सरी श्रेणी का बिल अदा करके किसान अपना परिवार पालने में असमर्थ हो रहा है। वर्तमान में नर्सरी श्रेणी समाप्त हो चुकी है।

अत : मेरा ऊर्जा मंत्री से अनुरोध है कि जो भी नर्सरी श्रेणी में कृषि कनेक्शन है, उन्हें अविलम्ब सामान्य श्रेणी में परिवर्तन करावें, जिससे किसानों को राहत मिल सके।

किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर समय पर नहीं बदला जाना

[श्री अमराराम (धोद)]

महोदय,

राज्य में भयंकर अकाल की स्थिति होने एवं राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा जले हुए ट्रांसफार्मर तीन दिन में हर हालत में बदलने के आदेश के बावजूद आज की तारीख तक जले हुए ट्रांसफार्मर 10 से 15 दिन बाद राज्य में बदले जा रहे हैं। जिसके उदाहरण सीकर, नागौर एवं अन्य राज्य के जिलों में हो रहा है। जिससे किसानों की फसल का भारी नुकसान हो रहा है तथा किसानों को रोज सहायक अभियन्ता कार्यालय से लेकर अधीक्षण अभियन्ता कार्यालयों के चक्कर रोज करने पड़ते हैं। सुबह आते हैं

तथा शाम तक इन्तजार करते हैं और शाम को उत्तर मिलता है। आज ट्रांसफार्मर आए नहीं। कल देखेंगे। इस प्रकार 100 किलोमीटर से सैकड़ों किसान जिला हैडक्वाटर पर सैंट्रल स्टोर के चक्कर लगाते हैं और किसान का बिल एक दिन लेट जमा हो तो पैनल्टी एवं ब्याज लगाया जाता है। जबकि कम्पनी पर कोई पैनल्टी नहीं है। न ही आज तक सभी ग्रामों में सी.सी.ए. नहीं होने से चार–चार दिन तो जले हुए ट्रांसफार्मर की सूचना बिजली अधिकारी रिपोर्ट भी नहीं करते हैं।

वहीं दूसरी ओर वी.सी.आर. के नाम से किसान एवं आम उपभोक्ताओं की नाजायज लूट मचा रखी है। कम्पनियों में हर अधिकारी को हर महीने के कोटे दिए जा रहे हैं तथा उनको इसके लिए बाध्य किया जा रहा है तथा उनका इस राशि में हिस्सा कर दिया गया है। जिससे कम्पनियों के अधिकारी किसानों के बिजली कनेक्शन के बाद भी 30 हजार से 90 हजार रुपये की वी.सी.आर. भर देते हैं। जिसका उदाहरण गत वित्त वर्ष में सीकर में 7 करोड़ की वी.सी.आर. भर दी गई जिसमें अधिकतर नाजायज थी। नई से नई पम्प सैट को इनके टेस्टर से नापने पर अधिक हार्स पावर भी बताती है तथा उसी के अनुसार वी.सी.आर. भर दी जाती है तथा बहुत दफा कोईसा अधिकारी किसान के कुए पर जाने की आवश्यकता नहीं समझता और ऑफिस में बैठकर वी.सी.आर. भर देता है। तथा बहुत बार किसान के कुएं की मोटर जलने के बाद महीनों नहीं बदला जाता और इसी दौरान बिजली चोरी बताकर वी.सी.आर. सीट भर दी जाती है तथा पुन: जांच का निवेदन करने पर अधिकारी नहीं होने का बहाना बनाया जाता है।

अत: मेरा निवेदन है कि ट्रांसफार्मर हर कैपेसिटी का हर सहायक अभियन्ता कार्यालय पर रखे जावे तथा जलने पर वहीं से भेज दिया जावे। तथा आज तक समय पर नहीं बदलने के लिए उन किसानों के उस माह के बिजली के बिल माफ किए जावे। तथा गलत वी.सी.आर. भरना बन्द किया जावे तथा उसी अधिकारी को पुन: जांच के अधिकार दिए जावे तथा कोटा सिस्टम एवं अधिकारियों का हिस्सा प्रथा समाप्त की जावे।

इन दोनों समस्याओं में समय पर ट्रांसफार्मर बदला जावें तथा गलत वी.सी.आर. भरना बन्द करके किसानों एवं आम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाएं।

ब्यावर शहर में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी का गलत क्रियान्वयन

[श्री के. सी. चौधरी (ब्यावर)]

महोदय,

मैं, राजस्थान विधान सभा के नियमों एवं कार्य प्रणाली के नियम 295 के अन्तर्गत ब्यावर शहर में भू-राजस्व की धारा 90-बी के गलत तरीके से लागू होने से उत्पन्न परेशानियों की ओर माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 90-बी नियमानुसार स्वैच्छिक रूप से लागू होनी चाहिए थी जबकि ब्यावर शहर में खातेदारों की सम्पूर्ण भूमि व आवासीय कॉलोनीज की किसी भूमि को सिवाय चक घोषित कर आनन-फानन में बगैर सुनवाई व नोटिस दिये नगर परिषद् में स्थानान्तरित कर दी गई है। लिहाजा धारा 90-बी की मंशा के विपरीत ब्यावर शहर में आम नागरिक को पट्टा लेने में भारी असुविधा हो रही है व जन आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। धारा 90-बी के अन्तर्गत मन्दिर, माफी, देवस्थान, धार्मिक ट्रस्ट या वक्फ की भूमि सम्मिलित नहीं होनी चाहिए थी मगर ब्यावर में गलत तरीके से उक्त भूमि को भी धारा 90-बी के तहत सिवायचक घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार धारा 90-बी की पालना में विकसित की गई वैद्य कॉलोनीज, कृषि भूमि प्रभावित नहीं होनी चाहिये थी। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर शहर में धारा 90-बी का पुनः सर्वे कराकर आम नागरिक को इस परेशानी से राहत दिलावे।

उदयपुर डिवीजन के वन क्षेत्र में बसे आदिवासी काश्तकारों को खातेदारी हक

[श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)]

महोदय,

उदयपुर डिवीजन में लम्बे समय से वन क्षेत्रों में आदिवासी काश्तकार बसे हुए हैं। लोगों ने उस भूमि पर कुएं खोदे हुए है, फलदार पेड़-पौधे लगाये हुए हैं। जमीन को आबाद किया हुआ है, यहां तक कि कई जगहों पर राजीव गांधी पाठशालाएं, सार्वजनिक कुएं, पक्के मकान आदि बने हुए है। जंगलात के लोग हर समय इन लोगों से नाजायज पैनल्टी के नाम से रुपये वसूलते हैं लेकिन इन लोगों के जमीन खाते में नहीं हुई है। समय-समय पर उक्त जमीन को खाते करवाने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दी है, लेकिन जमीन खाते नहीं हुई है। लोग हर साल पैनल्टी भरते रहते है। वन क्षेत्रों में वन नाम का कोई पेड़ नहीं है।

अतः मेरी आपसे मांग है कि इन लोगों की जमीनों को खातेदारी हक दिलाये जाने की कृपा करावें। अगर पैसा नहीं तो आदिवासी गरीब काश्तकार पैनल्टी के नाम से लुटते रहेंगे। सरकार इस बारे यथाशीघ्र खातेदारी हक दिलावें।

धन्यवाद।

नीमकाथाना में पेयजल संकट

[श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)]

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर गांवों में पेयजल संकट गहरा गया है। नगर पालिका नीमकाथाना के पेयजल के स्रोत सूख गये हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। आने वाली गर्मी में पेयजल संकट का भयंकर सामना करना पड़ेगा। नीमकाथाना के ग्रामीण क्षेत्र में गांव रायपुर पाटन काचरड़ा बूजा, मोकलवास, बन की ढाणी (सांवलपुरा/तंवरान) महावाढाणी पूंछला वाली (गोडावास) ढाणी रावतवाली रायपुर जागीर मांवडा-खुर्द, जिलो–पाटन पेयजल संकट गहराया है। मेरे क्षेत्र में कहीं भी टैंकर से जल वितरण की व्यवस्था नहीं की गई है। हैण्ड पम्प सूख गये हैं। इनको गहरा कराने के लिए निवेदन किया गया लेकिन एक भी हैण्ड पम्प गहरा नहीं कराया गया है। 211 इंच के हैण्ड पम्प 112 में बदलने का प्रस्ताव भी जिलाधीशजी के विचाराधीन है। एक्स.ईएन. पी.एच.ई.डी. द्वारा सामान सप्लाई नहीं करने से भी पेयजल की स्थिति गम्भीर होती जा रही है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि शीघ्र पेयजल की उत्तम व्यवस्था कराई जावें।

रायपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गिरी के सरपंच पद पर वार्ड पंच का कार्यवाहक रूप में मनोनयन

[श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)]

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायपुर (पाली) में ग्राम पंचायत गिरी के निर्वाचन सरपंच की बगदाराम (अनु.जाति) का देहान्त 6 माह पूर्व होने से उक्त पंचायत के सरपंच का पद रिक्त हो गया था। पंचायती राज अधिनियम 1994 व नियम 1996 के अन्तर्गत जब तक सरपंच के चुनाव नहीं होने तक राज्य सरकार द्वारा अधिकारी नियुक्ति कर पंचायत के वार्ड पंच का बहुमत के आधार पर

चुनाव करवाकर कार्यवाहक सरपंच बनाने का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार ने गलत व्यवस्था कर अपने चहेतों को कार्यवाहक सरपंच व प्रधान नियुक्त करने की नादिरशाही व्यवस्था कर प्रजातंत्र मूल्यों का गला घोंट दिया है। जब सरकार मनोनीत करने की व्यवस्था ही करना चाहती है तब वार्ड पंच व सरपंच के चुनावों की व्यवस्था व राज्य चुनाव आयोग का गठन करने का नाटक क्यों किया गया।

सरकार एक तरफ पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण का जोरदार नाटक कर रही है। वह अक्टूबर, 2002 में इस विषय में दो दिवस विधान सभा का विशेष अधिवेशन आहूत किया। माननीय सदस्यगण के विचार गम्भीरता से सरकार ने सुनकर राज्य में पंचायत राज को सुदृढ़ीकरण करने का अपना दृढ़ मानस व विचार व्यक्त किया लेकिन दूसरी तरफ 15 पंचों में से केवल 2 वार्ड पंचों के सहारे ग्राम पंचायत का संचालन करने का प्रजातंत्र का कौनसा प्रयोग राज्य में करना चाहते हैं। सदन को सन्तुष्ट करें।

यहां यह विशेष उल्लेख करना न्यायसंगत होगा कि ग्राम पंचायत गिरी में कुल 15 वार्ड पंचों में से 10 वार्ड पंच सर्व श्री बगदाराम उप सरपंच 2) श्री ललित जैन वार्ड पंच वार्ड सं. 23) श्री छैलाराम वार्ड पंच वार्ड सं. 34) कादर काठात वार्ड पंच वार्ड सं. 65) श्रीमती रूकमा देवी वार्ड पंच वार्ड सं. 76) श्री लाबूराम रैगर वार्ड पंच वार्ड सं. 17) श्री पोगाराम वार्ड पंच वार्ड सं. 58) श्रीमती लक्ष्मी देवी वार्ड पंच वार्ड सं. 10(9) श्रीराम देवासी वार्ड पंच वार्ड सं. 9(10) श्रीमती फेफी देवी वार्ड पंच वार्ड सं. 11.

उपरोक्त 10 वार्ड पंचों ने पूर्व सरपंच बगदाराम की मृत्यु के तत्काल पश्चात् उपरोक्त पंचों ने माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय, राज्य सरकार तथा जिला परिषद् पाली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी इस सम्बन्ध में अवगत करवा दिया था कि उक्त पंचों में से पूर्व में बहुमत से निर्वाचित कार्यवाहक सरपंच लाबूराम रैगर को चुना जावें लेकिन राज्य सरकार ने बिना वार्ड पंचों के बहुत की जांच किए श्री ढगलाराम मेघवाल वार्ड पंच को पिछले माह के अन्तिम सप्ताह में कार्यवाहक सरपंच मनोनीत करने से ग्राम पंचायत गिरी में गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। कार्यवाहक सरपंच के साथ 3 वार्ड पंच हैं, किस प्रकार पंचायत के प्रस्ताव बिना बहुमत से निर्णय होगा। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि यदि प्रजातन्त्र मूल्यों का सर्वनाश ही करना है तब इस पंचायत को भंग कर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करना उचित रहेगा अन्यथा 7-8 हजार की आबादी की बड़ी ग्राम पंचायत में प्रजातन्त्र मूल्यों को लागू कर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर बहुमत से कार्यवाहक सरपंच का चुनाव करवाने की व्यवस्था की जावें।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से पंचायत राज मंत्री से शीघ्र उचित कार्यवाही कर प्रजातन्त्र मूल्यों की रक्षा करने की व्यवस्था की आशा रखता हूं।

जयपुर में लालकोठी फल–सब्जी मण्डी प्रांगण से अतिक्रमियों की बेदखली

[श्री कन्हैया लाल (बस्सी)]

महोदय,

विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि महाराष्ट्र प्रंदेश की हड़पसर पद्धति के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति लालकोठी के द्वितीय चरण में 300 किसानों को बैठकर अपनी फल–सब्जी बेचने के लिए पांच प्लेट फार्मों का निर्माण कराया गया। लेकिन लम्बे समय से इन प्लेट फार्मों पर दलाल बिचौलिये को बैठकार उपभोक्ता एवं किसान दोनों वर्गों का शोषण किया जा रहा। बिचौलिये किसानों से ओने पौणे दामों में फल–सब्जी क्रय कर ग्राहकों को ऊंची दर पर बेचकर दोनों पक्षों का शोषण कर रहे है। किसानों के हक अधिकार वाले प्लेट फार्म पर बिचौलिये के अतिक्रमण को हटाने की बार–बार लिखित, मौखिक गुहार के बावजूद मण्डी कर्मचारी/ अधिकारियों की मिलीभगत व सरकार की लापरवाही के कारण जहां उपभोक्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वहीं किसान अतिक्रमणकारियों को हटवाने के लिए 15 जनवरी, 2003 से आन्दोलनरत है। आन्दोलनरत किसान सर्दी–गर्मी वर्षा की मार झेल रहे किसानों के दुःख की पीड़ा से बेखबर सरकार किसान हितैषी होने का झूठा दावा कर रही है। किसान उपभोक्ता भी सरकार की शोषणकारी दोहरी नीति के चंगुल में आ चुका है। आन्दोलनकारी किसान पिछले एक माह 26 दिन से लाल कोठी मंण्डी के सामने फुटपाथ व सड़क पर धरना दिये बैठे है। धरने पर जिला जयपुर, सीकर, नागौर, चूरू, झुंझुनूं, टौंक, केकड़ी आदि के किसानों का आज भी धरना जारी है। परन्तु किसानों की हिमायती सरकार का एक भी मंत्री ने इनकी आज तक सुध नहीं ली है। सम्पूर्ण जिला जयपुर के किसानों द्वारा अतिक्रमण के विरोधस्वरूप 10 मार्च, 2003 को बाजार में सब्जी नहीं लाने से आम जनता को 4 गुने दामों पर बासी सब्जियां खरीदनी पड़ी तथा किसानों की खेतों में ही सड़कर बेकार हो गयी।

अतः नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि किसान उपभोक्ता हित में शीघ्र अतिक्रमणकारियों को हटाकर किसानों को इन 300 प्लेट फार्मों पर बैठाने की व्यवस्था की जावें।
